बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना।

सं0– 1191 दिनांक– 14.06. 2017 किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2 का 2016) की धारा 110 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है:–

अध्याय–1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली "बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ।**– जब तक इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) "अधिनियम" से किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) अभिप्रेत है;

(ii) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(iii) "मामला कार्यकर्ता" से बाल देख–रेख संस्था में कार्यरत कर्मी या पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन का ऐसा प्रतिनिधि अभिप्रेत है, जो कि बालक के साथ बोर्ड या समिति के समक्ष जाएगा और ऐसे कार्य करेगा, जो कि बोर्ड या समिति द्वारा उसे सौंपे जाय।

(iv) "बाल दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली" से ऐसी ऑनलाइन प्रणाली अभिप्रेत है, जो दत्तकग्रहण कार्यक्रम में सहायता करे एवं उस कार्यक्रम की निगरानी करे;

(v) "बाल अध्ययन रिपोर्ट" से अभिप्रेत है, जिसमें बाल के ब्यौरे जैसे, जन्मतिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि का उल्लेख हो;

(vi) "समुदाय सेवा" से विधि का उल्लंघन करने वाले चौदह वर्ष से अधिक आयु के बालकों द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उद्यानों का रखरखाव, वृद्धों की सेवा, स्थानीय अस्पताल या परिचर्या गृह की सहायता करने, विकलांग बच्चों की सेवा करने, यातायात स्वयंसेवी के रूप में कार्य करने इत्यादि जैसे कार्यकलाप भी हैं।

(vii) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(viii) "गृह अध्ययन रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें भावी दत्तकग्रहण करने वाले माता–पिता या बालक माता–पिता के ब्यौरे का उल्लेख हो और इस ब्यौरे

693

में सामाजिक और आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर का विवरण और माहौल तथा स्वास्थ्य की स्थिति शामिल होंगे;

(ix) "व्यक्तिगत देख–रेख योजना" किसी बालक के लिए ऐसी व्यापक विकास योजना है, जो उस बालक की आयु और लिंग–विशिष्ट आवश्यकताओं तथा उस बालक के मामले के पूर्ववृत्त पर आधारित हो, जिसे बालक का खोया आत्मसम्मान, गरिमा और स्वाभिमान लौटाने और उसे जिम्मेदार नागरिक बनाने के उद्देश्य से बालक के साथ परामर्श करके तैयार किया गया हो और तदनुसार इस योजना में बालक की निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी अर्थात्–

(क) स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताएँ, जिसके अंतर्गत कोई विशेष आवश्यकताएँ भी हैं;

(ख) भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ;

(ग) शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएँ;

(घ) अवकाश, सर्जनात्मकता और खेलकूद;

(ङ) सभी प्रकार के शोषण, उपेक्षा और दुर्व्यवहार से संरक्षण;

(च) उद्धार और अनुवर्तन;

(छ) समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करना;

(ज) जीवन कौशल प्रशिक्षण।

(x) "देश में दत्तकग्रहण" से भारत में निवास कर रहे भारत के किसी नागरिक द्वारा किसी बालक का दत्तकग्रहण अभिप्रेत है;

(xi) "चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट" से किसी विधिवत् अनुज्ञप्ति–धारी चिकित्सक द्वारा दी गई बालक की रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(xii) "प्रभारी व्यक्ति" से बाल देख–रेख संस्था के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(xiii) "यौ.अ.बा.सं.अ." से यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है;

(xiv) "पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारी" से प्रत्येक बाल देख–रेख संस्था में बच्चों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए अभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;

(xv) "चयन समिति" से इन नियमों के नियम 87 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

(xvi) "सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट" से विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक की रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार की गई बालक की पृष्ठभूमि की जानकारी का उल्लेख है;

(xvii) "सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट" से किसी बालक की रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें उस बालक की परिस्थितियों, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और अन्य सुसंगत कारकों के अनुसार उसकी परिस्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी और उन पर सिफारिशों का उल्लेख हो;

(xviii) "सामाजिक कार्यकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सामाजिक कार्य या समाज–विज्ञान या मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हो या उक्त विषयों में स्नातक डिग्री और बाल शिक्षा तथा विकास या संरक्षण संबंधी मुद्दों पर कार्य का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव हो और जिसे बालक की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट या व्यक्तिगत देख–रेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट, भावी दत्तक ग्रहण करने वाले माता–पिता या पालक माता–पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने, दत्तकग्रहण के उपरांत सेवाएं प्रदान करने और अधिनियम या इन नियमों के अधीन ऐसे व्यक्ति को सौंपे गए अन्य कृत्यों का निष्पादन करने के लिए किसी बाल देख–रेख संस्था द्वारा नियुक्त किया गया हो या जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण समिति या राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण या केंद्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

स्पष्टीकरण: इस परिभाषा के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य की अर्हताएं अधिनियम की धारा 4 एवं इन नियमावली के नियम 4 के उप–नियम (3) के अनुसार होंगी।

(xix) "विशेष शिक्षक" का वही अर्थ होगा, जो कि यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 में अर्थ है;

(xx) "राज्य बाल संरक्षण समिति" से अधिनियम की धारा 106 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(2) उन सभी शब्दों और पदों, जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त हैं किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में अर्थ हैं।

अध्याय – 2

किशोर न्याय बोर्ड

3. **बोर्ड।**– राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जिले में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा।

4. **किशोर न्याय बोर्ड की संरचना।**– (1) बोर्ड में एक महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी का एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे कम से कम तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त हो और उसे बोर्ड का

प्रधान मजिस्ट्रेट अभिहित किया जाएगा, तथा संबंधित जिले से दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, न्यायपीठ का गठन करेंगे।

(2) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति इस नियमवली के नियम 87 के तहत् गठित चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष आयु के साथ निम्नलिखित अर्हताएँ होगीः–

(i) किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण या संरक्षण कार्यकलापों में कम से कम सात वर्षों का अनुभव हो या वे मनोविज्ञान, मनश्चिकित्सा या समाज–विज्ञान या विधि क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त एवं कम से कम पाँच वर्षों के अनुभव के साथ व्यवसायरत कृतिक होने चाहिए;

(ii) उपर्युक्त उप–नियम 3 के खण्ड (i) में वर्णित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में निम्नलिखित के चयन पर विचार किया जा सकता है–

(क) सामाजिक कार्य/स्वास्थ्य/शिक्षा/मनोविज्ञान/समाज विज्ञान/ग्रामीण विकास/महिला अध्ययन/विकास अध्ययन/लोक प्रशासन विषय में स्नातक डिग्री के साथ बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण या संरक्षण कार्यकलापों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो; या

(ख) किसी भी विषय में स्नातक के साथ बाल संरक्षण/परामर्श/बाल विकास/बाल अधिकार/मानव अधिकार/महिला अध्ययन/अपराध शास्त्र/मानव व्यापार निषेध/स्वास्थ्य या लोक स्वास्थ्य/मानसिक आरोग्य विषय में डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट प्राप्त होने एवं बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण या संरक्षण कार्य–कलापों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो।

(4) बोर्ड के लिए इस प्रकार चयनित दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य भिन्न–भिन्न वृत्ति के क्षेत्रों या पेशों या शैक्षणिक योग्यता से होंगे।

(5) सदस्यों के चयन के समय दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की समान अर्हता पाये जाने की स्थिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(6) बोर्ड के सभी सदस्यों जिसके अंतर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी हैं, की नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान और संवेदनशील किया जाएगा।

5. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल।– (1) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों से अधिक नहीं होगा।

(2) बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य अधिकतम दो कार्यकाल के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।

स्पष्टीकरणः– अवधि की गणना के उद्देश्य से, एक व्यक्ति जो इन नियमों के लागू होने की तारीख से पहले बोर्ड का सदस्य अधिसूचित किया गया और एक वर्ष से अधिक अवधि तक कार्यरत रहा है, तो बोर्ड में सदस्य का एक कार्यकाल माना जाएगा।

(3) सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास की लिखित सूचना देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

(4) बोर्ड में किसी भी रिक्ति को चयन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

(5) बोर्ड की बैठकों में कोरम हेतु कम से कम दो सदस्य होंगे जिसके अन्तर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी हैं।

(6) ऐसी स्थिति में, जहाँ किसी सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य या सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर बोर्ड का कोरम प्रभावित होता है, ऐसे सदस्य या सदस्यों का कार्यकाल अगले छः माह के लिए या नए सदस्य के चयन तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है।

6. बोर्ड की बैठकें।–(1) बोर्ड अपनी बैठकें संप्रेक्षण गृह में अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए अधिनियम के अधीन स्थापित किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगा और ऐसा गृह या संस्था के उपलब्ध न होने की दशा में गृह या संस्था के निकट स्थित स्थान पर किन्तु किसी भी परिस्थिति में बोर्ड किसी न्यायालय या कारागार परिसर में अपनी बैठकें आयोजित नहीं करेगा।

(2) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जब मामले की सुनवाई चल रही हो तब कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, जिसका उस मामले से कोई संबंध न हो।

(3) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उस/उन व्यक्ति/व्यक्तियों को ही बैठक के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए, जिनकी उपस्थिति में बालक सहज महसूस करे।

(4) बोर्ड अपनी बैठकें बालकों के अनुकूल परिसरों में आयोजित करेगा तथा वे परिसर किसी भी स्थिति में न्यायालय जैसे नहीं दिखेंगे और बैठने की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि बोर्ड बालक से आमने–सामने बात कर सके।

(5) बालक से बात करते समय, बोर्ड अपने आचरण के माध्यम से बालकों के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करेगा और बालकों को संबोधित करते हुए शारीरिक हाव–भाव, चेहरे के भावों, नजरों, बोलचाल के लहजे और आवाज के संदर्भ में बालकों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाएगा।

(6) बोर्ड के सदस्य के आसन ऊंचे मंच पर नहीं होंगे और बोर्ड तथा बालक के मध्य साक्षियों के कटघरे या अवरोध जैसी बाधाएं नहीं होंगी।

(7) बोर्ड सभी कार्य दिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य समय के अनुरूप न्यूनतम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगा, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश जारी न किया हो या राज्य सरकार ने जिले में लंबित मामलों की संख्या, क्षेत्र या भूभाग जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक बोर्डों का गठन न किया हो।

(8) जब बोर्ड की बैठक न हो तब विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को बोर्ड के किसी एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त प्रयोजन के लिए, बोर्ड का एक सदस्य किसी आपातकालीन मामले का संज्ञान लेने के लिए सदैव उपलब्ध या पहुंच में रहेगा और ऐसे सदस्य द्वारा आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश जिले के विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को दिए जाएंगे। प्रधान मजिस्ट्रेट उन सदस्यों का ड्यूटी रोस्टर तैयार करेगा, जो कि रविवार और छुट्टी के दिनों सहित हर दिन इस प्रकार

उपलब्ध और पहुँच में रहेंगे। यह रोस्टर अग्रिम से सभी पुलिस थानो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को परिचालित किया जाएगा।

(9) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम 1500/– रूपए दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य कोई भत्ता भी है, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(10) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यक्रम या योजना के तहत् बोर्ड को अवसंरचना और कर्मचारीवृंद राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी, जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी योजना या कार्यक्रम के अन्तर्गत इस हेतु विनिर्दिष्ट किया गया है।

7. बोर्ड के कृत्य।– (1) बोर्ड निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्य करेगा, अर्थात:–

(i) जब कभी आवश्यक हो, बोर्ड एक अनुवादक या दुभाषिया या विशेष शिक्षक उपलब्ध कराएगा, जिसे प्रतिदिन कम से कम 1500 रूपए का भुगतान किया जाएगा और अनुवादक मामले में प्रति पृष्ठ अधिकतम सौ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रयोजन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई अनुवादकों, दुभाषियों और विशेष शिक्षको का पैनल रखेगा और इस पैनल की जानकारी बोर्ड को देगा। अनुवादक, दुभाषिए और विशेष शिक्षक की अर्हताएं वही होगी, जो "यौ.अ.बा.सं.अ." अधिनियम, 2012 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की गई हैं;

(ii) जहाँ कहीं अपेक्षित हो वहाँ विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड जारी करना;

(iii) जहाँ कहीं अपेक्षित हो वहां उस स्कूल में बालक का पुनः दाखिला कराने या शिक्षा जारी रखने के लिए समुचित आदेश पारित करना, जहाँ बालक को जाँच के लंबित रहने या कितनी भी समयावधि के लिए किसी बाल देख–रेख संस्था में रहने के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने को अननुज्ञात किया गया हो;

(iv) बालक को विधि की सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से मामलों की त्वरित जाँच और निपटान से सुकर बनाने को अन्य जिलों में वार्डों से संपर्क करना जिसके अंतर्गत किसी अन्य जिले या राज्य में किसी बोर्ड को जाँच या पुनर्वास के प्रयोजन के लिए भेजना भी है;

(v) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों संबंधी बाल देख–रेख संस्थाओं का निरीक्षण करना, ध्यान दिए जाने योग्य किन्हीं त्रुटियों के मामलों में निदेश जारी करना, सुधारों के सुझाव देना, अनुपालन की मांग करना और कर्तव्यों के अनुपालन में लापरवाही करते पाए जाने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई सहित उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश जिला बाल संरक्षण इकाई को करना;

(vi) बोर्ड के परिसरों में किसी प्रमुख स्थान पर सुझाव पेटिका या शिकायत निपटान पेटिका रखना, ताकि बालकों और वयस्कों सभी को अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इन पेटिकाओं का प्रचालन प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम निर्देशिती करेगा;

(vii) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए चलाई जा रही बाल देख–रेख संस्थानों में बाल समितियों का सहज कार्यकरण सुनिश्चित करना, ताकि ऐसी बाल देख–रेख संस्थाओं के कार्यों और प्रबंधन में बालकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके;

(viii) एक मास में कम से कम एक बार सुझाव पुस्तिका की समीक्षा करना एवं समुचित कार्रवाई की अनुशंसा करना;

(ix) यह सुनिश्चित करना कि जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य या जिला विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण में कार्यरत विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी बालक को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करें;

(x) बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक की माँग के आधार पर मामले से संबंधित दस्तावेजों एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करेगा।

(xi) यदि आवश्यक हो तो अर्ध–विधिक और अन्य कार्य, जैसे कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के माता–पिता से संपर्क करने, बालक के विषय में संगत सामाजिक और पुनर्वास संबंधी जानकारी एकत्र करने के लिए और छात्र स्वयंसेवियों या गैर–सरकारी संगठनों के स्वयंसेवियों की सेवाएं लेना।

अध्याय 3
विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया

8. **पेशी के पूर्व पुलिस एवं अन्य अभिकरणों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई।**– (1) जिन मामलों में बालक द्वारा किया गया जघन्य अपराध अभिकथित हो, या जब बालक द्वारा ऐसा अपराध वयस्कों के साथ सम्मिलित रूप से किए जाने का अभिकथन किया गया हो, के सिवाय कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। अन्य सभी मामलों में, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की सूचना साधारण दैनिक डायरी में अभिलिखित करेगा, उसके पश्चात प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और, जहाँ कहीं लागू हो, बालक को पकड़े जाने की परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रथम सुनवाई से पहले बोर्ड को अग्रेषित करेगा:

परन्तु पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग केवल जघन्य अपराधों के विषय में ही किया जाएगा, जब तक यह बालकों के सर्वोत्तम हित में न हो। छोटे–मोटे और गंभीर अपराधों के अन्य मामलों, जहाँ बालक के हित में उसे पकड़ा जाना आवश्यक न हो, पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्ररूप 1 में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट के साथ उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के स्वरूप की जानकारी बोर्ड को भेजेगा तथा उस बालक के माता–पिता या अभिभावकों को यह सूचित करेगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए कब प्रस्तुत किया जाना है।

(2) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सौंपेगा, जो तत्काल इन सबको सूचित करेगा:

(i) बालक के माता–पिता या संरक्षक को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है साथ ही उस बोर्ड का पता बताया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी जब माता–पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है;

(ii) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जाँच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती हो; और

(iii) बालक को पकड़े जाने के समय चौबीस घंटे के भीतर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ प्रस्तुत होने के लिए बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित किया जाएगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारी:

(i) उस बालक को हवालात में नहीं भेजेगा और बालक को नजदीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण समिति अधिकारी को सौंपने में देरी नहीं करेगा। वह पुलिस अधिकारी पकड़े गए बालक को अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (2) के अधीन जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है अर्थात उसके गिरफ्तार किए जाने से चौबीस घंटे और इन नियमों के भीतर, समुचित नियमावली के नियम 9 के अनुसार आदेश प्राप्त किए जाने तक किसी संप्रेक्षण गृह में तब तक के लिए भेज सकता है;

(ii) बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर या अन्यथा बेड़ी नहीं पहनाएगा तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं करेगा;

(iii) बालक को तुंरत और सीधे उन आरोपों की जानकारी उसके माता–पिता या संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाए गए हैं और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बालक को उपलब्ध कराई जाएगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता–पिता या संरक्षक को दी जाएगी;

(iv) बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसकी आवश्यकता बालक को हो;

(v) बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा तथा उससे बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालकों के अनुकूल परिसरों या पुलिस थाने में बालकों के लिए ऐसे अनुकूल स्थान पर की जाएगी, जहाँ बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे परिप्रश्न किए जा रहे हैं। पुलिस जब बालक से बातचीत करे तब उसके माता–पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं; माता–पिता, अभिभावक की अनुपस्थिति में परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया अधिवक्ता या अन्य कोई व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा नामित किया गया हो, उपस्थित रह सकते हैं;

(vi) बालक से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहेगा; और

(vii) बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सूचित करेगा।

(4) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा।

(5) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल ३३ण्की सामाजिक पृष्ठभूमि और किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों की जानकारी प्ररूप 1 में अभिलिखित करेगा, जिसे तुंरत बोर्ड को भेजा जाएगा। सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी एकत्र करने के प्रयोजनार्थ, विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के लिए बालक के माता–पिता या संरक्षक से संपर्क करना आवश्यक होगा।

(6) किसी जिले में सभी अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों, बाल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, अर्ध विधिक स्वयंसेवियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और पंजीकृत स्वैच्छिक और गैर–सरकारी संगठनों, बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट और सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों, जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता और चाइल्डलाइन सेवाओं की सूची और उनसे संपर्क के ब्यौरे प्रत्येक पुलिस थानों में प्रमुख रूप से दर्शाए जाएंगे।

(7) जब किसी ऐसे मामले में बालक को छोड़ा जाता है, जिसमें बालक को पकड़ने की आवश्यकता न हो, तब माता–पिता या संरक्षक या उस उपयुक्त व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को रखा गया है, गैर–न्यायिक कागज पर प्ररूप 2 में एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा, ताकि जाँच या कार्यवाही की तारीखों को बोर्ड के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

(8) राज्य सरकार उन स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठनों या व्यक्तियों का पैनल रखेगी, जो परिवीक्षा, परामर्श, मामला कार्य सेवाएं प्रदान करने और पुलिस या विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ भी सहयुक्त होने की स्थिति में हों और जिन्हें बालक को चौबीस घंटे और कार्यवाही लंबित रहने की अवधि में बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त हो और ऐसे स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठनों या व्यक्तियों के पैनल की जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी।

(9) राज्य सरकार पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बालकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़े गए या उनकी देख–रेख में रखे गए बालक को उनके साथ रहने की अवधि में उन बालकों के लिए भोजन और यात्रा खर्च तथा आकस्मिक चिकित्सीय देख–रेख सहित आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध या व्यय की प्रतिपूर्ति कराएगी।

9. विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।– (1) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ा जाता है तब उसे पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटों के भीतर पुलिस द्वारा उस बालक को पकड़े जाने के कारण स्पष्ट करने वाली रिपोर्ट के साथ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और बालक की सुविधा एवं इससे संबंधित खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों के आधार पर की जाएगी।

691

(2) बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, बोर्ड आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत बालक को संपेक्षण गृह में या सुरक्षित स्थान पर या उपयुक्त सुविधा या किसी उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजना भी है।

(3) जहाँ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया बालक अधिनियम की धारा के 83 अधीन आता हो, जिसके अंतर्गत वह बालक भी है जिसको अभ्यर्थित किया गया शमिल है, वहाँ बोर्ड विधिवत जाँच और बालक की परिस्थितियों के विषय में अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद उस बालक को देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के रूप में आवश्यक कार्रवाई तथा/अथवा पुनर्वास के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने के लिए समिति को भेज सकता है जिसके अंतर्गत इस कार्रवाई अथवा निर्देश में बालक की सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षण तथा इस प्रयोजनार्थ मान्यता–प्राप्त उपयुक्त सुविधा को अंतरित करने के आदेश जो उपयुक्त संरक्षण प्रदान करने में सक्षम होगी, तथा बालक के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उसे जिले या राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में भेजने के विषय में विचार करना भी है।

(4) जहाँ विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक पकड़ा न गया हो और इस विषय में जानकारी पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी ने बोर्ड को भेजी हो, वहां बोर्ड, बालक से यथाशीघ्र अपने समक्ष प्रस्तुत होने की अपेक्षा करेगा, ताकि जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहां पुनर्वास के उपाय शुरू किए जा सकें, हालांकि अंतिम रिपोर्ट बाद में प्रस्तुत की जा सकती है।

(5) यदि बोर्ड की बैठक में न हो तो विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (2) के अनुसार बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को बेवक्त या दूरदराज के स्थान पर पकड़े जाने के कारण बोर्ड या बोर्ड के एक सदस्य के समक्ष भी प्रस्तुत न किया जा सकता हो तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी इन नियमावली के नियम 69 (घ) के अनुसार उस बालक को संप्रेक्षण गृह या किसी उपयुक्त सुविधा में रखेगा और उसके बाद चौबीस घंटे के भीतर उस बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) बोर्ड के किसी एक सदस्य के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने के समय प्राप्त आदेश का अनुसमर्थन बोर्ड की आगामी बैठक में करने की आवश्यकता होगी।

10. प्रस्तुत किए जाने के बाद बोर्ड की प्रक्रिया।– (1) बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर बोर्ड बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसे गिरफ्तार किए जाने की परिस्थितियों तथा उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध के उस बालक को प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों, व्यक्तियों, अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और बोर्ड, बालक के संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जिन्हें बोर्ड उपयुक्त समझे। इन आदेशों में अधिनियम की धारा 17 और 18 के अनुसार पारित किए जाने वाले आदेश शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) यदि बालक की पहली पेशी के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और अभिलेख पर विचार करने पर उसके द्वारा विधि का उल्लंघन किए जाने का अभिकथन निराधार प्रतीत हो या जहाँ

बालक द्वारा छोटे–मोटे अपराध किए जाने का अभिकथन किया गया हो, वहां मामले को निपटान करना;

(ii) जहाँ बोर्ड को ऐसा प्रतीत हो कि बालक को देख–रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, वहां बालक को समिति के पास भेजना;

(iii) बालक को प्ररूप 3 में आदेश के माध्यम से, यथास्थिति, उपयुक्त व्यक्तियों या उपयुक्त संस्थाओं या परिवीक्षा अधिकारियों के पर्यवेक्षण या अभिरक्षा में इस निर्देश के साथ छोड़ना कि बालक अगली तारीख पर जाँच के लिए प्रस्तुत हो या प्रस्तुत किया जाए; और

(iv) प्ररूप 4 में आदेशानुसार जाँच के लंबित रहने के समय यदि आवश्यक हो तो बालक को जैसा भी उपयुक्त हो बाल देख–रेख संस्था में रखे जाने का निर्देश देना।

(2) जाँच के लंबित रहने के समय छोड़े जाने के सभी मामलों में बोर्ड सुनवाई की अगली तारीख अधिसूचित करेगा, जो कि पहली संक्षिप्त जाँच की तारीख से अधिकतम पंद्रह दिन बाद होगी और प्ररूप 5 में आदेश के माध्यम से परिवीक्षा अधिकारी से या परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध न होने के मामले में बाल कल्याण अधिकारी या संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता या किसी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संगठन में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता से सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग भी करेगा।

(3) जब विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बाल जमानत दिए जाने के बाद सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख को बोर्ड की समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाता है और उसकी ओर से पेशी से छूट के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसे पेशी से छूट देने के लिए कोई पर्याप्त कारण न हो तब बोर्ड बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और पुलिस थाना प्रभारी को बालक को प्रस्तुत करने के निर्देश जारी करेगा।

(4) यदि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने के निर्देश जारी किए जाने के बाद भी बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो बोर्ड, दंड प्रक्रिया, संहिता, 1973 की धारा 82 के अधीन आदेशिका जारी करने के स्थान पर अधिनियम की धारा 26 के अधीन उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(5) किसी ऐसे बालक द्वारा अभिकथित जघन्य अपराध किए जाने के मामलों में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को बोर्ड के समक्ष पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक मास की अवधि में जाँच के दौरान अपने द्वारा अभिलिखित किए गए गवाहों के कथन और तैयार किए गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनकी एक प्रति बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को भी दी जाएगी।

(6) छोटे–मोटे अपराधों के मामलों में अंतिम रिपोर्ट यथाशीघ्र और किसी भी मामले में पुलिस को सूचना की तारीख से अधिकतम दो मास की समयावधि में बोर्ड के समक्ष दायर की जाएगी, सिवाए उन मामलों के, जिनमें यथोचित रूप से यह ज्ञात नहीं था कि अपराध में संलिप्त व्यक्ति कोई बालक था, जिस मामले में अंतिम रिपोर्ट दायर करने के लिए बोर्ड द्वारा समयावधि बढ़ाई जा सकती है।

(7) विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित किसी बालक से संबंधित जाँच में परीक्षा के लिए गवाहों को प्रस्तुत करने के समय, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जाँच कार्य पूर्णतः

प्रतिकूल कार्यवाही के रूप में न किया जाए तथा बोर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का (1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, ताकि बालक से परिप्रश्न किए जा सकें और उसके पक्ष में उपधारणाओं के आधार पर कार्यवाही की जा सके।

(8) अधिनियम की धारा 14 के अधीन जाँच के दौरान विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक की परीक्षा करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बोर्ड, बालक से बाल अनुकूल रीति से सवाल–जवाब करेगा, ताकि वह बालक सहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में और प्रभाव के अधीन वह रहा या उसके साथ जो अपराध हुए हों, उन सभी के विषय में तथ्यों तथा परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।

(9) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के विषय में किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बोर्ड, उस बालक के पकड़े जाने की परिस्थितियां और उसके कथित अपराध का ब्यौरा दर्शाने वाली रिपोर्ट तथा परिवीक्षा अधिकारी या स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठन द्वारा प्ररूप 6 में तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट और विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों पर विचार करेगा।

(10) बालक द्वारा कारित जघन्य अपराध के मामले में सुनवाई के दौरान उसकी आयु का निर्धारण, जमानत तथा अन्तिम निपटान से संबंधित आदेश बोर्ड में उपस्थित कम से कम दो सदस्यों जिसके अन्तर्गत प्रधान मजिस्ट्रेट भी होंगे, के द्वारा लिया जाएगा।

10 क. **बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण।**– (1) बोर्ड, प्रथम दृष्टया यह अवधारित करेगा कि क्या बालक की आयु सोलह वर्ष या उससे अधिक है; यदि नहीं तो बोर्ड अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) जघन्य अपराधों के प्राथमिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ बोर्ड, मनोवैज्ञानिक या मनो–सामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे विशेषज्ञों का पैनल उपलब्ध करा सकता है, जिनकी सहायता बोर्ड ले सकता है या बोर्ड उनसे अलग से भी संपर्क कर सकता है।

(3) प्राथमिक निर्धारण करते समय बालक के निर्दोष होने की उपधारणा की जाएगी, यदि अन्यथा सिद्ध न हुआ हो।

(4) जहाँ बोर्ड, अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक पर विचारण वयस्क के रूप में किए जाने की आवश्यकता है तो बोर्ड ऐसे आदेश के कारण समनुदेशित करेगा और आदेश की प्रति उस बालक को तुरंत दी जाएगी।

11 **जाँच की समाप्ति।**– (1) बालक द्वारा अभिकथित रूप से किए गए जघन्य अपराधों के मामलों में जहाँ अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्राथमिक निर्धारण के बाद बोर्ड मामले का निपटान करने का निर्णय लेता है वहाँ बोर्ड, अधिनियम की धारा 18 में यथा विनिर्दिष्ट निपटान आदेशों में से कोई एक आदेश पारित कर सकेगा।

(2) कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व, बोर्ड अपने आदेशानुसार परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्ररूप 6 में तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार करेगा।

(3) बोर्ड द्वारा पारित सभी निपटान आदेशों में, संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत देख–रेख योजना को शामिल किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देख–रेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार–विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता अथवा किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी संस्था द्वारा प्ररूप 7 में तैयार की जाएगी।

(4) जिन मामलों में बोर्ड को यह विश्वास हो जाए कि किसी बालक को विशेष गृह में रखना न तो स्वयं उसके हित में और न ही अन्य बालकों के हित में है, उन मामलों में, बोर्ड उस बालक को सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार रखे जाने का आदेश पारित कर सकता है, जिस प्रकार बोर्ड को उपयुक्त प्रतीत हो।

(5) जिन मामलों में बोर्ड बालक को सलाह या भर्त्सना या वैयक्तिक या सामूहिक परामर्श में बालक की भागीदारी के पश्चात् निर्मुक्त करता है या उसे सामुदायिक सेवा करने का आदेश देता है, उन मामलों में बोर्ड जिला बाल संरक्षण इकाई को ऐसे परामर्श एवं सामुदायिक सेवा की व्यवस्था कराने का निर्देश भी जारी करेगा।

(6) जिन मामलों में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर छोड़ते हुए उसे माता–पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देख–रेख में रखे जाने का निर्देश देता है, उन मामलों में जिस व्यक्ति की देख–रेख में उस बालको छोड़ा जाता है, उस व्यक्ति को प्ररूप 8 में यह लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अधिकतम तीन वर्षों तक वह बालक का अच्छा व्यवहार एवं कल्याण सुनिश्चित करेगा।

(7) बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को प्ररूप 9 में मुचलके पर छोड़ने का निर्णय ले सकेगा।

(8) यदि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह में रखा जाता है तो बोर्ड इस बात का ध्यान रखेगा कि वह उपयुक्त सुविधा या विशेष गृह उस बालक के माता–पिता या संरक्षक के निवास स्थान के ज्यादा निकट हो, सिवाए उन मामलों के जिनमें ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित में न हो।

(9) जिस मामले में बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देख–रेख में रखता है या जहाँ बालक को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करता है और उसे उपयुक्त सुविधा की देख–रेख में रखता है, उस मामले में बोर्ड यह आदेश भी दे सकेगा कि उस बालक को परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहना होगा, जो प्ररूप 10 में आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा और ऐसी निगरानी की अवधि अधिकतम तीन वर्ष होगी।

(10) जहाँ बोर्ड को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने परिवीक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उस मामले में बोर्ड, संबंधित बालक को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश दे सकेगा और निगरानी की शेष अवधि के लिए उस बालक को विशेष गृह में या सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा।

(11) किसी भी मामले में, किसी बालको विशेष गृह में सुरक्षित स्थान पर रखे जाने की अवधि अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (1) के खंड (छ:) में उपबंधित अवधि से ज्यादा नहीं होगी।

12. **जाँच का लंबित रहना।**– (1) अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (3) के प्रयोजनार्थ, बोर्ड प्ररूप 11 में प्रत्येक मामले और प्रत्येक बालक का 'मामला निगरानी पत्र' रखेगा। उक्त प्ररूप प्रत्येक मामले की फाइल में सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमें समय–समय पर अद्यतन ब्यौरा भरा जाएगा। जहाँ तक प्ररूप 11 में उल्लिखित 'जाँच कार्य की प्रगति' का संबंध है, आगे दर्शाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा:

(i) मामले के निपटान की समय–सीमा सुनवाई की पहली तारीख को निर्धारित की जाएगी;

(ii) 'जाँच कार्य की प्रगति' के स्तंभ संख्या (2) में निर्धारित तारीख वह बाहरी सीमा होगी, जिसके भीतर स्तंभ संख्या (1) में दर्शाए गए चरण संपन्न करने होंगे।

(2) बोर्ड मामलों के लंबित रहने, गृहों के दौरे इत्यादि के विषय में तिमाही रिपोर्ट प्ररूप 12 में निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा:

(i) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट;

(ii) जिला मजिस्ट्रेट;

तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकसित किए गए पोर्टल पर ऑनलाइन मासिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करेगा।

(3) जिला न्यायाधीश हर तिमाही में कम से कम एक बार बोर्ड का निरीक्षण करेगा और बोर्ड की कार्यवाहियों में बोर्ड के सदस्यों की भागीदारी के आधार पर उनके निष्पादन का मूल्यांकन करेगा और इस नियमावली के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति एवं नियम 16 के उप नियम (2) के अधीन गठित उच्च स्तरीय समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण:– सदस्यों के कार्य मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जाएगा।

13. **बाल न्यायालय और निगरानी प्राधिकरणों के संबंध में प्रक्रिया।**– (1) बोर्ड से प्रारंभिक निर्धारण प्राप्त हो जाने पर, बाल न्यायालय यह निर्णय ले सकेगा कि क्या वयस्क अथवा बालक के रूप में बालक के विचारण की आवश्यकता है और उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा।

(2) जिस मामले में बोर्ड की आयु घोषित करने वाले बोर्ड के आदेश के विरूद्ध अधिनियम की धारा 101 की उप–धारा (1) के अधीन अपील दायर की गई हो, उस मामले में बाल न्यायालय पहले उक्त अपील पर निर्णय लेगा।

(3) जिस मामले में बोर्ड द्वारा किए प्राथमिक निर्धारण के निष्कर्षों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 101 की उप–धारा (2) के अधीन अपील दायर की गई हो, उस मामले में बाल न्यायालय पहले उक्त अपील पर निर्णय लेगा।

(4) जहाँ अधिनियम की धारा 101 की उप–धारा (2) के अधीन अपील का निपटान इस निष्कर्ष के साथ हुआ हो कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण किया जाना चाहिए, वहाँ बाल

न्यायालय, अधिनियम की धारा 19 और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान करेगा।

(5) जहाँ अधिनियम की धारा 101 की उप–धारा (2) के अधीन अपील का निपटान इस निष्कर्ष के साथ हुआ हो कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण किया जाना चाहिए, वहाँ बाल न्यायालय, बोर्ड से फाईल मंगवाएगा और इस अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान करेगा।

(6) बाल न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के समय इस बात के कारण अभिलिखित करेगा कि बालक का विचारण वयस्क के रूप में या बालक के रूप में किया जाना है।

(7) जहाँ बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मामले का निर्णय स्वयं करेगा, वहाँ:

(i) बाल न्यायालय जाँच कार्य इस प्रकार कर सकेगा, जैसे कि न्यायालय बोर्ड के रूप में कार्य कर रहा हो तथा अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटान कर सकेगा।

(ii) बाल न्यायालय जाँच कार्य करते समय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन समन वाले मामले के विचारण की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(iii) कार्यवाही बंद कमरे और बालक के अनुकूल माहौल में की जाएगी तथा विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक का विचारण किसी ऐसे व्यक्ति के विचारण के साथ संयुक्त रूप से नहीं किया जाएगा, जो कि बालक नहीं है।

(iv) साक्षियों को परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाने के समय बाल न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जाँच कार्य पूर्णतः प्रतिकूल कार्यवाही के रूप में न किया जाए तथा न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(v) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की परीक्षा करने व उसका कथन अभिलिखित करने के समय बाल न्यायालय, बालक से बाल अनुकूल रीति से सवाल–जवाब करेगा, ताकि वह बाल सहज हो सके और जिन अपराधों का आरोप उस पर लगाया गया है, न केवल उनके बारे में, बल्कि जिस घर, सामाजिक परिवेश में और प्रभाव के अधीन वह रहा, उन सभी के विषय में तथ्यों तथा परिस्थितियों का वर्णन बिना किसी भय के कर सके।

(vi) बाल न्यायालय द्वारा पारित निपटान आदेश में, संबंधित विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के लिए प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देख–रेख योजना को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देख–रेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार–विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा तैयार की जाएगी।

(vii) ऐसे मामलों में बाल न्यायालय, अधिनियम की धारा 18 की उप–धारा (1) व (2) के उपबंधों के अनुसार कोई आदेश पारित कर सकेगा।

(8) जहाँ बाल न्यायालय यह निर्णय लेता है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करने की आवश्यकता है, वहां:

(i) बाल न्यायालय सत्र न्यायालयों द्वारा विचारण की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और बालक के अनुकूल माहौल बनाए रखेगा।

(ii) बाल न्यायालय द्वारा पारित आदेश में, बालक के लिए प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देख–रेख योजना को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। यह व्यक्तिगत देख–रेख योजना उस बालक और यदि संभव हो तो उसके परिवार से विचार–विमर्श के आधार पर परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा किसी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा तैयार की जाएगी।

(iii) जहाँ बालक को अपराध में संलिप्त पाया गया है, वहां बालक को इक्कीस वर्ष की आयु तक के लिए सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकेगा।

(iv) बालक के सुरक्षित स्थान पर रहने के समय बालक की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई का बाल संरक्षण अधिकारी या कोई सामाजिक कार्यकर्ता प्ररूप 13 में वार्षिक समीक्षा करेगा और रिपोर्ट बाल न्यायालय को भेजी जाएंगी।

(v) बाल न्यायालय व्यक्तिगत देख–रेख योजना के कार्यान्वयन के लिए बालक की प्रगति और संस्था द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आवधिक रूप से और हर तीन मास में कम से कम एक बार बालक को अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्देश भी दे सकेगा।

(vi) जब बालक की आयु इक्कीस वर्ष हो जाए और उसे संस्था में रहने की अवधि पूरी करनी हो तब बाल न्यायालय:

(क) यह मूल्यांकन करने के लिए बाल से विचार–विमर्श करेगा कि उसमें सुधारात्मक बदलाव आए हैं या नहीं और क्या वह बाल समाज का योगदानकारी सदस्य बन सकता है।

(ख) यदि आवश्यक हुआ तो परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई का बाल संरक्षण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा तैयार की गई बालक की प्रगति की आवधिक रिपोर्टों पर विचार करेगा और यदि संस्थागत व्यवस्था अपर्याप्त हो तो आगे सुधार के निर्देश देगा।

(ग) मूल्यांकन करने के बाद बाल न्यायालय:

(गक) बालक को तुरंत छोड़ने:

(गख) अच्छे व्यवहार के लिए बालक को प्रतिभूति के साथ या बिना प्रतिभूति के मूचलका निष्पादित करने पर छोड़ने;

(गग) बालक को छोड़ने और परिवर्तनकारी एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता, रोजगार, परामर्श और अन्य उपचारात्मक कार्यों के विषय में निर्देश जारी करने;

(गघ) बालक को छोड़ने और उसके संस्था में रहने की शेष विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निगरानी प्राधिकारी नियुक्त करने का निर्णय कर सकेगा। जिस मामले में निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जाए, उस मामले में वह प्राधिकारी बालक के लिए पुनर्वास कार्ड प्ररूप 14 में रखेगा।

(vii) इस नियम के उप–नियम (vi) (ग) (गघ) के प्रयोजन के लिए:

(क) परिवीक्षा अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या किसी उपयुक्त व्यक्ति को निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे व्यक्तियों की सूची रखेगी, जिन्हें निगरानी प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है और यह सूची द्विवार्षिक अद्यतनीकरण के साथ बाल न्यायालय को भेजी जाएगी।

(ग) छोड़े जाने के बाद पहली तिमाही में बाल पाक्षिक आधार पर या बाल न्यायालय के निर्देशानुसार अंतरालों पर निगरानी प्राधिकारी से मिलेगा। निगरानी प्राधिकारी बालक से परामर्श करके ऐसी बैठकों का समय और स्थान निर्धारित करेगा। निगरानी प्राधिकारी बालक की प्रगति के विषय में अपनी टिप्पणियां मासिक आधार पर बाल न्यायालय को भेजेगा।

(घ) पहली तिमाही समाप्त होने पर निगरानी प्राधिकारी बालक के लिए अपेक्षित अनुवर्ती प्रक्रिया के विषय में सिफारिश करेगा।

(ड.) जहाँ छोड़े जाने के बाद, बालक को आपराधिक कार्य–कलाप में प्रवृत्त होते या आपराधिक पूर्ववृत्त वाले लोगों से मेलजोल रखते हुए पाया जाए, वहाँ बालक को अगले आदेशों के लिए बाल न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा।

(च) यदि यह पाया जाए कि अब बालक की और निगरानी किए जाने की आवश्यता नहीं है तो निगरानी प्राधिकारी सिफारिशों के साथ विस्तृत रिपोर्ट बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा और बाल न्यायालय निगरानी को समाप्त किए जाने या आगे जारी रखे जाने के लिए निर्देश जारी करेगा।

(छ) पहली तिमाही के बाद बाल निगरानी प्राधिकारी द्वारा पहली तिमाही के अंत में की गई सिफारिशें के आधार पर बाल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अंतरालों पर निगरानी प्राधिकारी से मिलेगा और निगरानी प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट बाल न्यायालय को भेजेगा, जो कि हर तिमाही में उसकी समीक्षा करेगा।

14. **अभिलेखों को नष्ट किया जाना।**– विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक की दोष–सिद्ध से संबंधित अभिलेखों को अपील की अवधि समाप्त होने या सात वर्ष, जो भी अधिक

हो, तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें यथास्थिति प्रभारी व्यक्ति या विशेष किशोर पुलिस ईकाई या बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा नष्ट किया जाएगाः

परंतु यह कि जघन्य अपराध के मामले में जहाँ अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (1) के खंड (1) के अधीन बालक को विधि का उल्लंघन करते पाया जाए, वहाँ ऐसे बालक की दोष–सिद्धि के संगत अभिलेखों को बाल न्यायालय अपने पास रखेगा।

अध्याय 4
बाल कल्याण समिति

15. **बाल कल्याण समिति की संरचना और सदस्यों की अर्हताएं।**– (1) प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक समितियां होंगी, जिनका गठन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किया जाएगा।

(2) समिति में संबंधित जिले से जिसके लिए समिति का गठन किया गया है, एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होंगे जिनमें कम से कम दो महिला और कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य एक सदस्य अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से होगा।

(3) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इन नियमों के नियम 87 के अधीन चयन समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(4) सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष आयु के साथ निम्नलिखित अर्हताएँ होगीः–

(i) किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण या संरक्षण कार्यकलापों में कम से कम सात वर्षो का अनुभव हो या वे मनोविज्ञान, मनश्चिकित्सा या समाज–विज्ञान या विधि क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त एवं कम से कम पाँच वर्षों के अनुभव के साथ व्यवसायरत कृतिक होने चाहिए या सेवानिवृत्त विधिक अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी जो राज्य सरकार के विभागों जो बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, संरक्षण और शिक्षा से संबंधित हो।

(ii) उपर्युक्त उप नियम (4) के खण्ड (i) में वर्णित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की दशा में निम्नलिखित के चयन पर विचार किया जा सकता है–

(क) सामाजिक कार्य/स्वास्थ्य/शिक्षा/मनोविज्ञान/समाज विज्ञान/ग्रामीण विकास/महिला अध्ययन/विकास अध्ययन/लोक प्रशासन विषय में स्नातक डिग्री के साथ बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण या संरक्षण कार्यकलापों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो; या

(ख) किसी भी विषय में स्नातक के साथ बाल संरक्षण/परामर्श/बाल विकास/बाल अधिकार/मानव अधिकार/महिला अध्ययन/अपराध शास्त्र/मानव व्यापार निषेध/स्वास्थ्य या लोक स्वास्थ्य/मानसिक आरोग्य विषय में डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट प्राप्त होने एवं बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण या संरक्षण कार्यकलापों में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो।

(5) समिति के लिए चयनित दो से अधिक सदस्य समान वृत्ति के क्षेत्र, पेशा या शैक्षणिक योग्यता से नहीं होंगे।

(6) समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण:– अवधि की गणना के उद्देश्य से, एक व्यक्ति जो इन नियमों के लागू होने की तिथि से पहले पूर्व में समिति के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किये गये हों और एक वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा की है तो समिति में सदस्य या अध्यक्ष का एक कार्यकाल माना जाएगा।

(7) चयन होने पर सभी व्यक्तियों को नियुक्ति की तारीख से साठ दिनों की अवधि में नियम 89 के अधीन अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(8) अध्यक्ष और सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को एक मास का लिखित नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकते हैं।

(9) कोई रिक्त पद होने की स्थिति में चयन समिति द्वारा तैयार किए नामों के पैनल से एक अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर भरी जाएगी।

16. **समिति के नियम और प्रक्रिया।**– (1) समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा बैठक भत्ता और अन्य कोई भत्ता दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, लेकिन यह भत्ता प्रत्येक बैठक के लिए 1500 रुपये से कम नहीं होगा।

(2) समिति द्वारा किसी विद्यमान बाल देख–रेख संस्था के दौरे को या केन्द्र सरकार या जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण समिति या राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने को सदस्यों का मानदेय भुगतान करने के उद्देश्य से, कार्यक्रम से संबंधित प्रतिवेदन जिला बाल संरक्षण इकाई को जमा करने के पश्चात् समिति की बैठक माना जाएगा।

(3) समिति द्वारा अपनी बैठकें बाल गृह के परिसर अथवा बाल गृह के निकट किसी स्थान अथवा देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए अधिनियम के अधीन चलाई जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित की जाएगी।

(4) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जब सत्र जारी हो तब कोई भी ऐसा व्यक्ति कमरे में उपस्थित न रहे, जिसका मामले से कोई संबंध न हो।

(5) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि केवल उन व्यक्तियों को बैठक के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए, जिनकी उपस्थिति में बाल सहज महसूस करे।

(6) समिति का कम से कम एक सदस्य आपात्कालिक मामले का संज्ञान लेने के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा और ऐसे सदस्य द्वारा आवश्यक निर्देश जिले के विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को दिए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों का मासिक ड्यूटी रोस्टर तैयार करेगा, जो कि रविवार और छुट्टी के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध रहेंगे। यह रोस्टर सभी पुलिस थानों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर

मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई और विशेष किशोर पुलिस इकाई को परिचालित किया जाएगा।

(7) समिति सभी कार्य दिवसों पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के कार्य–समय के अनुरूप कम से कम छह घंटे अपनी बैठकें आयोजित करेगी, जब तक कि जिला विशेष में लंबित मामलों की संख्या कम न हो और संबंधित राज्य सरकार ने इस विषय में कोई आदेश जारी न किया हो:

परन्तु राज्य सरकार जिले में लंबित मामलों की संख्या, जिले के क्षेत्र या भू–भाग, जनसंख्या घनत्व या अन्य किसी कारक पर विधिवत विचार करने के बाद राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में एक से अधिक समितियों का गठन कर सकती है।

(8) देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक या बालकों की सूचना मिलने पर, यदि परिस्थितियां ऐसी हो कि बालक अथवा बालकों को समिति के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता, समिति, बालक अथवा बालकों तक पहुंचने के लिए स्वतः जाएगी और ऐसे बालक अथवा बालकों हेतु या ऐसे बाल देख–रेख संस्थान जिसमें बालक आवासित है या सुविधाजनक स्थान पर अपनी बैठक आयोजित करेगी।

(9) बालक से बात करते समय, समिति के सदस्य अपने आचरण के माध्यम से बालकों के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करेंगे।

(10) समिति अपनी बैठकें बालक के अनुकूल परिसर में आयोजित करेगी, जो कि किसी भी प्रकार से न्यायालय कक्ष के समान नहीं दिखेगा और बैठने की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि समिति बालक से आमने–सामने बात कर सके।

(11) समिति ऊँचे उठे हुए आसन पर नहीं बैठेगी और वहाँ कोई बाधाएं, जैसे कि साक्षियों का कठघरा सा समिति और बालकों के बीच शलाका नहीं होगी।

(12) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी कार्यक्रम या योजना के तहत् समिति को अवसंरचना और कर्मचारी राज्य सरकार प्रदान करेगी।

(13) कोरम के लिए न्यूनतम तीन सदस्यों का होना अनिवार्य है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद यदि कोरम प्रभावित होता है, ऐसी परिस्थिति में सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम छः माह अथवा नए सदस्यों के चयन तक जो भी पहले हो, तक बनी रहेगी।

(14) समिति के अध्यक्ष या सदस्य, कार्यकाल पूरा होने, इस्तीफा या किसी अन्य कारणों से पद त्याग करने पर सभी प्रतिवेदन, रिकॉर्ड, केस फाइल, रजिस्टर, पत्र एवं अन्य सभी संबंधित दस्तावेज जो बालकों के मामलों से संबंधित है, को बाल संरक्षण अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी जिसे जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा नामित किया गया हो, को सौंपेंगे। बाल संरक्षण अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी जिसे जिला बाल संरक्षण ईकाई द्वारा नामित किया हो, समिति द्वारा संधारित बच्चों के मामलों से जुड़े सभी प्रकार के रिपोर्ट, दस्तावेजों रिकॉर्ड रजिस्टर पत्रों, मामलों से संबंधित को संरक्षित करेगा।

17. समिति के अतिरिक्त कृत्य और उत्तरदायित्व।– (1) अधिनियम की धारा 30 के अधीन अपने कृत्यों और उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, समिति अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कृत्य करेगी, वे इस प्रकार होंगे:

(i) समिति जिस भी मामले में कार्य करेगी, उसे प्रत्येक मामले के सार के साथ–साथ दस्तावेज तैयार करना और मामले के विस्तृत अभिलेख प्ररूप 15 में रखना;

(ii) समिति के परिसरों में किसी प्रमुख स्थान पर सुझाव पेटिका या शिकायत निपटान पेटिका रखना, ताकि बालकों और वयस्कों सभी को अपने सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इन पेटिकाओं का संचालन जिला मजिस्ट्रेट या उसके अभिहित प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा;

(iii) देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए अपनी अधिकारिता में चलाई जा रही बाल देख–रेख संस्थाओं में बाल समितियों का निर्बाध कार्यकरण सुनिश्चित करना, ताकि उक्त बाल देख–रेख संस्थाओं के कार्यों और प्रबंधन में बालकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके;

(iv) एक मास में कम से कम एक बार बाल सुझाव पुस्तिका की समीक्षा करना;

(v) स्वयं को प्राप्त हुए देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के विषय में तिमाही सूचना प्ररूप 16 में मामलों के निपटान के स्वरूप, लंबित मामलों और ऐसे मामलों के लंबित रहने के कारणों के विषय में समस्त संगत ब्यौरे के साथ जिला मजिस्ट्रेट को भेजना एवं संबंधित जानकारी को समय–समय पर राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विकसित किए गए पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(vi) जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की प्रगति की निगरानी करने के लिए उन बालकों को पुनर्वास कार्ड प्ररूप 14 में जारी करना;

(vii) बालकों के मामले के संबंध में अंतिम आदेश की एक प्रतिलिपि जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचनार्थ भेजेगा।

(viii) रजिस्टर में आगे दर्शाए गए अभिलेखों को रखना:

(क) किसी दिन सूचीबद्ध मामलों और अगली तारीख की प्रविष्टियां तथा समिति अपने समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों की दैनिक मामला सूची तैयार करना;

(ख) समिति के समक्ष लाए गए बालकों की प्रविष्टियां और विवरण तथा जिन बालदेख–रेख संस्थाओं में बालकों को रखा गया उन संस्थाओं के ब्यौरे तथा जिन स्थानों पर बालकों को भेजा गया उन स्थानों के पते;

(ग) बंधपत्रों का निष्पादन;

(घ) संस्थाओं के दौरों सहित जाने–आने का विवरण;

(ड.) दत्तकग्रहण के लिए मुक्त घोषित किए गए बालक;

(च) प्रयोजन में रखे गए या रखे जाने के लिए अनुशंसित बालक;

(छ) व्यक्तिगत या सामूहिक पालन–पोषण देख–रेख में रखे गए बालक;

(ज) किसी अन्य समिति को भेजे गए या किसी अन्य समिति से प्राप्त हुए बालक;

(झ) बालक, जिनके संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की जानी है;

(ञ) पाश्चतवर्ती देख–रेख में रखे गए बालक;

(ट) समिति का निरीक्षण अभिलेख;

(ठ) समिति की बैठकों को कार्यवृत्तों का अभिलेख;

(ड) प्राप्त हुए और भेजे गऐ पत्र;

(ढ) अन्य कोई अभिलेख या रजिस्टर, जिसकी समिति को आवश्यकता हो।

(ix) इस नियम के खंड (viii) में सूचीबद्ध समस्त जानकारी को अंकनीय किया जाएगा और इससे संबंधित सॉफ्टवेयर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जा सकता है।

अध्याय 5
देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में प्रक्रिया

18. **समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।**– (1) देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को कार्य–समय के दौरान समिति के बैठक स्थल पर समिति के समक्ष और कार्य–समय के बाद ड्यूटी रोस्टर के अनुसार समिति के सदस्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु जहाँ बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वहाँ स्वतः समिति बालक तक पहुँचने के लिए ऐसे बालक के स्थान तक जाएगी।

(2) जो कोई भी बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करता है, प्ररूप 17 में रिपोर्ट करेगा, जिसमें बालक तथा जिन परिस्थितियों में वह पाया गया उन परिस्थितियों के ब्यौरे का उल्लेख किया जाएगा, सिवाय उस परिस्थति में जब वह बालक आम जनता द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, जिस स्थिति में उस व्यक्ति का विवरण मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या परामर्शदाता या समिति द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति द्वारा प्ररूप 17 में भरा जाएगा।

(3) यदि बालक की आयु दो वर्ष से कम है, जो चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ है, तो देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संपर्क में आने वाला व्यक्ति या संगठन चौबीस घंटे के भीतर उस बालक की फोटो के साथ लिखित रिपोर्ट भेजेगा और उस बालक के चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होते ही उसे इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा इस स्थिति में समिति स्वयं या जिला बाल संरक्षण ईकाई के माध्यम से बालक को आउटरीच करेगी।

(4) बालक से विचार–विमर्श करने के बाद समिति उस बालक को उसके माता–पिता या संरक्षक के पास या जिले में अथवा पड़ोस के जिले में देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों हेतु संचालित बाल देख–रेख संस्था तथा ऐसी संस्था उपलब्ध न होने की दशा में उस बालक को किसी उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था में अधिकतम 24 घंटे के लिए रखे जाने का निर्देश जारी करेगी तथा जिसके पश्चात् बालक को जिला बाल संरक्षण ईकाई निकटतम बाल देख–रेख संस्था में हस्तांतरित करने का निर्देश देगी।

(5) समिति या कर्तव्य पर उपस्थित समिति का सदस्य बालक को बालगृह में रखे जाने के आदेश प्ररूप 18 में जारी करेगा।

(6) समिति या कर्तव्य पर उपस्थित समिति का सदस्य उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए बालक की तात्कालिक चिकित्सीय जाँच की आवश्यकता होने पर ऐसी जाँच के लिए जिला बाल संरक्षण ईकाई या देख–रेख संस्थान संस्था को आदेश जारी करेंगे।

(7) परित्यक्त या गुमशुदा या अनाथ बालक के मामले में जाँच कार्य लंबित रहने के समय बालक की अंतरिम अभिरक्षा प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी करने से पहले समिति यह देखेगी कि ऐसे बालक के विषय में जानकारी केन्द्र सरकार एवं/या राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिहित पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए।

(8) समिति यथास्थिति जाँच कार्य लंबित रहने के समय या बालक के प्रत्यावर्तन के समय, उसके माता–पिता, संरक्षक या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देख–रेख में बालक को रखने के लिए प्ररूप–19 में आदेश करते हुए ऐसे माता–पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति को प्ररूप 20 में वचनबंध पर हस्ताक्षर करने को कह सकेगी।

(9) जब कभी समिति किसी बालक को किसी संस्था में रखे जाने का आदेश देती है, तब जाँच कार्य लंबित रहने के समय अल्पकालिक स्थापन के प्ररूप 18 में जारी किए गए आदेश की प्रति बाल देख–रेख संस्था और बालक के माता–पिता, संरक्षक और पिछले अभिलेख के ब्यौरे के साथ ऐसी संस्था के प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी। ऐसे आदेश की एक प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भी भेजी जाएगी।

19. **जाँच की प्रक्रिया।**– (1) समिति उन परिस्थितियों की जाँच करेगी, जिनमें बालक को प्रस्तुत किया गया है, और तदनुसार ऐसे बालक को देख–रेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित करेगी।

(2) यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम की धारा 94 के अनुसार आगे जाँच कार्य लंबित रहने के समय समिति अपनी अधिकारिता का अभिनिश्चय करने के उद्देश्य से प्रथम दृष्टया बालक की आयु अवधारित करेगी।

(3) जब बालक को समिति के समक्ष लाया जाता है, तब समिति प्ररूप 21 में आदेश के माध्यम से अधिनियम की धारा 36 की उप–धारा (2) के अधीन सामाजिक अन्वेषण करने के लिए वह मामला बाल देख–रेख संस्था से संबद्ध मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी अथवा जिला बाल संरक्षण ईकाई का सामाजिक कार्यकर्ता या किसी मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी संगठन को सौंपेगी।

(4) समिति उपयुक्त पुनर्वास योजना सहित व्यक्तिगत देख–रेख योजना प्ररूप 7 में तैयार करने का निर्देश बाल देख–रेख संस्था से संबद्ध मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई का सामाजिक कार्यकर्ता या संबंधित गैर सरकारी संगठन को देगी। संस्थागत देख–रेख में रहने वाले प्रत्येक बालक के लिए तैयार की जाने वाली यह व्यक्तिगत देख–रेख योजना मामले के पूर्ववृत्त, बालक की परिस्थितियों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर उसके पूर्ण पुनर्वास और पुनर्समेकन के उद्देश्य से तैयार की जाएगी एवं संबंधित जानकारी केन्द्र एवं/या राज्य सरकार द्वारा विकसित अभिहित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

6 71

(5) जाँच कार्य से नैसर्गिक न्याय के आधारभूत सिद्धांतों की पूर्ति होगी और बालक एवं उसके माता–पिता या संरक्षक की जानकारी–प्राप्त भागीदारी सुनिश्चित होगी। बालक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसकी आयु और परिवक्वता के स्तर के अनुरूप उसके विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। समिति के आदेश लिखित रूप में होंगे और उनमें कारणों का उल्लेख किया जाएगा।

(6) समिति बालक से संवेदनशील और बालक के अनुरूप तरीके से सवाल–जवाब करेगी और किसी भी प्रतिकूल या आरोप लगाने वाले शब्द या बालक की गरिमा या आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेगी।

(7) समिति प्ररूप 19 के अनुसार बालक को उसके सर्वोत्तम हित में निर्मुक्त या उसका प्रत्यार्वत करने से पहले दस्तावेजों और सत्यापन रिपोर्टों के माध्यम से अपनी संतुष्टि करेगी।

(8) बाल देख–रेख संस्था से संबद्ध मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई या संबंधित गैर सरकारी संगठन का सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाने वाला सामाजिक अन्वेषण प्ररूप 22 के अनुसार होगा और इसमें बालक की पारिवारिक स्थिति के मूल्यांकन का विस्तृत विवरण होना चाहिए तथा लिखित रूप में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या बालक के परिवार को उसका प्रत्यावर्तन उस बालक के सर्वोत्तम हित में होगा।

(9) बालक को निर्मुक्त करने या उसका प्रत्यावर्तन करने से पहले समिति उस बालक और उसके माता–पिता अथवा संरक्षक को परामर्शदाता के पास भेज सकेगी।

(10) समिति अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए बालकों के समुचित अभिलेख रखेगी, जिनमें चिकित्सीय रिपोर्ट, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, कोई अन्य रिपोर्ट और बालक के विषय में समिति द्वारा पारित आदेश शामिल होंगे।

(11) जाँच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को पेशी की अगली तारीख की जानकारी पिछली तारीख के बाद अधिकतम 15 दिनों की अवधि में देगी और ऐसी प्रत्येक तारीख को जाँच कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता या मामले के कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी से आवधिक स्थिति रिपोर्ट भी मांगेगी।

(12) जाँच कार्य के लंबित रहने के सभी मामलों में, समिति बालक को प्रस्तुत किए जाने की पहली तारीख से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि सहित बालक के पुनर्वास के उपाय करने के निर्देश उस व्यक्ति या संस्था को देगी, जिसके पास बालको रखा गया है।

(13) जब समिति की बैठक जारी न हो तब समिति के किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए किसी निर्णय का अनुसमर्थन, समिति की अगली बैठक में किया जाएगा।

(14) किसी मामले के अंतिम निपटान के समय, अध्यक्ष सहित कम से कम तीन सदस्य उपस्थित होंगे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिए अभिहित सदस्य उपस्थित होगा।

(15) समिति एक निकाय के रूप में तालमेल ढंग से कार्य करेगी और इसलिए अपनी कोई उप–समिति गठित नहीं करेगी।

(16) जहाँ किसी बालक को किसी अन्य जिले या राज्य या देश को प्रत्यावर्तित किया जाना हो, वहाँ समिति जिला बाल संरक्षण इकाई को यथापेक्षित आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के निर्देश देगी, जैसे कि अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यलयों और विदेश मंत्रालय से संपर्क करना, किसी अन्य जिले या राज्य या देश की समकक्ष समिति या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन से संपर्क करना, जहाँ बालकों भेजा जाना है।

(17) मामले के अंतिम निपटान के समय, समिति निपटान आदेश में यथास्थिति बाल देख–रेख संस्था से संबद्ध मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई का सामाजिक कार्यकर्ता या संबंधित गैर–सरकारी संगठन द्वारा प्ररूप 7 में तैयार की गई ऐसे बालक की व्यक्तिगत देख–रेख योजना को शामिल करेगी।

(18) मामले के अंतिम निपटान के समय, समिति मामले के निपटान की तारीख से अधिकतम एक मास की अवधि में बालक के अनुवर्तन की तारीख देगी और उसके बाद छह मास में एक बार तथा उसके बाद कम से कम एक वर्ष या ऐसी अवधि तक, जिसे समिति उपयुक्त समझे, हर तीन मास में एक बार अनुवर्तन की तारीख देगी।

(19) जहाँ बालक किसी अन्य जिले का हो, वहाँ समिति आयु संबंधी घोषणा और मामले की फाइल तथा व्यक्तिगत देख–रेख योजना संबंधित जिले की समिति को भेजेगी, जो कि व्यक्तिगत देख–रेख योजना का अनुवर्तन इस प्रकार करेगी जैसे कि निपटान आदेश उसी ने पारित किया हो।

(20) व्यक्तिगत देख–रेख योजना की निगरानी निपटान आदेश पारित करने वाली समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्ररूप 14 में जारी किए गए पुनर्वास कार्ड द्वारा की जाएगी और यह कार्ड व्यक्तिगत देखेरख योजना के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करने वाली समिति के अभिलेख में शामिल होगा। ऐसा पुनर्वास कार्ड पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

(21) देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक के संबंध में समिति द्वारा पारित सभी आदेश बालक की गोपनीयता और निजता का विधिवत ध्यान रखते हुए अभिहित पोर्टल पर अपलोड भी किए जाएँगे।

(22) जब कोई माता–पिता या संरक्षक अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा (1) के अधीन किसी बालक को अभ्यर्पित करना चाहे, तब ऐसे माता–पिता या संरक्षक प्ररूप 23 में समिति को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। जिस मामले में माता–पिता या संरक्षक निरक्षरता या अन्य किसी कारण से आवेदन प्रस्तुत न कर पाएं, उस मामले में समिति विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विधिक सहायता परामर्शी के माध्यम से उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने में सहायता करेगी। अभ्यर्पण विलेख प्ररूप 24 के अनुरूप निष्पादित किया जाएगा।

(23) समिति अधिनियम की धारा 35 की उप–धारा 3 के अधीन जाँच शीघ्रतापूर्वक कराएगी और अभ्यर्पण की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अभ्यर्पित बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

(24) अनाथ या परित्यक्त बालक के मामले में समिति बालक के माता–पिता या संरक्षकों को खोजने के सभी संभव प्रयास करेगी और ऐसी जाँच पूरी होने पर, यदि यह सिद्ध हो जाता है कि बालक या तो ऐसा अनाथ या परित्यक्त है, जिसकी देख–रेख करने वाला कोई नहीं है तो समिति उस बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करेगी।

675

(25) विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण सहित किसी बाल देख–रेख संस्था को प्राप्त हुए परित्यक्त या अनाथ बालक के मामले में ऐसा बालक नियम 18 की उपधारा 3 के अधीन विहित प्रावधानों के अंतर्गत, चौबीस घंटे की अवधि में (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) प्ररूप 17 में रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इस रिपोर्ट में बालक का विवरण और फोटो तथा उन परिस्थितियों का ब्यौरा दर्शाया जाएगा, जिन परिस्थितियों में वह बालक प्राप्त हुआ और बाल देख–रेख या विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान द्वारा उसी अवधि में ऐसी रिपोर्ट की प्रति स्थानीय पुलिस को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(26) समिति अधिनियम की धारा 36 के अधीन जाँच के लंबित रहने के समय बालक के लिए अल्पावधिक स्थापन एवं अंतरिम देख–रेख आदेश प्ररूप 18 में जारी करेगी।

(27) समिति अनाथ या परित्यक्त बालक के ब्यौरे को अपलोड कराते हुए, यह अभिनिश्चय करने के लिए अभिहित पोर्टल का प्रयोग करेगी कि क्या परित्यक्त या अनाथ बालक कोई गुमशुदा बालक है।

(28) समिति जोखिम कारकों पर विचार करने के बाद और बालक के सर्वोत्तम हित में उसके जन्मदाता के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने हेतु उनका पता लगाने के प्रयोजनार्थ संबंधित जिला बाल संरक्षण ईकाई को बालक प्राप्त होने के समय से पाँच कार्य दिवसों की अवधि में अनाथ या परित्यक्त बालक का ब्यौरा और फोटो व्यापक परिचालन वाले राज्य या राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित किए जाने का निर्देश देगी। ऐसे मामले में जहाँ बालक अन्य राज्य का है, बालक का ब्यौरा उसके बताए हुए मूल स्थान पर व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्र में प्रकाशित करेगी।

(29) समिति अधिनियम के उपबंधों, तत्संबंधी नियमावली एवं दत्तकग्रहण विनियमनों में विहित प्रावधानों के अनुसार जाँच करने के बाद परित्यक्त या अनाथ बालक को दत्तकग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करने वाला आदेश प्ररूप 25 में, समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह के भीतर यदि बालक की आयु दो वर्ष से कम है तथा चार माह के भीतर यदि बालक की आयु दो वर्ष से अधिक है, जारी करेगी और जानकारी प्राधिकरण को भेजेगी।

(30) जहाँ बालक के माता–पिता का पता लगा लिया जाता है, वहां बालक के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया इन नियमों के नियम 82 के अनुसार होगी।

20. **मामलों का लंबित रहना।**– (1) समिति प्रत्येक मामले का 'मामला निगरानी पत्र' रखेगी और यदि किसी मामले में एक से अधिक बालक हों तो प्रत्येक बालक के लिए पृथक् पत्र इस्तेमाल किया जाएगा। यह मामला निगरानी पत्र प्ररूप 26 में होगा। उक्त प्ररूप प्रत्येक मामले की फाइल में सबसे ऊपर रखा जाएगा और इसमें समय–समय पर अद्यतन ब्यौरा भरा जाएगा। जहाँ तक प्ररूप 26 में उल्लिखित 'जाँच कार्य की प्रगति' का संबंध है, आगे दर्शाए गए बिंदुओं पर विचार किया जाएगा:

(i) मामले के निपटान की समय–सीमा सुनवाई की पहली तारीख को निर्धारित की जाएगी;

(ii) 'जाँच कार्य की प्रगति' के स्तंभ संख्या (2) में निर्धारित तारीख वह बाहरी सीमा होगी, जिसके भीतर स्तंभ संख्या (1) में दर्शाए गए चरण संपन्न करने होंगे।

(2) समिति लंबित मामलों की समीक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट को तिमाही रिपोर्ट प्ररूप 16 में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विकसित पोर्टल में ऑनलाइन सूचना निर्धारित प्रपत्रों में मासिक/त्रैमासिक प्रतिवेदन के रूप में अपलोड करेंगे।

(3) जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक तिमाही में एक बार निरीक्षण सहित समिति के कार्यकरण की समीक्षा और समिति की कार्यवाहियों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की भागीदारी के आधार पर उनके निष्पादन का मूल्यांकन भी करेगा तथा इन नियमों के नियम 87 के अधीन गठित चयन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 6
पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन

21. **बाल देख–रेख संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण का तरीका।**– (1) देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए संस्थागत देख–रेख सेवाएं चलाने वाली सभी संस्थाओं, चाहे वे संस्थाएं सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठन द्वारा चलाई जा रही हों, को अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा, चाहे वे संस्थाएं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति–प्राप्त हों।

(2) ऐसी सभी संस्थाएं अपने नियमों, उप–नियमों, संगम–ज्ञापन, नियंत्रक निकाय, पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के तुलन–पत्र, संस्था द्वारा प्रदान की गई सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के अभिलेख इत्यादि प्रत्येक की एक प्रति के साथ प्ररूप 27 में अपना आवेदन और व्यक्ति या संगठन की ओर से पूर्व में दोष–सिद्धि के पिछले अभिलेख या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन में संलिप्तता के विषय में और यह घोषणा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगी कि उन्हें केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है;

(3) राज्य सरकार यह सत्यापन करने के बाद कि अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बालकों की देख–रेख और संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन तथा आश्रय सुविधाओं, व्यावसायिक सुविधाओं और पुनर्वास के प्रावधान संस्था में मौजूद हैं, अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) के अधीन ऐसी संस्था को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्ररूप 28 में जारी कर सकेगी।

(4) जहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाली संस्था में पर्याप्त सुविधाएं मौजूद न हों, वहां राज्य सरकार अनंतिम रजिस्ट्रीकरण नहीं कर सकेगी और राज्य सरकार आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक मास समाप्त होने से पहले यह आदेश जारी करेगी कि वह संस्था अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए भी पात्र नहीं है।

(5) रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर निर्णय लेते समय राज्य सरकार अन्य विहित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कर सकेगी:–

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन का रजिस्ट्रीकरण;

(ii) भौतिक अवसंरचना, जल तथा बिजली सुविधाओं, स्वच्छता और साफ–सफाई, मनोरंजन सुविधाओं के ब्यौरे;

(iii) संगठन की वित्तीय स्थिति और पिछले तीन वर्षों के लेखे के लेखा–परीक्षित विवरण के साथ दस्तावेजों का रखरखाव;

(iv) संस्था या मुक्त आश्रय गृह चलाने का नियंत्रक निकाय का संकल्प;

(v) नए आवेदकों के मामले में बालकों को चिकित्सीय, व्यावसायिक, शैक्षणिक, परामर्श, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना और मौजूदा संस्थाओं के मामले में प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का ब्यौरा;

(vi) सुरक्षा, संरक्षा और परिवहन की व्यवस्थाएं;

(vii) संगठन द्वारा चलाई जाने वाली अन्य सहायता सेवाओं का ब्यौरा;

(viii) बालकों को आवश्यकता–आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी, गैर–सरकारी, कॉर्पोरेट और अन्य सामुदायिक एजेंसियों के साथ लिंकेज तथा नेटवर्क का ब्यौरा;

(ix) मौजूदा कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव सहित उनका ब्यौरा;

(x) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण और उपलब्ध निधियों का ब्यौरा, यदि कोई हो;

(xi) व्यक्ति या संगठन की ओर से पूर्व में दोष–सिद्धि के पिछले अभिलेख या किसी अनैतिक कार्य या बाल से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन में संलिप्तता के विषय में घोषणा;

(xii) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित कोई अन्य मानदंड।

(6) जहाँ अंतिम रजिस्ट्रीकरण किया गया हो, वहाँ राज्य सरकार विस्तृत निरीक्षण करेगी या अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) अधीन रजिस्ट्रीकरण के बाद सुविधाओं, कर्मचारियों, अवसंरचना तथा अधिनियम और इन नियमों में यथा–निर्धारित देख–रेख, संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्समेकन सेवाओं के मानकों के अनुपालन तथा संस्था या संगठन के प्रबंधन की वार्षिक समीक्षा करेगी।

(7) यदि निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा से यह ज्ञात हो कि अधिनियम और इन नियमों में यथा निर्धारित देख–रेख, संरक्षण, पुनर्वास तथा पुनर्समेकन सेवाओं और संस्था के प्रबंधन के मानकों का अनुपालन असंतोषजनक है या सुविधाएं अपर्याप्त हैं, तो राज्य सरकार संस्था के प्रबंधन को किसी भी समय सूचना तामील कर सकती है और सुनवाई का अवसर देने के बाद यथास्थिति विस्तृत निरीक्षण या वार्षिक समीक्षा की तारीख से साठ दिनों की अवधि में यह घोषणा कर सकती है कि संस्था या संगठन की रजिस्ट्रीकृत सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रत्याहृत या रद्द हो जाएगा और उक्त तारीख से वह संस्था अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था नहीं रह जाएगी।

(8) जब कोई संस्था अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था न रह जाए या उक्त उपबंध में यथा–निर्धारित समयावधि में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न कर पाए या उसका अंतिम रजिस्ट्रीकरण न किया जाए, तब उक्त संस्था का प्रबंधन राज्य सरकार करेगी या उसमें रखे गए बालकों को बोर्ड या समिति के आदेशानुसार अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य संस्था में स्थानांतरित किया जाएगा।

(9) सभी संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन मास पूर्व रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा और यदि वे संस्था के रजिस्ट्रीकरण की अवधि समाप्त होने से पहले रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो वह संस्था अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) और इस नियम के उप–नियम (8) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था नहीं रह जाएगी।

(10) संस्था के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के आवेदन का निपटान वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि में किया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के विषय में निर्णय उस वर्ष में की गई वार्षिक समीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिस वर्ष नवीकरण का आवेदन किया गया है।

(12) राज्य सरकार आवेदनों की प्राप्ति और उन पर कार्रवाई करने तथा रजिस्ट्रीकरण करने और रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए मॉडल ऑनलाइन प्रणाली तैयार करने में सहायता करेगी तथा इस बीच राज्य में मौजूदा प्रणालियां जारी रहेंगी।

22. **खुला आश्रय गृह।**– (1) राज्य सरकार स्वयं अथवा स्वैच्छिक या गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से खुला आश्रय गृह स्थापित कर सकेगी।

(2) खुला आश्रय गृह स्थापित करने को इच्छुक या पहले से खुला आश्रय गृह चला रहे सभी संगठन और व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकार को प्ररूप 27 में आवेदन करेंगे।

(3) आवेदक खुला आश्रय गृह खोलने की आवश्यकता की रिपोर्ट और उसके साथ उस स्थान पर बालकों की संख्या दर्शाने वाली बालकों की स्थिति का सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगे, जिस स्थान पर खुला आश्रय गृह स्थापित करने का प्रस्ताव है। समुचित पुलिस सत्यापन और यथावश्यक अन्य जाँच कार्य के बाद उस संगठन या व्यक्ति का चयन खुला आश्रय गृह चलाने के लिए किया जा सकता है।

(4) खुला आश्रय गृहों का रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (1) उपबंधों के अनुसार प्ररूप 28 में किया जाएगा।

(5) खुला आश्रय गृहों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भोजन, कपड़े धोने और शौचालय सुविधाओं तथा राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली किसी अन्य सुविधा सहित दिवस देख–रेख और रैन बसेरा सुविधाएं शामिल की जा सकेंगी।

(6) किसी खुला आश्रय गृह की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि उसमें एक बार में कम से कम पच्चीस बच्चों को रखा जा सके और उसमें रसोईघर, भोजन परोसने की सुविधाएं, स्नानगृह और शौचालय, बिस्तर, लॉकर और मनोरंजन सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।

(7) जिन मामलों में खुला आश्रय गृह की प्रभारी एजेंसी यह पाए कि किसी बालक को अल्पकालिक देख–रेख और संरक्षण से बढ़कर चौबीस घंटे से अधिक के लिए देख–रेख और संरक्षण की आवश्यकता है तो ऐसे बालक को आगे उपयुक्त उपायों के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

(8) खुला आश्रय गृह देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद किसी भी बालक को किसी भी समय प्रवेश देने से मना नहीं करेंगे।

(9) प्रत्येक खुला आश्रय गृह अपने यहाँ सेवाएँ पाने वाले बालकों के विषय में मासिक सूचना प्ररूप 29 में जिला बाल संरक्षण इकाई और समिति को भेजेगा एवं केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर विहित प्ररूपों में प्रतिवेदन अपलोड करेगी।

23. **पालन पोषण देख–रेख।**– (1) राज्य सरकार देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को समिति के आदेश के माध्यम से संक्षिप्त या विस्तृत अवधि के लिए सामूहिक पालन पोषण देख–रेख सहित पालन पोषण देख–रेख में रख सकेगी।

(2) किसी जिले में पालन पोषण देख–रेख कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई नोडल प्राधिकरण होगी।

(3) किसी बालक को पालन पोषण देख–रेख में रखे जाने से संबंधित सभी निर्णय समिति द्वारा अधिनियम एवं नियमावली में निहित प्रावधानों एवं केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुसार लिए जाएँगे। छह वर्ष या इससे अधिक आयु–वर्ग के बालकों को इन नियमावली के नियम 44 के उप–नियम (1) के खण्ड (ii), (iii), (iv) में उल्लिखित परिस्थितियों में पालन पोषण देख–रेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकेगा। जहाँ तक संभव हो सके, छह वर्ष से कम आयु के बालकों को दत्तकग्रहण में रखा जाएगा।

(4) समुदाय में रह रहे देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को भी जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्ररूप 31 में तैयार की गई बाल अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर पालन पोषण देख–रेख में रखे जाने पा विचार किया जा सकता है।

(5) समिति पालन पोषण देख–रेख के स्वरूप का निर्धारण करने से पहले बालक की व्यक्तिगत देख–रेख योजना और बालक की आयु और परिपक्वता को विधिवत ध्यान में रखते हुए उसकी राय पर विचार करेगी। इस पूरी प्रक्रिया के संबंध में बालक को सूचित और तैयार किया जाएगा।

(6) बालक की आवश्यकताओं के अनुसार पालन पोषण देख–रेख अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकती है। अल्पकालिक पालन पोषण देख–रेख की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(7) दीर्घकालिक पालन पोषण देख–रेख की अवधि एक वर्ष से अधिक होगी। यह अवधि पालन पोषण देख–रेख प्रदान करने वाले माता–पिता या सामूहिक पालन पोषण देख–रेख व्यवस्था के साथ बालक की अनुकूलता के निर्धारण के आधार पर बालक की आयु अठारह वर्ष हो जाने तक समिति द्वारा समय–समय पर बढ़ाई जा सकती है।

(8) प्रत्येक बालक के पारिवारिक परिवेश में बढ़ने के अधिकार को मान्यता प्रदान करते हुए, यदि संभव हो सके तो बालक को उसके जन्मदाता माता–पिता से पुनः मिलाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।

(9) बालक को पालन पोषण देख–रेख में रखने से पहले समिति जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से पोषक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट प्ररूप 30 में प्राप्त करेगी।

(10) विशेष जरूरत वाले बालकों को या तो पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देख–रेख में रखे जाने पर विचार किया जा सकेगा, परंतु यह कि पोषक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट में उस परिवार की उपयुक्तता का समर्थन किया गया हो या सामूहिक देख–रेख व्यवस्था में ऐसे बालकों की देख–रेख की सुविधाएँ मौजूद हों।

(11) सामूहिक पालन पोषण देख–रेख में रखे गए बालकों की संख्या एक इकाई में पालन पोषण देख–रेख प्रदाता के जैविक बालकों सहित आठ से अधिक नहीं होगी।

(12) पोषक परिवार का चयन करते समय जिला बाल संरक्षण इकाई जिन मानदंडों पर विचार करेगी, वे इस प्रकार होंगे:

(i) पोषक माता–पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए;

(ii) पोषक माता–पिता उस बालक का पालन पोषण करने के लिए इच्छुक होने चाहिए;

(iii) पोषक माता–पिता की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उनका शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए;

(iv) आमतौर पर पोषक माता–पिता की आमदनी इतनी होनी चाहिए कि वे बालक की जरूरतों की पूर्ति कर सकें;

(v) पोषक परिवार के परिसरों में रह रहे उस परिवार के सभी सदस्यों की चिकित्सीय रिपोर्टें प्राप्त की जानी चाहिए, जिनमें ह्यूमन इम्यूनो वायरस (एचआईवी), तपेदिक (टीबी) और हैपेटाइटिस बी इत्यादि शामिल हैं, ताकि यह अवधारित किया जा सके कि वे चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हैं और

(vi) पोषक परिवार के पास पर्याप्त स्थान और आधारभूत सुविधाएँ होनी चाहिए।

(13) जिला बाल संरक्षण इकाई सामूहिक पालन पोषण देख–रेख व्यवस्था का चयन करते समय आगे दर्शाए गए मानदंडों पर विचार करेगी:

(i) अधिनियम के अधीन सामूहिक व्यवस्था का रजिस्ट्रीकरण;

(ii) समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान किया जाना;

(iii) बाल संरक्षण नीति की मौजूदगी; और

(iv) बालकों के लिए पर्याप्त स्थान और समुचित सुविधाएँ।

(14) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण व्यवस्था के चयन की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(15) समिति बालक को पालन पोषण देख–रेख में रखने का अंतिम आदेश प्ररूप 32 में पारित करेगी, जिसमें बालक को पालन पोषण देख–रेख में रखे जाने की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(16) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देख–रेख प्रदाता बालक का की पालन पोषण देख–रेख के लिए प्ररूप 33 में बचनबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।

(17) जिला बाल संरक्षण इकाई पालन पोषण देख–रेख में रखे गए प्रत्येक बालक का अभिलेख प्ररूप 34 में रखेगी।

(18) समिति पोषक परिवारों या सामूहिक पालन पोषण देख–रेख प्रदाताओं का मासिक निरीक्षण प्ररूप 35 में करेगी, ताकि बालक की भलाई सुनिश्चित की जा सके।

(19) पोषक परिवार या सामूहिक पालन पोषण देख–रेख प्रदाता निम्नलिखित प्रदान करेंगे:

(i) पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा प्रदान करना;

(ii) बालक के समग्र शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देख–रेख, तथा उपचार उपलब्ध कराना;

(iii) शोषण, दुर्व्यवहार, क्षति, उपेक्षा और दुरुपयोग से संरक्षण सुनिश्चित करना;

(iv) आयु के अनुसार उपयुक्त मनोरंजन, पाठयेतर कार्यकलापों, जैसे कि खेलकूद, संगीत, नृत्य, नाटक, कला इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना;

(v) बालक की रूचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना;

(vi) बालक की निजता और उसके जैविक परिवार या संरक्षक का आदर करना और यह स्वीकारना कि उनके विषय में प्रदान की गई कोई भी जानकारी गोपनीय है तथा बिना पूर्व–सहमति के किसी तीसरे पक्ष के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी;

(vii) आपात परिस्थितियों में उपचार कराना तथा समिति और जैविक परिवार को इस बात की जानकारी देना, जो कि आवश्यक होने पर उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगी;

(viii) बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए समिति के परामर्श से बालक और उसके परिवार के बीच सहायता संपर्क;

(ix) बालक की प्रगति के विषय में समय–समय पर समिति तथा बालक के जैविक परिवार को जानकारी प्रदान करना तथा उनसे विचार–विमर्श करना तथा समिति के निर्देशानुसार बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना; और

(x) यह सुनिश्चित करना है कि बालक की स्थिति हमेशा ज्ञात रहे, जिसमें उसके पते, छुट्टी की योजनाओं में बदलाव और बालक के भाग जाने की घटनाओं की सूचना समिति को देना शामिल है।

24. **प्रायोजन।**– (1) राज्य सरकार प्रायोजन कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

(i) व्यक्ति से व्यक्ति का प्रायोजन;

(ii) समूहिक प्रायोजन;

(iii) सामुदायिक प्रायोजन;

(iv) प्रायोजन के माध्यम से परिवारों को सहायता; और

(v) बाल देख–रेख संस्थाओं को सहायता।

(2) यह प्रायोजन कार्यक्रम जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विकसित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा, जो किसी बालक के प्रायोजन के लिए इच्छुक व्यक्तियों या परिवारों का पैनल उपलब्ध कराएगी।

(3) इस पैनल में शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसे रूचि के क्षेत्रों तथा प्रायोजित के स्वरूप के अनुसार प्रायोजकों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

(4) जिला बाल संरक्षण इकाई यह पैनल बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को भेजेगी।

(5) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय स्व–प्रेरणा से या इस विषय में आवेदन प्राप्त होने पर किसी बालक को प्रायोजन में रखे जाने पर विचार कर सकेंगे, जिसके लिए वे पैनल से यह सत्यापन करेंगे कि क्या ऐसे बालक की सहायता के लिए कोई प्रायोजक उपलब्ध है और उस बालक को प्रायोजित किये जाने का आदेश प्ररूप 36 में पारित कर सकेंगे।

(6) जिला बाल संरक्षण इकाई व्यक्तिगत प्रायोजन के मामले में अधिमानतः माता द्वारा संचालित किया जाने वाला खाता बालक के नाम से खोलेगी। धनराशि सीधे जिला बाल संरक्षण इकाई के बैंक खाते से बालक के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

(7) प्रायोजन की अवधि आमतौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे 2 वर्ष की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा, जिसके लिए लिखित रूप से कारणों को दर्ज किया जाएगा।

25. संस्थागत देख–रेख छोड़कर जाने वाले बालकों की पश्चात्वर्ती देख–रेख।– (1) जिन बालकों को अठारह वर्ष की आयु हो जाने पर बाल देख–रेख संस्थाओं को छोड़कर जाना पड़ता है, उन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करके, उन्हें रोजगार के योग्य कौशल सिखाकर तथा समाज की मुख्यधारा में उनके पुनर्समेकन को सुकर बनाने के लिए उन्हें रहने का स्थान उपलब्ध कराकर उनके लिए कार्यक्रम राज्य सरकार तैयार करेगी।

(2) बाल देख–रेख संस्था को छोड़कर जाने वाले किसी भी बालक को यथास्थिति समिति या बोर्ड या बाल न्यायालय के प्ररूप 37 के अनुसार आदेश पर इक्कीस वर्ष की आयु होने तक तथा अपवादात्मक परिस्थितियों में इक्कीस वर्ष की आयु हो जाने पर और दो वर्ष तक पश्चात्वर्ती देख–रेख प्रदान की जा सकेगी।

(3) जिला बाल संरक्षण इकाई शिक्षा, चिकित्सीय सहायता, पोषण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि जैसे रूचि के क्षेत्र के अनुसार पश्चात्वर्ती देख–रेख प्रदान करने को इच्छुक संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी व रखेगी तथा उस सूची को बोर्ड या समिति और सभी बाल देख–रेख संस्थाओं को उनके अभिलेख में रखे जाने के लिए भेजेगी।

(4) परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामले का कार्यकर्ता निर्मुक्ति पश्चात योजना बच्चों के परामर्श के साथ तैयार करेगा और उस योजना को बोर्ड या समिति को तब भेजेगा जब बालक द्वारा बाल देख–रेख संस्था छोड़े जाने में तीन मास का समय शेष हो तथा

इस योजना में बालक की आवश्यकतानुसार ऐसे बालक के लिए पश्चात्वर्ती देख–रेख की सिफारिश की जाएगी।

(5) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय निर्मुक्ति पश्चात योजना की निगरानी करते समय पश्चात्वर्ती देख–रेख कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता की जाँच भी विशेषकर इस संदर्भ में करेंगे कि क्या इस कार्यक्रम का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए यह देख–रेख प्रदान की गई है और ऐसे पश्चात्वर्ती देख–रेख कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बालक द्वारा की गई प्रगति की भी जाँच करेंगे।

(6) पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम में रखे गए बालकों को राज्य सरकार उनके आवश्यक खर्चों के लिए निधियां उपलब्ध कराएगी; ऐसी निधियां सीधे उनके बैंक खातों में आंतरित की जाएँगी।

(7) पश्चातवर्ती देख–रेख कार्यक्रम में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकेगा:

(i) छह से आठ व्यक्तियों के समूहों के लिए अस्थायी आधार पर सामुदायिक सामूहिक आवास या किसी मान्यता प्राप्त स्वयंसेवी संस्था या गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से संस्थागत मॉडल;

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान वृतिका या उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृति और व्यक्ति को रोजगार मिलने तक सहायता का उपबंध करना;

(iii) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, भारतीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और केन्द्रीय और राज्य सरकारों के ऐसे अन्य कार्यक्रमों तथा कॉरपोरेट इत्यादि के साथ समन्वय से कौशल प्रशिक्षण और वाणिज्यिक स्थापनाओं में रोजगार दिलाने की व्यवस्था करना;

(iv) ऐसे व्यक्तियों से उनकी पुनर्वास योजनाओं के विषय में विचार–विमर्श करने के लिए उनके साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने वाले परामर्शदाता की व्यवस्था करना;

(v) उनकी ऊर्जा को सकारात्मक माध्यम उपलब्ध कराने और उनके जीवन में आए संकटों से पार पाने में उनकी सहायता करने के लिए सर्जनात्मक कार्यकलापों की व्यवस्था करना;

(vi) पश्चात्वर्ती देख–रेख में रखे गए और उद्यमी कार्यकलापों की स्थापना के आकांक्षी व्यक्तियों के लिए ऋणों या सहायकी व्यवस्था; और

(vii) राज्य अथवा संस्थागत सहायता के बिना जीवनयापन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।

26. **बाल देख–रेख संस्थाओं का प्रबंध और मॉनीटरी करना।**–(1) बाल देख–रेख संस्थाओं के कार्मिकों की संख्या दायित्वों, पदों, कार्य–समय और जिन बालकों के लिए उन कार्मिकों को कार्य करना है, उन बालकों की श्रेणी के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(2) बाल देख–रेख संस्था के कर्मचारी प्रभारी व्यक्ति के नियंत्रण और समग्र पर्यवेक्षण के अधीन होंगे, जो अधिनियम और इन नियमों की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आदेश द्वारा उनके विशिष्ट दायित्व तथा जिम्मेदारियां अवधारित करेगा।

(3) कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या संस्था की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा संस्था की क्षमता में वृद्धि के अनुपात में यह संख्या भी बढ़ेगी।

(4) यदि बाल देख–रेख संस्थाओं में बालिकाएँ रह रही हों तो केवल महिला प्रभारी और कर्मचारी नियुक्ति की जाएगी।

(5) बाल देख–रेख संस्था से जुड़ी कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो या अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न रहा हो।

(6) पुलिस के सत्यापन के बिना कोई भी व्यक्ति किसी बाल देख–रेख संस्था में नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही कार्य करेगा।

(7) पचास बालकों की क्षमता वाली संस्था में कर्मचारियों संबंधी सुझावपरक मानक इस प्रकार होंगे:

क्र.सं.	कार्मिक / कर्मचारीवृंद	संख्या
1.	प्रभारी व्यक्ति (अधीक्षक)	1
2.	परिवीक्षा अधिकारी / बाल कल्याण अधिकारी / मामला कार्यकर्त्ता * किसी बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारी अभिहित किया जा सकेगा	2
3.	परामर्शदाता / मनोवैज्ञानिक / मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ	1
4.	हाउस मदर / हाउस फादर	3
5.	शिक्षक / ट्यूटर	1 (अंशकालिक)
6.	चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक)	1 (बुलाए जाने पर / प्रतिनियुक्ति पर)
7.	अर्ध–चिकित्सीय कर्मचारी / स्टाफ नर्स	1
8.	लेखाकार–सह–भंडारपाल–सह–आँकड़ा सहायक	1
9.	कला और शिल्प और कार्यकलाप अध्यापक	1 (अंशकालिक)
10.	पीटी अनुशिक्षक–सह–योग प्रशिक्षक	1 (अंशकालिक)
11.	रसोइया	1
12.	सहायक	1
13.	हाउस कीपिंग	1
14.	सेक्युरिटी गार्ड	आवश्यकतानुसार
15.	माली	1 (अंशकालिक)

(8) जिन संस्थाओं में शिशुओं को रखा गया है, उन संस्थाओं के मामले में आवश्यकतानुसार आयाओं और अर्धचिकित्सीय कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।

665

(9) बाल देख--रेख संस्था के स्वरूप और अपेक्षा के अनुसार बालकों की संख्या, आयु–वर्ग, शारीरिक और मानसिक स्थिति, अपराध की श्रेणी के आधार पर पृथक्करण सुविधा और संस्था को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कार्मिक तैनात किए जाएंगे।

(10) नियुक्त या तैनात किए जाने वाले सुरक्षा कार्मिक संवेदनशीलता वाले बालकों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अभिमुखीकृत होंगे तथा अधिमानतः पूर्व–सैनिक या अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत कार्मिक या पुनर्स्थापन महानिदेशक के माध्यम से होंगे।

(11) सुरक्षा कार्मिकों के पास शस्त्र या बंदूकें नहीं होगी लेकिन वे आपात परिस्थिति से निपटने, हिंसा पर काबू पाने और बालकों को संस्था से भागने से रोकने, तलाशी और खोज तथा सुरक्षा निगरानी कार्यकलाप चलाने के लिए प्रशिक्षित और विशेष कौशलों से संपन्न होंगे।

27. **उपयुक्त सुविधा।**– (1) बोर्ड या समिति सरकार या किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा चलाई जा रही किसी संस्था या संगठन का आवेदन प्राप्त होने पर, जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर उचित सत्यापन एवं अनुशंसाओं के साथ अग्रसारित किया गया हो, उस सुविधा को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे, परंतु यह कि उस सुविधा का प्रबंधक विशिष्ट प्रयोजन या सामूहिक पालन पोषण देख–रेख के लिए किसी बालक को प्राप्त करने के लिए अस्थायी रूप से इच्छुक हो।

(2) मान्यता के लिए आवेदन के साथ नियमों, उप–नियमों, संगम–ज्ञापन, नियंत्रक निकाय, पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के तुलन–पत्र, संस्था या संगठन द्वारा प्रदान की गयी सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख इत्यादि प्रत्येक की एक प्रति प्ररूप 38 में भेजी जाएगी।

(3) उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता के लिए कोई सुविधा :

(i) बालक की देख–रेख और संरक्षण के आधारभूत मानकों की पूर्ति करेगी;

(ii) अपने पास रखे गये बालक को आधारभूत सेवाएँ प्रदान करेगी;

(iii) अपने पास रखे गये किसी बालक में किसी भी प्रकार की क्रूरता या शोषण या उपेक्षा या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होने देगी;

(iv) बोर्ड या समिति द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करेगी; और

(v) जिला बाल संरक्षण इकाई के अनुशंसाओं का पालन करेगी।

(4) जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिवेदन तथा संगठन या संस्था द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् एवं यदि आवश्यक हो तो बोर्ड या समिति स्वयं जाँचोपरान्त यह सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों के अनुसार बालकों की देख–रेख और संरक्षण के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन तथा आश्रय सुविधाओं, व्यावसायिक सुविधाओं और पुनर्वास के विशेष संदर्भ में प्रावधान संस्था में मौजूद हैं तथा यथा उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार के आधार पर ऐसी संस्था या संगठन को उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्ररूप 39 में प्रदान कर सकेंगे:

परंतु यह कि ऐसी संस्था या संगठन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध न हुआ हो या किसी अनैतिक कार्य या बालक से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिकों के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में संलिप्त न रहा हो।

(5) जिला बाल संरक्षण इकाई अपना प्रतिवेदन इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर जमा करेगी तथा बोर्ड या समिति किसी संस्था या संगठन की मान्यता के आवेदन पर निर्णय यह प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि में लेगी।

(6) उपयुक्त सुविधा के रूप में किसी संस्था या संगठन की मान्यता आरंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी, जिसे इस नियम के उप–नियम (4) के अनुसार आगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(7) यदि बोर्ड या समिति प्रदान की जा रही देख–रेख और संरक्षण, या उस सुविधा में मौजूद दशाओं, या अधिनियम के अधीन मान्यता–प्राप्त संस्था या संगठन के प्रबंधन के मानक से संतुष्ट न हो या अधिनियम की धारा 54 के अधीन नियुक्त की गई निरीक्षण समिति की किसी प्रतिकूल रिपोर्ट पर तथा इस संबंध में जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा पूरक रिपोर्ट या किसी अन्य कारण से वे किसी भी समय कारण सहित आदेश द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में उस संस्था या संगठन की मान्यता को बोर्ड या समिति के आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रत्याहृत कर सकेंगे और वह संस्था या संगठन अधिनियम और इन नियमों के अधीन उपयुक्त सुविधा के पात्र नहीं रहेंगे।

(8) जहाँ बोर्ड या समिति द्वारा उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रत्याहृत कर ली गयी हो, वहां इस तथ्य की सूचना बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी तथा ऐसी संस्था या संगठन के पास रखे गए बालकों को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त सुविधा या किसी अन्य बाल देख–रेख संस्था में स्थानांतरित किया जाएगा।

(9) बोर्ड या समिति द्वारा अनुमोदित सुविधाओं की सूची कार्यालय में रखी जाएगी और बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य बाल संरक्षण समिति को भेजी जाएगी।

(10) किसी संस्था या संगठन को आगे दर्शाए गए प्रयोजनों के लिए उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी, जो कि इस प्रकार होंगे:–

(i) अल्पकालिक देख–रेख;
(ii) चिकित्सीय देख–रेख उपचार और विशेषीकृत उपचार;
(iii) मनश्चिकित्सीय और मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख;
(iv) नशा–मुक्ति और पुनर्वास;
(v) शिक्षा;
(vi) व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास;
(vii) गवाह संरक्षण; और
(viii) सामूहिक पालन पोषण देख–रेख।

(11) उपयुक्त सुविधा द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ इस प्रकार होगी:

(i) भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता और साफ–सफाई;
(ii) परामर्श सहित मानसिक स्वास्थ्य कार्यकलाप;

(iii) प्रथमोपचार सहित चिकित्सीय सुविधाएं और विशेषीकृत उपचार में सहायता;

(iv) सेतु शिक्षा और निरंतर शिक्षा सहित आयु के अनुसार उपयुक्त औपचारिक शिक्षा और जीवन कौशल शिक्षा; तथा

(v) मनोरंजन, खेलकूद, ललित कलाएं और सामूहिक कार्यकलाप।

(12) किसी बालक को उपयुक्त सुविधा में उतनी अवधि के लिए रखा जाएगा, जितनी अवधि बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को उपयुक्त प्रतीत हो।

28. **उपयुक्त व्यक्ति।**– (1) वह व्यक्ति जो आवश्यक अवधि के लिए किसी बच्चे को देखरेख, संरक्षण अथवा उपचार हेतु अस्थायी रूप से लेने के लिए उपयुक्त हो, बोर्ड अथवा समिति द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में पता लगाया जाएगा।

(2) बोर्ड अथवा समिति बच्चे को लेने के लिए उनकी साख, सम्मान, विशेषज्ञता, व्यावसायिक अर्हताएं, बच्चों के साथ व्यवहार का अनुभव तथा उनकी इच्छा के आधार पर व्यक्तियों के पैनल को अभिज्ञात करे तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में उनका पता लगाए:

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोपी अथवा किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल शोषण के कार्य अथवा बाल श्रम रोजगार अथवा नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में संलग्न नहीं होना चाहिए।

(3) बोर्ड अथवा समिति भी ऐसे व्यक्ति की साख का सत्यापन करने के बाद, तथा जहाँ कहीं संभव हो, ऐसे किसी व्यक्ति पर कराए गए पुलिस सत्यापन प्राप्त करने के पश्चात किसी बच्चे अथवा बच्चों के लिए आवश्यकता आधार पर एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

(4) बोर्ड अथवा समिति, यदि उपलब्ध करायी गयी देख–रेख तथा संरक्षण के स्तर से अथवा किसी अन्य कारण से असंतुष्ट होने पर, किसी भी समय, बोर्ड अथवा समिति के आदेश पर विनिर्दिष्ट तारीख से एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति की मान्यता को वापस लेने के तर्कसंगत आदेश के द्वारा वापस ले सकता है।

(5) जहाँ किसी उपयुक्त व्यक्ति की मान्यता बोर्ड द्वारा अथवा समिति द्वारा वापस की जाती है, इसकी सूचना बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी और ऐसे उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे गए बालक को बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति के अथवा उपयुक्त सुविधा के साथ अथवा किसी बाल देख–रेख संस्था के पास रखा जाए।

(6) बोर्ड अथवा समिति द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त व्यक्तियों की सूची बोर्ड तथा समिति के कार्यालय और बाल न्यायालय में रखी जाएगी तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण समिति को भेजी जाएगी।

(7) जहाँ बालक को दूरी तथा/अथवा विषम समय की वजह से किसी बाल देख–रेख संस्था में नहीं भेजा जा सकता, बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय, जहाँ की अपेक्षित हो, ऐसे मामलों में बालक को एक उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में रख सकता है।

(8) उपयुक्त व्यक्ति :

(i) बालक को लेने की क्षमता तथा इच्छा रखेगा; तथा

(ii) बालक की देख–रेख और संरक्षण की बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा।

(9) बालक की आवश्यकता के आधार पर तथा उपयुक्त व्यक्ति के परामर्श से बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय बालक की उस अवधि को निर्धारित करेंगे जिसमें बालक उपयुक्त व्यक्ति के पास रहेगा।

(10) बालक को 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए उपयुक्त व्यक्ति के संरक्षण में नहीं रखा जाएगा तथा ऐसे मामलों में जहाँ बालक को और अधिक देख–रेख की जरूरत है, वहाँ समिति बालक के पालन–पोषण देख–रेख प्लेसमेंट पर विचार कर सकती है अथवा बालक के लिए अन्य आवास विकल्पों पर विचार करे। ऐसे मामलों में जहाँ बालक की प्लेसमेंट अवधि 30 दिन से ज्यादा हो बोर्ड अथवा बाल न्यायालय बालक के संबंध में अगले आदेशों के लिए मामले को समिति को भेजें।

29. **भौतिक अवसंरचना।**– (1) प्रत्येक संस्था में आवास निम्नलिखित मानदंड के अनुसार होगा, अर्थात:–

(i) संप्रेषण गृह :

(क) बालिकाओं तथा बालकों के लिए पृथक संप्रेषण गृह;

(ख) शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा किए गए अपराध की प्रकृति पर पर्याप्त ध्यान देते हुए उनके आयु वर्ग अधिमानत: 7–11 वर्ष, 12–15 वर्ष तथा 16–18 वर्ष के अनुसार बालकों का वर्गीकरण तथा पृथक्कीकरण।

(ii) विशेष गृह :

(क) बालिकाओं तथा बालकों के लिए पृथक विशेष गृह;

(ख) बालक की आयु और अपराध की प्रकृति तथा उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण तथा पृथक्कीकरण।

(iii) सुरक्षित स्थान:

(क) जघन्य अपराध करने के आरोपी 16–18 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए, जिनकी जाँच लंबित है;

(ख) जाँच के समापन पर जघन्य अपराध मे लिप्त पाए जाने वाले 16–18 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए;

(ग) 18 वर्ष से कम आयु में किए गए अपराध के आरोपी 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए, जिनकी जाँच लंबित है;

(घ) जाँच पूरी होने पर अपराध में लिप्त पाए जाने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए;

(ड़) इस अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन बोर्ड के आदेशों के अनुसार बालकों के लिए।

(iv) बाल गृह:

(क) 6–18 वर्ष की आयु वर्ग के बालिकाओं तथा बालकों के लिए पृथक बाल गृह;

(ख) बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पर्याप्त ध्यान देते हुए 7–11 वर्ष, 12–15 वर्ष और 16–18 वर्ष के आयु वर्ग के अनुसार पृथक सुविधाएँ।

(2) बाल देख–रेख संस्थाएँ बाल अनुकूल होंगी तथा वे किसी भी प्रकार से कारावास अथवा हवालात जैसी नहीं दिखेंगी।

(3) प्रत्येक बाल देख–रेख संस्था स्टाफ और इनमें रह रहे बालकों दोनों के उपयोग के लिए इस अधिनियम की एक प्रति तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा साथ ही राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा तैयार की गई बाल संरक्षण नीति की प्रति को रखेगी।

(4) प्रत्येक बाल देख–रेख संस्था में संस्था के प्रबंधन के लिए तथा गृह में प्रत्येक बालक की प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रबंधन समिति होगी।

(5) कानून तोड़ने वाले बालकों के लिए तथा देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिए बाल देख–रेख संस्थाएँ प्रतिपादित मानदंड के अनुसार पृथक परिसरों से कार्य करेंगी।

(6) 50 बालकों वाली प्रत्येक संस्था में भवन अथवा आवास हेतु सुझाए गए मानदंड इस प्रकार हो सकते हैं :

(i)	2 शयनशाला (डोरमेटरी)	25 बालकों के लिए प्रत्येक 1000 वर्ग फुट की अर्थात 2000 वर्ग फुट
(ii)	2 कक्षाएं	25 बालकों के लिए 300 वर्ग फुट की अर्थात 600 वर्ग फुट
(iii)	रोगी कक्ष / प्राथमिक उपचार कक्ष	प्रत्येक 10 बालकों हेतु 75 वर्ग फुट अर्थात 750 वर्ग फुट
(iv)	रसोई	250 वर्ग फुट
(v)	भोजन कक्ष	800 वर्ग फुट
(vi)	भंडार गृह	250 वर्ग फुट
(vii)	मनोरंजन कक्ष	330 वर्ग फुट
(viii)	पुस्तकालय	500 वर्ग फुट
(ix)	5 स्नान घर	प्रत्येक 25 वर्ग फुट की अर्थात 125 वर्ग फुट
(x)	8 शौचालय	प्रत्येक 25 वर्ग फुट की अर्थात 125 वर्ग फुट
(xi)	कार्यालय कक्ष	(क) 300 वर्ग फुट (ख) प्रभारी व्यक्ति कक्ष 200 वर्ग फुट
(xii)	परामर्श और मार्गदर्शन कक्ष	120 वर्ग फुट
(xiii)	कार्यशाला	प्रति प्रशिक्षु 75 वर्ग फुट की दर से 15 बालकों के लिए 1125 वर्गफुट
(xiv)	प्रभारी व्यक्ति हेतु आवास	(क) प्रत्येक 250 वर्ग फुट के 2 कक्ष (ख) रसोई 75 वर्गफुट (ख) स्नान घर सह शौचालय 50 वर्ग फुट
(xv)	किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति हेतु 2 कक्ष	प्रत्येक 300 वर्ग फुट की अर्थात 600 वर्ग फुट
(xvi)	खेल का मैदान	कुल बालकों की संख्या के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र
	कुल	**8495 वर्ग फुट**

(7) प्रभारी व्यक्ति संस्था में रहेगा तथा उसे क्वार्टर उपलब्ध कराया जाएगा तथा यदि वह विधिमान्य कारणों से बाल देख–रेख संस्था में रहने में समर्थ नहीं है, (सहायक निदेशक से अनुमति प्राप्त की जाएगी) तो संस्था का कोई अन्य वरिष्ठ स्टाफ सदस्य संस्थान में रहेगा और बालकों की समग्र देख–रेख का पर्यवेक्षण करने तथा किसी संकट अथवा आपातकाल के मामले में निर्णय लेने की स्थिति में होगा।

(8) दुर्घटनाओं से बचने के लिए उचित या फिसलन रहित फर्श रखने होंगे।

(9) उचित प्रकाश, सर्दियों में परिसर का गर्म रखने और गर्मियों में ठंडा करने के प्रबंध, वातायन, सुरक्षित पेयजल, साफ–सफाई वाले और जेंडर सुलभ और आयु अनुसार उचित तथा निशक्तता अनुकूल शौचालय तथा बार्बड तार की बाड़ वाली ऊँची दीवारें होंगी।

(10) इस अधिनियम के अधीन सभी संस्थाएं:

(i) प्राथमिक उपचार किट, रसोई घर में अग्निशामक, मनोरंजन कक्ष, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष, शयनागार, भंडार कक्ष तथा परामर्श कक्ष का प्रावधान करेंगी;
(ii) इलेक्ट्रिकल स्थापनाओं की आवधिक जाँच करेंगे;
(iii) उचित भंडारण तथा खाद्य वस्तुओं की जाँच सुनिश्चित करेंगी; तथा
(iv) जल भंडारण तथा आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था के लिए उद्यत प्रबंध सुनिश्चित करेंगी।

(11) पृथक रूप से सक्षम बालकों को विशेष अवसंरचनात्मक सुविधाएँ तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सुविधाएँ तथा उपकरण विशेषज्ञों अथवा अनुभवी व्यक्तियों के मार्गदर्शन में डिजाइन की जाएगी।

(12) अन्य संभार और कार्यात्मक आवश्यकताएं, जिन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, में निम्नलिखित शामिल होगा :

(i) कम्प्यूटर सेट;
(ii) फोटोकापीयर;
(iii) प्रिंटर, स्कैन–सह–फैक्स;
(iv) इंटरनेट सुविधा सहित दूरभाष;
(v) वेब कैमरा;
(vi) पदाधिकारियों हेतु फर्नीचर, अभिलेख रखने की अलमारियां, वर्क स्टेशन, पहियादार कुर्सी तथा चिकित्सा कक्ष के लिए स्ट्रेचर्स;
(vii) अध्ययन और भोजन हाल हेतु कुर्सियां तथा मेज;
(viii) प्रोजेक्टर; एवं
(ix) सी0सी0टी0वी0 कैमरा।

30. **कपड़े, बिस्तर, टायलेट्रीज तथा अन्य वस्तुएं।**– (1) कपड़े तथा बिस्तर मापदंड और जलवायु की परिस्थितियों अनुसार होंगे। प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं तथा कपड़ों और बिस्तर हेतु न्यूनतम मानक इस प्रकार होंगे :–

		क. बिस्तर
क्र. सं.	वस्तु	प्रत्येक बालक को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमात्रा
1.	गद्दा	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष बाद 1
2.	सूती दरी	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात् 2 वर्ष बाद 2
3.	बिछाने की सूती चादरें	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात् 6 मास बाद 1
4.	तकिया (सूती)	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् 1 वर्ष बाद 1
5.	तकिया कबर	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् 1 वर्ष बाद 1
6.	सूती कंबल/खेस	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात् 2 वर्ष बाद 1
7.	रूई भरी हुई रजाई	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् 1 वर्ष बाद 1 (ठंडे क्षेत्र में कंबलों के अलावा)

8.	मच्छरदानी	प्रवेश के समय 1 और तत्पश्चात् 6 मास बाद 1
9.	सूती तौलिया	प्रवेश के समय 2 और तत्पश्चात् प्रत्येक 3 मास बाद 1

ख. लड़कियों के लिए कपड़े		
क्र. सं.	वस्तु	प्रति बालप्रमात्रा
1.	स्कर्ट और ब्लाउज अथवा सलवार कमीज अथवा ब्लाउज और पेटीकोट सहित हॉफ साड़ी	आयु तथा क्षेत्रीय वरीयताओं पर निर्भर करते हुए लड़कियों के लिए प्रतिवर्ष 5 सेट
2.	उचित आयु के अनुसार अंतरीय	प्रति तिमाही 3 सेट
3.	सेनेटरी टॉवल्स	बड़ी लड़कियों के लिए प्रति वर्ष 12 पैक्स
4.	ऊनी स्वेटर्स (पूरी बाजू वाले)	प्रति वर्ष 2 स्वेटर
5.	ऊनी स्वेटर्स (आधी बाजू के)	प्रति वर्ष 2 स्वेटर
6.	ऊनी शाल	प्रति वर्ष 1
7.	रात्रि में पहनने के कपड़े	प्रति 6 मास में 2 सेट

ख. लड़कों के लिए कपड़े		
क्र. सं.	वस्तु	प्रति बालप्रमात्रा
1.	कमीज	प्रवेश के समय 2 तथा तत्पश्चात् प्रत्येक छह मास के बाद 1
2.	निकर	प्रवेश के समय 2 छोटे बालकों के लिए तत्पश्चात् प्रत्येक छह मास के बाद 1
3.	पैंट	प्रवेश के समय 2 तथा बड़े बालकों के लिए प्रत्येक छह मास में 1
4.	आयु अनुसार उचित अंतरीय	प्रति तिमाही 3 सेट
5.	ऊनी जर्सियां (पूरी बाजू की)	वर्ष में 2
6.	ऊनी जर्सियां (आधी बाजू की)	वर्ष में 2
7.	ऊनी टोपियां	एक वर्ष में 1
8.	रात्रि में पहनने के लिए कुर्ता पायजामा	प्रत्येक छह मास 2 सेट

ग. विविध वस्तुएं		
1.	स्लीपर	प्रवेश के समय 1 जोड़ी तथा तत्पश्चात् प्रत्येक छह मास बाद
2.	खेल के जूते	प्रवेश के समय 1 जोड़ी तथा तत्पश्चात् प्रत्येक एक वर्ष बाद 1 जोड़ी
3.	स्कूल वर्दी	स्कूल जाने वाले बालकों हेतु प्रत्येक छह मास 2 सेट
4.	स्कूल बैग	स्कूल जाने वाले बालकों के लिए वर्ष 1
5.	स्कूल के जूते	स्कूल में प्रवेश के समय 1 जोड़ी तथा तत्पश्चात् प्रत्येक छह मास के बाद 1 जोड़ी
6.	रूमाल	प्रवेश के समय 2 तथा तत्पश्चात् प्रत्येक 2 मास के बाद 2
7.	जुराबें	प्रत्येक छह मास में 3 जोड़ी
8.	लेखन सामग्री	आवश्यकतानुसार

(2) उक्त विनिर्दिष्ट कपड़ों के अतिरिक्त, समारोह के अवसरों पर उपयोग करने हेतु प्रत्येक बालकों तीन वर्षों में एक बार, एक सफेद कमीज, निकर अथवा पैंट एक जोड़ी, एक जोड़ी

सफेद कैनवास के जूते तथा एक ब्लेजर उपलब्ध कराया जाएगा। लड़कियों के मामले में, एक सफेद हॉफ साड़ी अथवा एक सलवार कमीज अथवा एक सफेद स्कर्ट तथा एक सफेद ब्लाउज, एक जोड़ी सफेद कैनवास के जूते तथा ब्लेजर उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) संस्था से संबद्ध प्रत्येक अस्पताल में, जहाँ भर्ती रोगियों की चारपाई का प्रावधान है, निम्नलिखित मानदंड़ों का अनुपालन किया जाता है :–

क्र. सं.	रात्रि के कपड़े तथा बिस्तर	आपूर्त्ति हेतु मापदंड
1.	गद्दा	3 वर्ष में प्रति बिस्तर एक
2.	बिछाने की सूती चादरें	प्रति वर्ष प्रति बिस्तर एक
3.	तकिया	प्रति दो वर्ष में प्रति बिस्तर एक
4.	तकिया कबर	प्रति वर्ष प्रति बिस्तर चार
5.	ऊनी कम्बल	प्रति 2 वर्ष में प्रति बिस्तर एक
6.	पायजामे तथा ढ़ीली कमीजें (लड़कों हेतु अस्पताल की प्रकार की)	प्रति वर्ष प्रति बाल 3 जोड़ी
7.	बालिकाओं के लिए स्कर्ट और ब्लाउज अथवा सलवार कमीज	प्रति वर्ष प्रति बाल 3 जोड़ी
8.	सूती दरी	प्रति 3 वर्ष में प्रति बिस्तर एक

(4) टॉयलेट्री : बाल देख–रेख संस्था के प्रत्येक निवासी को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार तेल, साबुन तथा अन्य सामग्री जारी की जाएगी :

क्र. सं.	मद	प्रति बालक जारी की जाने वाली मात्रा
1.	बालों के बनाव श्रृंगार के लिए बालों का तेल	प्रति मास 100 एमएल
2.	प्रसाधन साबुन/हैंडवाश	प्रति मास 100 ग्राम की दो टिकिया
3.	टूथ ब्रश	प्रति 3 मास में 1
4.	टूथ पेस्ट	प्रति मास 100 ग्रम की (टयूब)
5.	कंघा	प्रत्येक 3 मास में 1
6.	शैम्पू सैशे	मास में 8 (10 मिलिग्राम/प्रति सैशे)
7.	बालों की क्लिप/बैंड	3 मास में 2 बैंड
8.	माश्चराइचर्स अथवा कोल्डक्रीम (सर्दियों में)	मास में 250 मिलीग्राम

(5) कपडे और तौलिया, बिछाने वाली चद्दाई आदि धोने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे :

(i) धुलाई का साबुन : एक मास के लिए 3 साबुन (125ग्राम) अथवा समकक्ष कपड़े धोने का पाउडर;

(ii) केवल सफेद कपड़ों के लिए अपेक्षित सीमा में कपड़ों को सफेद करने अथवा विरंजित करने का पाउडर।

अस्पताल के कपड़े धुलाई के समय अन्य कपड़ों के साथ मिलाए नहीं जाने चाहिए तथा यदि आवश्यक हो, तो अधीक्षक अस्पताल के कपड़ों की धुलाई के लिए अलग से उक्त मदें जारी कर सकता है। अधीक्षक यथापेक्षित कपड़े धोने की मशीनें लगवा सकता है।

(6) बाल देख–रेख संस्थाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छ स्थिति में बनाए रखने के लिए निम्नलिखित चीजें उपलब्ध कराई जाएगी :

क्र. सं.	मद	आपूर्त्ति का मापदंड
1.	झाड़ू	संस्था के क्षेत्र पर निर्भर रहते हुए प्रति मास 25 से 40
2.	कीटनाशक स्प्रे	संस्था के चिकित्सा की सलाह पर
3.	खटमल मारने की कारगर दवा	यथापेक्षित
4.	फिनाइल और साफ–सफाई का एसिड	संस्था के चिकित्सक की सलाहनुसार (दैनिक) साफ किए जाने वाले प्रक्षालन पात्र के क्षेत्र पर निर्भर
5.	मच्छर विकर्षक मशीन	पर्याप्त पटिट्का वाला प्रति मास प्रतिदर्श 2

31. **स्वच्छता और साफ–सफाई**।– (1) प्रत्येक बाल देख–रेख संस्था में निम्नलिखित सुविधाएं होगी, नामतः

(i) रसोई घर, शयनागार, मनोरंजन कक्षों आदि जैसे आसानी से पहुंचने वाले परिसरों में अनेक स्थलों पर पर्याप्त उपचारित पेयजल, जल शोधक लगाए जाएँगे;

(ii) नहाने और कपड़े धोने, परिसर के रखरखाव और साफ–सफाई के लिए गर्म पानी सहित पर्याप्त पानी की व्यवस्था;

(iii) नियमित रखरखाव सहित समुचित जल निकास प्रणाली;

(iv) कचरे के निस्तारण की व्यवस्था;

(v) मच्छरदानी अथवा विकर्षक उपलब्ध करारकर मच्छरों से संरक्षण;

(vi) वार्षिक कीट नियंत्रण;

(vii) सात बालकों के लिए कम से कम एक शौचालय के अनुपात मे पर्याप्त रोशनी और हवादार शौचालयों की पर्याप्त संख्या, जिसमें कुछ निःशक्त बच्चों के उपयोग के लिए अनुकूल हों;

(viii) दस बालकों के लिए कम से कम एक स्नानागार के अनुपात मे पर्याप्त रोशनी और हवादार स्नानागार की पर्याप्त संख्या;

(ix) कपड़ों की धुलाई और उनके सूखने के लिए पर्याप्त स्थान;

(x) धुलाई की मशीन जहाँ संभव हो;

(xi) साफ और मक्खियों के प्रवेश रहित रसोई और बर्तनों को धोने के लिए पृथक स्थान;

(xii) प्रत्येक मास में दो बार बिस्तरों तथा नियमित आधार पर कपडों को सुखाना;

(xiii) चिकित्सा केंद्र में साफ–सफाई का रखरखाव;

(xiv) घर के सभी फर्शों को प्रतिदिन झाड़ना व पोंछना;

(xv) प्रतिदिन शौचालयों और स्नानघरों को दो बार साफ करना अथवा धोना;

(xvi) सब्जियों और फलों की उचित धुलाई तथा भोजन बनाने का स्वच्छ तरीका;

(xvii) प्रत्येक भोजन बनाने के उपरांत रसोई स्लैब, फर्श तथा गैस की सफाई;

(xviii) प्रत्येक खाद्य वस्तु और अन्य आपूर्तियों की देख–रेख के लिए साफ और कीटरहित भंडार;

(xix) वर्ष में कम से कम दो बार बिस्तरों को संक्रमण रहित करना;

(xx) सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोग के मामले में प्रत्येक रोगी की छुट्टी मिलने के उपरांत रोगी कक्ष अथवा पृथक कक्ष का धूम्रीकरण;

(xxi) चिकित्सा केंद्र में साफ–सफाई।

32. **दिनचर्या।**– (1) प्रत्येक संस्थान में बाल समिति के परामर्श के किशोरों या बालकों के लिए दिनचर्या विकसित होगी, जिसे संस्थान में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ–साथ नियमित और अनुशासित जिंदगी, व्यक्तिगत साफ–सफाई, शारीरिक व्यायाम, योग, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सुव्यवस्थित मनोरंजन और खेल, नैतिक शिक्षा, सामूहिक क्रियाकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और रविवारों और छुट्टियों, त्योहारों, जन्मदिवसों के लिए विशेष कार्यक्रम होंगे।

33. **पोषण और आहार मानक।**–(1) संस्था, निम्नलिखित पोषण और आहार मानकों का अनुसरण करेगा, अर्थात :

(i) बालकों को नाश्ते सहित दिन में चार बार भोजन दिया जाएगा।

(ii) संतुलित आहार तथा न्यूनतम पोषण मानकों के अनुसार स्वाद में भिन्नता सुनिश्चित करने के लिए पोषण विशेषज्ञ या चिकित्सक की सहायता से व्यंजन सूची तैयार की जाएगी।

(iii) प्रत्येक संस्था नीचे यथा–विनिर्दिष्ट निर्धारित न्यूनतम पोषण मानकों और आहार मानकों का कड़ाई से पालन करेगी।

क्र. सं.	आहार की वस्तुओं के नाम	प्रतिदिन प्रति बालक मानक
1.	चावल / गेहूं / रागी / ज्वार	600 ग्राम, (16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग को 700 ग्राम) जिसमें कम से कम या तो गेहूं या रागी या ज्वार या चावल हो।
2.	दाल / राजमा / चना	120 ग्राम
3.	खाद्य तेल	25 ग्राम
4.	प्याज	25 ग्राम
5.	नामक	25 ग्राम
6.	हल्दी	05 ग्राम
7.	धनिया बीज चूर्ण	05 ग्राम
8.	अदरक	05 ग्राम
9.	लहसून	05 ग्राम
10.	इमली / आमचूर्ण	05 ग्राम
11.	दूध (नाश्ते में)	150 ग्राम
12.	सूखी मिर्च	05 ग्राम
13.	पत्तेदार सब्जियां	100 ग्राम

	पत्ता रहित	130 ग्राम
14.	दही या छाछ	100 ग्राम/मिली लीटर
15.	सप्ताह में एक बार चिकन/मांस/मछली या अंडा चार दिन	115 ग्राम
16.	गुड़ और मूंगफली अथवा पनीर (केवल शाकाहारी को)	सप्ताह में एक बार प्रत्येक को 60 ग्राम (पनीर 100 ग्राम
17.	चीनी	40 ग्राम
18.	चाय/कॉफी	5 ग्राम
19.	सूजी/पोहा	150
20.	श्रागी	150 ग्राम
	50 बालकों के लिए निम्नलिखित मदें प्रतिदिन	
21.	काली मिर्च	25 ग्राम
22.	जीरा बीज	25 ग्राम
23.	काला चना दाल	50 ग्राम
24.	सरसों बीज	50 ग्राम
25.	अजवायन	50 ग्राम
	10 किलो चिकन (चिकन दिवस के लिए)	
26.	गरम मसाला	10 ग्राम
27.	कोपरा	150 ग्राम
28.	खसखस	150 ग्राम
29.	सरसो तेल/मुँगफली का तेल/रिफाइंड तेल	500 ग्राम
	बीमार बालकों हेतु	
30.	ब्रेड	500 ग्राम
31.	दूध	500 ग्राम
32.	खिचड़ी	300 ग्राम
	अन्य मदें	
33.	केवल कूकिंग हेतु एलपीजी गैस	

(2) बालकों को अवकाशों, त्योहारों, खेलकूद और सांस्कृतिक दिवस तथा राष्ट्रीय उत्सव समारोह पर विशेष भोजन कराया जाएगा।

(3) शिशुओं और बीमार बालकों को उनकी आहारीय अपेक्षा पर चिकित्सक की सलाहानुसार विशेष आहार प्रदान किया जाएगा।

(4) लौह और फॉलिक एसिड संपूरकों की आवश्यकता सहित प्रत्येक बालकी जरूरत को ध्यान में रखा जाएगा।

(5) दिन के लिए व्यंजन की सूची बाल समिति के परामर्श से तैयार की जाएगी तथा भोजन कक्ष में प्रदर्शित की जाएगी।

(6) आहार में भिन्नता मौसमी तथा क्षेत्रीय भिन्नताओं के अनुसार हो सकती है, सुझायी गई आहार किस्में नीचे दी गई हैं :

(i) तूर (अरहर), मूंग (हरा चना) ऊरद, मसूर तथा चना (काबुली चना) और मिश्रित दाल (अरहर, मूँग, मसूर, उरद) की किस्में वैकल्पिक रूप से दी जाए;

(ii) गैर–शाकाहारी दिवसों पर शाकाहारी बालकों को या तो 80 ग्राम गुड और लड्डू के आकार में प्रति व्यक्ति 60 ग्राम मूंगफली का प्रत्येक अन्य स्वीट डिश या 100 ग्राम पनीर की सब्जी दी जाएगी;

(iii) मेथी (फेनूग्रीक), पालक (स्पींच), सरसों (सरसों की पत्तियां), बथुआ, लाल साग अथवा कोई अन्य साग आदि जैसी पत्तेदार सब्जियां भी सप्ताह में एक बार दी जा सकती है। यदि किसी संस्था से कोई किचन गार्डन संबद्ध है तो पत्तेदार सब्जियां उगाई तथा दी जानी चाहिए तथा अधीक्षक को सब्जियों की विभिन्न किस्में देने की कोशिश करनी चाहिए तथा यह कोशिश करनी चाहिए कि ये सब्जियां कम से कम एक सप्ताह में दोहरायी नहीं जाए;

(iv) मौसमी फल पर्याप्त मात्राओं में गैर–दोहराव तरीके से प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाएगे;

(v) प्रभारी व्यक्ति व्यक्तिगत मामलों में जब उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए अथवा संस्था के चिकित्सक की सलाह पर इस शर्त्त के अध्यधीन कि निर्धारित मानक अधिक नहीं है। आहार के मानदंड में अस्थायी विकल्प बना सकता है।

(7) भोजन का समय तथा सूची :

(i) नाश्ता – 7.30 बजे (पूर्वाह्न) से 8.30 बजे पूर्वाह्न

(क) दही–चूड़ा

(ख) करी/सब्जी/दाल/सांभर/छोला

(ग) भरवा पराठा/पूरी–सब्जी

(घ) इडली/वड़ा साँभर के साथ

(ड.) उपमा, गेहूं अथवा रागी से बनी चपातियां या अन्य कोई आहार;

च) गोंगुरा या ताजा करी पत्ता या ताजा धनिया या नारियल की चटनी तथा पुतनादाल आदि, दाल या सब्जी एक डिश के रूप में दी जा सकती;

(छ) दूध;

(ज) पर्याप्त मात्रा में कोई मौसमी फल

(ii) दोपहर का भोजन 12.30 बजे से 1.30 बजे अपराह्न तथा रात्रि का भोजन–7.00 अपराह्न–8.00 अपराह्न

(क) चावल या चपातियां या दोनों का संयोजन;

(ख) सब्जी करी;

(ग) सांभर या दाल;

(घ) छाछ या दही

(8) अन्य

(i) मौसम पर निर्भर करते हुए, प्रभारी व्यक्ति को खाद्य के वितरण के समय में परिवर्तन करने का विवेकाधिकार होगा;

(ii) संस्था के चिकित्सक की सलाह पर या प्रभारी व्यक्ति के विवेकाधिकार पर, प्रत्येक रोगी बाल जिसे नियमित भोजन लेने से मना किया जाता है, उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए, रोगी बालक के लिए मानदंड अनुसार चिकित्सा आहार जारी किया जा सकता है;

(iii) दूध, अंडे, चीनी तथा फलों जैसे पोषण का अतिरिक्त आहार नियमित आहार के अलावा संस्था के चिकित्सक की सलाह पर जारी किया जाएगा। वजन बढ़ाने अथवा अन्य स्वास्थ्य कारणों के लिए तथा दैनिक राशन की परिगणना के प्रयोजनार्थ बीमार बालकों दिन में दिए जाने वाले निर्धारित आहार से बाहर रखा जाएगा।

(iv) राष्ट्रीय त्योहारों तथा त्योहारों के अवसर पर समय–समय पर बाल देख–रेख संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा निर्धारित दर पर बाल देख–रेख संस्था में बालकों विशेष दोपहर का भोजन अथवा रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जाए, जिसके अंतर्गत:

(क) गणतंत्र दिवस (26 जनवरी);
(ख) स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त);
(ग) महात्मा गांधी जन्मदिवस (2 अक्टूबर);
(घ) बाल दिवस (14 नवम्बर)
(ड) राष्ट्रीय त्योहार;
(च) स्थानीय त्योहार;
(छ) बाल देख–रेख संस्था का वार्षिक दिवस भी है।

34. **चिकित्सा देखभाल।**– (1) सभी बाल देख–रेख संस्थाओं में, एक चिकित्सा अधिकारी बालक की नियमित चिकित्सा जाँच और उपचार हेतु जब कभी आवश्यक होगा कॉल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) सभी बाल देख–रेख संस्थाओं में नर्स या परा–चिकित्सीय 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) प्रत्येक बाल देख–रेख संस्था:

(i) प्रवेश के 24 घंटों के भीतर या विशेष मामलों में या चिकित्सा आपातकाल के दौरान, तुरंत, चिकित्सा अधिकारी द्वारा संस्था में दाखिल प्रत्येक बालक की चिकित्सा जाँच की व्यवस्था करेगी;

(ii) तबादले से पूर्व 24 घंटों के भीतर तबादले के समय चिकित्सा अधिकारी द्वारा बालक की चिकित्सा जाँच की व्यवस्था करेगी;

(iii) मासिक चिकित्सीय जाँच के आधार पर प्रत्येक बालक का स्वास्थ्य कार्ड सहित चिकित्सा अभिलेख रखेगी तथा आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान करेगी;

(iv) यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सा अभिलेखा में वजन और लंबाई का अभिलेख, बीमारी और उपचार तथा अन्य शारीरिक अथवा मानसिक समस्याओं का अभिलेख शामिल हो;

(v) दाँतों की जाँच, आँखों की जाँच तथा त्वचा समस्याओं के लिए स्क्रीनिंग तथा बालकों के उपचार सहित त्रैमासिक चिकित्सा जाँच की सुविधाएँ रखेगी;

(vi) प्राथमिक उपचार किट रखने के लिए प्रत्येक संस्था तथा समस्त स्टाफ को प्राथमिक उपचार करने में प्रशिक्षित किया जाएगा;

(vii) बालकों के प्रतिरक्षण टीकाकरण के लिए आवश्यक प्रबंध करेगी;

(viii) सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोगों के प्रकोप के मामले में निवारक उपाय करेगी;

(ix) बीमार बालकों को स्थिर चिकित्सा पर्यवेक्षक के अधीन रखेगी;

(x) बालक के माता–पिता या संरक्षक की पूर्व सहमति के बिना शल्य चिकित्सा तब तक नहीं करेगी जब तक माता–पिता को ढूंढ पाना कठिन हो तथा चिकित्सा अधिकारी की राय में किसी बालक की स्थिति ऐसी है कि उसकी शल्य चिकित्सा में विलंब होने से बालक को अनावश्यक पीड़ा, उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुँचने की संभावना हो या संस्था के प्रभारी अधिकारी की इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना उसका शल्य उपचार नहीं करेगी;

(xi) संस्था प्रत्येक बालक को नियमित परामर्श प्रदान करेगी या इसका प्रबंध करेगी या ऐसी सेवाएँ, जिसके अंतर्गत संस्था के परिसर में परामर्श सत्रों के लिए पृथक कमरे भी हैं, विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों की सुनिश्चित करेगी;

(xii) ऐसे बालक को, जिन्हें विशेष नशीले पदार्थों का सेवन छुड़ाने तथा पुनर्वास कार्यक्रम की जरूरत है, को अर्हत्ता प्राप्त कार्मिकों द्वारा चलाए जा रहे उपयुक्त केंद्रों में भेजेगी, जहाँ इन कार्यक्रमों में संबंधित बालक की आयु, लिंग तथा अन्य विनिर्देशों को अपनाया जाएगा।

(4) पूर्ण रक्त गणना (सीबीसी), यूरीन रूटीन, एचआईबी, वीडीआरएल, हेपेटाइटस बी तथा हेपेटाइटस सी जाँचें तथा एलर्जी या नशीले पदार्थों की लत का आधारभूत अन्वेषण बालक की जाँच करने के बाद चिकित्सक के सुझाव अनुसार संस्था में प्रवेश के समय सभी बालकों के लिए आयोजित किया जाएगा।

(5) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के आदेशानुसार यदि अपेक्षित होगी तो गर्भावस्था या यौनिक अपराधों के पीड़ितों की बीमारियों की जाँच ऐसे मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, यदि आवश्यक हुआ तो गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन को सुसाध्य बनाएगी।

(6) जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर आनुवांशिक समस्याओं, प्रतिरक्षण–समझौता बीमारियों, शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं जैसी विशेष समस्याओं के निदान किए गए बालकों हेतु व्यवस्था करेगी। विशेष इकाई संस्थान के भीतर स्थापित विशेष इकाइयों में या विशेष देख–रेख की आवश्यकता वाले बच्चे के गृहों अथवा अस्पतालों में रखे जाएंगे तथा आवश्यक चिकित्सीय/मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक सहायता या उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) कौमार्यता प्राप्त कर चुकी सभी बालिकाओं में लौह की कमी का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मूल्यांकन किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो आहार आवश्यक आहारीय योजना तथा दवाएं, विशेषज्ञ तथा नियुक्त चिकित्सक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(8) प्रत्येक बालक की मानसिक–सामाजिक रूपरेखा का बाल देख–रेख संस्था द्वारा रखरखाव किया जाएगा तथा इसे प्रत्येक मास अद्यतन किया जाएगा। जब आवश्यक होगा विशेष प्रेक्षणों

का अभिलेख रखा जाएगा। संस्था का प्रभारी व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि की गई अनुशंसाओं का विधिवत अनुपालन हो।

35. **मानसिक स्वास्थ्य।**– (1) किसी संस्था में माहौल शोषण से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि बाल अपनी परिस्थितियों का सामना कर सकें तथा वे फिर से आत्मविश्वास प्राप्त कर सके।

(2) किसी संस्था में बालकों की देख–रेख में लगे सभी व्यक्ति वातावरण को अनुकूल बनाने में भाग लेंगे तथा चिकित्सकों के साथ सहयोग करेंगे।

(3) दोनों प्रकार के परिवेश आधारित अंतःक्षेप, जो बालकों के लिए समर्थ परिवेश और व्यक्तिगत चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं प्रत्येक बालक के लिए जरूरी है तथा इसे सभी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पष्टीकरणः– इस उपनियम के प्रयोजन के लिए परिवेश आधारित अंतःक्षेप पुनः निरोग होने की एक प्रक्रिया है जो किसी संस्था में संस्कृति और परिवेश को समर्थ बनाने के लिए प्रारंभ होती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रत्येक बालक की योग्यताओं का पता लगाया जाता है और उनके पास चुनाव करने और अपनी जिंदगी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है और इस प्रकार, वे विश्वास करते हैं तथा अपने नकारात्मक अनुभवों के परे अपना विकास और पहचान स्थापित करते हैं और ऐसे अंतःक्षेप का बालक पर महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रभाव होता है।

(4) व्यक्तिगत चिकित्सा एक विशेषीकृत प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संस्था इसके लिए महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य अंतःक्षेप की व्यवस्था करेगी।

(5) प्रत्येक संस्था बालक के मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा बालक के लिए विशेषीकृत और नियमित व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए, जो बाल मार्गदर्शन केंद्रों, मनोविज्ञान और मनः चिकित्सा विभागों जैसे बाह्य अभिकरणों अथवा इस तरह के सरकारी और गैर–सरकारी अभिकरणों से भी प्राप्त की जा सकती है।

(6) प्रत्येक मामले की फाइल में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुसंशाओं को रखा जाएगा तथा इसे प्रत्येक बालक के लिए देख–रेख योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

(7) किसी भी बालक के प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तथा रोग निदान किए बिना मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा नहीं दी जाएगी।

(8) केवल प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मचारिवृंद द्वारा बालकों को दवाएं दी जाएगी तथा न कि गृह के अन्य किसी स्टाफ द्वारा।

36. **शिक्षा।**– (1) प्रत्येक संस्था सभी बालकों को उनकी आयु या सामर्थ्य के अनुसार बालकों के लिए उचित सुरक्षा नियोजन और सेवा आवश्यकतानुसार, संस्था के भीतर या बाहर शिक्षा प्रदान करेगी।

(2) शैक्षणिक अवसर, जिनमें विद्यालय, ब्रिज विद्यालय, मुक्त विद्यालय, अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षण केन्द्र तथा जहाँ आवश्यकता हो, विशेष शिक्षाविदों से शिक्षा शामिल है, उपलब्ध कराए जाएंगे।

(3) जहाँ कहीं आवश्यक हो, संस्थाओं के विद्यालय जाने वाले बालकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण सेवा प्रदान की जाएगी। यह सेवा स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करके अथवा प्रशिक्षण केंद्रों से संपर्क करके प्रदान की जाएगी।

(4) विशेषीकृत प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों को शारीरिक अथवा मानसिक विशेष जरूरतों वाले बालकों की शैक्षणिक जरूरतों की पूर्ति करने हेतु नियुक्त किया जाएगा। व्यक्तिगत देख–रेख योजना में सीखने की विकृति की पहचान की जाएगी।

(5) शिक्षा कार्यक्रम और बालकों की उपस्थिति की विनियामकता सुनिश्चित की जाएगी।

(6) बालकों को छात्रवृत्ति, अनुदान और स्कीमें तथा प्रायोजकता प्राप्त करने में समर्थ होना चाहिए।

37. **व्यावसायिक प्रशिक्षण।**– (1) प्रत्येक बाल देख–रेख संस्था बालकों को बाल देखरेख संस्था के भीतर अथवा बाहर उनकी आयु, प्रकृति, अभिरूचि और योग्यता के अनुसार लाभदायक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण में व्यावसायिक चिकित्सा, कौशल और अभिरूचि आधारित प्रशिक्षण शामिल होगा, जिसका उद्देश्य पाठयक्रम के समापन पर उपयुक्त प्लेसमेंट करना है। व्यावसायिक प्रशक्षिण प्रदान करने वाले वरीय रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था पाठयक्रम के समापन पर एक प्रमाणपत्र देंगे।

(3) जहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण वाली देख–रेख संस्था के परिसर से बाहर देने की पेशकश की जाती है, वहां बालकों, विशेषकर उन बालकों को, जो जोखिम में है, उचित सुरक्षा आयोजना और सेवाओं के साथ ऐसे कार्यक्रमों हेतु मार्गरक्षण किया जाएगा।

(4) कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बालकों का अभिलेख रखा जाएगा तथा प्रत्येक बाल द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस संबंध में रिपोर्ट, तिमाही तथा मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

38. **मनोरंजन सुविधाएँ।**– (1) मनोरंजन सुविधाओं में इंडोर खेल और आउटडोर खेल, योग तथा ध्यान लगाना, संगीत, टेलीविजन, पिकनिक और बाहर ले जाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बागबानी और पुस्तकालय आदि शामिल किए जाएं।

(2) आउटडोर खेल–कूदों और खेलों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) पिकनिक और बाहर घूमने जाने में शिक्षा मेला अथवा विज्ञान मेल, संग्रहालय, तारामंडल, वनस्पति बगीचा, जीवजन्तु बगीचा आदि शामिल किए जाएं।

(4) त्योहारों पर अथवा राष्ट्रीय उत्सवों पर प्रतिभा दिखाने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम या खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

(5) पुस्तकालय में बाल अनुकूल वातावरण रखा जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकें, अखबार, बालकों की पत्रिकाएं, पहेली पुस्तकें, तस्वीर पुस्तकें, ब्रेल लिपि में पुस्तकें, ऑडियो और वीडियो उपकरण आदि होंगे।

(6) बालकों को एक माली या अन्य व्यक्ति द्वारा दी जा रही तकनीकी जानकारी के साथ बागबानी के लिए गृह में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) प्रत्येक बालक को स्वस्थ करने वाली प्रक्रिया में वृद्धि करने के लिए मनोरंजन कार्यकलापों की सूची में संगीत, नृत्य और कला चिकित्सा को सम्मिलित किया जा सकता है।

(8) कार्यकलापों की नियमितता को, यदि आवश्यक हो तो संस्थाओं और गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से बनाए रखा जाएगा तथा यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय को तिमाही एवं/या मासिक आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

39. **प्रबंधन समिति।**– (1) प्रत्येक बाल देख–रेख संस्था में संस्था के प्रबंधन के लिए तथा प्रत्येक बालक की प्रगति के मॉनीटरी करने के लिए एक प्रबंधन समिति होगी।

(2) व्यक्तिगत देख–रेख योजनाओं के अनुसार उचित देख–रेख और उपचार सुनिश्चित करने के संबंध में, बालकों का, उनकी आयु, अपराध की प्रकृति अथवा अपेक्षित देख–रेख की प्रकार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा देख–रेख में रहने की अवधि के आधार पर समूह बनाया जाएगा।

(3) प्रबंधन समिति में निम्नानुसार शामिल होंगे:–

(i)	सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई	– अध्यक्ष;
(ii)	भार साधक व्यक्ति	– सदस्य सचिव;
(iii)	परिवीक्षा अधिकारी अथवा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्ता	–सदस्य;
(iv)	चिकित्सा अधिकारी	–सदस्य;
(v)	मनोचिकित्सक अथवा परामर्शदाता	–सदस्य;
(vi)	कार्यशाला पर्यवेक्षक अथवा व्यावसायिक अनुदेशक	–सदस्य;
(vii)	अध्यापक	–सदस्य;
(viii)	बोर्ड अथवा समिति के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य	–सदस्य;
(ix)	प्रत्येक बाल समिति में दो बाल प्रतिनिधि	–सदस्य;
(x)	अध्यक्ष की सहमति से कोई अन्य विशेष आमंत्रित व्यक्ति।	

(4) प्रबंधन समिति की, निम्नलिखित पर विचार–विमर्श करने तथा समीक्षा के लिए प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक होगी:

(i) संस्था में देखभाल, आवास, कार्यकलाप के क्षेत्र तथा पर्यवेक्षण के प्रकार अर्थात् अपेक्षित अंतःक्षेप;

(ii) चिकित्सा सुविधाओं और उपचार;

(iii) भोजन, पानी, स्वच्छता और साफ–सफाई की स्थितियां;

(iv) मानसिक स्वास्थ्य अंतःक्षेप;

(v) बालकों की अलग–अलग समस्याओं तथा संस्थागत समायोजन;

(vi) व्यक्तिगत देख–रेख योजनाओं की तिमाही समीक्षा;

(vii) विधायी सहायता सेवाओं का प्रावधान;

(viii) रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और अवसर;

(ix) शिक्षा और जीवन कौशल विकास कार्यक्रम;

(x) सामाजिक समायोजन, मनोरंजन, समूह कार्य कार्यकलापों, मार्गदर्शन और परामर्श देना;

(xi) बालकों की जरूरतों के लिए आवासीय कार्यक्रमों की प्रगति, समायोजन और रूपांतरण;

(xii) पश्च देख–रेख सेवाओं के सहयोग से दो वर्षों की अवधि में, निर्मुक्ति पश्चात् अथवा पुनर्स्थापन के पश्चात् पुनर्वास कार्यक्रम की योजना तथा यथास्थिति अनुवर्ती कार्रवाई;

(xiii) निर्मुक्ति पूर्व अथवा पुनर्स्थापन पूर्व तैयारी;

(xiv) निर्मुक्ति अथवा पुनर्स्थापन

(xv) निर्मुक्ति पश्चात् अथवा पुनर्स्थापन के पश्चात् अनुवर्ती कार्रवाई;

(xvi) उपलब्ध अवसंरचना और सेवाओं सहित देख–रेख के न्यूनतम मानक;

(xvii) दैनिक दिनचर्या;

(xviii) शिक्षा, व्यावसायिक क्रियाकलापों, मनोरंजन और अभिरूचि जैसी बालक के आवासीय जीवन में सामुदायिक भागीदारी तथा स्वैच्छिक प्रतिभागिता;

(xix) इस अधिनियम और नियमों के अधीन विधिवत हस्ताक्षरित या मोहरयुक्त यथापेक्षित सभी रजिस्टरों को संस्था द्वारा रखरखाव करना, तथा मासिक समीक्षा बैठकों में रजिस्टरों की जाँच करना तथा सत्यापित करना;

(xx) बालकों की समितियों से संबंधित मामले; और

(xxi) अन्य कोई विषय जिसे भारसाधक व्यक्ति उठाना चाहे।

(5) प्रबंधन समिति प्रत्येक संस्था में एक शिकायत और निवारण तंत्र की स्थापना करेगी तथा कार्यालय सेट–अप से पृथक बालकों की सुगमता से पहुँच वाले स्थान पर तथा बालकों के आवास अथवा कमरों अथवा शयन कक्ष के नजदीक प्रत्येक संस्था में बालकों के लिए सुझाव पेटिका लगाई जाएगी।

(6) बालकों की सुझाव पेटिका की चाबी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अभिरक्षा में रहेगी तथा बाल समितियों के सदस्यों की उपस्थिति में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह इसकी जाँच की जाएगी।

(7) यदि कोई समस्या अथवा सुझाव हो, जिस पर तुरंत ध्यान देना अपेक्षित हो, तो प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, इस पर विचार–विमर्श करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधन समिति की आपात बैठक बुला सकता है।

(8) आपातकालीन बैठकें करने का कोरम बाल समितियों के दो सदस्य, यथास्थिति, प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, बोर्ड या समिति का सदस्य तथा बाल देख–रेख संस्था का भारसाधक व्यक्ति सहित पाँच सदस्य होंगे।

(9) संस्था के भारसाधक व्यक्ति के विरूद्ध गंभीर आरोप अथवा शिकायत के मामले में, वह आपातकालीन बैठक का हिस्सा नहीं होगा तथा प्रबंधन समिति का अन्य उपलब्ध सदस्य, उसके स्थान पर बैठक में सम्मिलित किया जाएगा।

(10) सुझाव पेटिका के माध्यम से प्राप्त सभी सुझाव तथा आपातकालीन बैठक में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई अथवा की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों में विचार–विमर्श तथा पुनर्विलोकन के लिए रखी जाएगी।

(11) प्रत्येक संस्था जहाँ प्रबंधन समिति द्वारा शिकायत तथा की गई कार्रवाई विधिवत अभिलेख की जाती है तथा ऐसी कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई प्रबंधन समिति की प्रत्येक मासिक बैठक के उपरांत बाल समितियों को सम्प्रेषित की जाएगी।

(12) बोर्ड अथवा समिति मास में कम से कम एक बार बालकों की सुझाव पेटिका की पुनर्विलोकन करेगी।

(13) शिकायत पेटिका समिति के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुलभ कराई जाएगी।

40. **बाल समिति।**– (1) बालकों के लिए प्रत्येक संस्था के प्रभारी व्यक्ति बालकों के 7 से 11, 12 से 15 वर्ष तथा 16 से 18 वर्ष के विभिन्न आयु वर्गों हेतु बाल समितियों की स्थापना को सुकर कराएंगे तथा यह बाल समितियां केवल बालकों के लिए गठित की जाएंगी।

(2) ऐसी बाल समितियां को निम्नलिखित कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा:

(i) संस्था की स्थिति का सुधार;
(ii) अनुपालन की जा रही देख–रेख के मानकों की समीक्षा करना;
(iii) दैनिक दिनचर्या तथा आहार मापदंड तैयार करना;
(iv) शैक्षणिक, व्यावसायिक और मनोरंजन योजनाओं का विकास करना;
(v) प्रबंधन संकट में परस्पर सम्मान करना तथा परस्पर सहायता करना;
(vi) समकक्षों और बड़े बच्चों द्वारा छोटे बालकों का शोषण एवं डराने–धमकाने के मामले में देख–रेख कर्ताओं द्वारा शोषण की रिपोर्ट करना;
(vii) बाल पेपरों अथवा न्यूजलेटरों अथवा पेंटिंग, अथवा संगीत अथवा थियेटर के माध्यम से उनके विचारों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति;
(viii) प्रबंधन समिति के माध्यम से संस्था का प्रबंधन।

(3) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि प्रतिमास बाल समिति की बैठक की जाए तथा उनके कार्यकलापों और कार्यवाहियों के अभिलिखित करने के लिए एक रजिस्टर का रखरखाव करेगा और इसे मासिक बैठकों में प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(4) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि बाल समितियों को अनिवार्य सहायता तथा सामग्रियां, जिनमें लेखन सामग्री, स्थान तथा कारगर कार्यकरण के लिए मार्गदर्शन शामिल है, उपलब्ध कराई जाती है।

(5) भारसाधक व्यक्ति जहाँ तक व्यवहार्य होगा, बाल समितियों की स्थापना करने तथा कार्यकरण हेतु बाल प्रतिभागिता विशेषज्ञों अथवा स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों से सहायता माँग सकता है।

(6) स्थानीय स्वैच्छिक संगठन अथवा बाल प्रतिभागिता विशेषज्ञ निम्नलिखित में बाल समितियों की सहायता मांगेंगे:

(i) चुनावों को आयोजित करने के लिए आयोजित किए जाने की प्रक्रिया की युक्ति निकालने में तथा उनके नेताओं को चुनना;

(ii) चुनावों और मासिक बैठकों का आयोजन करना;

(iii) बाल समितियों के कार्यकरण हेतु नियम बनाना तथा इनका पालन करना;

(iv) अभिलेखों और बाल सुझाव पुस्तिका तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेज का रखरखाव करना; और

(v) कोई अन्य अभिनव कार्यकलाप।

(7) प्रबंधन समिति बाल समितियों की स्थापना तथा कार्यकरण पर भारसाधक व्यक्ति से रिपोर्ट मांगेगा, अपनी मासिक बैठकों में इन रिपोर्टों की समीक्षा करेगी तथा आवश्यक कार्रवाई करेगा अथवा इन्हें बोर्ड या समिति के समक्ष रखेगा, जहाँ कहीं आवश्यक हो।

41. **निरीक्षण.**– (1) राज्य सरकार, राज्य और जिला स्तर पर निरीक्षण समिति का गठन करेगी।

(2) राज्य निरीक्षण समिति में अधिकतम राज्य सरकार से सात सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला होगी अर्थात्: बोर्ड या समिति, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य दत्तग्रहण संसाधन अभिकरण, चिकित्सा और अन्य विशेषज्ञ, स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि तथा प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होंगें। सदस्य सचिव, राज्य बाल संरक्षण समिति में राज्य निरीक्षण समिति का अध्यक्ष होगा।

(3) राज्य निरीक्षण समिति राज्य में बाल आवासन के संबंध में अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (21) के अधीन यथापरिभाषित बाल देख–रेख संस्थाओं का प्ररूप 46 में निरीक्षण करेगी।

(4) राज्य निरीक्षण समिति यह तय करने के लिए कि संस्था देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के हाउसिंग के लिए है, संस्था में रहने वाले बालकों का यादृच्छिक निरीक्षण करेगी।

(5) राज्य निरीक्षण समिति अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए विभाग के सचिव को रिपोर्ट भेजेगी।

(6) राज्य निरीक्षण समिति, अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार संस्थाओं के सुधार और विकास के लिए अनुशंसाएं करेगी तथा इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।

(7) राज्य निरीक्षण समिति अपने बालकों को कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगा।

(8) जिला निरीक्षण समिति निम्नलिखित आठ सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें कम से कम एक महिला होगी:

(i) जिला पदाधिकारी —अध्यक्ष
(ii) सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई —सदस्य सचिव
(iii) बोर्ड या समिति के सदस्य —सदस्य
(iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी —सदस्य
(v) जिला कार्यक्रम अधिकारी (शिक्षा विभाग) —सदस्य
(vi) विशेष किशोर पुलिस इकाई का एक प्रतिनिधि —सदस्य
(vii) अध्यक्ष द्वारा नामित बाल अधिकार, देखभाल, संरक्षण एवं कल्याण में कार्यरत नागरिक समाज का एक सदस्य —सदस्य
(viii) अध्यक्ष द्वारा नामित एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिसे बालकों के साथ कार्य करने का अनुभव हो। —सदस्य

(9) जिला निरीक्षण समिति प्ररूप 46 में सभी बाल देख–रेख संस्थाओं का निरीक्षण करेगी।

(10) जिले में आवास सुविधाओं का निरीक्षण प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार किया जाएगा।

(11) जिला निरीक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य सरकार को निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बाल देख–रेख संस्थाओं में सुधार और विकास हेतु सुझाव भी देगी।

(12) जिला निरीक्षण समिति संस्था में अपने दौरे में बालकों का कल्याण सुनिश्चित करने तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उनसे बातचीत करेगी।

(13) जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन पर आवश्यक अनुसरण कर कार्रवाई करेगी तथा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी तथा राज्य सरकार को भेजेगी।

(14) राज्य एवं जिला निरीक्षण समिति के सदस्य बाल देख–रेख संस्थाओं के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा बनाये बाल संरक्षण नीति का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे।

(15) इस समिति में नागरिक समाज के प्रतिनिधि का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों के लिए होगा।

42. **मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।**– (1) प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों के सामाजिक कार्य के स्कूल, प्रबंधन संस्थाओं, विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ गठित बहु–अनुशासनात्मक समिति आदि जैसी संस्थाओं तथा अभिकरणों के माध्यम से तीन वर्ष में एक बार केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाईयों, रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं, अथवा मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधाओं तथा व्यक्तियों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन करेगी जो कि अधिनियमों या नियमों के अंतर्गत संचालित संस्थाओं/अभिकरणों के कार्य प्रगति का मूल्यांकन करेगी। समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित की जाएगी।

(i)	मुख्य सचिव	–अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण	–सदस्य सचिव
(iii)	अध्यक्ष, चयन समिति	– सदस्य
(iv)	प्रधान सचिव/सचिव– (गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, श्रम, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, पि0वर्ग एवं अ0पि0वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, वित्त एवं भवन निर्माण विभाग)	–सदस्य
(v)	प्रधान सचिव/सचिव– समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित किये गए बाल विकास संरक्षण, कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं से दो सदस्य नामित किये गये हों।	–सदस्य
(vi)	राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि	–सदस्य

(3) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी जो निम्नलिखित कार्यों को करेगी।

(i) अधिनियम तथा इन नियमों के अंतर्गत स्थापित सेवा प्रदाता तंत्र जिसके अंतर्गत निषेधात्मक उपाय तथा संरचनाएँ भी शामिल हैं, उनके कार्यों की समीक्षा करना;

(ii) अंतर विभागीय एवं अंतर जिला समन्वय को दृढ़ता प्रदान करना; और

(iii) बालकों के संरक्षण हेतु नीति, नियोजन एवं संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कोई भी विषय जिसे आवश्यक समझा जाय।

(4) उक्त उप–नियम (1) के अनुसार मूल्यांकन के निष्कर्ष विभिन्न संरचनाओं के कामकाज को सुदृढ करने तथा सुधार करने के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच साझा किए जाएंगे।

अध्याय–7
दत्तकग्रहण

43. **दत्तकग्रहण संबंधित रिपोर्ट करना।**– (1) बाल कल्याण समिति, दत्तक विनियमनों में उपलब्ध प्ररूपों में ऑनलाइन प्राधिकरण के निर्णय हेतु लंबित मामलों तथा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित बालकों से संबंधित आँकड़े भेजेगी तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयों की सहायता से राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण को भी ये आँकड़े उपलब्ध कराएगी।

44. **बालक जो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए जाने के बाद दत्तक ग्रहण नहीं किए गए हैं, पोषण देख–रेख के लिए पात्र होंगे।**– (1) बालकों के निम्नलिखित प्रवर्गों का निम्नलिखित परिस्थितियों में पोषण देख–रेख के लिए विचार किया जाएगा:

643

(i) दत्तक ग्रहण हेतु समिति द्वारा विधिक रूप से मुक्त किए जा रहे 0–6 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों तथा उन बालकों जिन्हें दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है, को जहाँ तक संभव होगा, पोषण देख–रेख के लिए रखने पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे बालकों को दत्तक ग्रहण विनियमनों के अनुसार दत्तक ग्रहण के माध्यम से एक स्थायी परिवार उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) यदि 6 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के दत्तक ग्रहण योग्य बालकों को दो वर्षों की अवधि में देश के भीतर या देश के बाहर दत्तक ग्रहण के लिए कोई परिवार नहीं मिलता है तो इसके बाद उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाता है, ऐसे बालक जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान की अनुशंसा पर समिति द्वारा यथास्थिति परिवार पोषण देख–रेख अथवा समूह पोषण देख–रेख, जैसा भी मामला हो, में रखे जाने के पात्र होंगे।

(iii) जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान की अनुशंसा पर समिति द्वारा 8 से 18 वर्षों की आयु वर्ग के बालकों को, जो विधिक रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त हैं, एक वर्ष की अवधि में जिनका किसी संबंधित दत्तकग्राही माता–पिता द्वारा चयन न किया गया हो, यथास्थिति परिवार पोषण देख–रेख अथवा समूह पोषण देख–रेख में रखे जाने के पात्र होंगे।

(iv) आयु को न देखते हुए विशेष आवश्यकताओं वाले बालक जिनको एक वर्ष के भीतर देश के भीतर अथवा विदेश में दत्तक ग्रहण के लिए कोई परिवार नहीं मिलता है, बाद में उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त किया जाता है, ऐसे बालक जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान की अनुशंसा पर समिति द्वारा परिवार पोषण देख–रेख अथवा समूह पोषण देख–रेख में रखे के पात्र होंगे, बशर्ते परिवार पोषण देख–रेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट उनकी उपयुक्तता में सहायता करे तथा ऐसे बालकों की देख–रेख की सुविधाएँ हों।

(v) जहाँ बालक समिति के आदेश के द्वारा, जैसा कि नियम 44 के उप–नियम (1) के खण्ड (i) (iii) और (iv) में वर्णित परिस्थितियों के आधार पर, दत्तक ग्रहण पूर्व पोषण देख–रेख के स्थान पर न्यूनतम पाँच वर्षों तक किसी परिवार पोषण देख–रेख में रहा हो, पोषण देख–रेख करने वाला परिवार दत्तक ग्रहण के लिए आवेदन कर सकता है तथा उस बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित होने के बाद तथा बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण होने के बाद दत्तक ग्रहण विनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बालक को दत्तक ग्रहण करने में वरीयता दी जाएगी।

(2) राज्य सरकार अधिनियम एवं इन नियमों के अनुरूप बालकों के पोषण देख–रेख कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्वयं दिशा–निर्देश तैयार कर सकती है या इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश को ग्रहण कर सकती है।

45. **न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया।**– (1) संबंधित न्यायालय से दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया दत्तक ग्रहण विनियमन में उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) न्यायालय दत्तक ग्रहण आदेश के लिए आवेदन के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निर्धारित प्रक्रिया के लिए बाध्य नहीं होगी। किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा दत्तक ग्रहण विनियमन में यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

46. **आवेदनों के निपटारे की अवधि।**– (1) न्यायालय अधिनियम की धारा 61 की उप–धारा (2) में यथा प्रदत्त, आवेदन को भरने की तारीख से दो मास की अवधि में दत्तक ग्रहण आदेश देने हेतु आवेदन का निपटारा करेगा तथा जहाँ ऐसे मामलों में सामान्यतः क्षेत्राधिकार रखने वाले संबंधित न्यायालय का न्यायाधीश एक मास से अधिक अवधि तक उपलब्ध न हो, जब तक वहाँ ये आवेदन अन्य ज्येष्ठतम न्यायाधीश द्वारा निर्धारित समय–सीमा में निपटाए जाएँगे।

(2) बालक की पहचान को अनावृत्त करते हुए दत्तक ग्रहण संबंधी कोई सूचना अन्यथा न्यायालय आदेश को दत्तक ग्रहण विनियमन में नियत को छोड़कर निजी किसी पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाएगी।

47. **दत्तक बालक के संरक्षण के विशेष उपबंध।**– दत्तक बालक के साथ किए गए किसी अपराध के मामले से अन्य बालकों पर लागू विधि के अनुसार निपटा जाएगा।

48. **विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान से बाल देख–रेख संस्थाओं का संपर्क।**– दत्तक ग्रहण के प्रयोजनार्थ विशेषीकृत दत्तक ग्रहण संस्थान के साथ बाल देख–रेख संस्थाओं का संपर्क इस अधिनियम की धारा 66 के उपबंधों/प्रावधानों तथा दत्तक ग्रहण विनियमन द्वारा शासित किया जाएगा।

49. **प्राधिकरण के अतिरिक्त कृत्य।**– केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली के नियम 49 तथा दत्तकग्रहण को अभिशासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत में जैसा विहित हो।

50. **प्राधिकरण की संचालन समिति के सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें।**– केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली के नियम 50 तथा दत्तकग्रहण को अभिशासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत में जैसा विहित हो।

51. **प्राधिकरण की संचालन समितिके कार्य का लेन देन।**– केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली के नियम 51 तथा दत्तकग्रहण को अभिशासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत में जैसा विहित हो।

52. **प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट।**– केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली के नियम 52 तथा दत्तकग्रहण को अभिशासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत में जैसा विहित हो।

641

53. **प्राधिकरण का लेखा–जोखा तथा लेखापरीक्षा।**– केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली के नियम 53 तथा दत्तकग्रहण को अभिशासित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत में जैसा विहित हो।

अध्याय–8
बालकों के विरूद्ध अपराध

54. **बालकों के विरूद्ध अपराधों के मामले में प्रक्रिया।**– (1) किसी बालक के विरूद्ध अपराध की शिकायत बालक, परिवार, संरक्षक, बालक के मित्र अथवा अध्यापक, चाइल्डलाईन सेवा अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या संबंधित संगठन द्वारा की जा सकती है।

(2) किसी बालक के विरूद्ध संज्ञेय अपराध के संबंध में सूचना की प्राप्ति पर पुलिस तुरंत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (प्रा0सू0रि0) दर्ज करेगी।

(3) किसी बालक के विरूद्ध गैर–संज्ञेय अपराध की सूचना की प्राप्ति पर पुलिस को दैनिक बही में प्रविष्टि करेगी जिसे तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155 की उप–धारा (2) के अधीन सीधी उचित कार्रवाई करेगा।

(4) बालक के विरूद्ध अपराधों के सभी मामलों में, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।

(5) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध जो बाल देख–रेख संस्था जिसके अंतर्गत विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान भी शामिल हैं के द्वारा नियोजित कर्मी अथवा प्रबंधन से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा कारित होता है तो यथास्थिति समिति अथवा बोर्ड, बाल देख–रेख संस्था अथवा विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में पूर्व से रखे गए बालकों को किसी अन्य बाल देख–रेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में रखने तथा ऐसी संस्था अथवा संस्थान की मान्यता को हटाने तथा रजिस्ट्रीकरण को निरस्त करने की अनुशंसा करने के लिए उपयुक्त आदेश कर सकता है, यदि बाल देख–रेख संस्था या विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान का प्रबंधन यथास्थिति समिति या बोर्ड या न्यायालय या राज्य सरकार के आदेश का पालन या किसी जाँच में सहयोग नहीं करती है।

(6) जहाँ इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए प्र0सू0रि0 विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान सहित किसी बाल देख–रेख संस्था में कार्यरत व्यक्ति के विरूद्ध दर्ज की जाती है तो ऐसे किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान बालकों सहित प्रत्यक्ष रूप से काम से निकाला जाएगा और अपराध सिद्ध होने की दशा में सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

(7) जहाँ किसी व्यक्ति को इस अधिनियम और नियमों के अधीन सेवा से पदच्युत किया हो अथवा दोषी पाया गया हो उसे नियुक्ति से अयोग्य ठहराया जाएगा।

(8) किसी भी मामले में किसी बालक को पुलिस हवालात अथवा जेल में बंद नहीं किया जाएगा।

(9) बालक और उसके परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन पारा–विधिक स्वयंसेवक सुलभ कराए जाएँगे।

(10) भोजन, कपड़े, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, परामर्श, मनोचिकित्सक सहायता की जरूरतों के संबंध में बालक की तात्कालिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा तथा इन्हें पुलिस स्टेशन में बालक को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) जब कोई बालक यौनिक शोषण के अध्यधीन हो, बालक को नजदीक के यथास्थिति जिला अस्पताल अथवा वन–स्टॉप क्राइसिस सेंटर, यदि स्थानीय रूप में उपलब्ध हों, भेजा जा सकता है तथा बालकों का लैंगिक अपराधों के विरूद्ध संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन निर्गत नियमों एवं दिशा–निर्देश के अनुरूप बालकों को यथानिर्देशित सभी प्रकार के सहयोग एवं सहायता जिसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक और विधिक सहायता भी हैं, दी जाएगी।

(12) बालकों की प्रतीक्षा के लिए तथा अपना बयान और साक्षात्कार देने वाले बालकों के लिए पृथक स्थल की सुविधा सहित प्रत्येक न्यायालय परिसर में विशेष बाल कक्ष; पृथक प्रवेश, जहाँ संभव हो; जहाँ कहीं संभव हो बालकों से बातचीत के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग; पुस्तकों, खेलों आदि जैसे बालकों के मनोरंजन का प्रावधान किया जाए। पीड़ित बालकों की सुनवाई अथवा साक्ष्य के अलावा बयान और साक्षात्कार बालकक्ष में बाल अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से अभिलिखित किए जाएंगे।

(13) निम्नलिखित शर्तों को सुनिश्चित करते हुए पीड़ित व्यक्ति/साक्षी बालक का कथन अथवा साक्षात्कार लिया जाएगा:

(i) मजिस्ट्रेट बालक के कक्ष अथवा यदि संभव हो, गृह अथवा संस्था जहाँ वह रह रहा है बालक के आवास स्थल में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के अधीन बालक का कथन अभिलिखित करेगा।

(ii) बालक द्वार दिए गए अनुसार कथन अक्षरशः अभिलिखित किया जाएगा।

(iii) आपराधिक प्रक्रिया संहित, 1973 की धारा 164 की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार, ऑडियो–विडियो साधनों द्वारा भी कथन अभिलिखित किया जा सकता है।

(iv) माता–पिता अथवा संरक्षक या सामाजिक कार्यकर्ता अथवा परामर्शदाता या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बालक विश्वास करता हो बालक के साथ होंगे।

(14) विधिक सेवा प्राधिकरण सुनवाई पूर्व परामर्श देने बालक के कथन को अभिलिखित करने हेतु एक सहायक व्यक्ति अथवा पारा–विधिक स्वयंसेवक उपलब्ध करा सकता है तथा बालक के कथन को अभिलिखित करने के लिए बालक का साथ देने हेतु अग्रिम रूप में न्यायालय तथा न्यायालय परिवेश से बालक को परिचित कराएगा, तथा जहाँ बालक को न्यायालय आने के अनुभव से व्याकुल हुआ पाया जाता है तो सहायक व्यक्ति अथवा पारा–विधिक स्वयंसेवक अथवा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालक की ओर से दिए गए आवेदन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है।

(15) यदि पीड़ित बालक अथवा साक्षी जिले अथवा राज्य अथवा देश से संबंधित नहीं है, बालक का कथन अथवा साक्षात्कार अथवा अभिसाक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अभिलेख किया जा सकता है।

(16) जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव नहीं है, सभी आवश्यक आवास, बालक के लिए यात्रा व्यय तथा बालक का साथ देने के लिए संरक्षक या सहायक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा यथार्थ के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

(17) बालसाक्षी गवाहों के साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक न्यायालय परिसर में बालसाक्षियों के लिए पृथक कमरे अभिहित किए जाएँगे।

(18) जहाँ तक संभव होगा, बालक से संबंधित सुनवाई के दौरान, बाल अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

(i) माता–पिता अथवा सरक्षक (कों) हर समय (क्योंकि बालक के सर्वोत्तम हित में है) बालक के साथ रहेंगे। यदि उक्त व्यक्ति हितों की अनदेखी करता है, तो बालक की पसंद पर अन्य व्यक्ति अथवा उपयुक्त व्यक्ति अथवा अभिज्ञात उपयुक्त संस्था का प्रतिनिधि अथवा समिति अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त मनोचिकित्सक न्यायालय के अनुमोदन से हर समय बालक के साथ रहेगा।

(ii) जहाँ कहीं आवश्यक होगा बालक को मनोचिकित्सकीय परामर्श को उपलब्ध कराया जाएगा।

(iii) ऐसी स्थिति में जहाँ माता–पिता अथवा संरक्षक अपराध में लिप्त हैं अथवा जहाँ बालक ऐसे किसी स्थान पर रह रहा हो जहाँ बालक को और अधिक आघात लगने का जोखिम हो, तो इसे न्यायालय के ध्यान में लाया जाता है अथवा स्वयं अपने प्रस्ताव पर न्यायालय बालक को ऐसी अभिरक्षा अथवा देख–रेख से बाहर लाए जाने अथवा ऐसी स्थिति से निकालने के लिए निर्देश देगा तथा बालक को तुरंत समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iv) बालक के साथ अपराधों के संबंध में पीड़ित की आयु के निर्धारण हेतु, अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम की धारा 94 के अधीन बोर्ड तथा समिति हेतु अधिदेशित इन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

(v) उपयोग की गई भाषाओं से बालक को परिचित कराया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो अनुवादक तथा विशेष शिक्षा देने वाले उपलब्ध कराए जाएँगे।

(vi) बालक का बयान अभिलेख करने से पूर्व, न्यायलय सुनिश्चित करें कि बाल स्वैच्छिक बयान देने में समर्थ है।

(vii) एकमात्र, बालक की आयु के आधार पर सुनवाई में साक्ष्य के रूप में बालक के किसी बयान की उपेक्षा न की जाए।

(viii) बालक के साक्षात्कार में अनुमेय इमेज अथवा बयान बालक के मानसिक अथवा शारीरिक हित के प्रति नुकसानदायक नहीं होने चाहिए।

(ix) सक्षात्कार में अनुमेय प्रश्न, साक्षात्कार का समय बालक को भारस्वरूप न लगे तथा बालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयुक्त हो।

(x) छोटे बालकों अथवा अन्यत्र अक्षम बालक के मामले में, बातचीत के वैकल्पिक तौर तरीके तथा साक्ष्य संग्रहण जिसमें डाँट–डपट करना कम हो, अंगीकार किए जाने चाहिए।

(xi) न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर बालक दोषी के सम्मुख न आए।

(xii) गंवाए गए दिनों हेतु स्कूल से विशेष अनुमति तथा उपचारात्मक कक्षाओं के लिए प्रबंध स्कूल प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किए जाएं।

(19) बालक को, जैसा कि मामला हो, का प्रतिनिधित्वः

(i) उसकी पसंद के वकील, अथवा

(ii) पब्लिक प्रोसिक्युटर, अथवा

(iii) विधायी सेवा प्राधिकरण द्वारा तय किए गए, अथवा पैनल में रखे गए वकील द्वारा।

(20) न्यायालय के समस्त कार्मिकों तथा संबंधित अन्य में बालकों की विशेष जरूरतों तथा बाल अधिकारों पर संचेतना पैदा की जाए।

(21) सुनवाई की प्रक्रिया के उपरांत।

(i) बालक अथवा संरक्षक को न्यायिक कार्यवाही के निर्णय तथा इसके प्रस्ताव की सूचना दी जानी चाहिए।

(ii) बालक अथवा संरक्षक को उनके विधायी विकल्पों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

(22) अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध से संबंधित दण्ड के लिए इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा दण्ड जो किसी भी केन्द्र या विशेष स्थानीय कानूनों के तहत मात्रा में गुरुतर है, अधिनियम की धारा 88 के अनुरूप, अभिभावी होगा।

55. **अधिनियम की धारा 75 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया।**– (1) इस अधिनियम की धारा 75 तथा इस नियम के प्रयोजनार्थ, किसी बालक का विवाह करना बालक के साथ क्रूरता समझा जाएगा। विवाह किए जाने वाले बालक के जोखिम की सूचना की प्राप्ति पर, पुलिस अथवा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6) के अधीन कोई अधिकारी बालक को उपयुक्त निर्देशों तथा पुनर्वास उपायों के लिए समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

(2) जहाँ किसी बालक के साथ क्रूरता का कार्य किसी बाल देख–रेख संस्था, अथवा किसी स्कूल में अथवा बालक को रखे गए किसी देख–रेख और संरक्षण के किसी स्थान पर होता है तो बालक के सर्वोत्तम हित को समझते हुए बालक तथा अथवा माता–पिता अथवा संरक्षकों से परामर्श के उपरांत बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय बालक के लिए वैकल्पिक आय अथवा यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त वैकल्पिक पुनर्वास उपलब्ध कराएगा।

(3) तुरंत चिकित्सा अवधान की अपेक्षा बाल अधिनियम के अधीन आने वाले बालक को इस संबंध में बोर्ड अथवा समिति द्वारा दिए गए निर्देश पर किसी अस्पताल अथवा क्लीनिक अथवा सुविधा के अधीन निःशुल्क अपेक्षित चिकित्सा देख–रेख और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने में हुई विफलता जिसके कारण गंभीर चोट, अनिवर्त्य क्षति अथवा जीवन जाने की आशंका अथवा मृत्यु हुई हो बालक के प्रति जानबूझकर की गई लापरवाही समझा जाएगा तथा विस्तृत जाँच के बाद बोर्ड अथवा समिति के निर्देश पर अधिनियम की धारा 75 के अधीन क्रूरता के समतुल्य होगा।

56. **अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध की दशा में प्रक्रिया।**–(1) जब कभी कोई बाल मदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थों अथवा मनःप्रभावी पदार्थों अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में अथवा लत में, बिक्री की प्रयोजनार्थ सहित, पाया जाता हो तो पुलिस इस बात की जाँच करेगी कि बालक किस प्रकार से ऐसे मदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थों अथवा मनः प्रभावी पदार्थों अथवा तम्बाकू उत्पादों के प्रभाव में आया अथवा लत पड़ी तथा तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) वह बालक जिसको स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ का सेवन कराया गया अथवा इनके प्रभाव में आया पाया जाता है, उसे या तो बोर्ड या समिति, यथास्थिति, के सम्मुख

प्रस्तुत किया जाए तथा बोर्ड या समिति बालक के पुनर्वास तथा नशा मुक्ति हेतु उचित आदेश पारित करेगी।

(3) यदि कोई बालक मदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पादों का आदि पाया जाता है, बालक को समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा जो बालक की नशे की लत छुड़ाने और इस प्रयोजन के लिए, अभिज्ञात उपयुक्त सुविधा में बालक के स्थानांतरण सहित पुनर्वास के लिए निर्देश पारित करेगी।

(4) यदि कोई बालक मदान्ध करने वाली शराब अथवा स्वापक नशीले पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथवा तम्बाकू उत्पाद किसी बाल देख–रेख संस्था में लेते हुए पाया जाता है तो बालक को तुरंत बोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किया जाएगा। केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ बालक बोर्ड या समिति के सम्मुख पेश किए जाने की स्थिति में न हो तथा तुरंत चिकित्सा की जानी अपेक्षित हो।

(5) बोर्ड स्वयं या समिति से प्राप्त शिकायत पर तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश जारी करेगां

(6) बोर्ड अथवा समिति उन परिस्थितियाँ, जिनमें ऐसे उत्पाद बाल देख–रेख संस्था में प्रविष्ट हुए तथा बालक तक पहुँच के बारे में जाँच के उपयुक्त निर्देश भी जारी करेगी तथा चूक करने वाले पदाधिकरियों तथा बाल देख–रेख संस्थान के खिलाफ उचित कार्रवाई की अनुशंसा करेगी। ऐसी जाँच दिशा–निर्देश जारी होने के 15 दिवस के भीतर पूरी की जाएगी जैसा कि निर्देशित किया गया हो।

(7) यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति बालक को किसी दूसरी बाल देख–रेख संस्था में स्थानांनतरण, जैसा भी ममला हो, के लिए भी निर्देश जारी करेगी।

(8) मदान्ध करने वाली शराब, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को अपनी दुकान पर प्रमुख स्थान पर एक संदेश प्रदर्शित करना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब या तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक का सक्षम करावास तथा एक लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(9) सभी तम्बाकू उत्पाद और मदान्ध करने वाली शराब पर अवश्य ही संदेश प्रदर्शित होना चाहिए कि किसी बालक को मदान्ध करने वाली शराब अथवा तम्बाकू उत्पाद देना और बेचना एक दंडनीय अपराध है जिसमें 7 वर्ष तक कठोर कारावास और जुर्माना जो एक लाख रूपए तक हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

(10) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अथवा मान्यता प्राप्त किसी बाल देख–रेख संस्था के अथवा किसी समिति अथवा बोर्ड के कार्यालय के 200 मीटर के भीतर मदान्ध करने वाली शराब, स्वापक, नशे के पदार्थ अथवा मनःप्रभावी पदार्थ अथाव तम्बाकू उत्पादों को देना अथवा बेचना इस अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपराध समझा जाएगा।

57. **अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया।**– (1) जब कभी कोई बालमदान्ध करने वाली शराब, स्वापक नशीली दवाएं या मनःप्रभावी पदार्थ बेचता, ले जाता, आपूर्ति करता या तस्करी करता पाया जाता है तो पुलिस इस बात की जाँच करेगी कि बालक

पर कैसे और किसके संग मदान्ध करने वाली, शराब स्वापक नशीली दवाओं अथवा मनःप्रभावी पदार्थों की लत पड़ी तथा तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करेगी

(2) कोई बालक जो अधिनियम की धारा 78 के अधीन अपराध करने का अभिकथित है, उसे बोर्ड के सम्मुख पेश किया जाएगा, यदि बाल देख–रेख और संरक्षण की जरूरतमंद है तो उसे बोर्ड, समिति के पास भेजेगा।

58. **अधिनियम की धारा 80 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया।**– (1) जहाँ कोई अनाथ, परित्यक्त या छोड़ा गया बालक इस अधिनियम में यथा प्रदत्त प्रक्रियाओं और नियमों का अनुपालन किए बिना दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ पेश अथवा दिया अथवा लिया जाता है तो पुलिस स्व–प्रेरणा से अथवा इस संबंध में सूचना की प्राप्ति पर तुरंत प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) वह बालक जिसे दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ दिया अथवा लिया गया है, को तुरंत समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जो ऐसे बालकों को किसी विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में रखने सहित बालक को पुनर्वास हेतु उचित निर्देश पारित करेगी।

(3) जहाँ कहीं किसी मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान अथवा ऐसे किसी अभिकरण से संबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 80 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति किसी अन्य बाल देख–रेख संस्था अथवा विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में रखे गए बालकों को विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में रखने हेतु भी उचित आदेश पारित कर सकती है।

59. **अधिनियम की धारा 81 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया।**– (1) किसी बालक को बेचने अथवा खरीदने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अविलंब प्र.सू.रि. दर्ज करेगी।

(2) प्राधिकरण द्वारा तैयार दत्तकग्रहण विनियमों के अधीन यथा अनुमति प्रात को छोडकर दत्तकग्रहण के विचार से किसी संबंधित दत्तकग्राही माता–पिता (ओं) अथवा बालक के माता–पिता अथवा संरक्षक अथवा विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान द्वारा दत्तकग्रहण शुल्क अथवा सेवा प्रभार अथवा बाल देख–रेख संपत्ति के विषय में कोई भुगतान अथवा परितोषिक देना या देने पर सहमत होना, प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने पर सहमत होना इस अधिनियम की धारा 81 तथा इस नियम के अधीन अपराध समझा जाएगा।

(3) बेचने अथवा खरीदने के अध्यधीन कोई बालक अविलंब समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस बालक के पुनर्वास के लिए उचित आदेश पारित करेगी।

(4) जहाँ किसी माता–पिता अथवा बालक के संरक्षक अथवा वास्तविक प्रभार रखने वाले व्यक्ति अथवा बालक के अभिरक्षक द्वारा इस अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है। समिति यथास्थिति, किसी बाल देख–रेख संस्था अथवा उपयुक्त संस्था अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के साथ, बालक को रखने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

(5) जहाँ विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण अथवा किसी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह अथवा ऐसी किसी संस्था अथवा अभिकरण से संबद्ध व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 81 के अधीन कोई अपराध किया जाता है, तो समिति ऐसी बाल देख–रेख संस्था अथवा विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान अथवा अस्पताल अथवा नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह में रखे गए अन्य बालकों यथास्थिति किसी अन्य बाल देख–रेख संस्था अथवा विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान

अथवा अस्पताल नर्सिंग होम अथवा मातृत्व गृह, में रखने के उचित आदेश पारित कर सकती है।

(6) समिति, राज्य सरकार से अनुशंसा करेगी कि लागू समय के लिए किसी विधि के अधीन ऐसे अभिकरण या संस्था का या मान्यता या ऐसे किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या मातृत्व गृह या ऐसे संबद्ध व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण या लाईसेंस भी वापस लिया जाएगा।

60. **इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन अपराध के मामले में प्रक्रिया।**– (1) इस अधिनियम की धारा 82 के अधीन बालक को शारीरिक दंड देने की शिकायत, बालक, द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा दी जा सकती है।

(2) प्रत्येक बालक देख–रेख संस्था शारीरिक दंड की शिकायतें प्राप्त करने के लिए अपने भवन में एक प्रमुख स्थल पर शिकायत पेटिका रखेगी।

(3) शिकायत पेटिका मास में एक बार जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिनिधि की उपस्थिति मे खोली जाएगी।

(4) ऐसी सभी शिकायते बाल देख–रेख संस्था के नजदीक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी तथा तत्संबंधी प्रतियां बोर्ड या समिति को भेजी जाएगी।

(5) न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा मामले को जाँच के लिए देगा तथा कोई शिकायत प्राप्त होने पर उचित उपाय करेगा।

(6) बोर्ड या समिति, बालक जिसने शिकायत की है अथवा जो शारीरिक दंड के अध्यधीन रहा है, के सर्वोत्तम हित में, उसे अन्य बाल देख–रेख संस्था में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकती है।

(7) जहाँ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यह पाता है कि संस्था का प्रबंधन इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन जाँच में सहयोग अथवा न्यायलय के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, तहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो स्वयं अपराध का संज्ञान लेगा अथवा प्र. सू.रि. के रजिस्ट्रीकरण का निर्देश देगा तथा संस्था के प्रबंधन के भारसाधक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

(8) जहाँ बोर्ड अथवा समिति अथवा राज्य सरकार बाल देख–रेख संस्था में शारीरिक दंड की किसी घटना के संबंध में संस्था के प्रबंधन को कोई निर्देश जारी करता है, प्रबंधन इनका पालन करेगा।

(9) गैर–अनुपालन के मामले में, बोर्ड स्वयं या समिति या राज्य सरकार की शिकायत पर इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन प्र.सू.रि. का प्रत्यक्ष रजिस्ट्रीकरण करेगा।

(10) जहाँ अथवा इस अधिनियम की धारा 82 की उपधारा 21(2) के अधीन कोई व्यक्ति सेवा से पदच्युत अथवा बालकों के साथ सीधे कार्य करने से विवर्जित किया गया हो, बालक को शरीरिक दंड देने के अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे इस अधिनियम तथा नियमों के अधीन आगे कहीं नियुक्ति से निर्हित होगा।

अध्याय–9

विविध

61. **किसी बाल देख–रेख संस्था के भारसाधक व्यक्ति के कर्त्तव्य।**– (1) भारसाधक व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी बाल देख–रेख संस्था का रख रखाव करना तथा बालकों को गुणवत्तापूर्वक देख–रेख और संरक्षण उपलब्ध कराना है।

(2) भारसाधक व्यक्ति जब कभी बालकों या कर्मचारीवृंद द्वारा उपेक्षित होगा उपलब्ध कराए जाने वाले परिसर में रहेगा तथा जहाँ परिसर में आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी वहां उसे बाल देख–रेख संस्था में ऐसा आवास उपलब्ध कराया जाने तक, बाल देख–रेख संस्था के अत्यधिक सामीप्य वाले स्थान पर रहेगा।

(3) प्रभारी व्यक्ति के साधारण कर्त्तव्य और कृत्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधीन कराए गए नियमों और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ii) बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(iii) बालकों को घर जैसा माहौल देना तथा प्यार, स्नेह, देख–रेख और उनकी चिंता करना;

(iv) बालकों के विकास और कल्याण का प्रयास करना;

(v) बालकों और स्टाफ के अनुशासन और कल्याण का पर्यवेक्षण और प्रबोधन करना;

(vi) यथास्थिति, प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रमों अथवा सुधारात्मक कार्यकलापों, सहित सभी कार्यकलापों, कार्यालयों तथा ऑपरेशनों की योजना बनाना, कार्यान्वयन तथा समन्वय करना;

(vii) संस्था के चिकित्सा अधिकारी या वह चिकित्सक जिसके द्वारा बच्चे का इलाज किया जा रहा हो की सलाह पर सांसर्गिक अथवा संक्रामक रोगी से पीड़ित किसी बालक को पृथक रखना; जहाँ कहीं उपेक्षित हो किसी बालक को पृथक रखना;

(viii) जहाँ कहीं आवश्यक हो किसी बालक को पृथक रखना;

(ix) दैनिक दिनचर्या, कार्यकलापों का प्रेक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करना;

(x) गृह में स्थानीय तथा राष्ट्रीय उत्सव आयोजित करना;

(xi) बालकों के लिए दौरे या सैर अथवा पिकनिक आयोजित करना;

(xii) प्रत्येक सप्ताह यथास्थिति, बोर्ड अथवा समिति को, बाल देख–रेख संस्था में प्ररूप 40 में बालकों की सूची भेजना तथा यदि किसी बालक को बोर्ड अथवा समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने की कोई तारीख नहीं दी जाती है तो इसे बोर्ड अथवा समिति के ध्यान में लाना;

(xiii) कार्मिकों को कर्त्तव्यों का आवंटन;

(xiv) बाल देख–रेख संस्था में देख–रेख के मानकों का रखरखाव करना;

(xv) उचित भंडारण तथा भोजन और परोसे गए भोजन का निरीक्षण करना;

(xvi) बाल देख–रेख संस्था के भवनों और परिसरों का रखरखाव करना;

(xvii) गृह में उचित साफ–सफाई बनाए रखना एवं निश्चित समय अन्तराल पर पानी के टैंकों की सफाई एवं उनका उचित प्रबंधन;

(xviii) परिसर में दुर्घटना और अग्निशामक उपाय, आपदा प्रबंधन उपलब्ध कराना तथा साथ ही प्राथमिक उपचार किट रखना एवं समय–समय पर अपडेट करना;

(xix) पानी के भंडारण, पावर बैक–अप, इन्वर्टरों, जेनरेटरों के लिए अतिरिक्त प्रबंध करना;

(xx) उपकरण की सावधानीपूर्वक हैंडलिंग सुनिश्चित करना;

(xxi) उपयुक्त सुरक्षा उपाय नियोजित एवं प्रबंधन करना;

(xxii) बाल देख–रेख संस्थाओं के दैनिक निरीक्षण और दौरों सहित आवधिक निरीक्षण आयोजित करना;

(xxiii) आकस्मिकताओं की पूर्ति करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करना;

(xxiv) सभी अनुशासनिक मामलों की शीघ्र, दृढ़ और पर्याप्त हैंडलिंग सुनिश्चित करना;

(xxv) मामलों फाइलों का उचित तथा समय से रखरखाव सुनिश्चित करना;

(xxvi) इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश के अपेक्षित सभी अभिलेखों और रजिस्टरों का रखरखाव करना;

(xxvii) बजट तैयार करना तथा वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना;

(xxviii) इस नियमों के नियम 39 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित करना तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना;

(xxix) इस नियमों के नियम 39 के अधीन स्थापित प्रबंधन समिति द्वारा सभी अभिलेखों तथा रजिस्टरों का मासिक सत्यापन सुनिश्चित करना;

(xxx) क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपभोग बाल देख–रेख संस्थाओं के द्वारा संचालित सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हेतु नेटवर्किंग एवं संयोजन करना;

(xxxi) जब कभी आवश्यक हो राज्य बाल संरक्षण समिति तथा जिला बाल संरक्षण समिति के साथ संपर्क बनाना, समन्वय तथा सहयोग करना;

(xxxii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बालक को विधिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा निःशुल्क विधिक सहायता और अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा जिला अथवा राज्य विधायी सेवा प्राधिकरण में विधिक–सह–परिवीक्षा अधिकारी के साथ समन्वय;

(xxxiii) बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय के समक्ष ऐसी उपस्थिति की तारीख को बालक की प्रस्तुति को सुनिश्चित करना तथा सुनिश्चित करना कि उक्त प्रयोनार्थ तारीखें अभिलिखित की जाती है।

(4) भारसाधक व्यक्ति जितना संभव होगा बाल देख–रेख संस्था विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए विशेष इकाई सहित का निरीक्षण करेगा परंतु किसी भी दिन दो बार से अन्यून नहीं। वह अपने निरीक्षण के समय का अभिलेख रखेगा तथा साथ ही इस प्रयोजनार्थ विशेषकर निम्नलिखित के संबंध में रखी गई एक पृथक पुस्तिका में अपनी टिप्पणियों भी दर्ज करेगा:

(i) साफ–सफाई तथा स्वच्छता का रखरखाव तथा बालकों की व्यक्तिगत साफ–सफाई एवं शौचालयों की साफ–सफाई, रखरखाव का प्रबंधन

(ii) आदेश का अनुरक्षण;

(iii) भोजन की गुणवत्ता तथा मात्रा;

(iv) खाद्य वस्तुओं तथा अन्य प्रदायों की साफ–सफाई का अनुरक्षण;

(v) चिकित्सा केंद्र में साफ–सफाई का चिकित्सा देखभाल के प्रावधान;

(vi) बालकों तथा कर्मचारिवृंद का व्यवहार;

(vii) सुरक्षा प्रबंधन; और

(viii) फाइलों, रजिस्टरों तथा पुस्तकों का रखरखाव;

(ix) जहाँ पर बालकों के माता–पिता एवं विधिक अभिभावक उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में उनके औपचारिक विद्यालय या खुला विद्यालय अथवा अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण में पंजीकरण/प्रवेश हेतु अभिभावक के रूप में कार्य करेगी।

(5) भारसाधक व्यक्ति की जानकारी में आने वाली किसी अनियमितता की जाँच की जाएगी और समाधान किया जाएगा तथा की गई कार्रवाई की तारीख, समय और प्रकृति पुस्तिका में दर्ज की जाएगी।

621

(6) जहाँ तात्कालिक प्रकृति की कोई समस्या का दो दिवसों में कोई समाधान नहीं किया गया हो, तो बोर्ड अथवा समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित किया जाएगा।

(7) यदि भारसाधक व्यक्ति अवकाश पर है अथवा उपलब्ध न हो, भारसाधक व्यक्ति का कर्त्तव्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा यथा अभिहित बाल कल्याण अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

62. **बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्त्ता के कर्त्तव्य।**– (1) प्रत्येक बाल कल्याण अधिकारी अथवा बाल देख–रेख संस्था में मामला कार्यकर्त्ता बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्यान्वयन करेगा।

(2) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्त्ता बालक के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु स्वैच्छिक कार्यकर्त्ताओं, संगठनों तथा राज्य सरकार के आदेश से स्थानीय स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति के साथ संपर्क स्थापित करेगा।

(3) बाल कल्याण अधिकारी या किसी बालक को लेने के लिए बाल देख–रेख संस्था में उपलब्ध मामला कार्यकर्त्ता उसे मित्र बनाने और उसकी सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए लिए गए बालक के साथ बातचीत करेगा तथा बालक प्राप्त करने की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा।

(4) पुलिस अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से सूचना की प्राप्ति पर अथवा बाल देख–रेख संस्था में बालक के पहुँचने पर बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्त्ता बालक के व्यक्तिगत साक्षात्कारों के माध्यम से तुरंत बालकों की सामाजिक जाँच करना और उसके परिवार, सदस्यों, सामाजिक अभिकरणें तथा अन्य स्त्रोतों से पूर्ववर्ती तथा बालक का परिवार इतिहास की जाँच करता है तथा जो भी प्रासंगिक सामग्री हो, ऐसी अन्य सामग्री को एकत्र करता है तथा 15 दिनों के भीतर बोर्ड (प्ररूप 6) या समिति (प्ररूप 22) या बाल न्यायालय को सामाजिक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(5) बाल देख–रेख संस्था में सभी बालक बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्त्ता मामला को सौंपे जाएँगे तथा ऐसा बाल कल्याण अधिकारी अथवा मामला कार्यकर्त्ता बालक की देख–रेख और विकास अर्थात् सभी पहलुओं, बालक के बारे में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को रिपोर्ट करने अथवा बाल देख–रेख संस्था में बाल अभिलेखों का रखरखाव करने में उसको सौंपे गए बालक के लिए जिम्मेदार होगा।

(6) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्त्ता को बालक को सौंपे जाने पर, बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्त्ता निम्नलिखित कार्य करेगा:

(i) बालक की मामला फाइल तैयार करना;

(ii) बालक का इतिवृत्त तैयार करना;

(iii) संरक्षणात्मक अभिरक्षा कार्ड का रखरखाव करना;

(iv) बालक का चिकित्सा अभिलेख तैयार करना और उसका रखरखाव करना और सुनिश्चित करना कि बालक का उपचार बाधित अथवा उपेक्षित न हो;

(v) बालक की सुरक्षा, कल्याण और विकास सुनिश्चित करने, बाल देख–रेख संस्था में जीवन के साथ समंजन के लिए बालक की सहायता करने के लिए बालक से प्रत्येक दिन मिलना। नए लिए गए बालक के साथ दिन में एक बार से अधिक बार मुलाकात की जाएगी;

(vi) बालक की शिक्षा, व्यावसायिक स्थिति और कौशल और भावनात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए शुरूआत के पाँच दिनों में बालक के बारे में सूचना एकत्रित करना;

(vii) जरूरी चिकित्सा और मानसिक जाँच कराना, बालक का मूल्यांकन और परीक्षा कराना;

(viii) रिपोर्टों का अध्ययन करना और बालक और उसके परिवार के सदस्यों के परामर्श से लंबित जाँच की अवधि के दौरान बालक की केस फाइल में लगाने के लिए प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देख–रेख योजना तैयार करना। बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्त्ता, जैसा भी वह इस संबंध में उचित समझे, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या चिकित्सक से परामर्श कर सकता है एवं तद्नुसार केस फाइल अध्ययन करेगा।

(ix) व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार, बालक के लिए एक दिनचर्या तैयार की जाए और बालक को इसकी जानकारी दी जाए;

(x) यह सुनिश्चित करना कि बालकों के लिए तैयार की गई दिनचर्या की गतिविधियों का अनुपालन करे और इस संबंध में जैसा मामला हो हाउस फादर, हाउस मदर अथवा अन्य कोई देख–रेख कर्ता से समय पर रिपोर्ट लेना;

(xi) व्यक्तिगत देख–रेख योजना के कार्यान्वयन और कारगरता की आवधिक समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो, प्रबंधन समिति के अनुमोदन से प्ररूप 7 में व्यक्तिगत देख–रेख योजना और/या दिनचर्या में उचित आशोधन करना;

(xii) बालक की समस्याओं को हल करना और गृह में जीवन में उनकी कठिनाइयों का सहानुभूतिपूर्वक निपटान करना;

(xiii) बालक से संबंधित अभिविन्यास, निगरानी, शिक्षा, व्यवसायिक एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में भागीदारी करना और उन्हें सौंपे गए बालकों के संबंध में विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक बैठकों में उपस्थिति रहना;

(xiv) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थिति रहना और सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराना और सभी रिपोर्टें जिनकी माँग की गई हो, दाखिल करना;

(xv) आयु की घोषणा का आदेश प्राप्त होने पर, बालक की आयु के संबंध में अभिलेख में, यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, आवश्यक परिवर्तन करना और बालक की मामला फाइल में उक्त आदेश की प्रति लगाना;

(xvi) रिहाई–पूर्व कार्यक्रम में भागीदारी करना और बालक से संपर्क स्थापित करने में सहायता करना जो रिहाई के बाद बालक को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकता;

(xvii) बालकों की रिहाई के बाद उनसे संपर्क बनाए रखना तथा रिहाई के प्रथम छः माह में प्रत्येक माह कम से कम एक बार अनुवर्ती कार्रवाई करना, उन्हें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना एवं अनुवर्ती कार्रवाइयों से संबंधित प्रतिवेदनों को बालकों के मामला फाइल में रखना;

(xviii) उनके पर्यवेक्षण के अधीन बालक के आवास का और ऐसे बालक के नियोजन के स्थान या विद्यालयों जिसमें वह पढ़ाई कर रहा हो, का भी नियमित दौरा करना और पाक्षिक या अन्यथा जैसा भी निदेश दिया गया हो, रिपोर्टें प्रस्तुत करना;

(xix) बालक को जहाँ कहीं भी संभव हो, यथास्थिति, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय से, जैसा भी, बाल देख–रेख संस्था तक बालक के साथ जाना;

(xx) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष बालक को पेश करने या चिकित्सा उपचार की अगली तारीख का अभिलेख रखना और यह सुनिश्चित करना कि उक्त तारीख को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष या चिकित्सा उपचार के लिए बालक को पेश किया जाए;

(xxi) समय–समय पर यथा विनिर्दिष्ट रजिस्टरों का रखरखाव करना;

(xxii) बाल देख–रेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य;

(7) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जिसे बाल देख–रेख संस्था के परिसर की दैनिक सफाई को जाँचने का कार्य सौपा गया है, ऐसी जाँच दिन में दो बार करेगा, पहली सुबह की सफाई के बाद और दूसरी शाम की सफाई के बाद। बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता गृह–व्यवस्था रजिस्टर में इसका उल्लेख करेगा।

(8) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जिसे दैनिक खाना पकाने के कार्य को जाँचने का कार्य सौंपा गया है, प्रत्येक आहार के बारे में आहार रजिस्टर में इसका उल्लेख करेगा।

63. **गृह माता या गृह पिता के कर्तव्य।**–(1) प्रत्येक गृह पिता या गृह माता प्रभारी व्यक्ति के निर्देशों का पालन करेगा/करेगी।

(2) गृह पिता या गृह माता के साधारण कर्तव्य, कार्य और उत्तरदायित्व निम्नलिखित होगें:

(i) बाल देख–रेख संस्था में प्रत्येक बालक के साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार करना;

(ii) बालक की उचित देख–रेख करना और उसका कल्याण सुनिश्चित करना;

(iii) प्रत्येक बालक को उसकी प्राप्ति पर कपड़ों, प्रसाधन सामग्री और दैनिक उपयोग के लिए अपेक्षित ऐसी अन्य वस्तुओं जैसी सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएगा;

(iv) मानक और बालक की जरूरतों के अनुसार खाद्य आपूर्ति और सामान की पुनः पूर्ति करना;

(v) बालक के बीच अनुशासन बनाए रखना;

(vi) बड़े बालकों द्वारा छोटे बालकों का किसी भी प्रकार का शोषण की रोकथाम करना।

(vii) यह सुनिश्चित करना कि बाल व्यक्तिगत सफाई और स्वच्छता बनाए रखें;

(viii) अनुरक्षण और सफाई की देख–रेख करना और आस–पास स्वच्छता बनाए रखें;

(ix) प्रत्येक बालक की दैनिक दिनचर्या का दक्षतापूर्वक रीति से कार्यान्वयन और इसमें बालकों की सहभागिता सुनिश्चित करना;

(x) ऐसी स्थिति में जब बालकों का इलाज किसी चिकित्सक द्वारा किया जा रहा हो, यह सुनिश्चित करना कि उनके द्वारा नियत की गयी दवाइयों को वे समय पर ले रहे हैं।

(xi) यह सुनिश्चित करना यदि बालकों के व्यवहार में या किसी भी प्रकार शोषण के लक्षण शरीर पर परिलक्षित होता हो तो तुरंत डॉक्टर और परामर्शदाता को सूचित करना।

(xii) बाल देख–रेख संस्था में सुरक्षा और संरक्षा की देखभाल करना;

(xiii) बालकों का, वे जब कभी बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष पेश होने के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से बाल देख–रेख संस्था से बाहर जाते हैं, मार्गरक्षण कराना;

(xiv) प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करना और बाल कल्याण अधिकारी को सौंपे गए बालक के बारे में बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करना;

(xv) उनके कर्तव्यों से संबंधित रजिस्टरों का रखरखाव करना; और

(xvi) बाल देख–रेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

64. **परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य।**–(1) अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (1) के खंड (ii) के अधीन पुलिस या बाल कल्याण अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर, बोर्ड या बाल न्यायालय से किसी औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना, परिवीक्षा अधिकारी बालक की उन परिस्थितियों की जाँच करेगा जो बोर्ड द्वारा जाँच पर प्रभाव डालती है और बोर्ड या बाल न्यायालय को प्ररूप 6 में सामाजिक अन्वेशण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में उत्तेजक और गंभीरता कम करने वाले कारकों सहित जोखिम का मूल्यांकन जिसमें उन परिस्थितियों को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया हो जिनमें अवैध व्यापार करने वाले या दुरूपयोगकर्ताओं, वयस्क गिरोहों, नशीली दवाओं का सेवन करने वालों का पड़ोस में रहना, हथियारों तथा नशीली दवाओं तक पहुँच, आयु अनुचित व्यवहार और सूचना तथा सामग्री के प्रति अरक्षितता की जानकारी दी जाएगी।

(3) परिवीक्षा अधिकारी, बोर्ड द्वारा दिए गए सभी निदेशों का पालन करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों, कार्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा:

(i) प्ररूप 6 में बालक का सामाजिक अन्वेशण करना;

(ii) बोर्ड या बाल न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थित रहना और जब कभी अपेक्षित हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(iii) बालकों की समस्याओं को स्पष्ट करना और संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों को हल करना;

(iv) अभिविन्यास, निगरानी, शिक्षा, व्यावसायिक और पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना;

(v) बालक और भारसाधक अधिकारी के बीच सहयोग और समझदारी स्थापित करना;

(vi) बालक की परिवार के साथ संपर्क विकसित करने में सहायता करना और परिवार के सदस्यों को भी सहायता प्रदान करना;

(vii) रिहाई–पूर्व कार्यक्रमों में भाग लेना और बालक को ऐसे संपर्क स्थापित करने में सहायता करना जो बालक को रिहाई के बाद भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्रदान कर सकते हैं;

(viii) सामाजिक अन्वेशण रिपोर्ट प्राप्त करने, पर्यवेक्षण और अनुवर्तन के लिए अन्य जिलों और राज्यों के परिवीक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करना;

(ix) बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन को सुकर बनाने और आवश्यक अनुवर्तन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और संगठनों से संपर्क स्थापित करना;

(x) बालक की रिहाई के पश्चात् नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और उनकी सहायता और मार्गदर्शन करना और समाज की मुख्य धारा में उनकी वापसी को समर्थ और सुकर बनाना;

(xi) बालकों के लिए व्यक्तिगत देख–रेख योजना और रिहाई पश्चात् योजना तैयार करना;

(xii) परिवीक्षा में रखे गए बालकों का व्यक्तिगत देख–रेख योजना के अनुसार पर्यवेक्षण करना;

(xiii) उनके पर्यवेक्षणाधीन बालक के आवास और नियोजन के स्थान या ऐसे विद्यालय का जिसमें बालक अध्ययन कर रहा है, नियमित दौरा करना और प्ररूप 10 में आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना;

(xiv) जहाँ कहीं संभव हो, बोर्ड के कार्यालय से, यथास्थिति, प्रेक्षण गृह, सुरक्षा का स्थान या उपयुक्त सुविधा तक बालक के साथ जाना;

(xv) सुरक्षा के स्थान में बालकों की प्रगति का आवधिक आधार पर मूल्यांकन करना और मनो–सामाजिक सहित रिपोर्ट तैयार करना और उसे बाल न्यायालय को अग्रेषित करना;

(xvi) निगरानी प्राधिकारी के रूप में, जहाँ कहीं बाल न्यायालय द्वारा ऐसी नियुक्ति की गई हो, कार्यों का निर्वहन करना;

(xvii) उसके दैनिक कार्यकलापों जैसे कि उसके द्वारा किए गए दौरों, उसके द्वारा तैयार की गई सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, उसके द्वारा किया गया अनुवर्तन और उसके द्वारा तैयार की गई पर्यवेक्षण रिपोर्टों का अभिलेख रखने के लिए एक डायरी या रजिस्टर का रखरखाव करना;

(xviii) सामुदायिक सेवाओं के विकल्प अभिनिर्धारित करना और बालकों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन को सुकर बनाने के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र एवं राज्य सरकार के आदेश से स्थानीय स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति के साथ संपर्क स्थापित करना; और

(xix) सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

625

65. **पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारी।**–(1) सभी बाल देख–रेख संस्थाओं में सुरक्षा के स्थान सहित, पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारी अभिहित किया आएगा।

(2) पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारी के पास समाज कार्य या मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर डिग्री और पुनर्वास, रोजगार सृजन और संसाधन संघटन के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(3) पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारी निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा:

(i) उपयुक्त तंत्र के माध्यम से और बाल कल्याण अधिकारी, मामला कार्यकर्ता, परामर्शदाता और व्यावसायिक अनुदेशक के साथ परामर्श से बाल देख–रेख संस्थाओं में स्थापन किए गए बालकों के कौशल और अभिक्षमता अभिनिर्धारित करना;

(ii) ऐसे सभी अभिकरण को जो पाठ्यक्रम के अंत में कार्य स्थापन के साथ व्यावसायिक या कौशल विकास सेवाएँ प्रदान करती हैं, अभिनिर्धारित करना और उनसे संपर्क विकसित करना;

(iii) स्व–रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सहायता प्रायोजित करने के लिए संसाधनों को संघटित करने के लिए व्यक्तियों, कॉर्पोरेटों, मान्यता प्राप्त संगठनों और निधियन करने वाली अन्य अभिकरणों का नेटवर्क बनाना;

(iv) बाल देख–रेख संस्थाओं में आयु, अभिक्षमता, रूचि और क्षमता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना करने के लिए व्यक्तियों, कॉर्पोरेटों, मान्यता प्राप्त संगठनों और निधियन करने वाली अन्य अभिकरणों की सहायता करना और उनके साथ समन्वय करना;

(v) व्यावसायिक अनुदेशकों को संघटित करना जो बाल देख–रेख संस्थाओं में प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने के लिए सेवाएँ प्रदान करते हैं;

(vi) स्व–रोजगार के लिए उद्यमशील कौशल विकसित करना और वित्तीय और विपणन समर्थन सुकर बनाना;

(vii) अपराध की प्रकृति और बालक की निजी विशेशताओं को ध्यान में रखकर पुनर्वास योजनाएँ तैयार करना;

(viii) प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड का रखरखाव करना और बालक द्वारा की गई प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी करना और प्रबंधन समिति को ऐसी रिपोर्टें प्रस्तुत करना;

(ix) शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा होने पर प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बालक को सुगम बनाना;

(x) प्रत्येक पात्र और प्रशिक्षित बालक का उपयोगी स्थापन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना;

(xi) केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध पुनर्वास कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में कार्यशालाएं आयोजित करना, और ऐसी स्कीमों और सेवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और पहुँच सुकर बनाना;

(xii) बालक को उपयोगी और जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तित्व विकास, जीवन कौशल विकास, सामंजस्य कौशल, तनाव प्रबंधन और अन्य व्यावहारिक कौशलों पर कार्यशालाएं आयोजित करना;

(xiii) बालकों की नियमित निगरानी करने और यथापेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान करने के लिए उन अभिकरणों का नियमित दौरा करना जहाँ उनका स्थापन किया गया है; और

(xiv) बालकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट संबंधी प्रगति के रिकॉर्ड का संधारण करना।

66. **कार्मिक अनुशासन।**—(1) कर्तव्य की कोई उपेक्षा, नियमों और आदेशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और भारसाधक व्यक्ति द्वारा गलती करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी या कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।

(2) बाल देख–रेख संस्था का कोई भी कर्मचारी बाल देख–रेख संस्था के भीतर किसी अनधिकृत स्थान पर उपस्थित नहीं होगा।

(3) बाल देख–रेख संस्था का कोई भी कर्मचारी संस्था में कोई भी निषिद्ध वस्तु नहीं लाएगा।

(4) बाल देख–रेख संस्था का कोई भी कर्मचारी, भले ही उस समय वह ड्यूटी पर हो अथवा न हो, बाल देख–रेख संस्था के परिसर में शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू जैसा कोई व्यसनकारी पदार्थ अथवा कोई अन्य नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा अथवा किसी मादक पदार्थ के नशे में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करेगा।

(5) बाल देख–रेख संस्था का कोई भी कर्मचारी किसी भी बालक को कोई वस्तु नहीं बेचेगा या लाभ के लिए किराए पर नहीं देगा या ऐसे बालक या उसके माता–पिता के साथ कोई व्यवसाय नहीं करेगा।

623

(6) बाल देख–रेख संस्था को कोई भी कर्मचारी बाल देख–रेख संस्था के परिसर में अपमानजनक या अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा या आयु–अनुपयुक्त विषय पर चर्चा नहीं करेगा या अश्लील सामग्री नहीं देखेगा या अश्लील साहित्य नहीं पढ़ेगा।

(7) बाल देख–रेख संस्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी बाल सुरक्षा नीति को प्रत्येक कर्मचारी पालन करेंगे।

67. **सुरक्षा उपाय।–(1)** बाल देख–रेख संस्था में रखे गए बालकों की श्रेणी, बालको के आयु वर्ग, बाल देख–रेख संस्था का प्रयोजन और बालकों और बालक से जोखिम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बाल देख–रेख संस्था में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करेगा।

(2) सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करते समय, पुनर्वास महानिदेशक के माध्यम से या उनके द्वारा अनुशंषित अभिकरणों द्वारा भर्ती किए गए भूतपूर्व सैनिको को प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) लड़कियो को रखने वाली बाल देख–रेख संस्था में, बाल देख–रेख संस्था के भीतर महिला सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे और पुरूष सुरक्षा गार्डो को बाहर से सुरक्षा के लगाया जाएगा।

(4) किसी भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए सुरक्षा कर्मियों को रिजर्व में भी रखा जाएगा।

(5) भारसाधक व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि हर समय पर्याप्त सुरक्षा सहित निम्नलिखित उपाय किए गए है :

(i) सुरक्षा भारसाधक और गार्ड की तैनाती से संबद्ध विभाग के परामर्श से भारसाधक व्यक्ति द्वारा अभिनिर्धारित किए जाने वाले सभी स्थानों पर अलग–अलग पालियों में पर्याप्त संख्या में गार्ड तैनात किये जाएँगे;

(ii) कोई भी बालक जो रात में चिकित्सा समस्या या किसी अन्य समस्या की शिकायत करता है, संबंधित देखेरेखकर्ता को रिपोर्ट करेगा। देख–रेख कर्ता यथा अपेक्षित ऐसे आवश्यक उपाय करेगा और आपात स्थिति में संबंधित चिकित्सा अधिकारी या प्रभारी व्यक्ति को, जैसी भी आवश्यकता हो, सूचित करेगा जो तत्काल उपयुक्त उपाय करेगा;

(iii) भारसाधक व्यक्ति द्वारा ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा और बाल देख–रेख संस्था परिसर में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा;

(6) प्रत्येक देख–रेख कर्ता या गृह का अन्य कर्मचारी, यदि उसे बालकों में अशांति की किसी घटना या संभावना का पता चलता है, उसे बिना समय गंवाए भारसाधक व्यक्ति के संज्ञान में लाएगा जो स्थिति की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक उपाय करेगा और ऐसी सूचना या

घटना की जानकारी के साथ–साथ उसके द्वारा किए गए उपायों की जानकारी लिखित में बोर्ड या समिति को देगा।

(7) भारसाधक व्यक्ति बाल देख–रेख संस्था का रात में, जितने अंतराल पर संभव हो सके, लेकिन सप्ताह में एक बार से अन्यून नहीं, औचक निरीक्षण करेगा। वह इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा रखे जा रहे रजिस्टर में अपने निरीक्षण के समय को अभिलेख करेगा और अपनी टिप्पणियां भी लिखेगा।

(8) बाल देख–रेख संस्था के बाहर अशांति के मामले में, पाली प्रभारी तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचना देगा।

(9) बाल देख–रेख संस्था के भीतर हिंसा या अशांति के मामले में, पाली भारसाधक, भारसाधक व्यक्ति की अनुमति से पुलिस की सहायता लेगा। पाली भारसाधक पहले बालक को चेतावनी जारी करेगा।

(10) प्राकृतिक आपदा या आग या ऐसी किसी दुर्घटना के मामले में, पाली भारसाधक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बाल देख–रेख संस्थाओं के लिए यथा विकसित आपदा प्रबंधन नवाचार के अनुसार बालकों के निकास और सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करेगा।

(11) उक्त उपायों का अनुपालन करने के लिए अधिकारियों, बालकों और गार्डों को तैयार करने के लिए भारसाधक व्यक्ति द्वारा पूर्व में नोटिस दिए बिना मास में एक बार व्यावहारिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा।

(12) बालकों की निजता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए बाल देख–रेख संस्था के सभी प्रवेश और निकास के सभी बिंदुओं, स्वागत कक्ष, गलियारों, रसोई, रसोई–भंडार या भंडार कक्ष, शयनागार, शौचालयों के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं जैसे प्रमुख बिन्दुओं पर बंद परिपथ टेलीविजन कैमरों को लगाया जाए।

(13) प्रत्येक बाल देख–रेख संस्था में पर्याप्त संख्या में स्कैनर और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएं।

68. **तलाशी और अभिग्रहण।**–(1) प्रभारी व्यक्ति और गृह के प्राधिकृत अधिकारी यदि आवश्यक हो, तलाशी लेगा और निषिद्ध वस्तुओं को, यदि पाई जाती हे, अभिग्रहण करेगा।

(2) अभिग्रहण के मामले में निम्न प्रक्रिया होगी:

(i) तलाशी के दौरान जैसा कि नियम 70 की उप–नियम (1) में वर्णित है कि पाई गई कोई भी निशिद्व वस्तु भारसाधक अधिकारी द्वारा अभिग्रहण की जाएगी और ऐसी जब्ती की सूची तैयार की जाएगी;

(ii) बालक से या शयनागार में हथियार, शस्त्र, हथियार के रूप में उपयोग किए जा सकने वाली वस्तुओं या आपराधिक गतिविधियों के लिए औजार या मादक पदार्थ पाए जाने के मामले में, भारसाधक अधिकारी ऐसी वस्तुओं की उपस्थिति और ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाने के लिए जाँच करेगा;

(iii) भारसाधक अधिकारी इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट देगा और शीघ्रातिशीघ्र बोर्ड या समिति को सूचित करेगा;

(iv) बोर्ड ऐसी रिपोर्ट या समिति द्वारा अग्रेशित की गई रिपोर्ट पर अभिग्रहण की गई वस्तुओं के निस्तारण के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर सकता है;

(v) राज्य सरकार जिम्मेवार व्यक्ति के विरूद्व, यदि ऐसा व्यक्ति बाल देख–रेख संस्था का अधिकारी है या उस अभिकरण जिसके द्वारा वह व्यक्ति नियुक्त किया गया है या बाल देख–रेख संस्था के विरूद्व उचित कार्रवाई करेगी;

(vi) जिम्मेवार बालक के संबंध में कार्रवाई अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी;

(3) अभिग्रहण की गई सभी वस्तुओं को, इस बात की संतुष्टि होने के बाद कि अभिग्रहण की गई वस्तुओं की किसी अधिकारी के विरूद्व किसी जाँच या विभागीय कार्यवाही के लिए या किसी आपराधिक अन्वेषण और कार्यवाही में जरूरत नहीं होगी, सक्षम न्यायालय के आदेश पर नष्ट या निस्तारित कर दिया जाएगा।

69. **बालकों का संस्थागत प्रबंधन।**–क.(1) प्रत्येक बालक को बाल देख–रेख संस्था के अधिकारी या बालक को प्राप्त करने के लिए प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत् प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे प्राप्तकर्ता अधिकारी कहा जाएगा, प्राप्त किया जाएगा।

(2) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक की पहचान के संबंध में स्वयं का समाधान करेगा और किसी भी संदेह की दशा में, प्राप्तकर्ता अधिकारी तुरंत प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा जो अविलंब बोर्ड या समिति को सूचित करेगा और बालक को बिना किसी देरी के बोर्ड या समिति के समक्ष पेश करेगा।

ख. **बाल देख–रेख संस्था में आवास के प्रकार**–(1) कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलें में, बाल देख–रेख संस्था में बालकों के आवास तीन प्रकार के हैं :

(i) संरक्षणात्मक अभिरक्षा;

(ii) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;

(iii) पुनर्वास आवास।

(2) देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के मामले में, बाल देख–रेख संस्था में बालकों के आवास दो प्रकार के है :

(i) रात भर का संरक्षणात्मक आवास;

(ii) पुनर्वास आवास।

ग. **संरक्षणात्मक अभिरक्षा**–(1) ऐसे आवास के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किया हुआ प्रपत्र 41 में संरक्षणात्मक अभिरक्षा कार्ड या बाल न्यायालय द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ अभिरक्षा वारंट अपेक्षित होता है।

(2) ऐसे आवास की अवधि बोर्ड या बाल न्यायालय यथा निदेशित या उनके द्वारा समय–समय पर यथा विस्तारित होगी।

(3) ऐसा आवास जाँच के लंबन के दौरान होगा।

घ. **रात भर का संरक्षणात्मक आवास**–(1) ऐसे आवास का प्रयोजन बालक को आवास प्रदान करना और एक विकल्प प्रदान करके उसे पुलिस स्टेशन या किसी अन्य अनुपयुक्त स्थान पर पूरी रात रखने से निवारित करना है।

(2) ऐसा आवासन सायंकाल के 18.00 बजे के बाद और अगले दिन 10.00 बजे तक हो सकता है।

(3) प्राप्त करने वाले अधिकारी को बाल कल्याण अधिकारी द्वारा रात भर के संरक्षणात्मक आवासन के लिए भेजे गए लिखित आवेदन पर बालक को बाल देख–रेख संस्था में एक रात के आवासन की अनुमति दी जाएगी। आवेदन के साथ उन परिस्थितियों को जिनमें बालक को पकड़ा या पाया गया है और बालक की चिकित्सा स्थिति दर्शाने वाले सुसंगत दस्तावेजों की प्रति होगी।

(4) बालक की पहचान के बारे में समाधान होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकार द्वारा बालक को प्राप्त किया जाएगा और प्ररूप 42 तीन प्रतियों में भरा जाएगा। प्ररूप की एक प्रति बाल देख–रेख संस्था के अभिलेख के रूप में रखी जाएगी, एक प्रति बाल कल्याण अधिकारी को दी जाएगी और तीसरी प्रति बोर्ड या संबंधित समिति को उनके अभिलेख के लिए अग्रेषित की जाएगी।

619

(5) बालक को अगले दिन प्ररूप में दिए गए समय पर बाल कल्याण अधिकारी के प्रभार में सौंप दिया जाएगा और प्ररूप की प्रति में उक्त बाल कल्याण अधिकारी से प्राप्ति ली जाएगी।

(6) यदि बाल कल्याण अधिकारी निर्दिष्ट समय पर बालक का प्रभार नहीं लेता है, बाल देख–रेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा ऐसे तथ्यों का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट के साथ बालक को संबंधित बोर्ड या समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) यह टिप्पणी करते हुए कि बालक को रात भर के संरक्षणात्मक आवास के लिए प्राप्त किया गया है, बालक के ब्यौरे, प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएँगे।

(8) बालक की शारीरिक रूप से तलाशी ली जाएगी और उसका सभी व्यक्तिगत सामान, यदि कोई पाया जाता है, बाल कल्याण अधिकारी को जिसने बालक को प्रस्तुत किया है, सौंप दिया जाएगा और वह सभी वस्तुओं का अभिग्रहण करेगा और ऐसे अभिग्रहण की एक प्रति प्राप्तकर्ता अधिकारी को देगा।

(9) बालक को, यदि वह भूखा है, तो उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने एवं पीने के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा।

(10) बालक को यथास्थिति स्वागत शयनागार या पृथक इकाई में, रात के लिए रखा जाएगा।

ङ **पुनर्वास आवास**–(1) बालक को ऐसे आवास के लिए समिति द्वारा बाल गृह में और बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा विशेष गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जाएगा।

(2) बालक को प्रपत्र 14 में पुनर्वास कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें बालक के आवास की अवधि का उल्लेख होगा जब तक कि बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा उस संबंध में विशिष्ट आदेश के द्वारा अवधि को कम न किया गया हो।

च. **बालक को प्राप्त करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया**–(1) प्राप्तकर्ता अधिकारी बालक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा:

(i) बालक का पूरा व्यक्तिगत ब्यौरा प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा। पुनर्वास आवास के मामले में, बालक की रिहाई की तारीख भी लिखी जाएगी;

(ii) बालक को तलाशी की आवश्यकता और प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद और शिष्टता और सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी तलाशी ली जाएगी और सभी व्यक्तिगत सामान का इन नियमों के नियम 72 में यथा उल्लिखित रीति से निपटान किया जाएगा। बालिका की तलाशी महिला कर्मचारी द्वारा ही ली

जाएगी; बालक को, यदि वह भूखा है, उसकी प्राप्ति के समय पर ध्यान दिए बिना, खाने एवं पीने के लिए भोजन प्रदान किया जाएगा;

(iii) बालक को खराब स्वास्थ्य, चोट, मानसिक बीमारी, रोग या व्यसन जिसके लिए तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, चिकित्सा देख–रेख प्रदान की जाएगी;

(iv) बालक को विशेषरूप से चिन्हित शयनागार या वार्ड या अस्पताल में, यदि उसके ऐसे संक्रामक या संचारी रोग से ग्रस्त होने की संभावना है जिसके लिए विशेश देख–रेख और सावधानी की जरूरत है, विलग किया जाएगा;

(v) बालक से परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थिति होना, परिवार के सदस्यों से संपर्क करने जैसी किसी तत्काल और अविलंब आवश्यकता के बारे में पूछा जाएगा। प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा इसके बारे में एक टिप्पणी या यह तथ्य कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लिखा जाएगा और बाल कल्याण अधिकारी मामला कार्यकर्ता जिसको बालक सौंपा गया है, प्रस्तुत करेगा। वही टिप्पण बालक की केस फाइल में भी रखा जाएगा;

(2) बाल देख–रेख संस्था में प्राप्त किए गए प्रत्येक बालक को पहले चौदह दिनों तक इस प्रयोजन के लिए विशेषरूप से बनाए गए शयनागार मे या पृथक इकाई में रखा जाएगा ताकि बालक, बाल देख–रेख संस्था के जीवन में समंजित हो सके।

छ. **बालक को प्राप्त करने के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया**–(1) यदि बालक रात में प्राप्त किया जाता है, उसी दिन या अगले दिन निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

(i) बालक का फोटो लिया जाएगा। एक फोटो बालक की केस फाइल में रखा जाएगा और दूसरा बालक के ब्यौरे के साथ सूचक कार्ड में चिपकाया जाएगा। एक प्रति क्रमांकित एलबम में रखी जाएगी और फोटो की एक प्रति बोर्ड या समिति को भेजने के साथ–साथ जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी और इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी;

(ii) बालक को स्नान कराया जाए और उसे साफ कपड़े प्रदान किए जाए। देख–रेख कर्ता इन नियमों के नियम 30 के अनुसार बालक को प्रसाधन वस्तुएं, कपड़ों का नया सेट, बिस्तर और अन्य सामग्री एवं उपकरण देगा, जिनकी एक सूची उसकी केस फाइल में रखी जाएगी। सामानों की इन नियमों के नियम 30 के अनुसार समय–समय पर पुनः पूर्ति की जाएगी;

617

(iii) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता नए भर्ती किए गए प्रत्येक बालक को बाल देख–रेख संस्था और इसके कार्यकरण से, विशेशकर निम्नलिखित क्षेत्रों से, परिचित कराएगा:–

(क) व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई;

(ख) बाल देख–रेख संस्था का अनुशासन और आचरण संहिता;

(ग) दैनिक नियमित कार्यकलाप और सहजात वार्तालाप; और

(घ) बाल देख–रेख संस्था में अधिकार, उत्तरदायित्व और कर्तव्य।

(iv) बालक का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा जो बालक के स्वास्थ्य की स्थिति और उसके शरीर पर कोई घाव या चिह्न और कोई अन्य टिप्पणी जिसे चिकित्सा अधिकारी ठीक समझे, को अभिलिखित करेगा और जिसकी एक प्रति बालक के चिकित्सा अभिलेख में रखी जाएगी;

(v) प्रभारी अधिकारी द्वारा बालक को बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता समानुदेशित करेगा;

ज बालक को प्राप्त करने के चौदह दिन के भीतर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया–(1) नियत बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता जितनी बार संभव हो सके, बालक से वार्तालाप करेगा।

(2) बालक को प्राप्त करने के दो दिन के भीतर, यदि अपेक्षित हो, उसके लिए पुनर्वास योजना तैयार करने में सहायता करने के लिए उसके व्यक्तित्व और जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए उसकी शारीरिक, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक स्थिति और उसकी व्यसन स्थिति समझने के लिए चिकित्सको के पैनल द्वारा उसकी जाँच की जाए।

(3) बालक को समानुदेशित किया गया बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बालक के परिवार के सदस्यों के साथ भी, जहाँ कहीं उपलब्ध है, वार्तालाप करेगा। एक मामला पूर्ववृत्त प्ररूप 43 में तैयार किया जाएगा और बालक की केस फाइल में रखा जाएगा। इसके लिए जानकारी बालक के माता–पिता या अभिभावकों, घर, स्कूल, मित्रों, नियोक्ता और समुदाय सहित सभी संभव और उपलब्ध स्त्रोतों के माध्यम से एकत्रित की जाएगी।

(4) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता अन्य तकनीकी कर्मचारियों की सहायता से आयोजित की गई परीक्षाओं और साक्षात्कारों के आधार पर बालक के शैक्षणिक स्तर और उसकी व्यावसायिक अभिरूचि का मूल्यांकन करेगा। इस संबंध में, बाहरी विशेषज्ञों और समुदाय

आधारित कल्याण अभिकरणों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, बाल मार्ग दर्शन चिकित्सालयों, अस्पतालों और अन्य सरकारी और गैर–सरकरी संगठनों के साथ आवश्यक संपर्क स्थापित किए जाएंगे।

ञ. पहले **चौदह दिन की समाप्ति पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया–(1)** बालक को नियमित शयनागारों में से एक में स्थनांतरित किया जाएगा और शयनागार में एक विशिष्ट बिस्तर, अलमारी और अध्ययन मेज दी जाएगी।

(2) शयनागार का समानुदेशन निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा

(i) आयु;

(ii) बालक द्वारा या उसके विरूद्व किए गए अपराध की प्रकृति;

(iii) बालक की शारीरिक और मानसिक स्थिति;

(iv) बालकों को जिन्हें विशेश देख–रेख की जरूरत है, अलग शयनागार में रखा जाएगा।

(3) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता द्वारा बालक के मामला पूर्ववृत्त, शिक्षा एवं व्यवसायिक अभिरूचि के आधार पर प्ररूप 7 में बालक में व्यक्तिगत देख–रेख योजना तैयार की जाएगी। पुनर्वास आवास के मामले में, देख–रेख योजना आवास की संपूर्ण अवधि के लिए निरूपित की जाएगी और पुनर्वास के लिए सेतु पाठ्यक्रम, औपचारिक, अनौपचारिक या सतत् शिक्षा सहित बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा दिया गया कोई या सभी निदेश आवश्यक रूप से शामिल किए जाएँगे।

(4) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता व्यक्तिगत देख–रेख योजना की समीक्षा करेगा और अपनी स्वयं की टिप्पणियों, बालक और उसके शिक्षकों या अनुदेशकों के साथ वार्तालाप और गृह पिता या गृह माता से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड में अपना मत लिखेगा।

(5) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता बाल देख–रेख संस्था में बालक के सामने आई कोई भी कठिनाई तथा कठिनाई को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में टिप्पणी के साथ अभिलेख रखेगा।

(6) बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता उसी प्रकार बाल देख–रेख संस्था में सुविधाओं के बारे में बाल द्वारा की गई शिकायत के साथ–साथ उस पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पण के साथ अभिलेख रखेगा।

615

(7) व्यक्तिगत देख–रेख योजना की शुरूआत के तीन मास में प्रत्येक पखवाड़ें में और उसके बाद प्रत्येक मास में समीक्षा की जाएगी। इसकी कारगरता और अपर्याप्तता के बारे में ऐसे मत के कारणों के साथ रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

ञ. **तीन मास बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया**–(1) बालक की व्यक्तिगत देख–रेख योजना में लिखित उद्देश्यों और लक्ष्यों के विशेष संदर्भ में बालक की प्रगति की जाँच की जाएगी। बालक की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड में लिखी जाएगी।

(2) तिमाही प्रगति रिपोर्ट को प्रबंधन समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) प्रबंधन समिति द्वारा विचार–विमर्श के बाद, व्यक्तिगत देख–रेख योजना में उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगा। बालक की दिनचर्या और बालक के पुनर्वास के प्रति उपागम में भी उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाएगाा। ऐसी संशोधित देख–रेख योजना और दिनचर्या का अभिलेख बालक की केस फाइल में रखा जाएगा। प्रगति की समीक्षा की जाएगी और प्ररूप 14 में पुनर्वास कार्ड में रिकार्ड की जाएगी।

ट. **रिहाई–पूर्व योजना**–(1) रिहाई–पूर्व योजना का सु–विचारित कार्यक्रम और बाल गृहों, विशेष गृहों और सुरक्षा के स्थान से छुट्टी किए गए मामलों का अनुवर्तन बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के निदेशों के अनुसार सभी संस्थाओं में आयोजित किया जाएगा।

(2) बालक द्वारा बिना अनुमति के बाल देख–रेख संस्था छोड़ने या संस्था के भीतर कोई अपराध करने की स्थिति में, प्रभारी अधिकारी द्वारा पुलिस और परिवार को, यदि पता हो, सूचना दी जाएगी और बालक को खोजने के लिए किए गए प्रयासों सहित, यदि बालक लापता है, परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को, जैसा भी मामला हो, भेजी जाएगी।

ठ. **बाल देख–रेख संस्था में दिनचर्या**–(1) प्रत्येक बालक, बाल देख–रेख संस्था के किसी भी अधिकारी या गृह के प्रतिनिधि के आदेश का पालन करेगा और हमेशा अनुशासित रहेगा।

(2) प्रत्येक संस्था में बाल समिति के परामर्श से तैयार की गई एक दिनचर्या होगी जिसे संस्था में विभिन्न स्थानों पर विशिष्टता से प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) दिनचर्या में अन्य बातों के साथ–साथ विनियमित और अनुशासित जीवन, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सफाई, शारीरिक व्यायाम, योगा, शैक्षणिक कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, संगठित मनोरंजन एवं खेल, नैतिक शिक्षा, सामूहिक कार्यकलाप, प्रार्थना और सामुदायिक गायन और रविवार और छुट्टियों के लिए विशेष कार्यक्रम शामिल होगें।

ड. **बालक का व्यवहार**–(1) बाल देख–रेख संस्था में बालक अच्छे व्यवहार के नियमों और मानको का अनुपालन करने के लिए अभिविन्यस्त और प्रशिक्षित होंगे।

(2) प्रत्येक अस्वीकार्य व्यवहार का बाल कल्याण समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए बालक से स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा। बाल समिति उचित कार्रवाई करने के लिए प्रभारी अधिकारी को अनुशंषा कर सकती है। प्रभारी अधिकारी द्वारा चौबीस घंटे के भीतर रिपोर्ट की प्रति जिसमें घटना का विवरण और उस पर की गई कार्रवाई समाविश्ट होगी, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी घटनाओं के निवारण के लिए दीर्घकालीन कार्यनीति की आयोजना बनाने के लिए प्रबंधन समिति के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी।

(3) रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित बालक की केस फाइल में रखी जाएगी।

(4) प्रभारी अधिकारी बाल समिति की अनुशंसाओं और बालक की सुरक्षा और सम्मान पर पूरा ध्यान देते हुए उल्लंघन के मामलों से उपयुक्त रूप से निपटेगा।

(5) प्रभारी अधिकारी स्थिति से निपटने के लिए परामर्शदाता या बाल कल्याण अधिकारी या केस वर्कर, बाल देख–रेख संस्था से संबद्व किसी गैर–सरकारी संगठन की सहायता ले सकता है।

(6) असाधारण अच्छा व्यवहार दर्शाने वाले बालक पर प्रभारी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त पुरस्कार और प्रसुविधा देने के लिए विचार किया जाएगा और बालक की केस फाइल में इसके बारे में टिप्पण रखा जाएगा।

ढ़ **अस्वीकार्य व्यवहार से निपटने की रीति**–(1) की गई कार्रवाई उल्लंघन की प्रकृति और मात्रा और बालक की आयु के अनुरूप होगी और निम्नलिखित में से कोई एक हो सकती है :

(i) औपचारिक चेतावनी;

(ii) गृह व्यवस्था से संबंधित कार्य सौंपना;

(iii) लेखन आरोपण अर्थात् बार–बार यह लिखना कि वह व्यवहार की पुनरावृत्ति न करे; और

(iv) विशेषाधिकारों अर्थात् टेलीविजन देखने की अनुमति, बाहरी कार्यकलापों के लिए जाने की अनुमति, खेल और मनोरंजन और अन्य मुख्य कार्यकलाप का समपहरण;

(2) कोई भी बालक शारीरिक दंड या बालक के सम्मान को प्रभावित करने वाले अपमानजनक व्यवहार सहित किसी भी मानसिक उत्पीड़न से दंडित नहीं किया जाएगा।

ण. **असाधारण अच्छा व्यवहार**–निम्नलिखित को अच्छा व्यवहार माना जाएगा, अर्थात् :

813

(i) एक माह से अधिक की अवधि में आंका गया, अनुशासन के नियमों का पालन करना और दिनचर्या का अनुपालन करना;

(ii) किसी अन्य बालक को अस्वीकार्य व्यवहार करने से रोकना या हिंसा का निवारण करना;

(iii) चेतावनी देकर कोई दुर्घटना घटित होने से रोकना, आपदा के मामले में अन्य बालकों को निकालना;

(iv) व्यवस्था बनाए रखने में बाल देख–रेख संस्था के किसी अधिकारी की सहायता करना। गृह प्रतिनिधियों के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो आपात स्थिति में विकसित हो सकती हैं, चेतावनी देने से पहले के व्यवहार पर विचार किया जाएगा;

(v) अशांति फैलाने या भाग जाने की किसी योजना के बारे में बाल कल्याण अधिकारी को सूचना देना;

(vi) कोई प्रतिषिद्व या निषिद्व वस्तु के बारे में प्रभारी अधिकारी को सूचना देना या;

(vii) अभिघात से बाहर निकलने में दूसरे बालक की सहायता करना;

(viii) अपनी शिक्षा जारी रखने की परीक्षा, या व्यावसायिक या पुनर्वास पाठ्क्रमों में असाधारण प्रदर्शन करना;

(ix) सकारात्मक और अनुकूलनीय व्यवहार;

(x) कोई अन्य अच्छा व्यवहार जो प्रभारी अधिकारी द्वारा असाधारण पाया गया हो।

त. **असाधारण व्यवहार बनाए रखने के लिए पुरस्कार और प्रसुविधा**–प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था के प्रबंधन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर पुरस्कार बालक को अच्छे कार्य और अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा और रिहाई के समय वह पुरस्कार उस बालकों लेने के लिए आने वाले उसके माता–पिता अथवा अभिभावक या बालक को स्वयं रसीद प्राप्त करने के बाद दिया जाएगा।

70. **प्रतिषिद्व वस्तुएं।**–(1) कोई भी व्यक्ति बाल देख–रेख संस्था में प्रतिषिद्व वस्तुएं नहीं लाएगा, अर्थात्:–

(i) किसी भी प्रकार की स्वापक वस्तुएं, मनःप्रभावी पदार्थ, शराब, गांजा, भांग, अफीम, स्मैक आदि;

(ii) सभी विस्फोटक, जहरीले पदार्थ, तेजाब और रसायन, चाहे वह तरल या ठोस किसी भी रूप में हो;

(iii) सभी आग्नेयास्त्र, अस्त्र–शस्त्र या हथियार, चाकू और कटाई के सभी उपकरण और वस्तुएं, जो किसी भी प्रकार के हथियार के रूप में उपयोग लाई जा सकती है;

(iv) सभी अश्लील सामग्री;

(v) डोरी, रस्सी, जंजीर और किसी भी प्रकार के सामान जो डोरी या रस्सी या जंजीर के रूप में उपयोग लाया जा सकता है;

(vi) लकड़ी, बांस, डंडा, लाठी, सीढ़ी, ईंट, पत्थर और किसी भी प्रकार की मिट्टी;

(vii) ताश और जुआ खेलने की अन्य सामग्री;

(viii) तम्बाकू से बनी वस्तुएं, पान मशाला या इसी प्रकार की वस्तु;

(ix) दवाइयाँ जो विशिष्टरूप से विनिर्दिष्टि नहीं की गई हैं;

(ग) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा विनिदिर्ष्टित अन्य कोई वस्तु।

(2) सभी सोना–चांदी, धातु सिक्के, आभूषण, गहने, मुद्रा नोट, प्रतिभूतियां और मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, आई–पैड आदि जैसे इलैक्ट्रॉनिक उपकरणो सहित सभी प्रकार की मूल्यवान वस्तुएँ सुरक्षित अभिरक्षा में जमा की जाएंगी।

(3) प्रतिषिद्व वस्तुओं का निपटान इन नियमों के नियम 72 के अनुसार किया जाएगा।

71. **तलाशी लेने और निरीक्षण के समय पाई गई वस्तुएँ।**–(1) प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्था में प्राप्त किए जाने वाले प्रत्येक बालक की तलाशी ली जाए, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जाए और उसके पास पाए गए किसी धन या मूल्यवान वस्तु को उस प्रभारी अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए। बालिकाओं की तलाशी के मामले में, महिला कर्मचारी द्वारा ही तलाशी ली जाएगी। किसी भी बालक के पास पाए धन, बहुमूल्य वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का अभिलेख प्रत्येक संस्था में "व्यक्तिगत सामान रजिस्टर" में रखा जाएगा जिसमें वस्तुओं का विवरण अंतर्विष्ट होगा।

(2) व्यक्तिगत सामन रजिस्टर में प्रत्येक बालक के संबंध में की गई प्रविष्टियां एक साक्षी की उपस्थति में बालक को पढ़कर सुनाई जाएगी और ऐसी प्रविष्टयों के सही होने के प्रतीक के रूप में साक्षी के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और इन प्रविष्टियों पर प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाएंगे।

72. **वस्तुओं का निपटान।**–(1) बालक के धन या मूलयवान वस्तुओं का निम्नलिखित रीति से निपटान किया जाएगा, अर्थात:

(i) संस्था में बालक को प्राप्त करने पर, प्रभारी अधिकारी बालक की धनराशि को बालक के खाते में जमा कराएगा;

(ii) मूल्यवान और अन्य वस्तुएँ, यदि कोई हैं, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएंगी;

(iii) जब ऐसे बालक को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थान्तरित किया जाता है, तब उसका धन, मूल्यवान और अन्य वस्तुएं, संपूर्ण और सही विवरणी के साथ, बालक के साथ उस संस्था के प्रभारी अधिकारी को स्थानान्तरित किए जाएंगे, जिसमें उस बालक का स्थानान्तरण किया गया है;

611(

(iv) ऐसे बालक की रिहाई समय, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई उसकी मूल्यवान और अन्य वस्तुएँ और बालक के नाम में जमा धनराशि यथास्थिति उसके माता–पिता या अभिभावक को, सौंपी जाएगी और इस विषय में रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी और माता–पिता या अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगे;

(v) जब संस्था में किसी बालक की मृत्यु हो जाती है, तब मृतक द्वारा छोडी गई मूल्यवान और अन्य वस्तुएं और बालक के नाम में जमा धनराशि प्रभारी अधिकारी द्वारा बालक के माता–पिता या अभिभावक को सौंपी जाएगी;

(vi) ऐसे व्यक्ति से ऐसी धनराशि, मूल्यवान और अन्य वस्तुओं की प्राप्ति की रसीद ली जाएगी; और

(vii) यदि बालक की मृत्यु या उसके भाग जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है, तो बालक की मूल्यवान और अन्य वस्तुएँ और उसके नाम में जाम धनराशि का इन नियमों के नियम 39 के अधीन प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विनिश्चय के अनुसार निपटान किया जाएगा।

73. **मामले की फाइल का रखरखाव।**–(1) बाल देख–रेख संस्था में सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई प्रत्येक बालक की मामला फाइल गोपनीय होगी।

(2) मामला फाइल को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के अवलोकन के लिए पेशी की प्रत्येक तारीख पर बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) मामला फाइल में निम्नलिखित जानकारी होगी अर्थात्:

(i) पुलिस रिपोर्ट सहित बोर्ड या समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या अभिकरण की रिपार्ट;

(ii) बालक के द्वारा या उसके विरूद्व किए गए अपराध के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट या रोजनामचे की प्रति;

(iii) फोटो पहचान पत्र, आधारकार्ड/आधार क्रमांक या बैंक खाता संख्या यदि उपलबध हो;

(iv) मामला कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का आदेश;

(v) मामला इतिवृत्त प्रपत्र;

(vi) बालक की किसी तात्कालिक जरूरत की रिपोर्ट;

(vii) प्रभारी अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी, परामर्शदाता और मामला कार्यकर्ता की रिपोर्ट;

(viii) किसी पिछली संस्था में रखी गई बालक की केस फाइल, यदि कोई हो तो;

(ix) बालक से प्रारंभिक वार्तालाप की रिपोर्ट, उसके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, समुदाय, मित्रों से प्राप्त जानकारी और विविध स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी;

(x) बालक, उसके परिवार आदि के बारे में आगे की जानकारी का स्त्रोत;

(xi) कर्मचारियों से प्राप्त पर्यवेक्षण रिपोर्ट;

(xii) चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त यथास्थिति नियमित स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट, नशामुक्ति कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट;

(xiii) मनो–सामाजिक प्रोफाइलिंग, नियमित परामर्श रिपोर्ट, जहाँ कहीं लागू हो, मानसिक स्वास्थ्य अंतक्षेप की कोई अन्य;

(xiv) बुद्धिलब्धि (आई०क्यू०) परीक्षा रिपोर्ट, अभिरूचि परीक्षा रिपोर्ट, ज्ञानात्मक मूल्यांकन, शैक्षणिक या व्यावसायिक परीक्षाओं की, यदि आयोजित की गई है, रिपोर्ट;

(xv) प्रशिक्षण और उपचार कार्यक्रम और विशेष सावधानियाँ रखे जाने के संबंध में अनुदेश;

(xvi) व्यक्तिगत सामान रजिस्टर की प्रति;

(xvii) बालक की आयु घोषित करने वाले आदेश की प्रति;

(xviii) प्रदान की गई छुट्टियां और अन्य विशेषाधिकार;

(xix) पुनर्वास कार्ड;

(xx) तिमाही प्रगति रिपोर्ट;

(xxi) यथा विहित रिहाई–पूर्व कार्यक्रम, रिहाई के उपरांत योजना और अनुवर्ती योजना सहित व्यक्तिगत देख–रेख योजना और उनमें आशोधन;

(xxii) देख–रेख योजना की कारगरता के बारे में पाक्षिक और मासिक रिपोर्ट;

(xxiii) बालक के सामने आ रही कठिनाइयों का अभिलेख और उनका समाधान;

(xxiv) बालक की शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का रिकार्ड;

(xxv) बालक द्वारा दिया गया फीडबैक;

(xxvi) छुट्टी और पर्यवेक्षणाधीन रिहाई;

(xxvii) ऐसे मुलाकाती की रिपोर्ट जो बालक से मुलाकात करते समय आपत्तिजनक या प्रतिषिद्व वस्तुओं के साथ पाया गया हो;

(xxviii) ऐसी वस्तुएँ रखने के बारे में बालक की रिपोर्ट और इस बारे में की गई कार्रवाई रिपोर्ट;

(xxix) किसी अस्वीकार्य व्यवहार एवं परिणाम की रिपोर्ट;

(xxx) किसी असाधारण व्यवहार एवं परिणाम की रिपोर्ट;

(xxxi) विशेष उपलब्धियाँ और नियमों का उल्लंघन, यदि कोई हो;

(xxxii) बालक को पुरस्कार या उसके उपार्जन का टिप्पण और बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक की प्राप्ति;

(xxxiii) रिहाई या वापसी आदेश;

(xxxiv) रिहाई के समय बालक के माता–पिता अथवा अभिभावक द्वारा लाया गया परिचय पत्र एवं अन्य जरूरी कागजात की छायाप्रति।

(xxxv) अनुरक्षण आदेश, यदि कोई हो;

(xxxvi) पुनर्वास अंतःक्षेप आवास के अंतर्गत बालकों के मामले में रिहाई की अनुपालना रिपोर्ट;

(xxxvii) रिहाई नहीं किए जा रहे बालक की रिपोर्ट और बालक की गैर–रिहाई के संबंध में जारी किए गए निदेशों की अनुपलना रिपोर्ट;

(xxxviii) अनुवर्ती रिपोर्ट;

(xxxix) वार्षिक फोटो;

(xl) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के निदेशानुसार रिहाई उपरांत मामलों की अनुवर्ती रिपोर्ट;

(xli) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा बालक के मामले में मांगी किसी अन्य रिपोर्ट की प्रति; और

(xlii) टिप्पणियों, यदि कोई हों।

(4) बालक के चिकित्सा अभिलेख में उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, व्यसन की स्थिति और उपचार आदि के बारे में बालक की सभी रिपोर्ट और अभिलेख अंतर्विष्ट होंगे।

(5) केस फाइल के रखरखाव का उत्तरदायित्व बाल कल्याण अधिकारी या संबंधित मामला कार्यकर्ता का होगा।

(6) संस्था द्वारा रखी गई सभी मामलों की फाइलें कम्प्यूटरीकृत की जाएगी और राज्य सरकार इसके लिए उचित प्रक्रिया विकसित करेगी।

74. **बालकों से मिलना और उनसे सूचना का आदान प्रदान करना।**–(1) बाल देख–रेख संस्था में प्रत्येक बालको उसके रिश्तेदारों से सप्ताह में एक बार मिलने की अनुमति होगी:

परंतु विशिष्ट मामले में, जहाँ माता–पिता या अभिभावक दूसरे राज्य या जिला से लंबी दूरी यात्रा करके आए हैं, प्रभारी अधिकारी ऐसे माता–पिता या अभिभावकों को, उनकी पहचान की पुष्टि होने पर और उनके बारे में बालक के साथ दुर्व्यवहार या उसका शोषण करने में उनकी संलिप्तता की कोई रिपोर्ट नहीं है, परिसर में प्रवेश करने और उनके बच्चों से अन्य दिनों में मिलने की अनुमति दे सकता है।

(2) नए प्राप्त किए गए बालक को उसके माता–पिता या अभिभावक या परिवार के सदस्य से उनके पहले भ्रमण पर किसी भी दिन मिलने की अनुमति होगी।

(3) ऐसे माता–पिता या अभिभवकों या रिश्तेदारों को जहाँ ऐसे आगंतुकों की बालक के साथ हिंसा, दुर्व्यवहार या उसका शोषण करने में या प्रतिषिद्व वस्तुओं के लाने में संलिप्तता पाई गई है, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्पष्ट अनुमति के सिवाय और जब ऐसी

मुलाकात बालक के परामर्शदाता द्वारा विशेष रूप से निदेशित नहीं की गई हो, मिलने की कोई अनुमति नहीं होगी।

(4) प्रत्येक बालक को अपने माता–पिता या अभिभावक या रिश्तेदारों को सप्ताह में दो पत्र लिखने की अनुमति होगी। आवश्यक लेखन और डाक सामग्री प्रभारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) प्रभारी अधिकारी बालक द्वारा या बालकों लिखे गए किसी भी पत्र को पढ़ सकेगा और ऐसे कारणों से जिन्हें बालक की केस फाइल में लिखा जाएगा, पत्र को सुपुर्द करने या आगे भेजने से मना कर सकेगा। इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रबंधन समिति के समझ रखी जाएगी। रिपोर्ट की एक प्रति केस फाइल में रखी जाएगी और दूसरी प्रति बोर्ड या बाल न्यायालय या समिति को भेजी जाएगी।

(6) प्रत्येक बालक को यथास्थिति बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय में, जैसा भी मामला हो, देने के प्रयोजन से कोई भी लिखित संप्रेषण लाने की अनुमति होगी और इसके लिए उसे लेखन सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) प्रभारी अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्त्ता या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में बालक को सप्ताह में एक बार दूरभाष पर उसके माता–पिता या अभिभावकों से बातचीत करने की अनुमति दे सकता है और ऐसे वार्तालाप का विधिवत् अभिलेख रखा जाएगा।

(8) बालकों से मुलाकात करने का इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति, मुलाकात से पहले प्रमाण के साथ अपना नाम व पता बताएगा जिसे आगंतुक पुस्तिका में लिखा जाएगा और आगंतुक द्वारा उसमें हस्ताक्षर किए जाएँगे। आगंतुक के पते एवं फोटो पहचान पत्र की प्रति मुलाकात से पहले ली जाएगी और संस्था द्वारा रख ली जाएगी। यदि आगंतुक अपना विवरण प्रकट नहीं करता है, उसे मुलाकात करने में मना कर दिया जाएगा।

(9) आगंतुक मुख्य द्वारा पर तलाशी के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा, महिला आगंतुक की तलाशी केवल महिला कर्मचारी द्वारा ली जाएगी।

(10) प्रत्येक मुलाकात बाल देख–रेख संस्था के कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्त्ता या परिवीक्षा अधिकारी की उपस्थिति में की जाएगी जो होने वाली किसी भी अनियमितता के लिए जिम्मेवार होगा और जो इस प्रकार उपस्थिति रहेगा कि वह पक्षों के बीच गुजरने वाली किसी भी आपत्तिजनक या प्रतिषिद्व वस्तु को देखने और रोकने में समर्थ है।

(11) प्रत्येक बालक की मुलाकात से पहले और बाद में आगंतुक की उपस्थिति में सावधानीपूर्वक तलाशी ली जाएगी। बालक के पास मुलाकात के लिए जाने से पहले कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए।

(12) यदि बैठक से पहले ली गई तलाशी में काई आपत्तिजनक प्रतिषिद्व वस्तुएँ पाई जाती है:

(i) उक्त वस्तु जब्त कर लिया जाएगा;

(ii) प्रभारी व्यक्ति बालक तक वस्तु को पहुँचाने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति (यों) का पता लगाने के लिए जाँच करेगा;

(iii) यदि जिम्मेवार व्यक्ति बाल देख–रेख संस्था के कर्मचारियों में से हैं, उनके विरूद्व उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी; और

(iv) जाँच की विस्तृत रिपोर्ट और इसका परिणाम विभाग और बोर्ड या सक्षम दाण्डिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा।

(13) यदि बैठक के बाद ली गई तलाशी में कोई आपत्तिजनक या प्रतिषिद्व वस्तु पाई जाती है तो:

(i) वस्तु जब्त कर ली जाएगी;

(ii) किसी गैर–कानूनी वस्तु के पाये जाने के मामले में, जिसमें कानूनी कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत हो, वस्तु और आगंतुक को निरूद्व कर लिया जाएगा और पुलिस को सूचना दी जाएगी। आगंतुक और ऐसी वस्तु को पुलिस को सौंप दिया जाएगा;

(iii) ऐसे आगंतुक के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बालक की केस फाइल में रखी जाएगी;

(iv) घटना की एक रिपोर्ट को बोर्ड या सक्षम दाण्डिक क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा; और

(v) रिपोर्ट की प्रति बालक की केस फाइल में रखी जाएगी।

(14) कोई भी बालक जो मुलाकात के विशेषाधिकार का दुरूपयोग करता है, ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए प्रभारी अधिकारी निदेश दे सकता है, उस अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को भेजी जाएगी और इसकी प्रति बालक की केस फाइल में रखी जाएगी।

(15) प्रत्येक बालक को निम्नलिखित के अधीन रहते हुए कानूनी परामर्शदाता से संवाद करने का हक होगा:

(i) तलाशी और जब्ती के नियम सभी कानूनी परामर्शदाताओं पर भी लागू होंगे;

(ii) ऐसे प्रत्येक साक्षात्कार गृह के अधिकारी की नजर में होगा, यद्यपि वह सुरक्षित दूरी पर होगा ताकि वह सुनने के दायरे से बाहर रहे;

(iii) बालक के अधिवक्ता की हैसियत से उसका साक्षत्कार लेने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा सत्यापित वकालतनामा की एक प्रति के साथ अपना नाम, पता और नामांकन संख्या देते हुए लिखित में आवेदन करेगा;

(iv) किसी भी बालक को जो अधिवक्ता नहीं होने का दावा करता है, विधिक सहायता अधिवक्ताओं से मिलने की अनुमति होगी जो सामान्य कार्य प्रणाली में बाल देख–रेख संस्था का दौरा करते हैं।

75. **बालक की मृत्यु।**– (1) बाल देख–रेख संस्था में किसी बालक की मृत्यु होने अथवा आत्महत्या का कोई मामला होने की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

(i) संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि मृत्यु समीक्षा और शव परीक्षण की कार्यवाही यथाशीघ्र की जाए।

(ii) किसी प्राकृतिक कारण से या रोगग्रस्त होने के कारण किसी बालक की मृत्यु की दशा में, प्रभारी अधिकारी चिकित्सा अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करेगा जिसमें मृत्यु का कारण दर्शाया जाएगा और मृत्यु के बारे में लिखित सूचना तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड, या समिति और उस बालक के माता–पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को भेजी जाएगी।

(iii) मामला कार्यकर्ता या परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचना दी जाएगी और प्रभारी अधिकारी तत्काल निकटवर्ती पुलिस थाने, बोर्ड या समिति और मृतक बालक के माता–पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सूचित करेगा।

(iv) यदि बाल देख–रेख संस्था में प्रवेश पाने के चौबीस घंटे के भीतर किसी बालक की मृत्यु हो जाती है, तो बाल देखरेख संस्था का प्रभारी अधिकारी पुलिस और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल और ऐसे बालक के माता–पिता या अभिभावकों या रिश्तेदारों को सूचित करेगा।

(v) बाल देख–रेख संस्था के प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी उस बालक की मृत्यु की परिस्थितियां रिकॉर्ड करेंगे और संबंधित मजिस्ट्रेट, पुलिस, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय और जिला चिकित्सा अधिकारी या निकटवर्ती सरकारी अस्पताल, जिसमें निरीक्षण और मृत्यु के कारण की जाँच के लिए बालक के शव को भेजा गया हो, एक रिपोर्ट भेजेंगे और प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मृत्यु के कारण के विषय में अपने विचार, यदि कोई हों, भी अभिलिखित करेंगे और इसे संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस को देंगे।

(vi) बाल देख–रेख संस्था का प्रभारी अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी ऐसे किसी बालक की मृत्यु के कारणों और अन्य ब्यौरों के संबंध में पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली किसी भी जाँच के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(vii) जैसे ही मृत्यु समीक्षा पूरी हो जाती है, बालक का शव उसके माता–पिता या अभिभावक' या रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा या किसी दोवदार के उपस्थिति न होने की दशा में भविष्य में संदर्भ के लिए बालक का फोटोग्राफ रखने के बाद उस बालक के ज्ञात धर्म के अनुसार बाल देखरदेख संस्था के प्रभारी अधिकारी की देख–रेख में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

76. **बालक का दुर्व्यवहार, शोषण एवं उपेक्षा से बचाव।**–(1) प्रत्येक संस्था में यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाएगी कि संस्था में किसी भी बालक के साथ कोई दुर्व्यहार, उपेक्षा और दुराचार न हो और इसमें उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो दुर्व्यवहार, उपेक्षा और दुराचार का अर्थ और इनके प्रारंभिक संकेतों को और इन दुर्व्यवहारों से कैसे निपटते हैं, जानते हैं।

(2) किसी भी संस्था में बालकों की देख–रेख और संरक्षण के उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा बालकों की उपेक्षा सहित उनके साथ शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार की दशा में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी, अर्थात्:

(i) दुर्व्यवहार और शोषण की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर संस्था के किसी भी कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट तत्काल प्रभारी अधिकारी को की जाएगी तथा यदि प्रभारी व्यक्ति के ऊपर बालकके साथ दुर्व्यवहार या शोषण की घटना कारित करने का आरोप लगता है तो उक्त की सूचना तत्काल प्रभाव से जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य बाल संरक्षण समिति को दी जाएगी;

(ii) जब शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार के आरोप की जानकारी प्रभारी अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य बाल संरक्षण समिति को होती है, इस संबंध में बोर्ड या समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो परिणामस्वरूप, विशेष अन्वेषण का आदेश देगी;

(iii) बोर्ड या समिति ऐसे मामले को दर्ज करने, ऐसी घटनाओं का सम्यक संज्ञान लेने और आवश्यक अन्वेषण करने के लिए स्थानीय पुलिस थानो या विशेष किशोर पुलिस इकाई को निदेश देगी;

(iv) बोर्ड या समिति यह सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय करेंगी कि जाँच पूरी हो और पीड़ित बालक को विधिक सहायता के साथ–साथ परामर्श उपलब्ध कराए जाएं;

(v) बोर्ड या समिति ऐसे बालक को किसी अन्य संस्था या सुरक्षा के स्थान या उपयुक्त व्यक्ति को स्थनांतरित करेगी;

(vi) संस्था का प्रभारी अधिकारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को भी सूचित करेगा और घटना और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट की एक प्रति प्रबंधन समिति की अगली बैठक में उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(vii) संस्थाओं में बालकों की बाबत किए गए किसी अन्य अपराध की दशा में, बोर्ड या समिति उसका संज्ञान लेगी और स्थानीय पुलिस थाना या विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा किए जाने वाले आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगी;

(viii) बोर्ड या समिति दुर्व्यवहार और शोषण के तथ्यों की जाँच करने के लिए प्रत्येक संस्था में गठित बाल समिति से परामर्श करने के साथ–साथ संस्था में बालकों के दुर्व्यहार और शोषण के मामलों से निपटने से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों, बाल अधिकार के विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों या संकट मध्यक्षेप केंद्रों से सहायता प्राप्त कर सकेगी।

77. **रजिस्टरों का रखरखाव।**–(1) कॉलम (3) में उल्लिखित व्यक्ति अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन स्तंभ (2) में उल्लिखित रजिस्टरों का जिसका अभिरक्षक स्तंभ (4) में उल्लिखित व्यक्ति होगा, निम्नानुसार रखरखाव करेगा:

सारणी

क्र.सं.	रजिस्टर और प्ररूप	जिनके द्वारा रखरखाव किए जाएगा	अभिरक्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रवेश और छुट्टी रजिस्टर जो अभिरक्षा की प्रकृति में परिवर्तन संसूचित करेगा	बाल कल्याण अधिकारी/ मामला कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी/ प्राप्त कर्ता अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
2	कर्मचारियों और बालकों की	पाली प्रभारी	प्रभारी अधिकारी

	उपस्थिति रजिस्टर		
3	बजट विवरण फाइल	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
4	प्रत्येक बालक की केस फाइल	बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
5	रोकड़ बही	लेखा अधिकारी/खजाँची	प्रभारी अधिकारी
6	बालक सुझाव पुस्तिका	बालक समिति	प्रभारी अधिकारी
7	परामर्श रजिस्टर	परामर्शदाता	प्रभारी अधिकारी
8	नशा मुक्ति कार्यक्रम नामांकन और प्रगति रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/ मामला कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
9	प्रभार सौंपने का रजिस्टर	पाली प्रभारी	प्रभारी अधिकारी
10	गृह व्यवस्था और सफाई रजिस्टर	गृह माता–पिता	प्रभारी अधिकारी
11	निरीक्षण पुस्तिका	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
12	विधिक सेवा रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
13	पुस्तकालय रजिस्टर	शिक्षक	प्रभारी अधिकारी
14	लॉग बुक	चालक	प्रभारी अधिकारी
15	भोजन रजिस्टर/पोषण आहार फाइल	गृह माता–पिता/ परिवीक्षा अधिकारी	पाली प्रभारी
16	प्रत्येक बालक की चिकित्सा फाइल	स्टाफ नर्स/पारा मेडिकल स्टाफ	प्रभारी अधिकारी
17	बैठक पुस्तिका	बाल कल्याण अधिकारी/ मामला कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
18	बालक समितियों की कार्यवृत्त रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/ मामला कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
19	प्रबंधन समिति की कार्यवृत्त रजिस्टर	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
20	आदेश पुस्तिका	प्रभारी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
21	व्यक्तिगत सामान रजिस्टर	बाल कल्याण अधिकारी/ मामला कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
22	प्रस्तुति रजिस्टर	परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/मामला कार्यकर्ता/ परिवीक्षा अधिकारी	प्रभारी अधिकारी
23	कर्मचारी संचालन रजिस्टर	सुरक्षा प्रभारी	प्रभारी अधिकारी
24	स्टॉक रजिस्टर	लेखापाल–सह–भण्डारपाल	प्रभारी अधिकारी
25	आगमन एवं बहिर्गमन रजिस्टर	सुरक्षा गार्ड	प्रभारी अधिकारी
26	आगंतुक पुस्तिका	सुरक्षा गार्ड	मुख्य द्वारपाल
27	अन्य कोई रजिस्टर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेश/दिशानिर्देश में वर्णित है	राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशानुसार	प्रभारी अधिकारी

78. **खुलापन और पारदर्शिता।**– (1) समस्त बाल देख–रेख संस्थाओं को बोर्ड या समिति या प्रभारी अधिकारी की अनुमति से आगंतुकों के लिए खोला जाएगा। बोर्ड या समिति या प्रभारी अधिकारी स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों को अंदर आने की अनुमति दे सकते हैं और उसी तरह ऐसे अन्य व्यक्तियों को प्रबंधन समिति बालकों की सुरक्षा, कल्याण और हित का ध्यान रखते हुए उपयुक्त समझे, अनुमति दे सकती है।

603

(2) जहाँ उप–नियम (1) में निर्दिष्ट अनुमति प्रभारी अधिकारी द्वारा दी जाती है, वह राज्य यथास्थिति जिला बाल संरक्षण इकाई तथा राज्य बाल संरक्षण समिति और बोर्ड या समिति, जैसा भी मामला हो, के लिए भी ऐसी अनुमति की मासिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें बोर्ड या समिति से प्राप्त आदेश शामिल होंगे।

(3) बाल देख–रेख संस्था का प्रभारी अधिकारी संस्था में स्थितियों में सुधार करने या बालक की सहायता करने के लिए स्थानीय समुदाय और नियमों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा।

(4) प्रभारी अधिकारी आगंतुकों की टिप्पणियों का अभिलेख रखने के लिए आगंतुक पुस्तिका रखेंगे।

(5) प्रभारी अधिकारी बालकों की गरिमा बनाए रखने के लिए आगंतुकों को सूचित करने के सभी उपाय करेगा।

79. **बाल देख–रेख संस्था से बालक की रिहाई।**–(1) बाल देख–रेख संस्था का प्रभारी अधिकारी बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा यथा आदेशित आवास की अवधि की समाप्ति पर रिहा किए जाने बाले बालकों के मामलों का रोस्टर रखेगा।

(2) बालक की रिहाई और रिहाई की सही तारीख की समयोचित सूचना बालक के माता–पिता या अभिभावक को दी जाएगी और माता–पिता या अभिभावक को उस तारीख को बालक का प्रभार लेने के लिए परिचय पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई जरूरी कागजात जो कि बालक के साथ उनके संबंध को प्रमाणित करता है, को लेकर बाल देख–रेख संस्था में बुलाया जाएगा और यदि आवश्यक हो, माता–पिता या अभिभावक की दोनों ओर की यात्रा और बालक की बाल देख–रेख संस्था से यात्रा के वास्तविक व्यय का भुगतान बालक की रिहाई के समय प्रभारी अधिकारी द्वारा माता–पिता या अभिभावक को किया जाएगा।

(3) यदि माता–पिता या अभिभावक, नियत तारीख को आने में और बालक का यथास्थिति प्रभार लेने में असफल रहते हैं, बालक को बाल देख–रेख संस्था के मार्गरक्षी या विशेष पुलिस ईकाई या चाइल्डलाईन या अन्य सामाजिक या स्वैच्छिक संस्था के द्वारा ले जाया जाएगा, और बालिका के मामले में, उसे महिला मार्गरक्षी द्वारा ले जाया जाएगा जो उसे उसके माता–पिता/अभिभावक की अभिरक्षा में सौंपेगी।

(4) रिहाई या छुट्टी के समय, बालक को उपयुक्त कपड़ों का सेट और आवश्यक प्रसाधन सामग्री दी जा सकेगी।

(5) जब बालक अठारह वर्ष की आयु का हो जाता है, उसका स्थापन, यदि वह पात्र है, बालक की सहमति और बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के अनुमोदन अध्यधीन, परवर्ती देख–रेख कार्यक्रम में किया जा सकेगा।

(6) यदि रिहाई की तारीख रविवार या सार्वजनिक अवकाश वाले दिन पड़ती है, तो बालक को उससे पूर्वगामी दिन छुट्टी दे दी जाएगी और छुट्टी रजिस्टर में इस संबंध में एक प्रविष्टि की जाएगी।

(7) बाल देख–रेख संस्था का प्रभारी अधिकारी उपयुक्त मामलों में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दरों पर यथास्थिति निर्वाह धन और रेल/या सड़क किराया, का भुगतान कर सकेगा।

(8) जहाँ किसी बालिका के पास रिहाई के बाद जाने का कोई स्थान नहीं होता है और वह आवास की अवधि की समाप्ति के बाद भी बाल देख–रेख संस्था में रूकने का अनुरोध करती है, प्रभारी अधिकारी, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के अनुमोदन के अध्यधीन, सीमित समय के लिए जब तक उस बालिका द्वारा कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था नहीं कर ली जाती है, उसके आवास को अनुमति दे सकेगा।

80. **ऐसे रोगों से जिनके लिए अनुमोदित स्थान में दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार की जरूरत होती है, पीड़ित बालक और बालिका का स्थानांतरण जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त है या अल्कोहल या अन्य नशीली दवाइयों का आदी है.**–(1) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय ऐसे बालक को जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त है या अल्कोहल या अन्य नशीली दवाइयों या किसी अन्य मादक पदार्थ का आदी है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति में व्यवहारगत परिवर्तन होते है, ऐसी अवधि या उसके आवास की शेष अवधि के लिए जो ऐसे बालक को, बालक के उपचार के लिए यथा आवश्यक है, उपयुक्त सुविधा में भेजेगा जिसे चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित किया गया है या प्रभारी अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता द्वारा अनुशंसा की गई है।

(2) जब बालक रोग या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ठीक हो गया हो, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय ऐसे बालक को उस देख–रेख में जहाँ से उसे उपचार के लिए हटाया गया था, वापस रखे जाने का आदेश देगा और यदि उस बालक को और अधिक समय तक देख–रेख में रखा जाना आवश्यक नहीं है, तो बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय उसकी छुट्टी करने का आदेश कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार व्यसनी बालकों के लिए उपयुक्त आयु समूहों के आधार पर अलग समेकित पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करेगी।

81. **बालक का स्थानांतरण**।–(1) जाँच के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि बालक बोर्ड या समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर के स्थान का है, तो बोर्ड या समिति बालक के स्थानांतरण का आदेश करेगी और आदेश की एक प्रति जिसमें ऐसे स्थानांतरण के कारणों एवं परिस्थितियों को लेखबद्व किया जाएगा, राज्य सरकार और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजेगी।

(2) तद्नुसार जिला बाल संरक्षण इकाई :–

(i) उपयुक्त बोर्ड या समिति को, जिसके कार्यक्षेत्र में वह क्षेत्र आता है जहाँ बोर्ड या समिति द्वारा बालक के स्थानांतरण का आदेश किया गया है, स्थानांतरण की सूचना भेजेगी; और

(ii) संस्था के प्रभारी अधिकारी को जहाँ बालक को स्थानांतरण आदेश के समय देख–रेख और संरक्षण के लिए रखा गया है, सूचना की एक प्रति भेजेगी।

(3) बालक के मार्गरक्षण आदेश में यथा विनिर्दिष्टित स्थान या व्यक्ति तक पहुँचाने में आने वाले खर्च का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर निर्धारित रूप में किया

601

जाएगा तथा अंतरर्राज्यीय स्थानान्तरण के मामले में बच्चे के हस्तांतरण में किये गये खर्च का वहन दैनिक आधार पर निर्धारित यात्रा भत्ता के अनुसार किया जाएगा, जिसका भुगतान संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसके द्वारा बालक का स्थानांतरण किया गया है। राज्य के भीतर बच्चों के स्थानान्तरण के मामले में खर्च का वहन निर्धारित मानदंडों के अनुसार संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किया जाएगा, जहाँ बालक का स्थानांतरण किया गया है।

(4) ऐसे स्थानांतरण पर, बालक की केस फाइल और उसके अभिलेख जिसमें राज्य सरकार तथा/अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विकसित अभिहित पोर्टल पर उपलब्ध सूचना भी शामिल है, बालक के साथ भेजे जाएँगे।

(5) जहाँ बालक दूसरे देश का नागरिक है, ऐसे देश को छोड़कर, जिसके साथ नागरिकों के स्वतंत्र आवाजाही/आवागमन के संबंध में विशेष संधि की गयी हो जैसे–नेपाल, बोर्ड या समिति के समक्ष बालक को प्रस्तुत करने पर बोर्ड या समिति तत्काल राज्य सरकार को सूचित करेगी जो गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के परामर्श से, जैसा भी मामला हो, शीघ्र बालक के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया शुरू करेगी।

(6) प्रत्यावर्तन को अंतिम रूप दिया जाना लंबित रहने की अवधि के दौरान, बालक को देख–रेख संस्था में रखा जाएगा।

(7) दूसरे देश में बालक के प्रत्यावर्तन पर हुए व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

82. **वापस भेजा जाना और अनुवर्तन।**–(1) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, बालक और उनके माता–पिता या अभिभावक की सुनवाई के बाद और माता–पिता या अभिभावक होने का दावा करने वाले व्यक्तियों की पहचान के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद बाल देख–रेख संस्था में रखे गए बालक (बाल श्रमिक को छोड़कर) की रिहाई के लिए प्ररूप 44 में आदेश देगी।

(2) बालक को वापस भेजे जाने का आदेश पारित करते समय, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय उपयुक्त मामले में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के निर्देश पर तैयार की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट सहित परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता की रिपोर्टों और बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज या रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(3) वापस भेजे जाने के आदेश में परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या गैर–सरकारी संगठन द्वारा तैयार की व्यक्तिगत देख–रेख योजना सम्मिलित की जाएगी।

(4) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, बालक को वापस भेजे जाने का निदेश देते समय, जहाँ कहीं आवश्यक है, प्ररूप 45 में मार्गरक्षण के लिए आदेश पारित करेगा।

(5) पुलिस के अतिरिक्त, बोर्ड या समिति, बालक को परिवार में वापस भेजे जाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग लेगी।

(6) बालिकाओं के मामले में, बालिका को महिला अभिरक्षा दल के साथ भेजा जाएगा।

(7) पुलिसकर्मी बालक के मार्गरक्षण के समय अपनी वर्दी में नहीं होंगे।

(8) मार्गरक्षण दल ऐसे स्थान या पड़ोस में जहाँ पर बालक को पुनर्समेकित करने का आदेश दिया गया है, उस स्थान पर अथवा पारगमन के समय बालक की गरिमा एवं सूचना की गोपनीयता की रक्षा करेंगे।

(9) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय द्वारा वापस भेजे जाने के आदेश की प्रति के साथ–साथ मार्गरक्षण आदेश की प्रति जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जाएगी जो यात्रा और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित बालक को वापस भेजे जाने के लिए राशि प्रदान करेगी।

(10) जब कोई बालक परिवार में वापस जाने की अनिच्छा प्रकट करता है, तो बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय इस कारणों का पता लगाने के लिए बालक के साथ वार्तलाप करेगा और इस बात को दर्ज करेगा और बालक को परिवार में वापस जाने के लिए न तो बाध्य किया जाएगा और न ही समझाया जाएगा। बालक को ऐसी स्थिति में भी परिवार में वापस नहीं भेजा जाएगा जहाँ बाल कल्याण अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता या मामला कार्यकर्ता या गैर–सरकारी संगठन यह सिद्व करता हो कि बालक का परिवार में वापस जाना उसके हित में नहीं है। बालक को ऐसे परिबार में भी वापस नहीं भेजा जाएगा जहाँ माता–पिता या अभिभावक बालक को वापस स्वीकार करने से इंकार करते हैं। ऐसे सभी मामलों में, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय पुनर्वास के वैकल्पिक साधन प्रदान करेगा।

(11) व्यक्तिगत देख–रेख योजना के भाग के रूप में परिवीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता या समाजिक कार्यकर्ता या गैर–सरकारी संगठन द्वारा एक अनुवर्ती योजना तैयार की जाएगी।

(12) अनुवर्ती रिपोर्ट में बालक को वापस भेजने के बाद उसकी स्थिति और बालक की असुरक्षा में आगे और कमी लाने के लिए आवश्यक उपायों का उल्लेख होगा।

83. किशोर न्याय निधि।–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि नामक निधि का सृजन करेगी।

(2) राज्य सरकार किशोर न्याय निधि के लिए पर्याप्त बजट उपबंध करेगी।

(3) किशोर न्याय निधि में दान, स्वैच्छिक अभिदान, अंशदान या निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निधि, चाहे किसी विशेष प्रयोजन के लिए या बिना किसी विशेष प्रयोजन के, प्राप्त कर सकेगी और ऐसी निधि सीधे किशोर न्याय निधि में जमा की जाएगी।

(4) किशोर न्याय निधि का राज्य सरकार द्वारा उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा अर्थात् :–

(i) बाल देख–रेख संस्थाओं की स्थापना और संचालन;

(ii) बाल देख–रेख संस्थाओं में बालकों के कल्याण के लिए अभिनव कार्यक्रमों को सहायता;

(iii) विधिक सहायक और समर्थन का सुदृढीकरण;

599

(iv) उद्यमशीलता सहायता, कौशल विकास या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना;

(v) अठारह वर्ष की आयु की होने पर बाल देख–रेख संस्था छोड़कर जा रहे बालकों का एकमुश्त निर्वहन सहायता प्रदान करना;

(vi) ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने संस्थागत देख–रेख में अठारह वर्ष की आयु पार कर ली है, जीवन की मुख्यधारा में पुनर्समेकन को समर्थन देने के लिए छोटे व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी और अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए देख–रेख सुविधाएँ और उद्यमशीलता निधि प्रदान करना;

(vii) पालन–पोषण देख–रेख, प्रायोजकता और परवर्ती देख–रेख प्रदान करना;

(viii) उग्रवादी समूहों और वयस्क समूहों से छूटे बच्चे सहित विशेष परिस्थितियों में रह रहे बालकों का पुनर्वास;

(ix) बालक को विचारण और वापस भेजे जाने के लिए यात्रा के व्यय को वहन करना, पुलिस सहित मार्गरक्षकों के व्यय सहित;

(x) बाल अनुकूल पुलिस थानों, बोर्डो, न्यायालयों और समितियों का सृजन करना;

(xi) बालकों की जरूरतों को समझने के लिए माता–पिता और देख–रेख कर्ताओं की क्षमता निर्माण;

(xii) बाल अधिकारों और बालकों के विरूद्व होने वाले अपराधों पर जागरूकता विकास कार्यक्रम;

(xiii) बालकों को विरूद्व अपराधों को पहचानने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए समुदाय आधारित बाल संरक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना;

(xiv) इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों के लिए विशेषज्ञ व्यावसायिक सेवाएं, परामर्शदाता, अनुवादक, दुभाषिया, विशेष शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षक आदि प्रदान करना;

(xv) बाल देख–रैख संस्थाओं में रहनेवाले बालकों सहित इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों को मनोरंजन सुविधाएँ और उनके लिए पाठयक्रम संबंधी अतिरिक्त कार्यकलाप;

(xvi) कैंसर से पीड़ित बालकों को प्रशामक देख–रेख और उनके माता–पिता को ठहरने की सुविधाएं;

(xvii) नाजुक परिस्थिति में या जीवन रक्षा के लिए चिकित्सीय उपचार; और

(xviii) इस अधिनियम और इन नियमों में शामिल किए बालक के समग्र संवृद्वि, विकास और कल्याण को समर्थन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य कार्यक्रम या कार्यकलाप जो बच्चों के सर्वोत्तम हित हेतु उचित हो।

(5) किशोर न्याय निधि का रखरखाव और संचालन इस अधिनियम से संबंधित राज्य सरकार के विभाग द्वारा राज्य बाल संरक्षण समिति के माध्यम से किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार के अनुमोदन से राज्य बाल संरक्षण समिति किशोर न्याय निधि के उपयोग का नियमन करने के लिए वित्तीय नियमों को अंगीकार करेगी।

84. राज्य **बाल संरक्षण समिति**।—(1) राज्य बाल संरक्षण समिति निम्नलिखित कार्य करेगी अर्थात् :

(i) राज्य में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी और अधिनियम के अधीन अभिकरणों और संस्थाओं का पर्यवक्षण और उन्हें मॉनीटर करना;

(ii) बालकों की देख–रेख और संरक्षण से संबंधित बाधाओं, मुद्दों और शिकायतों को हल करना;

(iii) यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन स्थापित सभी संस्थाएं अपने स्थान पर हैं और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है;

(iv) विभिन्न जिलों में संस्थाओं के कार्यकरण पर विभिन्न जिला बाल संरक्षण इकाइयों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करना और जहाँ कही आवश्यक है, बालकों के संरक्षण को सुकर बनाने के लिए कार्रवाई करना और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के कार्यकरण की मानीटर करना;

(v) पालन–पोषण देख–रेख, प्रायोजकता और परवर्ती देख–रेख के लिए कार्यक्रम तैयार करना;

(vi) बाल देख–रेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देख–रेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जाँच करना, रिपोर्ट मंगाना और सिफारिशें करना;

(vii) राज्य और केंद्रीय सरकार के संबंधित विभागों और अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य बाल संरक्षण समिति से अंतर–विभागीय समन्वय और संपर्क सुनिश्चित करना;

(viii) इस अधिनियम और इन नियमों के दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क और समन्वय करना;

(ix) संस्थागत देख–रेख और परिवार आधारित गैर–संस्थागत देख–रेख में सभी बालकों का राज्य स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना और इसका तिमाही आधार पर अद्यतनीकरण करना;

(x) राज्य स्तर पर बाल देख–रेख संस्थाओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों, मुक्त आश्रयों, उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत पोषक माता–पिता, प्रायोजकों, परवर्ती देख–रेख संगठनों और अन्य संस्थाओं के डाटा बेस का रखरखाव;

(xi) राज्य स्तर पर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशा–मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, प्रदर्शन कला, ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव;

(xii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित किशोर न्याय निधि को मॉनीटर करना और संचालित करना जिसमें यथास्थिति जिला बाल संरक्षण इकाइयों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और पुलिस थानों को, निधियों का संवितरण शामिल है;

(xiii) राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त की गई सभी निधियों जैसे कि किशोर न्याय निधि, केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों के अंतर्गत निधियां, के लिए अलग–अलग खातों का रखरखाव करना और उनकी लेखा परीक्षा कराना;

(xiv) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न पहलुओं पर विशेषकर विद्यमान संस्थागत ढाँचों, पुनर्वास उपायों, शास्तियों, बालकों के बेहतर संरक्षण संरक्षण की प्रक्रियाओं के बारे लोगों में जागरूकता विकसित करना;

(xv) पक्षकारों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण सहित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;

(xvi) बाल संरक्षण पर अनुसंधान कार्यक्रम कराना;

(xvii) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधि महाविद्यालयो के साथ समन्वय करना; और

(xviii) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य कार्य।

(2) राज्य बाल संरक्षण समिति का सदस्य–सचिव राज्य में अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा।

85. **जिला बाल संरक्षण इकाई**।– (1) जिला बाल संरक्षण इकाई निम्नलिखित कार्य करेगी अर्थात् :

(i) बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में बोर्ड द्वारा भेजी गई तिमाही सूचना की रिपोर्टो और समिति द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टो का रखरखाव;

(ii) बालकों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक परामर्श और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करना;

(iii) जघन्य अपराध करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले सोलह से अठारह वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए बाल न्यायालय के निदेश पर तैयार की गई व्यक्तिगत देख–रेख योजना का अनुवर्तन करना;

(iv) सुरक्षित स्थान पर रखे गए बालकों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा करना और बाल न्यायालय को रिपोर्ट अग्रेषित करना;

(v) ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें मानीटर प्राधिकारी के रूप नियुक्त किया जा सकता है सूची का रखरखाव करना और ऐसे व्यक्तियों की सूची को बाल न्यायालय को भेजना जिसका प्रत्येक दो वर्ष पर अद्यतनीकरण किया जाएगा;

(vi) बाल देख–रेख संस्थाओं से भाग गए बालकों का अभिलेख रखना;

(vii) जोखिम में रह रहे परिवारों और देख–रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की पहचान करना;

(viii) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की संख्या का मूल्यांकन करना और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की प्रवृत्ति और स्वरूप का मॉनीटर करने के लिए जिला–विशिष्ट डाटा बेस तैयार करना;

(ix) संसाधन निदेशिका तैयार करने और समय–समय पर समितियों और बोर्डो को सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना;

(x) प्रत्येक वर्ष जिला बाल संरक्षण योजना तैयार करना एवं राज्य बाल संरक्षण समिति को भेजना;

(xi) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रायोजन, पालन–पोषण देख–रेख और परवर्ती देख–रेख सहित गैर–संस्थागत कार्यक्रमों का कार्यन्वयन सुकर बनाना;

(xii) बालकों के परिवार में उनको वापस भेजे जाने के सभी स्तरों पर बालकों का स्थानांतरण सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर बालकों के स्थानान्तरण के संबंध में हुए व्यय हेतु मार्गरक्षी दल को आवश्यक निधि प्रदान करना;

(xiii) अंतर–विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना और राज्य सरकार के संबंधित विभागों और राज्य की राज्य बाल संरक्षण समिति और राज्य की अन्य जिला बाल संरक्षण इकाइयों से संपर्क बनाना;

(xiv) अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना और समन्वय करना;

(xv) जिले में संचालित चाइल्डलाईन सेवा से समन्वय करना;

(xvi) बाल देख–रेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देख–रेख के अधीन मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जाँच करना, रिपोर्ट मंगाना और कार्रवाई कराना और राज्य बाल संरक्षण समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(xvii) बाल सुझाव पेटिका में मिली बालकों की शिकायतों और उनके सुझावों की जाँच करना और उपयुक्त कार्रवाई करना;

(xviii) बाल देख–रेख संस्थाओं की प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधि होना;

(xix) बाल संरक्षण के निषेधात्मक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए ग्राम, प्रखंड तथा वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन करना तथा उनको अपने कार्यों के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना;

(xx) संस्थागत देख–रेख में गुमशुदा बालकों के जिला स्तरीय डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना और मुक्त आश्रयों की सुविधा ले रहे बालकों और पालन पोषण देख–रेख में रखे गए बालकों के जिला स्तरीय डाटा बेस का रख रखाव करना;

(xxi) जिला स्तर पर बाल देख–रेख संस्थाओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों, मुक्त आश्रयों, उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत पोषक माता–पिता, परवर्ती देख–रेख संगठनों और संस्थाओ आदि के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बाल न्यायालयों, जैसा भी मामला हो, और राज्य बाल संरक्षण समिति को अग्रेषित करना;

(xxii) जिला स्तर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशा–मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्रों, प्रदर्शन कला, ललित कला जैसी मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटा बेस का रख रखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बाल न्यायालयों और राज्य बाल संरक्षण समिति को अग्रेषित करना;

(xxiii) जिला स्तर पर विशेष शिक्षकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अनुवादक, दुभाषिया, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिकों या मनः–सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों, जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों के साथ कार्य करने का अनुभव है, सुविधाओं के डाटा बेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बाल न्यायालयों ओर राज्य बाल संरक्षण समिति को अग्रेषित करना;

(xxiv) जागरूकता विकसित करना और अधिनियम के अधीन पक्षकारों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण सहित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xxv) जिला स्तर के सभी पक्षकारों के साथ किशोर न्याय अधिनियम तथा बाल संरक्षण से संबंधित अन्य अधिनियमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा समन्वयन के मुद्दों को हल करने के लिए तिमाही बैठकें आयोजित करना;

(xxvi) राज्य बाल संरक्षण समिति को मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(xxvii) बोर्ड या समिति में रिक्त पदो के बारे में, ऐसे पद रिक्त होने से छह माह पूर्व, राज्य सरकार को सूचित करना;

(xxviii) जाँच समितियों की रिपोर्टो की समीक्षा करना और पक्षकारों के बीच समन्वय करके उठाए गए मुद्दों को हल करना;

(xxix) समितियों और बोर्डों को सचिवालयी कर्मचारी प्रदान करना;

(xxx) बाल देख–रेख संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार के लिए समुदाय और निगमों के साथ संपर्क सहित अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए सभी अन्य आवश्यक कार्य।

(2) जिला बाल संरक्षण ईकाई के सहायक निदेशक जिले में अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा।

86. **विशेष किशोर पुलिस इकाई।**– (1) राज्य सरकार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिला और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी और जहाँ कहीं विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित नहीं की जा सकती है, वहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के कम से कम एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्य पुलिस अधिकारियों को बालकों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और अभिविन्यास दिया जाएगा।

(4) नामनिर्दिष्ट बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती अन्य पुलिस थानों की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों या जिला इकाई में की जा सकेगी।

(5) बालकों से वार्तालाप करने वाला पुलिस अधिकारी जहाँ तक संभव हो सादा कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा और बालिकाओं के साथ पेश आने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा।

(6) बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा और बालक की गरिमा और उसका आत्म सम्मान बनाए रखेगा।

(7) जहाँ कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाने है जो बालक को असहज बना सकते हैं, ऐस प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा।

(8) जब किसी बालक के विरूद्व अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता और पीड़ित बालक को दी सौंपी जाएगी और अन्वेषण पूरा होने के बाद, अन्वेषण की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति शिकायतकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी।

(9) किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और जहाँ पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाया जाएगा।

(10) विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास निम्नलिखित की सूची होगी:

(i) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बोर्ड और बाल कल्याण समिति, बैठक के उनके स्थान, बैठक के घंटे, बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यो के नाम और संपर्क ब्यौरों, समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों और बोर्ड और समिति के सामने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और

(ii) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बाल देख–रेख संस्थाओं और उपयुक्त सुविधाओं के संपर्क ब्यौरों।

(11) विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और संपर्क ब्यौरे पुलिस थानों, बाल देख–रेख संस्थाओं, समितियों, बोर्डो और बाल न्यायालयों के प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे।

593

(12) विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबंधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी।

(13) विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी।

87. चयन समिति और इसकी अवसंरचना।– (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चयन समिति का गठन करेगी जिसमं निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :

(i) राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

(ii) पदेन सदस्य सचिव के रूप में अधिनियम का कार्यान्वयन कर रहे विभाग का एक प्रतिनिधि जो कि निदेशक के स्तर से नीचे का न हो;

(iii) दो अलग–अलग प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों जो क्रमशः बाल विकास और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष से कार्य कर रहे हों लेकिन किसी भी बाल संस्था का प्रबंधन या संचालन नहीं कर रहे हों, के दो प्रतिनिधि;

(iv) शैक्षणिक निकायों या विश्वविद्यालयों, अधिमानतः समाज कार्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि संकाय से दो प्रतिनिधि जिनके पास बालकों से संबंधित मुद्दों पर कार्य करने का कम से कम सात वर्ष अनुभव हो;

(v) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक प्रतिनिधि; और

(vi) राज्य सेवा के विशेष सचिव स्तर से अन्यून अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के पदाधिकारी।

(2) समिति अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद अधिकतम छः मास की अवधि तक बनी रहेगी जिस समय तक नई समिति गठित हो जाएगी।

(3) यदि चयन समिति में कोई पद रिक्त होता है, तो सदस्य सचिव अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले विभाग को सूचित करेगा जो शेष अवधि के लिए रिक्त पद भरने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करेगा।

(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता हो तो इसकी सूचना राज्य सरकार तत्काल मुख्य न्यायधीश, हाईकोर्ट को देगी और इस स्थिति में समिति या बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे, जो किसी भी स्थिति में रिक्ति से छः माह की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(5) चयन समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित चार सदस्य से कम नहीं होगा।

(6) चयन समिति का सदस्य सचिव चयन समिति की बैठकें ऐसे समय पर आहूत करेगा जो चयन समिति के कार्यो को सुकर बनाने और करने के लिए आवश्यक हो।

(7) सदस्य सचिव चयन प्रक्रिया और चयन समिति की अन्य सभी बैठकों के कार्यवृत्तों को रखेगा।

(8) चयन समिति के अध्यक्ष और गैर–सरकारी सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित बैठक शुल्क और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(9) चयन समिति के कार्यकरण और कार्यों के निष्पादन से संबंधित सभी पत्राचार सदस्य सचिव के कार्यालय को संबोधित किए जाएंगे जो उन्हें चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(10) चयन से संबंधित सभी अभिलेख संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर डाले जाएंगे।

88. **समिति और बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन।**–(1) सदस्य सचिव पदधारी द्वारा पदभार छोड़ने के छह मास पहले से रिक्त होने वाले पद को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा:

परंतु यदि समिति के अध्यक्ष या बोर्ड या समिति के सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने या उसकी मृत्यु होने के कारण रिक्त होता है तो चयन समिति का सदस्य सचिव ऐसे रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करेगा।

(2) बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए राज्य सरकार चयन समिति के सदस्य सचिव के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगी।

(3) सदस्य सचिव जिलों से प्राप्त हुए सभी आवेदनों की संवीक्षा करेगा और उन आवेदनों को जो पात्रता की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी।

(5) चयन समिति द्वारा चयनित सदस्य :

(i) ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो;

(ii) बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में किसी बाल देख–रेख संस्था या चाईल्डलाईन या विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान से जुड़ा न हो;

(iii) अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल या संगठन जो किसी राजनैतिक दल से संबद्ध हो, का पदाधिकारी न हो;

(iv) समिति या बोर्ड, यथास्थिति, के सदस्यों में आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा;

(v) दिवालिया न हो।

591

(6) जिस मामले में चयन समिति को यथास्थिति बोर्ड या समिति के सदस्यों के प्रथम कार्यकाल के समाप्त होने के तीन वर्षों बाद दूसरे कार्यकाल हेतु नवीकरण या कार्यकाल के विस्तार से संबंधित उन मामलो में जहाँ पर निर्धारित समय में नये सदस्यों का चयन न हो पाया हो, जो किसी भी स्थिति में छः माह से अधिक की अवधि का नहीं होगा, आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता हो, चयन समिति आगे दर्शाए गए मानदंडों के आधार पर आवेदन का मूल्यांकन करेगी, अर्थात्:

(i) विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार जिला न्यायाधीश या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए सदस्य के नियमित तिमाही निष्पादन मूल्यांकन, जिनकी प्रति सदस्य सचिव द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी;

(ii) कार्यकाल के विस्तार का आवेदन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व चयन समिति की यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई हो तो वह शिकायत; और

(iii) चयन समिति अभ्यर्थियों की किशोर न्याय अधिनियम, नियमावली एवं बाल संरक्षण से संबंधित अन्य अधिनियमों की जानकारी, बालकों के प्रति संवेदनशीलता एवं लेखन तथा संवाद कौशल का मूल्यांकन करेगी।

(7) चयन समिति बोर्ड के सदस्यों या समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए, जैसा भी मामला हो, मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंडों के आधार पर पैनल में से नामों का चयन और सिफारिश राज्य सरकार को करेगी।

(8) नामों के पैनल की सिफारिश करते समय चयन समिति बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों और किशोर न्याय परिषद के सदस्यों के पदों के लिए अलग–अलग पैनल तैयार करेगी।

(9) चयन समिति प्रत्येक पद के लिए तीन नामों का पैनल तैयार करेगी, जो कि एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(10) अंतिम रूप से निर्धारित नामों की सूची पर चयन के समय मौजूद चयन समिति के सभी सदस्य विधिवत हस्ताक्षर करेंगे और सदस्य सचिव अंतिम रूप से तैयार सूची को नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को भेजेंगे। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में यथास्थिति एक या एक से अधिक बोर्डों या समितियों का गठन चयन समिति की सिफारशों की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा करेगी।

(11) यदि चयन समिति की जानकारी में यह लाया जाता है कि बोर्ड या समिति में नियुक्त कोई सदस्य अपनी शैक्षणिक योग्यता एवं/अथवा अनुभव के संबंध में चयन के समय कोई गलत सूचना दी है, तो सरकार, चयन समिति द्वारा सम्यक् जाँचोपरान्त ऐसा तथ्य प्रमाणित होने पर, उस सदस्य की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर उसे समुचित कानून के अंतर्गत गलत तथ्य प्रस्तुत करने के आधार पर अभियोजित करने और उस सदस्य को दिए गए मानदेय, यदि भुगतान किया गया है, की वसूली हेतु प्रवृत्त होगी।

(12) ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए, जो ऐसी अवधि में बोर्ड या समिति के कार्यकाल के दौरान या तो चयनित व्यक्तियों द्वारा नियुक्ति की तारीख से निर्धारित समय के भीतर उपस्थित नहीं होने के कारण या अन्यथा रिक्त पदों को भरने के लिए नामों पर विचार करने के लिए पैनल में दिए नाम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे जिसे छह मास की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जहाँ पर नया पैनल उस समय तक तैयार नहीं किया गया है।

(13) यदि बोर्ड या समिति में कोई पद रिक्त होता है, जिला बाल संरक्षण इकाई ऐसे रिक्त पद को भरने के लिए राज्य सरकार को सूचित करेगी।

(14) राज्य सरकार जिला बाल संरक्षण इकाई से ऐसी सूचना प्राप्त होने के तीन मास की अवधि के भीतर चयन समिति द्वारा अनुशंसा किए गए नामों के पैनल के आधार पर रिक्त पदों को भरेगी।

(15) यदि बोर्ड या समिति के किसी सदस्य के विरूद्व कोई शिकायत की जाती है, तो राज्य सरकार, न्यायिक अधिकारियों से संबंधित शिकायतों के अलावा, आवश्यक जाँच कराएगी या न्यायिक अधिकारयिों के विरूद्व शिकायतें कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएंगी।

(16) राज्य सरकार एक मास की अवधि के भीतर जाँच पूरी करेगी और दो मास के भीतर उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

(17) यदि संबंधित व्यक्ति के विरूद्व कोई आपराधिक मामला दर्ज होता है, सरकार यथोचित जाँच के बाद ऐसी अवधि के लिए नियुक्ति को निलंबित कर सकती है।

89. **बालकों से व्यवहार कर रहे कार्मियों को प्रशिक्षण।**– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए और कर्मचारीवृंद के प्रत्येक प्रवर्ग के कार्मिकों को उनके कानूनी उत्तरदायित्वों और विनिर्दिष्टि कार्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देगी।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(i) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की प्रस्तावना;

(ii) बाल कल्याण, देख–रेख, संरक्षण और बाल अधिकार पर अभिविन्यास;

(iii) नए भर्ती किए गए कार्मिकों को प्रतिस्थापना प्रशिक्षण;

(iv) पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठयक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम, प्रलेखीकरण और अच्छी पद्वतियों की साझेदारी; और

(v) सम्मेलन,, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं।

(3) कार्मिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को अपने कार्यकाल की अवधि में कम से कम सात दिनों का प्रशिक्षण लेना होगा अर्थात् :–

क्र. सं.	कार्मिक
1.	बाल न्यायालयों के कर्मचारी और किशोर न्याय बोर्डों के मुख्य मजिस्ट्रेट
2.	किशोर न्याय बोर्डों के सदस्य
3.	बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्य
4.	बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाइयों के अन्य पुलिस अधिकारी
5.	राज्य बाल संरक्षण समितियों और राज्य दत्तक ग्रहण ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कार्यक्रम प्रबंधक और कार्यक्रम अधिकारी
6.	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कर्मचारी
7.	जिला बाल संरक्षण इकाइयों के विधि–सह–परिवीक्षा अधिकारी और बाल देख–रेख संस्थाओं के परिवीक्षा अधिकारी

8.	जिला बाल संरक्षण इकाइयों और राज्य बाल संरक्षण समितियों के कर्मचारी
9.	बाल देख–रेख संस्थाओं के प्रभारी अधिकारी (मुक्त आश्रयों सहित)

(4) राज्य सरकार अन्य कार्मियों को जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण अधिकारियों, केस वर्करो, पुनर्वास–सह–स्थापन अधिकारियों, देख–रेख कर्ताओं, बाल देख–रेख संस्थाओं के गृह पिताओं और गृह माताओं, बाल देख–रेख संस्थाओं के सुरक्षा कर्मियों और अन्य कर्मचारियों अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, सेतु पाठयक्रम के शिक्षकों, पहुँच कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वयंसेवकों, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों के सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों के निदेशकों या प्रभारियों, अधिनियम के अधीन बाल देख–रेख संस्थाओं के चलाने के लिए पंजीकृत संगठनों के मुख्य कार्यकर्ताओं, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों, मानसिक रोगी सामाजिक कार्यकर्ताओं, विधिक सेवा के अधिवक्ताओं, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए, नियमों के अधीन गठित समितियों और सोसायटियों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

(5) राज्य सरकार, राज्य या जिला स्तर या जिला पर पक्षकारों के लिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते समय, यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा विकसित किए जाने वाले प्रशिक्षण मॉडयूल और प्रशिक्षण मैन्यूअल देश भर में प्रशिक्षण प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान या अपेक्षित विशेषज्ञता वाली संस्थाओं के परामर्श से तैयार किए जाएँ।

(6) राज्यों की न्यायिक अकादमी मुख्य मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण के लिए बाल मनेविज्ञान, बाल अनुकूल प्रक्रियाओं के उपयोग और बाल अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, बालकों की देख–रेख, उनके संरक्षण और पुनर्वास पर प्रशिक्षण मॉडयूल और प्रशिक्षण मैन्यूअल तैयार कर सकती है और राज्य स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है।

(7) राज्यों की पुलिस अकादमी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के परामर्श से पुलिस और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बाल मनेविज्ञान, बाल अनुकूल प्रक्रियाओं के उपयोग और बाल अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने, बालकों की देख–रेख, उनके संरक्षण और पुनर्वास पर प्रशिक्षण मॉडयूल और प्रशिक्षण मैन्यूअल तैयार कर सकती है और राज्य स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकती है।

(8) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा के अधिवक्ताओं और अर्ध विधायी स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

(9) राज्य बाल संरक्षण समिति अपेक्षित विशेषज्ञता वाली संस्थाओं के परामर्श से प्रभारी अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, मामला कार्यकर्ता, परिवीक्षा अधिकारी तथा जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देख–रेख संस्था एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

(10) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरणों और राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरणों के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉडयूल और मैन्यूअल विकसित कर सकता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकता है।

90. **लंबित मामले।**– (1) किसी भी बालक को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के फायदों से वंचित नहीं रखा जाएगा।

(2) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट फायदे ऐसे सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे जो अपराध घटित होने के समय बालक थे, यद्यपि वे जाँच या विचारण लंबित होने के दौरान बालक नहीं रहे हैं।

(3) कानून का उल्लंघन करने वाले बालक के कारावास या आवास या सजा की अवधि की संगणना करते समय, ऐसी सभी अवधियां की जो बालक ने अभिरक्षा, निरोध, आवास या कारावास की सजा में पहले ही बिता चुका है, न्यायालय या बोर्ड के अंतिम आदेश में समाविष्ट की गई आवास या निरोध या कारावास की सजा की अवधि के रूप में गणना की जाएगी।

91. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अनुश्रवण।**– (1) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) के अंतर्गत विनिर्दिष्टि कृत्यों के अलावा, केंद्र और राज्य सरकार के परामर्श में राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोगों आदि निम्नलिखित कृत्य संपादित करेगा अर्थात् :

(i) अधिनियम के अधीन सृजित की गई संस्थाओं की संरचनाओं की समीक्षा;

(ii) बाल अधिकारों और जेंडर संवेदनशीलता पर सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) सामाग्री का विकास;

(iii) बालकों के सुधार और पुनर्वास के लिए नवाचारों का विकास;

(iv) बालकों के विरूद्व अपराधों जैसे कि नशीली दवाओं का दुरूपयोग, अवैध मानव व्यापार, बालकों का यौन दुरूपयोग और बाल विवाह सहित बालकों का शोषण और बालकों के विरूद्व हिंसा के अन्य रूपों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के बारे में जागरूता विकास;

(v) उन्नत संरक्षण के लिए अपराधों की पहचान करने और रिपोर्ट करने सहित बालकों के विरूद्व अपराधों के बारे में पंचायती राज संस्थाओं और नगर नियमों के लिए संचेतना कार्यशालाओं का आयोजन;

(vi) पीड़ित बाल या साक्षियों और उनके परिवारों के अधिकारों के विस्तृत वर्णन के साथ और स्थानीय भाषा में उपयोगी जानकारी सहित सूचना सामग्री विकसीत करना जिसे पीड़ित और उसके परिवार को उपलब्ध कराना;

(vii) राज्य बाल सरंक्षण समिति, राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान आदि के साथ पक्षकारों के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल विकसित करना।

92. **गुमशुदा बालक के बारे में जाँच।**– (1) गुमशुदा बालक एक ऐसा बालक है जिसके ठिकाने की उसके माता–पिता, कानूनी अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को जिसे बालक की अभिरक्षा विधिक रूप से सौंपी गई है, गायब होने की परिस्थितियां या कारण कुछ भी हों, जानकारी नहीं है और उसे जब तक ढूंढ नहीं लिया जाता है या उसकी सुरक्षा और कल्याण को स्थापित नहीं किया जाता है, गुमशुदा और देख–रेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाएगा।

(2) जब किसी बालक के बारे में जो गुमशुदा है, शिकायत प्राप्त होती है, पुलिस तत्काल एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगी।

(3) पुलिस बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करेगी और बालक को खोजने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रथम सूचना रिपोर्ट अग्रेषित करेगी।

(4) पुलिस निम्नलिखित करेगी :

(i) गुमशुदा बालक का नवीनतम फोटोग्राफ प्राप्त करेगी और जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, गुमशुदा व्यक्ति दल, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो/मीडिया आदि के लिए प्रतियाँ बनाएंगी;

(ii) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्ररूप भरेगी;

(iii) विशेष रूप से बनाए गए गुमशुदा व्यक्ति सूचना प्रपत्र' को भरेगी और तत्काल गुमशुदा व्यक्ति दल, जिला गुमशुदा व्यक्ति इकाई, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकोर्ड ब्यूरो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजेगी;

(iv) नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रासंगिक सूचना अपलोड करने के बाद गुमशुदा बालक के माता–पिता या अभिभावक के पता और संपर्क फोन नम्बरों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति डाक/ईमेल द्वारा निकटवर्ती विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजेगी;

(v) गुमशुदा बालक के फोटो और शारीरिक ब्यौरे के साथ पर्याप्त संख्या में बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं को प्रकाशन के लिए भेजने के लिए तैयार करेगी;

(vi) गुमशुदा बालक के फोटो और ब्यौरे को (क) प्रमुख समाचार पत्रों (ख) टेलीविजन/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया (ग) स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क और सोशल मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित कर व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी और बाद में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत करेगी;

(vii) लाउड स्पीकरो के उपयोग और बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं को वितरण करके और प्रमुख स्थानों पर चस्पा करके आस–पास के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करेगी। सूचना को लोगों में फैलाने के लिए सोशल नेटवर्क पोर्टलों, संक्षिप्त संदेश सेवा अलर्ट और सिनेमा घरों में स्लाइडों का उपयोग किया जा सकता है;

(viii) शहर और कस्बे के सभी केंद्रों अर्थात् रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों, हवाई अड्डों, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर बालक की गुमशुदगी की सूचनाओं का वितरण;

(ix) रूचि के क्षेत्रों और स्थानों जैसे कि सिनेमा घरों, शॉपिंग मॉलों, पार्कों, मनोरंजन पार्कों, गेम्स पार्लरों में खोजना और ऐसे क्षेत्रों को जहाँ गुमशुदा और भाग के गए बालक बार–बार आते–जाते हैं, अभिनिर्धारित करना और उन पर नजर रखना;

(x) उस क्षेत्र के, जहाँ से बालक गुमशुदा होने की सूचना मिली है, आस–पास के क्षेत्र में और सभी संभावित मार्गों और बस स्टैण्डों, रेलवे स्टेशनों जैसे पारगमन गंतव्य बिंदुओं और अन्य स्थानों पर लग क्योज सर्किट टेलीविजन कैमरों की रिकार्डिंग को स्कैन करेगी;

(xi) निर्माणाधीन स्थलों, अनुप्रयुक्त भवनों, अस्पतालों और औषधालयों, चाइल्डलाइन सेवाओं, और अन्य स्थानीय पहुँच कार्यकर्ताओं, रेलवे पुलिस, और अन्य स्थानों पर पूछताछ करना;

(xii) गुमशुदा बालकों के ब्यौरे पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और सीमावर्ती पुलिस थानों के थाना अधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी पुलिस चौकियो के प्रभारियों को भेजेगी और संबंधितों से नियमित वार्तालाप करेगी ताकि अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

(iii) पुलिस जाँच करेगी कि क्या बालक के साथ इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है और यदि ऐसा है तो तदनुसार कार्रवाई ही जाएगी।

(7) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार इन नियमों को प्रभावी बनाने के लिए जाँच की रीति के लिए उपयुक्त मानक प्रचालन प्रक्रियाएँ तैयार कर सकेगी।

93. **अधिनियम और नियमों का गैर–अनुपालन।**– कोई अधिकारी/संस्था, सांविधिक निकाय आदि, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहता है, राज्य सरकार यथोचित जाँच के बाद ऐसे अधिकारी/संस्था, सांविधिक निकाय आदि के विरूद्ध कार्रवाई करेगी और साथ–साथ अधिनियम के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए कृत्यों के निर्वहन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।

94. **निरसन।**– 10/प्र0गृ0स्था0–17/2003–2140 दिनांक–19 नवम्बर, 2015 के द्वारा अधिसूचित बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियमावली, 2015 को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है :

परंतु यह कि इन नियमों की अधिसूचना से पूर्व 2015 के नियमों के उपबंधो के अधीन की गई कार्रवाई या जारी किया गया आदेश, जहाँ तक वह नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, इन नियमों के उपबंधो के अधीन की गई या जारी किया गया समझा जाएगा।

95. **कठिनाई निराकरण की शक्ति।**– इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली से संगत ऐसा प्रावधान कर सकेगी, जो कठिनाइयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

[851]

ज्ञापांकः–10/विविधि–08/2016– पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक–सह–आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/सदस्य सचिव, बिहार विधिक सेवा प्राधिकार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी प्रधान सदस्य–सह–न्यायिक दंडाधिकारी, किशोर न्याय परिषद्/सभी अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–10/विविधि–08/2016– 1191 पटना, दिनांकः– 14.06.2017

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना से अनुसेवध है कि इसे असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 2000 प्रतियाँ मुद्रित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

[401]

FORM 1

[Rules 8 (1), 8 (5)]

Social Background Report

FIR/DD No .....

U/Sections .....

Police Station .....

Date & Time .....

Name of I.O. .....

Name of CWPO .....

1. Name .....
2. Father/Mother/Guardian's name.....
3. Age/ Date of birth .....
4. Address.....
5. Religion
   - (i) Hindu (OC/ BC/ SC/ ST)
   - (ii) Muslim/ Christian/ Other (pl. specify)
6. Whether the child is differently abled:
   - (i) Hearing Impairment
   - (ii) Speech Impairment
   - (iii) Physically disabled
   - (iv) Mentally disabled
   - (v) Others (please specify)
7. Family Details:

S. No.	Name and Relationship	Age	Sex	Education	Occupation	Income	Health status	History of Mental Illness (if any)	Addictions (if any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

8. Reasons for leaving home .....
9. Whether there is a history of involvement of family members in offences, if any
10. Habits of the child

A	B	Yes	No
i) Smoking	i) Watching TV/movies		
ii) Alcohol consumption	ii) Playing indoor/ outdoor games		
iii) Drug use (specify)	iii) Reading books		
iv) Gambling	iv) Drawing/painting/acting/singing		
v) Begging	v) Any other		
vi) Any other			

1

11. Employment Details, if any .....
12. Details of income utilization:
    (i) Sent to family to meet family need — Yes / No
    (ii) Used by self for: — Yes / No
        a) For dress materials — Yes/No
        b) For gambling — Yes/No
        c) For alcohol — Yes/No
        d) For drug — Yes/No
        e) For smoking — Yes/No
        f) Savings — Yes/No
13. The details of education of the child:
    (i) Illiterate
    (ii) Studied up to V Standard
    (iii) Studied above V Standard but below VIII Standard
    (iv) Studied above VIII Standard but below X Standard
    (v) Studied above X Standard
14. The reason for leaving School
    (i) Failure in the class last studied
    (ii) Lack of interest in the school activities
    (iii) Indifferent attitude of the teachers
    (iv) Peer group influence
    (v) To earn and support the family
    (vi) Sudden demise of parents
    (vii) Bullying in school
    (viii) Rigid school atmosphere
    (ix) Absenteeism followed by running away from school
    (x) No age appropriate school nearby
    (xi) Abuse in school
    (xii) Humiliation in school
    (xiii) Corporal punishment
    (xiv) Medium of instruction
    (xv) Others (pl. specify)
15. The details of the school in which studied last:
    (i) Corporation/Municipal/Panchayat
    (ii) Government/SC Welfare School/BC Welfare School
    (iii) Private management
    (iv) School under NCLP
16. Vocational training, if any .....
17. Majority of the friends are
    (i) Educated
    (ii) Illiterate

(iii) The same age group
(iv) Older in age
(v) Younger in age
(vi) Same sex
(vii) Opposite sex
(viii) Addicts
(ix) With criminal background

18. Whether the child has been subjected to any form of abuse: Yes/No

S.No.	Type of Abuse	Remarks
1.	Verbal abuse – parents/siblings/ employers/others , (pl. specify)	
2.	Physical abuse(pl. specify)	
3.	Sexual abuse parents/siblings/ Employers/others (pl. specify)	
4.	Others (pl. specify)	

19. Whether the child is a victim of any offence: Yes No
20. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling: Yes No
21. Reason for alleged offence such as parental neglect or over protection, peer group influence etc.
.....
.....
22. Circumstances in which the child was apprehended .....
.....
.....
23. Details of articles recovered from the child: .....
.....
.....
24. Alleged role of the child in the offence:.....
.....
.....
25. Suggestions of Child Welfare Police Officer.....
.....
.....

Signed by
Child Welfare Police Officer

FORM 2

[Rule 8 (7)]

Undertaking by the Parent or Guardian or Fit Person Given Interim Custody Pending Inquiry

Whereas I, ... (Name) resident of House no..... Street ..... Village/Town.....District.....State.....do hereby declare that I am willing to take charge of (name of the child)..... aged..... under the orders of the Board ..... subject to the following terms and conditions:

1. That I have annexed true, correct and authentic identification and address proof of myself.
2. That I undertake to produce him/her before the Board as and when required.
3. That I shall do my best for the welfare and education of the child as long as he/ she remains in my charge and shall make proper provision for his/her maintenance.
4. That in the event of his/her illness, he/she shall have proper medical attention in the nearest hospital and a report of it followed by a fitness certificate shall be submitted before the Board.
5. That I shall do my best to ensure that the child will not be subjected to any form of abuse/ neglect or exploitation
6. That if his/her conduct requires further supervision or care and protection, I shall at once inform the Board.
7. That if the child goes out of my charge or control, I shall immediately inform the Board.

Date this .....day of 20

Signature of person executing the Undertaking/ Bond

(Signed before me)

Juvenile Justice Board

1397

FORM 3

[Rule 10 (1)(iii)]

Supervision Order

When the child is placed under the care of a fit person/fit institution/Probation Officer pending inquiry FIR/DD No. ..... of..... 20.....PS.....

Whereas ..... (name of the child) is alleged to have committed an offence and is placed under the care of (Name)..... (address).....on executing a bond by the said ..... and the Board is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision.

It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of .....for a period of.....subject to the following conditions:

1. That the child shall reside at..... for a period of.....and shall be produced before the Board as and when directed.
2. That the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction of .....without the permission of the Board.
3. That the child shall not be allowed to associate with such person who shall negatively influence the child.
4. That the person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the child.
5. That the preventive measures will be taken by the person under whose care the child is placed to see that the child does not commit any offence punishable by any law in India.
6. That the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants. The person under whose supervision the child is placed shall report any such act of the child to the Board.

Dated this.....day of..... 20.....

(Signature)
Principal Magistrate/ Member Juvenile Justice Board

Note.—Additional, conditions, if any may be inserted by the Juvenile Justice Board.

FORM 4

[Rule 10 (1)(iv)]

Order of Placing a Child in Child Care Institution Pending Inquiry

To

The Officer in charge

.....

Whereas on the.....day of.....20....., ...(Name of the child), son/ daughter of.....aged.....,residing at ..... alleged to be involved in FIR/DD No. ..... PS .....is ordered by the Juvenile Justice Board to be kept in the Child Care Institution (Observation Home/ Place of Safety) namely ..... for a period of .....

This is to authorize and require you to receive the said child into your charge, and to keep him in the Child Care Institution (Observation Home/ Place of Safety)..... and to produce the child as and when directed by the Board, for the aforesaid order to be carried into execution according to law.

Next date of hearing.....

Given under my hand and the seal of Juvenile Justice Board

This ..... day of ..... 20.....

(Signature)

Principal Magistrate/Member

Juvenile Justice Board

395

FORM 5

[Rule 10 (2)]

Order for Social Investigation Report

FIR No.....

U/Sections.....

Police Station.....

To,

Probation Officer/ Person in-charge of Voluntary or Non-Governmental Organization.

Whereas .....(Name of the Child), son/daughter of..... age .....residing at....., has been produced before the Board.

You are hereby directed to enquire into the social antecedents, family background and circumstances of the alleged offence by the said child and submit your social investigation report on or before .....or within such time as allowed to you by the Board.

You are also hereby directed to consult an expert in child psychology, psychiatric treatment or counselling or any other expert for their expert opinion if necessary and submit such report along with your Social Investigation Report.

Dated this .....day of .....20.....

(Signature)
Principal Magistrate/ Member
Juvenile Justice Board

FORM 6

[Rules 10 (9), 11 (2), 64(1), 64(3)(i)]

Social Investigation Report for Children in Conflict with Law

Sl. No.....

Submitted to the Juvenile Justice Board..... (address).

Probation Officer/ Voluntary/Non- Governmental Organization..... (Name of the person)

FIR No.....

Under Sections.....

Police Station.....

Nature of offence alleged: Petty Serious Heinous

1. Name.....
2. Age/Date/Year of birth.....
3. Sex.....
4. Caste.....
5. Religion.....
6. Father's Name.....
7. Mother's Name .....
8. Guardian's Name.....
9. Permanent Address.....
10. Landmark of the address.....
11. Address of last residence.....
12. Contact no. of father/mother/family member.....
13. Whether the child is differently abled: Yes/No
    (i) Hearing Impairment
    (ii) Speech Impairment
    (iii) Physically disabled

(iv) Mentally disabled

(v) Others (please specify)

14. Family Details:—

S. No.	Name and Relation-ship	Age	Sex	Edu-cation	Occupa-tion	Income	Health status	History of Mental Illness (if any)	Addic-tions (if any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

15. If the child or person is married, name, age and details of spouse and children:

.....

16. Relationship among the family members:

i.	Father & mother	Cordial/ Non cordial/ Not known
ii.	Father & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iii.	Mother & child	Cordial/ Non cordial/ Not known
iv.	Father & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
v.	Mother & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
vi.	Child & siblings	Cordial/ Non cordial/ Not known
vii.	Child & grandparents (paternal/maternal)	Cordial/ Non cordial/ Not known

17. History of involvement of family members in offences, if any:

S. No.	Relationship	Nature of Crime	Legal status of the case	Arrest if any made	Period of confine-ment	Punish-ment awarded
1.	Father					
2.	Step father					
3.	Mother					
4.	Step mother					
5.	Brother					
6.	Sister					
7.	Others (uncle/ aunty/ grandparents)					

18. Attitude towards religion of child and family.....

19. Present living conditions .....

20. Other factors of importance if any.....

21. (i) Habits of the child (Tick as applicable)

A	B
a) Smoking	g) Watching TV/movies
b) Alcohol consumption	h) Playing indoor/ outdoor games
c) Drug use (specify)	i) Reading books
d) Gambling	j) Religious activities
e) Begging	k) Drawing/painting/acting/singing
f) Any other	l) Any other

(ii) Extra-curricular interests.....

(iii) Outstanding characteristics and personality traits.....

22. Child's opinion/reaction towards discipline in the home.....
23. Employment Details of the child, if any.....
24. Details of income utilization and manner of income utilization.....
25. Work record (reasons for leaving vocational interests, attitude towards job or employers).....
26. The details of education of the child:
    i) Illiterate
    ii) Studied up to V Standard
    iii) Studied above V Standard but below VIII Standard
    iv) Studied above VIII Standard but below X Standard
    v) Studied above X Standard
27. Attitude of class mates towards the child.....
28. Attitude of teachers and classmates towards the child.....
29. The reason for leaving School (tick Yes/No as applicable)
    i) Failure in the class last studied
    ii) Lack of interest in the school activities
    iii) Indifferent attitude of the teachers
    iv) Peer group influence
    v) To earn and support the family
    vi) Sudden demise of parents
    vii) Bullying in school
    viii) Rigid school atmosphere
    ix) Absenteeism followed by running away from school
    x) There is no age appropriate school nearby
    xi) Abuse in school
    xii) Humiliation in school
    xiii) Corporal punishment
    xiv) Medium of instruction
    xv) Others (pl. specify)
30. The details of the school in which studied last:
    i) Corporation/Municipal/Panchayat
    ii) Government/SC Welfare School/BC Welfare School

1391

iii) Private management
iv) School under NCLP

31. Vocational training, if any..

32. Majority of the friends are
    i) Educated
    ii) Illiterate
    iii) The same age group
    iv) Older in age
    v) Younger in age
    vi) Same sex
    vii) Opposite sex
    viii) Addicts
    ix) With criminal background

33. Attitude of the child towards friends..

34. Attitude of friends towards the child..

35. Observations of neighbours towards the child............................

36. Observations about neighborhood (to assess the influence of neighborhood on the child)...

37. Whether the child has been subjected to any form of abuse, if applicable: Yes/No

S.No	Type of Abuse	Remarks
1.	Verbal abuse – parents/ siblings/employers/others , (pl. specify)	
2.	Physical abuse(pl. specify)	
3.	Sexual abuse parents/siblings/Employers/others (pl. specify)	
4.	Others (pl. specify)	

38. Whether the child is a victim of any offence: Yes/No

39. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling: Yes/No

40. Does the child has tendency to run away from home, give details if any: Yes/No

41. Circumstances of apprehension of the child...................................

42. Alleged role of the child in the offence...

43. Reason for alleged offence:
    (i) Parental neglect
    (ii) Parental overprotection
    (iii) Parents criminal behaviour
    (iv) Parents influence (negative)
    (v) Peer group influence
    (vi) Bad habits (to buy drugs/alcohol)
    (vii) Others (pl. specify)

44. Whether the child has been apprehended earlier for any offence, if yes give details including stay in a child care institution Yes/ No

.....

45. Previous institutional/case history and individual care plan, if any:
46. Physical appearance of the child:
47. Health condition of the child (including medical examination report, if applicable)
48. Mental condition of the child:
49. Any other remark

RESULT OF INQUIRY

1. Emotional factors .....
2. Physical condition .....
3. Intelligence .....
4. Social and economic factors.....
5. Suggestive causes of the problems.....
6. Analysis of the case, including reasons/contributing factors for the offence
7. Opinion of experts consulted.....
8. Recommendation regarding rehabilitation by Probation Officer/Child Welfare Officer.....

Signature of the Probation Officer/ Child Welfare Officer/ Social Worker
Stamp and Seal where available

FORM 7

[Rules 11(3), 13(7)(vi), 13(8)(ii), 19(4), 19(17), 62(6)(vii), 62(6)(x), 69 I (3)]

Individual Care Plan

Child in Conflict with Law/ Child in Need of Care and Protection (tick whichever is applicable)

Name of Case Worker/Child Welfare Officer/Probation officer.....

Date of preparing the ICP .....

Case/Profile No.....of 20.....

FIR No.....

U/Sections (Type of offence),applicable in case of Children in Conflict with Law...

Police Station.....

Address of the Board or the Committee.....

Admission No.(if child is in an institution).....

Date of Admission (if child is in an institution).....

Stay of the child (Fill as applicable)

(i) Short term (up to six months)
(ii) Medium Term (six months to one year)
(iii) Long term (more than 1 year)

A. PERSONAL DETAILS (to be provided by child/parent/both on admission of the child in the institution)

1. Name of the Child.....
2. Age/Date of Birth.....
3. Sex: Male/Female.....
4. Father's name:.....
5. Mother's name.....
6. Nationality.....
7. Religion.....
8. Caste.....
9. Language spoken.....
10. Level of Education.....
11. Details of Savings Account of the child, if any.....
12. Details of child's earnings and belongings, if any.....
13. Details of awards/rewards received by the child, if any.....
14. Based on the results of Case History, Social Investigation report and interaction with the child, give details on following areas of concern and interventions required, if any

S. No.	Category	Areas of concern	Proposed Interventions
1.	Child's expectation from care and protection		
2.	Health and nutrition needs		
3.	Emotional and psychological support needs		
4.	Educational and Training needs		
5.	Leisure, creativity and play		
6.	Attachments and Inter-personal Relationships		
7.	Religious beliefs		
8.	Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
9.	Independent living skills		
10.	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please specify)		

B. PROGRESS REPORT OF THE CHILD (to be prepared every fortnight for first three months and thereafter to be prepared once a month)

[Note: Use different sheet for Progress Report]

1. Name of the Probation Officer/Case Worker/Child Welfare Officer.....
2. Period of the report.....
3. Admission No.....
4. Board or Committee.....
5. Profile No.....
6. Name of the Child.....

7. Stay of the child (Fill as applicable)
   (i) Short term (up to six months)
   (ii) Medium Term (six months to one year)
   (iiii) Long term (more than 1 year)
8. Place of interview ..... Dates.....
9. General conduct and progress of the child during the period of the report
   .....
   .....
10. Progress made with regard to proposed interventions as mentioned in point 14 of Part A of this Form.

S. No.	Category	Proposed Interventions	Progress of the child
1.	Child's expectation from care and protection		
2.	Health and nutrition needs		
3.	Emotional and psychological support needed		
4.	Educational and Training needs		
5.	Leisure, creativity and play		
6.	Attachments and Inter-personal Relationships		
7.	Religious beliefs		
8.	Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment		
9.	Independent living skills		
10.	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school, etc. (Please specify)		

11. Any proceedings before the Committee or Board or Children's Court
    (i) Variation of conditions of bond
    (ii) Change of residence of the child
    (iii) Other matters, if any
12. Period of supervision completed on.....
    Result of supervision with remarks (if any).....
    Name and Addresses of the parent or guardian or fit person under whose care the child is to live after the supervision is over.....
    Date of report.....Signature of the Probation Officer.....

C. PRE-RELEASE REPORT (to be prepared 15 days prior to release)

1. Details of place of transfer and authority concerned responsible in the place of transfer/release
2. Details of placement of the child in different institutions/family
3. Training undergone and skills acquired
4. Last progress report of the child (to be attached, refer Part B)

5. Rehabilitation and restoration plan of the child (to be prepared with reference to progress reports of the child)

S. No.	Category	Rehabilitation and restoration plan of the child
1.	Child's expectation from care and protection	
2.	Health and nutrition	
3.	Emotional and psychological	
4.	Educational and Training	
5.	Leisure, creativity and play	
6.	Attachments and Inter-personal Relationships	
7.	Religious belief	
8.	Self care and life skill training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment	
9.	independent living skills	
10.	Any other	

6. Date of release/transfer/repatriation.....
7. Requisition for escort if required.....
8. Identification Proof of escort such as driving license, Aadhar Card, etc.....
9. Recommended rehabilitation plan including possible placements/sponsorships....
10. Details of Probation Officer/non-governmental organization for post-release followup.....
11. Memorandum of Understanding with non-governmental organisation identified for post-release followup (Attach a copy).....
12. Details of sponsorship agency/individual sponsor, if any.....
13. Memorandum of Understanding between the sponsoring agency and individual sponsor (Attach a copy).....
14. Medical examination report before release.....
15. Any other information.....

D. POST-RELEASE/RESTORASTION REPORT OF THE CHILD

1. Status of Bank Account : Closed / Transferred
2. Earnings and belongings of the child: handed over to the child or his parents/guardians – **Yes/No**
3. First interaction report of the Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Worker /social worker/non-governmental organisation identified for follow-up with the child post-release.....
4. Progress made with reference to Rehabilitation and Restoration Plan.....
5. Family's behavior/attitude towards the child.....
6. Social milieu of the child, particularly attitude of neighbours/ community.....
7. How is the child using the skills acquired.....

8. Whether the child has been admitted to a School or vocation? Give date and name of the school/institute/any other agency **Yes/No**
.....
9. Report of second and third follow-up interaction with the child after two months and six months respectively.....
10. Efforts towards social mainstreaming and child's opinion/views about it.....
11. Identity Cards and Compensation

[Instruction: Please verify with the physical documents]

IDENTITY CARDS	Present status (Please tick whichever is applicable) Yes	No	Action taken
Birth Certificate			
School certificate			
Caste certificate			
BPL Card			
Disability Certificate			
Immunization card			
Ration Card			
Adhaar Card			
Received compensation from Government			

Signature of the Probation Officer/Child Welfare Officer
Stamp and Seal where available

FORM 8

[Rule 11(6)]

Undertaking/Bond to be executed by A Parent/Guardian/Fit Person in whose xare a Child in conflict with law is placed

Whereas I, ... being the parent, guardian, relative or fit person under whose care.....(name of the child) has been ordered to be placed by the Juvenile Justice Board..... having been directed by the said Board to execute an undertaking/ bond with surety in the sum of Rs...../- (Rupees.....) or without surety, I hereby bind myself to be

responsible for the good behavior and well-being of the said ....and to observe the following conditions for a period of .... years with effect from ....

1. That I shall not change my place of residence without giving previous intimation in writing to the Juvenile Justice Board through the Probation Officer;
2. That I shall not remove the said child from the limits of the jurisdiction of the Juvenile Justice Board without previously obtaining the written permission of the Board;
3. That I shall send the said child daily to school/to such vocation as is approved by the Board unless prevented from so doing by circumstances beyond control;
4. That I shall sincerely give effect to the Individual Care Plan with the help of the Probation Officer;
5. That I shall report immediately to the Board whenever so required by it and also produce the child before the Board as and when directed to do so;
6. That I shall produce the said child in my care before the Board, if he/she does not follow the orders of Board or his/her behavior is beyond my control;
7. That I shall report to the Board if the child goes out of my control or charge;
8. That I shall render all necessary assistance to the Probation Officer to enable him to carry out the duties of supervision;

In the event of my making default herein, I undertake to appear before the Board and bind myself to pay to Government the sum of Rs .... (Rupees.................................).

Dated this ....day of ....20.

Signature of person executing the Undertaking/Bond.

(Signed before me)

Principal Magistrate/ Member Juvenile Justice Board

Additional conditions, if any, by the Juvenile Justice Board may be entered numbering them properly;

(Where a bond with sureties is to executed add)

I/We ....of ....(place of residence with full particulars) hereby declare myself/ourselves as surety/sureties for the aforesaid .... (name of the person executing the undertaking/bond) to adhere to the terms and conditions of this undertaking/bond. In case of ....(name of the person executing the bond) making fault therein, I/We hereby bind myself/ourselves jointly or severally to forfeit to government the sum of Rs................../- (Rupees.................................) dated this the........... day of ....20..............in the presence of ....

Signature of Surety(ties)

(Signed before me)

Principal Magistrate/ Member, Juvenile Justice Board

FORM 9

[Rules 11(7)]

Personal Bond by Child

Whereas I, ...inhabitant of.........................(give full particulars such as house number, road, village/town, tehsil, district, state) have been ordered to be sent back/restored by the Juvenile Justice Board

.....under Section ..... of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 on my entering into a personal bond to observe the conditions mentioned herein below. Now, therefore, I do solemnly promise to abide by these conditions during the period.....

I hereby bind myself as follows:

1. That during the period..... I shall not ordinarily leave the village/town/district to which I am sent and shall not ordinarily return to.....or go anywhere else beyond the said district without the prior permission of the Board;
2. That during the said period I shall attend school/ vocational training in the village/town or in the said district to which I am sent;
3. That in case of my attending school/ vocational training at any other place in the said district I shall keep the Board informed of my ordinary place of residence.

I hereby acknowledge that I am aware of the above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same.

(Signature or thumb impression of the child)

Certified that the conditions specified in the above order have been read over/explained to (Name of child) .....and that he has accepted them as the conditions upon non-compliance of which he/she may be placed in safe custody.

Certified accordingly that the said child has been released/ relieved on (date) .....

Signature
Principal Magistrate/Members
Juvenile Justice Board

FORM 10

[Rules 11(9) and 64 (3) (xiii)]

Periodic Report by Probation Officer When a Child is Released on Probation

383

FIR No..... Police Station .....U/Sections.....

In the matter of..... vs.....

Whereas (name of the child) ....., age....., has on..... (date) been found to be a child in conflict with law, and has been placed under the care of ..... (parent/ guardian/ fit person/fit facility) and under the supervision of .....(name of Probation Officer)

Reg. No. :-	Age (approximately) :-	Sex:- Male / Female /
Name:-	Fathers Name:-	Religion:-
Education: -	Vocational Training, if any	Language(s) known:-
Next court date:-	Employment, if any	Date of admission (in case of fit person/fit facility)

Case details and summary

.....

.....

.....

1. Preliminary details:
   - (i) Visit Date: ...../...../.....
   - (ii) Name of Parent / Guardian.....
   - (iii) Names of Other Adults Living in the Home and with whom the Probation Officer interacted:
2. Observations:
   - (i) Child's behaviors.....
   - (ii) Physical and mental health status/needs of child and family.....
   - (iii) Inter-personal relationship of the child with the family.....
   - (iv) Inter-personal relationship with friends.....
   - (v) Safety and supervision in the family.....
   - (vi) Difficulties faced by the child.....
   - (vii) Difficulties faced by the family.....
   - (viii) Changes in the household.....
   - (ix) Vocational training, if any being undertaken by the child.....
   - (x) Engagement of child in any anti-social activities or harmful activities (Examples could be exhibiting bullying behaviour, violent outbursts, destructions, self-harm, lying, defiance, impulsiveness, lack of empathy, sexually deviant actions etc.).....
   - (xi) Time elapsed since last engagement in any anti-social behavior or harmful activities.....
3. Visit to school/ vocational training centre
   - (i) Name of the school/centre.....
   - (ii) Name of the Teacher/ Principal met.....
   - (iii) Any unusual behavior observed.....
   - (iv) Feedback received on the progress of the child.....
   - (v) Attitude of the peers towards the child.....
   - (vi) Attitude of the child towards the peers.....
4. Visit to place of employment:
   - (i) Nature of work.....

(ii) Working hours.....

(iii) Attitude of the child towards work.....

(iv) Violation of any labour laws, Low wages or wages being withheld, if observed and action taken against employer.....

*(v) पाया गया कोई अपसामान्य व्यवहार .....

5. Did you spend time speaking privately with the child Yes No
If no, give reasons.....

6. Progress made as per Rehabilitation and Restoration Plan under the Individual Care Plan (refer point 14 of form 7).....
.....

7. Recommendations for modifications in Rehabilitation and Restoration Plan under the Individual Care Plan, if any:
Prepared by : .....
(Probation Officer ...../...../..... (date)
Plan: Date of next visit: .....
Action point if any: .....

Signature
(Probation Officer)

1381

FORM 11

[Rule 12(1)]

Case Monitoring Sheet

(Separate Sheet may be used in case there are more than one child)

Juvenile Justice Board, District.....

Case No. .....of.....

Case Name :

Police Station ..... Date.....

U/S..... FIR/ GD/ DD No. .....

Name of Probation Officer..... Name of IO .....

Name of Lawyer ..... Name of Child Welfare Police Officer.....

(If not represented provide Legal Aid Lawyer)

NATURE OF OFFENCE

PETTY

(maximum punishment upto three years)

SERIOUS

(maximum punishment between three to seven years)

HEINOUS

(minimum punishment for seven years or more)

PARTICULARS OF CHILD

Name	Parents/ Guardian with Contact No.	Present address	Permanent address

DATE AND TIME CHILD APPREHENDED

DATE AND TIME OF FIRST PRODUCTION

DATE OF MEDICAL EXAMINATION UNDER SECTION 54 Cr.P.C.

AGE DETERMINATION

Age on the Date of offence

Date of age Determination

Time taken for age determination

Determination by BOARD COURT

Evidence Relied: Documents Medical

CUSTODY OF THE CHILD

In Observation Home/ Place of Safety	Date of grant of bail	Sent under supervision *(Name of Institution)*
From..... To		

PROGRESS OF INQUIRY

(Time schedule for disposal of the case to be fixed on the first day of hearing)

Steps to be taken	Scheduled Date	Actual Date
Day 1: Social Background Report by Police (in Form No. 1)	Dated.....	
Day 1: Consideration of Bail	Dated.....	
Day 2: Age determination	Dated.....	
Day 2: SIR (Form No.6) by Probation Officer	Dated.....	
Day 2: Section 173 CrPC Final Report by Police on completion of Investigation	Dated.....	
Day 3: Submission of Report on Provisions of further investigation, if any		Dated.....
Day 3: Section 251 CrPC Notice	Dated.....	
Day 4-6: Prosecution Evidence	Dated.....	
(From..... to.....)	Dated.....	
Depending on the number of witnesses continuous dates may be fixed)	Dated.....	
Day 7: Statement of child under Section 281 CrPC	Dated.....	
Day 8: Defence Evidence	Dated.....	
Day 8: Individual Care Plan (In case of child in institutional care Individual Care Plan should be prepared within one month of admittance	Dated.....	
Day 9: Final Arguments	Dated.....	
Day 10: Dispositional (Final) Order	Dated.....	
Day 11: Post Dispositional Review	Dated.....	

signed by
Juvenile Justice Board

FORM 12

[Rule 12(2)]

Quarterly Report by Juvenile Justice Board

District

Quarterly Report for the period: From..... to.....

Details of JJB

S.No.	Details	Date of Appointment	Training attended
1.	Principal Magistrate		
2.	Member 1		
3.	Member 2		
4.	Member 3		

VISIT TO HOMES BY PRINCIPAL MAGISTRATE

Date of visit:

Name and Address of Home :

Remark:

VISIT TO JAILS BY PRINCIPAL MAGISTRATE

Date of Visit:

Whether any children found:

Action taken:

CASES INSTITUTED DURING THE QUARTER:

	PETTY	SERIOUS	HEINOUS	TOTAL
Number cases				
Number of Children				
Children granted bail				
Children sent to Observation Home				
Number of cases where preliminary reports were submitted in stipulated time				

PENDENCY OF CASES

Nature of case	Old cases	New cases	Disposal	Current pendency
23				

	Less than 4 months	4 months to 6 months	6 months to 1 year	More than 1 year
Petty				
Serious				
Heinous				
Total				

FINAL ORDER

Total number of final orders passed

Discharged	Transfer to other JJB	Abated on Death	Repatriated to Foreign Country	Transferred to Children's Court	Declared Compounded & file consigned	Terminated under Rule ..... (postproduction process)	Acquitted/ Finding of commission in offence

Nature of Dispositional Orders where child has committed Offence (mention the No. of orders)

COMPLAINT/SUGGESTION, IF ANY, RECEIVED AND ACTION TAKEN

REMARK/SUGGESTION BY BOARD

a. Principal Magistrate ----------

b. Member : 1 _____

c. Member: 2 _____

Principal Magistrate Member –1 Member -2

FORM 13

[Rules 13(8)(iv)]

Periodic Review of a Child in Place of Safety

FIR No..... PS.....U/Sections

In the matter of ..... vs. .....

Whereas (name of the child) .....,age....., has on .....(date) been found to be a child in conflict with law, and has been placed in..... (Name of place of safety)

Date of admission to place of safety –

Period of Review: From..... to.....

Name of the Child.....

Father's Name.....

Date of admission.....

Next date of hearing.....

1. Case details and summary
   .....
2. Individual Care Plan (Attach a copy)
   .....
3. Fortnightly progress made as per Individual Care Plan
   .....
4. Development of new interests
   .....
5. Psycho-social progress made by the child: (to be prepared with the help of a psycho-social expert).....
   I. Mental Status Evaluation
      a. Appearance (Observed) - Possible descriptors: • posture, clothes, grooming.
      b. Behavior (Observed) - Possible descriptors: • Mannerisms, gestures, psychomotor activity, expression, eye contact, ability to follow commands/requests, compulsions
   II. Attitude (Observed) - Possible descriptors: • Cooperative, hostile, open, secretive, evasive, suspicious, apathetic, easily distracted, focused, defensive.
   III. Level of Consciousness (Observed) - Possible descriptors: • Vigilant, alert, drowsy, lethargic, stuporous, asleep, comatose, confused, fluctuating.
   IV. Orientation (Inquired) – Possible questions: • "What is your full name?" • "Where are we at (floor, building, city, county, and state)?" • "What is the full date today (date, month, year, day of the week, and season of the year)?" • "How would you describe the situation we are in?"

V. Speech and Language (Observed) A. Quantity - Possible descriptors: • Talkative, spontaneous, quiet B. Rate - Possible descriptors: • Fast, slow, normal, pressured. C. Volume (Tone).

VI. Mood (Inquired): A sustained state of inner feeling – Possible questions: • "How are you feeling?" • "Have you been discouraged/depressed/low?" • "Have you been energized/elated/high/out of control lately?" • "Have you been angry/irritable?"

VII. Affect (Observed): An observed expression of inner feeling.

VIII. Thought Processes or Thought Form (Inquired/Observed): logic, relevance, organization, flow and coherence of thought in response to general questioning during the interview. - Possible descriptors: goal-directed, circumstantial, loose associations, incoherent, evasive, perseveration.

IX. Thought Content (Inquired/Observed)

X. Suicidality and Homicidality – Assessment

XI. Insight (Inquired/Observed) –

XII. Attention (Inquired/Observed) –

XIII. Feelings of guilt/ remorse: present/ absent

6. Status of Current Educational/ Vocational Rehabilitation Programme
   - Motivation for the programme.....
   - Level of cooperativeness.....
   - Regularity.....
   - Quality of work/performance.....
7. Impact of institutionalization on the person.....
8. Approach to evaluation/ periodic follow ups.....

Willingness /ability to participate in treatment and rehabilitation in programs/facilities, consistent with public safety.

RECOMMENDATIONS (including whether the person may be released or released on conditions or requires further institutionalization with justification)

DATE : / /
PLACE :
NAME :
DESIGNATION :
SIGNATURE :

Recommendations/Findings: .....

Signature / Seal

Prepared by: .....
(Probation Officer ..../..../.... (date)

FORM 14

[Rules 7 (1) (ii), 13(8)(iv)(C) (cd), 17(vi), 19(20), 65(3)(viii), 69E(2), 69 I (4), 69J(1), 69J(3)]

Rehabilitation Card

FIR No. /Case No.
U/Sections
PS
Nature of Offence: heinous, serious or petty (in case of child in conflict with law)
Name of Probation Officer/Child Welfare Officer/Rehabilitation cum Placement Officer:
.....
Name of the child:
Age:
Sex:
Father's name:
Mother's name:
Admission No.
Date of Admission:
Date of Provisional Release / Release:
Services availed under Individual Care Plan –

Indicators	**Child's expectation from care and protection**
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :

	Health and Nutrition
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :
	Emotional and psychological support needed
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :
	Education and Training
First Month	Plan : Outcome :
Second Month	Plan : Outcome :
Third Month	Plan : Outcome :
Fourth Month	Plan : Outcome :
	Leisure, creativity and play
First Month	Plan Outcome
Second Month	Plan Outcome
Third Month	Plan Outcome
Fourth	Plan

1373

Month	Outcome
Attachments and Inter-personal Relationships	
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :
Self Care and Life Skill Training for Protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment	
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :
Independent living skills	
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :
	Any other such as significant experiences which may have impacted the development of the child like trafficking, domestic violence, parental neglect, bullying in school etc.
First Month	Plan Outcome :
Second Month	Plan Outcome :
Third Month	Plan Outcome :
Fourth Month	Plan Outcome :

Other services provided to the child, including compensation, other benefits etc.

Report of the detailed psychiatric assessment done by certified psychiatrist to be attached along with Rehabilitation card

Date of report and reason for conducting the said assessment (Provisional Release / Release/ Any other)

1. Overall progress shown by the child on the above mentioned aspects of the Individual Care Plan
2. Child's acceptance and understanding of his actions and its consequences
3. Child's willingness to reform
4. Child's behavior and conduct
5. Offence committed by the child , if any reported by family or neighbourhood, in case of a child in conflict with law who is not placed in a Child Care Institution

Signed by
JJB/ CWC

FORM 15

[Rule 17 (1)(i)]

Case Summary Maintained by The Child Welfare Committee

Case No.....

In Re.....

Case Record.....

1. Name of the child.....
2. Father's/Mother's/Guardian's name (if available).....
3. Date of production of the child.....
4. Name of person producing the child.....
5. A list of all follow up dates (of the child, before the Committee).....
6. Orders passed by the CWC (tick as applicable)
   - (i) Declaration that child is in need of care and protection.
   - (ii) Finding on age of child
   - (iii) Medical Examination
   - (iv) Interim custody
   - (v) Undertaking (by parent, guardian or fit person, if applicable)
   - (vi) Order appointing Case Worker & NGO etc.
   - (vii) Order for compensation/recovery of wages (if applicable)
   - (viii) Transfer order
   - (ix) Final Order (concluding inquiry)
   - (x) Any other order.

7. Medical Records including but not limited to age verification.....
8. Social Investigation Report under Form 22.....
9. Individual Care Plan under Form 7.....
10. Rehabilitation Card in Form 14.....
11. Case History Form 43.....
12. All details, documents and records with regards to Sponsorship/Foster Care/Adoption services (if applicable).

Date:
Place:

(Signatures)
Child Welfare Committee

FORM 16

[Rules 17(1)(v), 20(2)]

Quarterly Report by Child Welfare Committee

District
Quarterly Report for the period: From..... to.....
Details of CWC

S.No.	Details	Date of Appointment	Training attended
1.	Chairperson		
2.	Member 1		
3.	Member 2		
4.	Member 3		
5.	Member 4		

Details of Cases with CWC

S.No.	Number of cases at the beginning of Quarter	Number of cases received during the quarter	Number of cases disposed of during the quarter	Number of cases pending at the end of quarter	Reasons for pendency

VISIT TO HOMES BY CHAIRPERSON/ MEMBERS

Date of visit:

Name and Address of Home visited:

Remarks/Suggestions of the Committee.....

Signature of Chairperson

Seal

FORM 17

[Rules 18(2), 19(25)]

Report to be Submitted at time of Production of Child Before the Committee

Case No.....

Produced before the Child Welfare Committee.....

Date of production..... Time of production.....

Place of production.....

1. Details of person who is producing the child:
   - (i) Name of the person .....
   - (ii) Age.....
   - (iii) Sex.....
   - (iv) Address .....
   - (v) Contact number.....
   - (vi) Occupation/ designation.....
   - (vii) Name of the organization/CCI/SAA .....
2. The child who is being produced:
   - (i) Name (if any).....

(ii) Age (stated age/ age based on appearance) .....
(iii) Sex .....
(iv) Identity mark/s.....
(v) Language used by the child.....

3. Details of parents / guardians (if available):
   (i) Name .....
   (ii) Age.....
   (iii) Address.....
   (iv) Contact number.....
   (v) Occupation.....
4. Place where the child was found.....
5. The details of the person (if any) with whom the child was found:
   i. Name .....
   ii. Age.....
   iii. Address.....
   iv. Contact number.....
   v. Occupation.....
6. Circumstances under which the child was found.....
7. Allegation by the child of any offence/ abuse committed on the child in any manner.....
8. Physical condition of the child.....
9. Belongings of the child at the time of production.....
10. Date and Time at which the child came to the CCI/SAA.....
11. Immediate efforts made to trace family of the child .....
12. Medical treatment, if provided to the child .....
13. Whether police has been informed .....

Signature/ Thumb impression of the child

Signature/ Thumb impression of the person who produced the child

Police-Local Police/Special Juvenile Police Unit/ designated child welfare police officer / Railway Police/Probation Officers/ any public servant/Social Welfare Organization/Social Worker/ Person in-charge CCI/ SAA/ any citizen/Child himself/herself (fill as applicable)

FORM 18

[Rules 18 (5), 18 (9) and 19 (26)]

Order of Placement of a Child in an Institution

(Children's Home/Fit Facility/SAA)

Case No.....

To,

The Officer-in-Charge,

Whereas on the .....day of .....20 ..... (name of the child) ....., son/daughter of ..... aged .....residing at ..... being in care and protection under the Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2015 is ordered by the Child Welfare Committee ....., to be kept in the Children's Home/SAA/Fit Facility.....for a period of .....

This is to authorize and require you to receive the said child in your charge, and to keep him/her in the Children's Home/ Fit Facility /SAA..... for the aforesaid order to be carried into execution according to

law. The concerned official shall upload the details in case of an orphan or abandoned child in the TrackChild/ relevant Web Portal. Given under my hand and the seal of Child Welfare Committee.

This .... day of ....

(Signature)
Chairperson/ Member
Child Welfare Committee

Encl:

Copy of the orders, particulars of home and previous record, case history and individual care plan, as applicable:

FORM 19

[Rule 18(8)]

Order for Placement of Child Under the Care of a Parent, Guardian or fit Person Pending Inquiry

Case No. ....of ....20..........................

In Re....................

Whereas (name of the child) .... has on ....(date) been found to be in need of care and protection, and is placed under the care and supervision of (name).......................... (address)......................on executing a bond by the said .... and the Committee is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision. Reason for the child being produced before the CWC...

....

It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of (name)............................ (address).................................. for a period of .... This shall be subject to the following conditions that:

1. the child along with the copies of the order and the bond, if any, executed by the said..... shall be produced before the Committee as and when required by the person executing the bond
2. the child shall reside at ..... for a period of .....
3. the child shall not be allowed to quit the district jurisdiction of .....without the permission of the Committee.
4. the child shall go to school/ vocational training centre regularly. The child shall attend .....(name of) school/ vocational training centre (if already identified) at .....(address of school/ vocational training centre).
5. the person under whose care the child is placed shall arrange for the proper care, education and welfare of the child.
6. the child shall not be allowed to associate with undesirable characters and shall be prevented from coming in conflict with law.
7. the child shall be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants.
8. the directions given by the Committee from time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, shall be carried out.

Dated this _____day of _____20 _____

(Signature)
Chairperson/ Member
Child Welfare Committee

• Additional conditions, if any may be inserted by the Child Welfare Committee

FORM 20

[Rule 18(8) and 19 (7)]

Undertaking by The Parent or Guardian or 'fit Person'

I .....resident of House no.....Street ..... Village/Town .....District ..... State .....do hereby declare that I am willing to take charge of (name of the child) ..... Aged..... under the orders of the Child Welfare Committee..... subject to the following terms and conditions:

1. If his conduct is unsatisfactory I shall at once inform the Committee.
2. I shall do my best for the welfare and education of the said child as long as he remains in my charge and shall make proper provision for his maintenance.
3. In the event of his/her illness, he shall have proper medical attention in the nearest hospital.

4. I agree to adhere to the conditions that may be imposed by the Committee from time to time and also to keep the Committee informed about the compliance with the conditions.
5. I undertake to produce him/her before the Committee as and when required.
6. I shall inform the Committee immediately if the child goes out of my charge or control.

Date this .....day of .....

Signature
Signed before Child Welfare Committee

FORM 21

[Rule 19(3)]

Order for Social Investigation Report of Child in Need of Care and Protection

To

Child Welfare Officer/ Social Worker/Case Worker/ Person in-charge of Home/ representative of Non-Governmental Organization

Whereas a report under Section 31 (2) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 has been received from ..... in respect of (name of the child)....., aged (approximate).....,

son/daughter of .....residing at....., who has been produced before the Committee under Section 31 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

You are hereby directed to conduct Social Investigation as per Form 22 for the above child. You are directed to enquire into socio economic and family background of the said child.

You are directed to submit the Social Investigation Report on or before ..... (date).

Dated this .....day of .....20.....

(Signature)
Chairperson/Member
Child Welfare Committee

FORM 22

[Rule 19(8)]

Social Invstigation Report for Child in Need of Care and Protection

Sl. No.....
Produced before the Child Welfare Committee.....
Case No.....

Social Investigation Report Prepared by: Child Welfare Officer/ Social Worker/Case Worker/ Person incharge of Home/ representative of Non- Governmental Organization Details of child in need of care and protection:

1. Name.....
2. Age/Date/Year of birth.....
3. Sex.....
4. Caste.....
5. Religion.....
6. Father's Name.....
7. Mother's Name .....
8. Guardian's Name.....
9. Permanent Address.....
10. Landmark of the address.....
11. Address of last residence.....
12. Contact no. of father/mother/family member.....
13. Whether the child is differently abled: Yes/ No
    (i) Hearing Impairment
    (ii) Speech Impairment
    (iii) Physically disabled
    (iv) Mentally disabled
    (v) Others (please specify)
14. Family Details:

S.N.	Name and Relation-ship	Age	Sex	Educa-tion	Occupa-tion	Income	Health status	History of Mental Illness	Addic-tions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

15. Relationship among the family members:

i.	Father & mother	Cordial/Non cordial/ Not known
ii.	Father & child	Cordial/Non cordial/ Not known
iii.	Mother & child	Cordial/Non cordial/ Not known
iv.	Father & siblings	Cordial/Non cordial/ Not known
v.	Mother & siblings	Cordial/Non cordial/ Not known
vi.	Child & siblings	Cordial/Non cordial/ Not known
vii.	Child & relative	Cordial/Non cordial/ Not known

16. If child is married, name, age and details of spouse and children.....
17. History of involvement of family members in offences, if any:

S. No.	Relationship	Nature of Crime	Legal status	Arrest if any Made	Period of Confine-	Punishment awarded

		of the case	ment
1.	Father		
2.	Step father		
3.	Mother		
4.	Step mother		
5.	Brother		
6.	Sister		
7.	Others (uncle/ aunty/ grandparents)		

18. Attitude towards religion.....
19. Present living conditions .....
20. Other factors of importance if any.....
21. Habits of the child

A	B
i) Smoking	i) Watching TV/movies
ii) Alcohol consumption	ii) Playing indoor/outdoor games
iii) Drug use (specify)	iii) Reading books
iv) Gambling	iv) Religious activities
v) Begging	v) Drawing/painting/acting/singing
vi) Any other	vi) Any other

22. Extra-curricular interests.....
23. Outstanding characteristics and personality traits.....
24. The details of education of the child (tick as applicable)
    (i). Illiterate
    (ii). Studied up to V Standard
    (iii). Studied above V Standard but below VIII Standard
    (iv). Studied above VIII Standard but below X Standard
    (v). Studied above X Standard
25. The details of the school in which studied last(tick as applicable) :
    a. Corporation/Municipal/Panchayat
    b. Government/SC Welfare School/BC Welfare School
    c. Private management
    d. School under NCLP
26. Attitude of class mates towards the child.....
27. Attitude of teachers and classmates towards the child.....
28. The reason for leaving School (tick as applicable)

a. Failure in the class last studied
b. Lack of interest in the school activities
c. Indifferent attitude of the teachers
d. Peer group influence
e. To earn and support the family
f. Sudden demise of parents
g. Bullying in school
h. Rigid school atmosphere
i. Absenteeism followed by running away from school
j. There is no appropriate level of school nearby
k. Abuse in school
l. Humiliation in school
m. Corporal punishment
n. Medium of instruction
o. Others (pl. specify)

29. Vocational training, if any.....
30. Employment Details, if any.....
31. Details of income utilization.....
32. Work record (reasons for leaving vocational interests, attitude towards job or employers).....
33. Majority of the friends are (tick as applicable)
    a) Educated
    b) Illiterate
    c) The same age group
    d) Older in age
    e) Younger in age
    f) Same sex
    g) Opposite sex
    h) Addicts
    i) With criminal background
34. Attitude of the child towards friends.....
35. Attitude of friends towards the child.....
36. observation about neighbourhood (to assess the influence of neighbourhood on the child).....
37. Mental condition of the child: (Present and past).....
38. Physical condition of the child: (Present and past).....
39. Health status of the child
    i. Respiratory disorders - present / not known / absent
    ii. Hearing impairment - present / not known / absent
    iii. Eye diseases- present / not known / absent
    iv. Dental disease- present / not known / absent
    v. Cardiac diseases- present / not known / absent
    vi. Skin disease-present / not known / absent
    vii. Sexually transmitted diseases- present / not known / absent

viii. Neurological disorders- present / not known / absent
ix. Mental handicap- present / not known / absent
x. Physical handicap- present / not known / absent
xi. Urinary tract infections –present / not known / absent
xii. Others (pl. specify) -

40. Whether the child has any addiction **Yes/ No**
41. With whom the child was staying prior to production before the Committee
    (i) Parent(s) – Mother / Father / Both
    (ii) Siblings / Blood relative
    (iii) Guardian(s) – Relationship
    (iv) Friends
    (v) On the street
    (vi) Night shelter
    (vii) Orphanages / Hostels/ Similar Homes
    (viii) Other (pl. specify)
42. History/ tendency of the child to run away from home, if any.....
43. Parents attitude towards discipline in the home and child's reaction.....
44. Reasons for leaving the family (tick as applicable)
    (i) Abuse by parent(s)/guardian(s)/step parents(s)
    (ii) In search of employment
    (iii) Peer group influence
    (iv) Incapacitation of parents
    (v) Criminal behaviour of parents
    (vi) Separation of Parents
    (vii) Demise of parents
    (viii) Poverty
    (ix) Others (please specify)
45. Whether the child is a victim of any offence Yes/No
46. Types of abuse met by the child (tick as applicable)
    (i) Verbal abuse – parents/siblings/ employers/others (pl. specify)
    (ii) Physical abuse
    (iii) Sexual abuse parents/siblings/ Employers/others (Pl. specify)
    (iv) Others – parents/siblings/ employers/others (pl. Specify)
47. Types of ill-treatment met by the child(tick as applicable).
    i) Denial of food – parents/siblings employers/other (pl. specify)
    ii) Beaten mercilessly –parents/ Siblings/employers/other (pl. specify)
    iii) Causing injury –parents/ siblings/employers/other (pl. specify)
    iv) Detention -parents/ siblings/employers/other (pl. specify)
    v) Other(please specify)_____parents/siblings/employers/others(pl. specify)
48. Exploitation faced by the child
    i) Extracted work without payment

ii) Little (low) wages with longer duration of work
iii) Others (pl. specify)

49. Whether the child has been bought or sold or procured or trafficked for any purpose
Yes/ No
50. Whether the child has been used for begging Yes/ No
51. Whether the child is used by any gangs or adults or group of adults or has been used for drug peddling:
Yes/ No
52. Previous institutional/case history and individual care plan, if any:.....
53. Details of perpetrator: (such as Name, Age, Contact number, Address details, Physical Characteristics, Relationship with the family, middle men involved, is there any other child from the same village who is abused / harassed / taken / sent by the perpetrator, how the child came in contact with the perpetrator).....
.....
54. Attitude of the child towards the perpetrator.....
55. Whether the police have been informed.....
56. Action taken, if any against the perpetrator.....
57. Any other remark.....

OBSERVATIONS OF INQUIRY

1. Emotional factors.....
2. Physical condition.....
3. Intelligence.....
4. Social and economic factors.....
5. Suggestive causes of the problems.....
6. Analysis of the case, including reasons/contributing factors for the offence...
7. Reasons for child's need for care and protection.....
8. Opinion of experts consulted.....
9. Psycho-social expert's assessment.....
10. Religious factors.....
11. Risk analysis for the child to be restored to the family .....
12. Previous institutional/case history and individual care plan, if any:.....
13. Recommendation of Child Welfare Officer/Case Worker/Social Worker regarding psychological support, rehabilitation and reintegration of the child and suggested plan.....

Signature
(Of the Person assigned)

FORM 23

[Rule 19(22)]

Application for Surrender of Child

Date .....

To

Child Welfare Committee,

District.....

I/ We.....(name of the applicant/s) .....(relation with the child) of.....(name of the child), aged about.....years , intend to surrender.....name of child) before this Child Welfare Committee as.....(reason/s for surrender).

I/we am /are fully conscious and making this application before this Child Welfare Committee. I have not been forced or unduly influenced by any one to take this decision of surrendering..... (name of child). I shall have no objection if the child is given in adoption. I am fully aware of the consequences of surrendering the child.

Full signature of the applicant(s)/
Thumb impression (if the CWC deems appropriate)

Name and address.

.....

(Signature of the Chairperson/ member
Before whom such application is submitted)
Committee member/s present:_____

Date.....

Time.....

Place.....

FORM 24

[Rule 19(22)]

Deed of Surrender

Declaration by Person surrendering the child or children

Case No.....

In Re.....

I/We, the undersigned.....Family name/First name(s).....residing at, surrender the child (named).....Aged.....having date of birth.....for the reason:.....

(ii) I/we are surrendering my/our child or children on our own and without any coercion, compulsion, threat, payment, consideration, compensation of any kind;

(iii) I/we have been counselled and informed about the implication that I/we can withdraw our consent until 60th day of this surrender deed after which my/our consent will be irrevocable and I/we shall have no claim over the child or children.

(iv) I/we have been made aware of the implications of surrender and are conscious of the fact that after the 60th day from date of the surrender deed, the legal parent-child relationship between my/our child or children and me/us will be terminated.

(v) I/we understand that my/our child may be adopted by person(s) residing in India or abroad and give my/our consent for this purpose.

(vi) I/we understand that the adoption of my/our child will create a permanent parent-child relationship with the adoptive parent(s) and then cannot claim back the child.

(vii) I/we wish/ do not wish (please tick whichever is applicable) my/our identity and address to be disclosed to my/our child when he/she returns for root search.

(viii) I/we declare that I/We have read the above statements carefully and have fully understood the same.

Done at ..... on .....

[Signature or Thumb Impression of surrendering person(s)]

2. Declaration by Witnesses

We the undersigned have witnessed the above surrender.

(a) Signature, Name and Address of the first witness

.....

.....

(b) Signature, Name and Address of the second witness

.....

.....

3. Certification of child welfare committee

[Rule 19(29)]

Certificate Declaring the Child Legally Free for Adoption

1. In exercise of the powers vested in the Child Welfare Committee.....under Section 38 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, child..... date of birth.....placed in the care of the Specialized Adoption Agency/Child Care Institution (name & address) vide order no.....dated..... of this Committee, is hereby declared legally free for adoption on the basis of the following:
   - Inquiry report of the Probation Officer/ Child Welfare Officer / Social Worker / Case Worker/any other (as the case may be);
   - Deed of surrender executed by the biological parent(s) or the legal guardian of the child before this Committee on (date);
   - Declaration submitted by District Child Protection Unit and the Child Care Institution or Specialized Adoption Agency concerned to the effect that they have made restoration efforts as required under Section 40(1) of the Act, the Rules and Adoption Regulations, but, nobody has approached them for claiming the child as biological parents or legal guardian as on date of the said declaration.
2. This is to certify that:

   The biological parent(s) / legal guardian, wherever available, has/have been counselled and duly informed of the effects of their consent including the placement of the child or children in adoption which would result in the termination of the legal relationship between the child and his or her family of origin;

   The biological parents / legal guardian have given their consent freely, in the required legal form, and the consents have not been induced by payment or compensation of any kind and the consent of the mother (where applicable), has been given only after the birth of the child.

   The Specialized Adoption Agency/ Child Care Institution to which the aforesaid child is entrusted shall post the photograph and other essential details of the child in the CARINGS and shall place such child in adoption as per the procedure laid down in the Act and Adoption Regulations.

Signature

Chairperson and Members of the Committee

(Seal of the Child Welfare Committee)

Date:

Place:

To: Child Care Institution /Specialized Adoption Agency/ District Child Protection Unit Concerned – for information and necessary action.

(Signature: & Seal)
Date:

FORM 26

[Rule 20(1)]

Case Monitoring Sheet for Committee Case Monitoring Sheet

(Separate Sheet may be used in case there are more than one child)

Child Welfare Committee, District.....

Case No. .....of.....

Case Name:

Police Station ..... Date.....

U/S..... FIR/ GD/ DD No. .....

Name of Probation Officer..... Name of IO .....

PARTICULARS OF CHILD

Name	Parents/ Guardian with Contact No.	Present address	Permanent address

DATE AND TIME CHILD PRODUCED BEFORE THE COMMITTEE

DATE AND TIME OF FIRST PRODUCTION

DATE OF MEDICAL EXAMINATION UNDER SECTION 54 Cr.P.C. (if any)

AGE DETERMINATION

Age on the Date of offence

Date of age Determination

Time taken for age determination

Determination by Committee

Evidence Relied: Documents Medical

PLACEMENT OF THE CHILD

[illegible]	Dated........
Submission of Report on Provisions of further investigation, if any	Dated........
Statement of Child	Dated........
Individual Care Plan (In case of child in institutional care Individual Care Plan should be prepared within one month of admittance	Dated........
Dispositional (Final) Order	Dated........
Post Dispositional Review	Dated........

Signed by
Child Welfare Committee

मामले में, प्रवेश एक माह के भीतर, पृथक देखभाल योजना तैयार की जाए।)		
निपटान (अंतिम) आदेश	तारीख	
निपटान आदेश के पश्चात समीक्षा	तारीख	

हस्ताक्षरकर्ता
बाल कल्याण समिति

प्रपत्र–27

[नियम 21 (2) और 22 (2)]

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत

बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. बाल देखरेख संस्थान का प्रस्ताव करने वाले आवेदक/संस्थान का विवरण :
   - i. संस्था का प्रकार.....
   - ii. संस्था/संगठन का नाम .....
   - iii. सुसंगत अधिनियम के अधीन संस्थान/संगठन के पंजीकरण की तिथि और संख्या (संलग्न करें–पंजीकरण से तथा संबंधित दस्तावेज और उप–नियम, संस्था का ज्ञापन).....
   - iv. संस्था/संगठन चलाने के लिए अवधि की वैधता तिथि.....
   - v. आवेदक/संस्थान/संगठन का पूरा पता.....
   - vi. एसटीडी कोड/दूरभाष संख्या.....
   - vii. एसटीडी कोड/फैक्स संख्या .....
   - viii. ई–मेल पता.....
   - ix. क्या यह संगठन अखिल भारतीय स्तर का है यदि हां तो अन्य राज्यों में इसकी शाखाओं का पता दें.....
   - x. क्या इससे पूर्व संस्था/संगठन का पंजीकरण करने से मना किया गया है? जी हाँ/नहीं
   - xi. बा.सं.सं. के तौर पर रद्द किये जाने वाले आवेदन की संदर्भ संख्या
     (क) मनाही की तारीख.....
     (ख) किस विभाग द्वारा पंजीकरण करने के लिए मना किया गया है.....
   - xii. बा.सं.सं. के रूप में पंजीकरण न करने का कारण .....

2. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्थान का विवरण .....
   - i. प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम.....
   - ii. बाल देखरेख संस्था की किस्म/प्रकार .....
   - iii. बाल देखरेख संस्था या संगठन का पूरा पता स्थान स्थिति सहित
   - iv. एसटीडी कोड/टेलीफोन सं0.....
   - v. एसटीडी कोड/फैक्स सं0.....
   - vi. ई–मेल पता.....

3. पहुँचने का रास्ता (प्रस्तावित बाल देखरेख संस्था का नाम और दूरी) :
   - i. मुख्य मार्ग .....
   - ii. बस स्टैंड .....
   - iii. रेलवे स्टेशन.....
   - iv. कोई अन्य पहचान.....

4. संरचना :
   - i. कमरों की संख्या (पैमाइश सहित).....
   - ii. शौचालयों की संख्या (पैमाइश सहित).....
   - iii. पाकशालाओं की संख्या (पैमाइश सहित).....
   - iv. चिकित्सा कक्षों की संख्या .....
   - v. भवन के नक्शों की एक प्रति संलग्न करें (भवन की प्रमाणित रूपरेखीय योजना).....
   - vi. अप्रत्याशित आपदा से निपटने के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं?
     - I. आग
     - II. भूकंप
     - III. कोई अन्य व्यवस्था
     - IV. पेय जल का प्रबंध
     - V. सफाई और स्वच्छता की व्यवस्था
     - VI. कृमि/कीटाणु नाश/नियंत्रण
     - VII. कचरे का निपटान
     - VIII. भंडारण क्षेत्र
     - IX. कोई अन्य व्यवस्था
   - X. किराया करार/भवन अनुरक्षण आकलन (जो भी लागू हों) (किराया करार की प्रति संलग्न करें)
5. संस्थान/संगठन की क्षमता
   - I. बालकों की संख्या (0–6 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
   - II. बालकों की संख्या (6–10 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
   - III. बालकों की संख्या (11–15 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
   - IV. बालकों की संख्या (16–18 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
   - V. बालकों की संख्या (18–21 वर्ष) गृह में उपस्थित, (यदि कोई हों)
6. क्या बाल कल्याण समिति ने किशोर न्याय बोर्ड को संस्थान में उपस्थित बालकों के बारे में सूचना दे दी है हाँ/नहीं
7. उपलब्ध सुविधाएँ
   - I. शिक्षा सुविधा.....
   - II. प्रस्तावित स्वास्थ्य जाँच प्रबंध, जाँच की आवृत्ति एवं जाँच के प्रकार.....
   - III. कोई अन्य सुविधा जो बालक के संपूर्ण विकास पर बुरा प्रभाव डालेगी।
8. स्टाफ व्यवस्था
   - I. स्टाफ सूची का ब्यौरा .....
   - II. स्टाफ की शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव .....
   - III. संगठन के साझेदार
   - IV. संगठन के प्रभारी का नाम
9. आवेदक की पृष्ठभूमि (संस्था/संगठन)
   - I. पिछले 2 वर्षों में संगठन की मुख्य गतिविधियाँ/क्रियाकलाप (क) (वार्षिक रिपोर्ट की प्रगति संलग्न करें)
   - II. संलग्न फार्म में प्रबंध समिति/शासकीय निकाय के सदस्यों की अध्यतन सूची संलग्न करें (वार्षिक बैठक के संकल्प की प्रति लगाएं)
   - III. परिसंपत्तियों की सूची/संगठन की अवसंरचना
   - IV. क्या संगठन विदेश सहयोग (नियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें) पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का विवरण (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न)
   - V. पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी सहयोग का ब्यौरा (संबंधित दस्तावेज संलग्न)
   - VI. अनुदान सहायता की निधि के अन्य स्त्रोतों की सूची (यदि कोई हों) स्कीम/परियोजना/उद्देश्य–राशि आदि के साथ पृथक रूप से।
   - VII. अभिकरण के वर्तमान बैंक खाता का विवरण, ब्रांच कोड, खाता संख्या सहित
   - VIII. क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए पृथक खाता खोलने की इच्छुक है?

IX. पिछले तीन वर्षों के खातों की प्रतिलिपि संलग्न करें। :

I.लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
II.लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
III.लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
IV.लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मैंने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 का अध्ययन कर लिया है।

मैं घोषणा करता हूँ कि संगठन से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को इससे पूर्व दंडित नहीं किया गया है या वह एक किसी अनैतिक कार्य या किसी ऐसे बालक बाल दुर्व्यावहार या बाल श्रम नियोक्ता कार्य में संलग्न रहा है और संगठन को किसी भी समय केंद्र या राज्य सरकार की सूची से बाहर नहीं किया गया है।

..... (संगठन/संस्थान का नाम) ने किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत, बाल देखरेख संस्थान के पंजीकरण हेतु सभी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है।

मैं इस संबंध में शपथ लेता हूँ कि मैं केंद्र/राज्य सरकार के अधिनियम, नियमों, दिशानिर्देशों और अधिसूचनाओं में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करूंगा।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर : .....

नामः .....

पदनामः .....

पताः .....

जिलाः .....

तिथिः .....

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

साक्षी नंबर.1: .....

साक्षी नंबर.2: .....

प्रपत्र–28

[नियम 21 (3) और 22 (4)]

पंजीकरण प्रमाण पत्र

(किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अधीन)

प्ररूप सं0 27 के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 (1) के अंतर्गत, ... तारीख से, बाल देखरेख संस्थान के तौर पर ..... वर्ष की अवधि तक लिए वैध पंजीकरण सं..... प्रदान किया जाता है।

..... बालकों की क्षमता वाला यह संस्थान, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। संस्थान को पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से तीन माह पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा।

दिनांक–.....

(हस्ताक्षर)
मुहर
नाम व पदनाम

529

प्रपत्र–29

[नियम 22 (9)]

जि.बा.सं.ई. को मुक्त आश्रय द्वारा प्रस्तुत मासिक रिपोर्ट

1. मुक्त आश्रय का नाम .....
2. प्रभारी का नाम : .....
3. पंजीकरण की संख्याः .....
4. मुक्त आश्रय का पताः .....
5. रिपोर्ट की अवधि : .....
6. ..... को उपलब्ध बच्चों का ब्यौरा

क्र0 सं0	बालक/बालिका का नाम	पिता का नाम	बालक/बालिका का पता, यदि उपलब्ध हो	भर्ती की तारीख	दाखिले के कारण	रहने की अवधि	उपलब्ध सुविधाएं	बा.क.स. के समक्ष पेशी	टिप्पण, यदि कोई हो

7. माह के दौरान भर्ती हुए बच्चों की कुल संख्या : .....
8. माह के अंतिम दिन मुक्त आश्रय में बालकों की कुल संख्या : .....
9. उन बालकों की संख्या जिन्होंने माह के दौरान मुक्त आश्रय की सुविधाओं का उपयोग किया : .....
10. उन बालकों में से ऐसे बालकों की संख्या जिन्होंने माह के दौरान सेवाओं का उपयोग किया : .....

हस्ताक्षर

मुक्त आश्रय का प्रभारी

प्रपत्र–30

[नियम 23 (9)]

संभावित पालक माता–पिता के घर की अध्ययन रिपोर्ट

पंजीकरण की तारीख : .....

आधार कार्ड संख्या : .....

सामाजिक कार्यकर्ता का नाम : .....

घर के दौरे की तारीख : .....

संभावित माता–पिता द्वारा प्रारूप का भाग– I भरा जाएगा और भाग–II का शेष हिस्सा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा संभावित गोद लेने वाले/पालक माता–पिता की उपर्युक्तता के बारे में अपनी टिप्पणियों के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट करने के लिए भरा जाएगा।

भाग– I स्व मूल्यांकन

क. संभावित पालक माता–पिता और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सूचना

पालक माता–पिता का विवरण	
पूरा नाम	
जन्म तिथि और आयु	
जन्म स्थान	

ई–मेल आई डी सहित पूरा पता (वर्तमान एवं स्थायी पता)	
पहचान साक्ष्य	
धर्म	
भाषाएँ	
विवाह की तारीख	
वर्तमान शैक्षणिक योग्यता	
रोजगार/व्यवसाय	
वर्तमान नियोक्ता/कारोबारी प्रतिष्ठान का नाम एवं पता	
वार्षिक आय	
स्वास्थ्य की स्थिति	

ख. पारिवारिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचना

(1) निम्नलिखित सूचनाओं के साथ संभावित पालक माता–पिता की सामाजिक हैसियत और पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण दें :

आवेदकों के माता–पिता के बारे में ब्यौरा		
पूरा नाम	पिता	माता
आयु		
राष्ट्रीयता/नागरीकता		
व्यवसाय		
पूर्ण व्यवसाय		
वर्तमान निवास		

(2) कृपया अपने संबंधित प्रत्येक/सभी बच्चों (गोद लिए/जैविक) के नाम सहित उनके लिंग, शैक्षणिक स्थिति (के.जी.प्रारंभिक, इत्यादि) और जन्म तिथि का ब्यौरा देकर निम्नलिखित तालिका को पूरा करें :

बच्चे का नाम	लिंग	जन्म–तिथि	शैक्षणिक स्थिति

(3) यदि अन्य सदस्य भी रह रहे हों तो कृपया उनके संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :

नाम	संबंध का स्वरूप	आयु	लिंग	व्यवसाय

527]

(4) कृपया यह वर्णन करें कि आपका पालक देखभाल संबंधी व्यवहार परिवार के सदस्यों (दादा–द , बच्चों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों पर) को किस प्रकार से प्रभावित करेगा.

ग. व्यवसाय/रोजगार का ब्यौरा (पिछले 05 वर्ष की व्यावसायिक जीविका) :

पालक पिता			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता	कार्य पद/स्थिति	से तक

पालक माता			
संगठन	नियोक्ता का ब्यौरा नाम एवं पता	कार्य पद/स्थिति	से तक

घ. वित्तीय स्थिति : (अपनी सभी स्त्रोतों से आय जैसे बचत, निवेश, खर्च और अन्य देयताओं और ऋण आदि का प्रलेखों सहित संक्षेप में

विवरण दें) : .....

.....

ड. घर और आस पड़ोस का विवरण (घर में जगह की स्थिति का ब्यौरा और पड़ोसियों से संबंध)

(1) आपके घर में कितने कमरे हैं और बच्चे के खेलने की जगह की उपलब्धता बताएँ.....

(2) कृपया उस पड़ोस का उल्लेख करें जहाँ आप रहते हैं और उस पहलु को भी शामिल करें जिसे आप बच्चे के लिए उपयोगी मानते हों.

च. पालक माता पिता का देखभाल के लिए व्यवहार और प्रयोजन:

(1) कृपया उन शब्दों पर घेरा लगाएँ जिन्हें आप उस दृष्टि से सर्वोतम मानते हों कि जिस वजह से पालन–पोषण देखभाल करना चाहते हैं: यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते हैं.:

क) अपने बच्चों के लिए साथी उपलब्ध कराना ;

ख) बच्चे को खुशहाल घर देना ;

ग) अन्य, कृपया उल्लेख करें .....

(2) कृपया उस कथन पर घेरा लगाएँ जिसे आप उस दृष्टि से सर्वोतम मानते हों कि फोस्टर देखभाल व्यवस्था से आपके अन्य बच्चों के जीवन में सुधार आएगा. यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प पर घेरा लगा सकते हैं :

क) वे अकेलापन कम महसूस करेंगे :

ख) वे अधिक उदार बन सकेंगे

ग) वे अधिक सुस्पष्ट बनेंगे :

घ) लागू नहीं, क्योंकि मेरा कोई अन्य शिशु नहीं है :

ड़) अन्य, कृपया स्पष्ट करें :

च) पालन–पोषण देखभाल के प्रति दादा–दादी/परिवार के अन्य सदस्यों, रिश्तेदारों एवं महत्वपूर्ण महानुभावों का व्यवहार (पालन–पोषण) के प्रति अन्य महत्वपूण्र व्यक्तियों की उस राय का वर्णन करें जो बच्चे के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हो :

छ) बच्चे के लिए संभावित पालक माता–पिता की भावी योजना और परिवार में पालन–पोषण :

1. कृपया उल्लेख करें कि बच्चे की देखभाल और जीवन की अन्य प्रतिबद्धताओं जैसे काम–काज आदि की कैसे व्यवस्था करेंगे.
2. जब आप कार्य पर हों या परिवार के काम से घर बाहर हों तो बच्चे के देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा. (घरेलू सहायक, दादा–दादी, पति/पत्नी)
3. कृपया पिता के रूप में स्व अनुशासन दृष्टिकोण का वर्णन करें.
4. अगर पालन–पोषण बच्चे को परिवार में तालमेल बैठाने में दिक्कत होती है तो परिवार में उस बदलाव को आसान बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख करें
5. अगर बच्चे को तालमेल बैठाने में दिक्कत बनी रहती है तो क्या आप परिवार के साथ विचार विनिमय करने के लिए तैयार होंगे

   क) हाँ ख) नहीं
6. क्या आप पोषित बालक के उच्चतर व्यावसायिक अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता हेतु तत्पर हैं?

   क) हाँ ख) नहीं

ज) तैयारी और प्रशिक्षण (विचार–विनिमय के उन सत्रों का ब्यौरा दें जो फोस्टर देखभाल, बाल देखभाल, बच्चे की जरूरतों का इंतजाम करने आदी और उनकी क्षमता, ट्रेनिंग और/अथवा उनकी विशेष जरूरतों, यदि कोई हों, सहित पर संभावित पालक माता–पिता द्वारा प्रशिक्षण लिया गया हो

झ) स्वास्थ्य स्थिति (मानसिक/भावात्मक और शारीरिक) कृपया आवेदक/कों, यदि कोई हो, की मानसिक और शारीरिक स्थिति का विवरण दें अगर परिवार के सदस्य किसी विशेष बीमारी, परिस्थिति या सिंड्रोम से ग्रस्त हो तो इस बात का उल्लेख करें कि परिवार किस प्रकार से उसका सामना करता है और यह कैसे प्रस्तावित फोस्टर देखभाल को प्रभावित कर सकता है।

1. क्या आप या आपकी/आपके पति/पत्नी किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त रहे हैं? यदि हों, तो कृपया ब्यौरा दें.
2. क्या आप या आपकी/आपके पति/पत्नी का इस समय मनोवैज्ञानी/मनोचिकित्सक द्वारा उपचार करा रहे हैं?
3. क्या आप इस समय विदित दवाई ले रहे हैं.
4. क्या इस समय आपके घर में किसी बच्चे की बीमारी का इलाज चल रहा है.
5. क्या आपके परिवार के सभी सदस्यों की सेहत और अस्पताल में रहने का बीमा है।

585)

संभावित पालक माता–पिता के हस्त र
तारीख

भाग– II

समाजिक कार्यकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट
(मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाए)
(अभिकरणों/प्राधिकारियों द्वारा टेम्पलेट में दी गई सूचना/तथ्यों को गोपनीय रखा जाए)

1. तथ्यात्मक मूल्यांकन
   1. क्या आपने भाग–1 के टेम्पलेट में वर्णित तथ्यों/विषयवस्तु की जँच कर ली हैं?

      a- हाँ/नहीं

   2. क्या आप प्रलेखों में वर्णित तथ्यों के बारे में और दौरे व साक्षात्कार के समय टिप्पणियों से संतुष्ट हैं?

      b- हाँ/नहीं

2. मनः सामाजिक मूल्यांकन :

I. संभावित पालक माता–पिता से विचार–विमर्श

II. क्या आपेन संभावित पालक माता–पिता से अलग–अलग और संयुक्त रूप से विचार–विमर्श किया है?

III. क्या संभावित पालक माता–पिता बच्चे का पालन–पोषण करने के लिए भली भांति तैयार है?

2.2 घर के दौरे के निष्कर्ष

I. संभावित पालक माता–पिता के घर का आपने कब दौरा किया था? और आपके दौरे के समय कौन–कौन सदस्य उपस्थित थे?

II. घर के दौरे के दौरान आपने किस–किस से विचार–विमर्श किया था?

III. क्या आपने किसी पड़ोसी/रिश्तेदार से मुलाकात की, विचार–विमर्श के बारे में विस्तृत विवरण दें.

IV. क्या बच्चे के लिए घर का वातावरण प्रेरणात्मक है?

V. क्या संभावित पालक माता–पिता पालन–पोषण करने के लिए भली–भांति तैयार हैं?

VI. क्या संभावित पालक माता–पिता को बच्चे को गोद लेने या किसी अन्य मुद्दे के बारे कोई संदेह हैं? क्या आपने उनके संदेहों का निवारण कर दिया है?

2.3 पारिवारिक सदस्यों से विचार–विमर्श

I. क्या आपने संभावित पालक माता–पिता के परिवार के अन्य सदस्यों से विचार–विमर्श किया है? इनकी प्रस्तावित पालक देखभाल के बारे में क्या राय है? क्या वे पालक देखभाल व्यवस्था के बारे में सकारात्मक हैं?

II. क्या परिवार में कोई अन्य सदस्य है/हैं जिनसे आप बातचीत नहीं कर सके और वह प्रस्तावित पालन पोषण में बहुत बेहतर भूमिका निभा सकता था। यदि ऐसा है तो आपकी कैसी बातचीत रही? उनके विचार आप अपनी योजना में लेना चाहेंगे

III. क्या आपने घर में उपस्थित बड़े बच्चों के साथ पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता के बारे में बातचीत की ह? यदि हाँ तो उसका विवरण दें।

IV. क्या आपने परिवार के सदस्यों में प्रतिकूल टिप्पणियाँ तो नहीं सुनी? यदि हाँ तो पालन–पोषण प्रक्रिया में उनका कितना प्रभाव पड़ सकता है?

2.4 वित्तीय क्षमता

I. पालन पोषण करने वाले भावी माता–पिता की वित्तीय स्थिति के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वे वित्तीय दृष्टि से एक अन्य सदस्य को अपने परिवार में शामिल करने में सक्षम हैं?

II. क्या आपने इस अवस्था में कोई संदेहास्पद हुई वित्तीय पायी? क्या आप उनके लिए किसी वित्तीय सहायता की सिफारिश करते हैं?

2.5 शारीरिक एवं भावनात्मक क्षमता

I. क्या पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता, बालक की देखभाल करने में शारीरिक एवं भावनात्मक दृष्टि से सक्षम हैं?

II. क्या पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य में शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई ऐसी बात की है जिससे संबंधित बालक पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने वाला हो? यदि हाँ तो उसका विवरण दें।

III. क्या पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता, बालक की देखभाल करने में भावनात्मक दृष्टिकोण से पूरी तरह तैयार हैं?

3. पालन–पोषण के लिए सिफारिश

3.1 क्या देखभाल करने के लिए आप पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता की सिफारिश करते हैं। पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के लिए सिफारिश संबंधी अपने विचार और तर्क का उल्लेख करें।

3.2 यदि आप, देखभाल करने के लिए पालन–पोषण करने वाले भावी माता–पिता की सिफारिश नहीं करते हैं तो इस निष्कर्ष/निर्णय का उचित कारण बताएँ।

हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और सरकारी मुहर

प्रपत्र–31

[नियम 23 (4)]

बाल अध्ययन रिपोर्ट

बाल अध्ययन रिपोर्ट		
क्र0संख्या	मद	प्रत्युत्तर
1	मूल्यांकन की तारीख	
2	निर्दिष्ट करने का स्त्रोत	
3	बालक का फोटोग्राफ जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाएगा	

बालक का ब्यौरा		
4	बालक का नाम	
5	जन्म तिथि	
6	जन्म का स्थान	
7	आयु	
8	राष्ट्रीयता	
9	धर्म	
10	शिक्षा	
11	मातृभाषा	
12	वर्तमान पता	
13	आधार कार्ड संख्या	
14	संपर्क ब्यौरा (क) लैंड लाइन (ख) मोबाइल	
15	स्थापन विवरण यदि बाल संस्था से है क) स्थापन की तारीख ख) बालक का नाम एवं स्थायी पता ग) परिवार छोड़ने का कारण	बालक का दत्तक ग्रहण नहीं किया गया है
16	स्थापन का कारण यदि बाल संस्थान से है	माता अथवा माता–पिता दोनों कारागार में हैं माता–पिता चिरकालिक बीमारी से पीड़ित हैं निष्क्रिय परिवार (अर्थात मादक पदार्थों

		का दुरूपयोग, घरेलू हिंसा आदि) माता–पिता अलग होने की प्रक्रिया में है माता–पिता कानूनी अभिरक्षा के विवाद की प्रक्रिया में हैं प्राकृतिक आपदा अन्य

मैं ..... सामाजिक कार्यकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि बाल ..... के बारे में इस प्ररूप में दी गई सूचना सही है।

हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

521

प्रपत्र–32

[नियम 23 (15)]

परिवार में पालन–पोषण संबंधी देखभाल अथवा सामूहिक पालन पोषण संबंधी देखभाल का आदेश

श्री ..... तथा श्रीमती ..... का पुत्र/पुत्री (नाम एवं पता) .... जिसकी आयु लगभग .....हैं, को किसी परिवार की देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत है। श्री ..... तथा श्रीमती ..... निवासी (पूरा पता एवं संपर्क नंबर) ..... की वैयक्तिक देखरेख योजना, बाल अध्ययन रिपोर्ट और गृह अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

अथवा

बाल देखरेख संस्था (नाम एवं पता) ..... को वैयक्तिक देखरेख योजना और बाल अध्ययन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पालन पोषण संबंधी देखभाल स्थापन के लिए उपयुक्त घोषित किया जाता है।

बालक (नाम)..... को उक्त बाल कल्याण अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता (नाम तथा संपर्क नंबर) ..... की देखरेख में ..... अवधि के लिए पालन पोषण देखभाल में स्थापन किया जाता है।

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

प्रपत्र–33

[नियम 23 (16)]

पालन–पोषण करने वाले परिवार/सामूहिक पालन पोषण देखभाल करने वाले संगठन द्वारा वचनबंध

मैं/हम..... निवासी, मकान नं0.....गली.....

...../शहर.....जिला.....राज्य...../.....

संगठन द्वारा .....(पता) पर चलाए जा रहे पालन पोषण देखरेख गृह से संबद्ध देखरेख प्रदाता एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि मैं/हम निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन बाल कल्याण समिति.....के आदेशों के अनुसार ..... (बालक का नाम) आयु..... ..... की देखरेख का दायित्व संभालने का/की इच्छुक हूँ/के इच्छुक हैं:

I. यदि बालक का आचरण असंतोषजनक हुआ तो मैं/हम तत्काल समिति को सूचित करूँगा/करूँगी/करेंगे।

II. जब तक यह बालक मेरी/हमारी देखरेख में रहेगा तब तक मैं/हम उसके कल्याण एवं शिक्षा के लिए यथासंभव प्रयास करूँगा/करूँगी/करेंगे।

III. उसके रोग ग्रस्त होने पर उसका निकटवर्ती अस्पताल में समुचित उपचार कराया जायेगा और समिति के समक्ष इसकी रिपोर्ट और उसके स्वस्थ होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

IV. मैं/हम पते में कोई परिवर्तन के बारे में समिति को सूचित करूँगा/करूँगी/करेंगे।

V. मैं/हम यह सुनिश्चित करने का यथासंभव प्रयास करूँगा/करूँगी/करेंगे कि बालक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो।

VI. मैं/हम समिति द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने के लिए सहमति देता/देती हूँ/देते हैं।

VII. मैं/हम, जब कभी आवश्यक होगा बालक को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

VIII. मैं/हम बालक के मेरे प्रभार अथवा नियंत्रण से बाहर जाने पर समिति को तत्काल सूचित करने वचन देता/देती हूँ/देते हैं।

.....तारीख.....माह

दो गवाहों का हस्ताक्षर और पता

आवेदक (कों) के हस्ताक्षर

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रपत्र–34

[नियम 23 (17)]

पालन–पोषण देखरेख में बालक का अभिलेख

क) मामला सं0.....

ख) बालक का नाम.....

ग) आयु.....

घ) लिंग.....

ङ) बाल देखरेख संस्था का नाम व पता, यदि कोई हो, जहां से बालक का पालन पोषण देखरेख में दिया गया है .....

च) वैयक्तिक देखरेख योजना

छ) निर्दिष्ट करने का कोई अन्य स्त्रोत.....

ज) पालन पोषण देखरेख में स्थापन किए गए बालक का फोटो सहित ब्यौरा, पालन पोषण देखरेख प्रदाता/माता–पिता, जैविक माता–पिता, यदि उपलब्ध हो, का ब्यौरा .....

झ) स्थापन का ब्यौरा–स्थापन की तारीख एवं अवधि सहित व्यक्तिगत अथवा सामूहिक देखरेख

ञ) जहाँ कहीं लागू हो फोटो सहित जैविक परिवार की गृह अध्ययन रिपोर्ट

ट) फोटो सहित पारिवारिक–व्यक्तिगत अथवा सामूहिक पालन पोषण देखरेख की गृह अध्ययन रिपोर्ट

ठ) बाल अध्ययन रिपोर्ट

ढ) बालक को पालन पोषण देखरेख में स्थापन करने वाली समिति के आदेश का विवरण

ण) बालक, पालन पोषण करने वाले परिवार, जैविक परिवार, यदि उपलब्ध हों, के साथ किए गए प्रत्येक दौरे का अभिलेख (संख्या एवं प्रमुख विवरण)

त) निगरानी, देखरेख योजना के अनुपालन की सीमा एवं गुणवता, बाल विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य बालक की शैक्षिक प्रगति और पारिवारिक वातावरण में कोई परिवर्तन सहित स्थापन की सभी समीक्षाओं का रिकार्ड

थ) स्थापन के विस्तार अथवा समाप्ति के मामले में, समाप्ति की तारीख एवं कारण का रिकॉर्ड

द) पालन पोषण करने वाले परिवार को बच्चे को देने की तारीख

ध) प्रदान की गई वित्तीय सहायता, यदि कोई हो

न) नियुक्त किए गए मामला कार्यकर्ता का नाम

प्रारूप 35
[नियम 23(18)]

पालन पोषण करने वाले परिवारों / समूह पालन पोषण देखरेख का मासिक निरीक्षण
(जो लागू हो उसे भरें)

निरीक्षण की तारीख :

क) नाम :

ख) जन्मतिथि एवं आयु :

ग) लिंग

घ) नियोजन की तारीख

1. पालन पोषण करने वाले माता–पिता का ब्यौरा
   क) पालन पोषण करने वाले माता–पिता का नाम
   ख) पता

   ग) संपर्क ब्यौरा
      i) लैंडलाइन :
      ii) मोबाइल :
   घ) आधार कार्ड संख्या :
   ड़) माता–पिता का फोटो

(नवीनमत फोटो लगाए) (नवीनतम फोटो लगाए)

3. पोषक बालक के साथ बातचीत

क)	परिवार का एक हिस्सा होते हुए, बालक का अनुभव (क्या बालक की शारीरिक, भावनात्मक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित देखभाल हुई, के संदर्भ में) वर्णन करें। I. स्वास्थ्य संसूचक क) स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति ख) अस्वस्थता का कोई अभिलेख ग)बालक का किया जा रहा कोई अन्य उपचार II. भावनात्मक	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित

ख)	बालक अपने अध्ययन में कैसा निष्पादन कर रहा है? (i) बालक द्वारा पिछली परीक्षा में प्राप्त किए गए ग्रेड/अंकों के संदर्भ में जांच करें, (ii) पालन पोषण करने वाले माता–पिता बालक से उसके अध्ययन, अतिरिक्त सहगामी क्रियाओं के बारे में नियमित वार्तालाप करते हैं (iii)क्या वे अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	हाँ नहीं कभी–कभी हाँ नहीं कभी–कभी
ग)	I)माता–पिता (पालन–पोषण करने वाले) बालक के साथ अकेले अथवा अपने स्वयं के बच्चों के साथ कितना समय बिताते हैं। ii) वे परिवार के रूप में एक साथ समय कैसे और किस लिए बिताते है? (iii) क्या पोषक बालक पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के साथ उन समस्याओं को साझा करता है जिनको वह या तो घर पर, स्कूल में, पड़ोस में सामना कर रहा है या भावनात्मक रूप से खुश नहीं है?	वार्तालाप करते समय भोजन करत समय खेलते समय टीवी देखते समय स्कूल जाते समय साथ–साथ गृह कार्य करते समय अन्य(उल्लेख करें) हाँ नहीं कभी–कभी
घ)	क्या बालक को पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के बच्चों से समर्थन मिलता है? (क्या वे आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं)	हाँ नहीं कभी–कभी
ङ)	क्या ऐसी कोई घटना घटित हुई है जो पोषक बालक को उसके प्रति भेदभाव महसूस कराती है?	
च)	क्या कोई ऐसी घटना/घटनाएं हुई हैं जिसने तुम्हें असहज बना दिया हो? i)वह तरीका जिससे आपको पालन–पोषण करने वाले माता–पिता/बड़े भाई–बहन/किसी अन्य सदस्य ने छुआ हो। ii) वार्तालाप जो पालन–पोषण करने वाले माता–पिता/बड़े भाई–बहन/किसी अन्य सदस्य ने आपके साथ किया हो। iii) कोई सामग्री–दृश्य/मुद्रित, जिसे आपको देखने अथवा पढ़ने के लिए बाध्य किया गया हो।	हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं

	iv) क्या आपके साथ किसी भी समय यौन प्रहार अथवा दुर्व्यवहार किया था?	
	• यदि उत्तर "हाँ" में है, बालक को हटाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए और उसे सुरक्षा के स्थान पर भेजा जाए और बालक को चिकित्सा एवं मनो–सामाजिक उपचार दिया जाए। ** पालन पोषण देखरेख प्रदान करने वालों और अभिभावकों के विरूद्ध निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाए। *** क्या उसी प्रकार का व्यवहार उनके जैविक बालक के साथ भी किया जा रहा है? तो जैविक बालक को भी देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाए और उचित कार्रवाई की जाए।	हाँ नहीं
छ)	क्या बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है (टेलीफोन, पत्रों, दौरे के द्वारा)। उल्लेख करें	हाँ नहीं
ज)	क्या आपको पालन–पोषण करने वाले माता–पिता द्वारा किसी भी समय पीटा गया है?	हाँ नहीं
झ)	क्या आपके साथ इस तरीके से बात की गई है कि आप अपमानित महसूस करते हैं?	हाँ नहीं
ञ)	क्या आपसे घरेलू काम कराया जाता है?	हाँ नहीं

ट)	क्या पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के जैविक बच्चों से भी वही घरेलू काम कराया जाता है?	हाँ नहीं

5. पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के साथ बातचीत

	परिवार में बालक के व्यवहार (भावनात्मक हित) के बारे में माता–पिता के विचार	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसंमजन
ख)	घर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसके समंजन के बारे में धारणा	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसंमजन
ग)	आप बालक को अनुशासित कैसे बनाते हैं?	बालक को समझाकर डांटकर, दंड देकर बालक को पीटकर अन्य तरीके (उल्लेख करें)
घ)	व्यवहार की क्या विशेषताएँ है जो चिंता का विषय है और आप अभिभावक के रूप में उनसे कैसे निपटते हैं?	सहयोग का अभाव समंजन का अभाव अंतर्मुखी आक्रामक अभिव्यक्तिशील न होना कोई अन्य
ड़)	क्या आप पोषक बालक और जैविक बच्चों के साथ बिताते हैं? विवरण दें।	हाँ नहीं कभी–कभी

च)	बालक की शिक्षा एवं अन्य प्रतिभाओं की प्रगति के बारे में विचार i)बालक स्कूल में अच्छा कर रहा है 2)यदि बालक स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, क्या आपने क) बालक से ख) स्कूल के शिक्षक से कारणों का पता लगाया है iii) क्या आप अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भाग लेते हैं?	हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं कभी–कभी
छ)	क्या पालन–पोषण करने वाले माता–पिता बालक की ओर से निर्णय लेते समय उससे परामर्श करते है?	हाँ नहीं कभी–कभी
ज)	बालक पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के निर्णयों के प्रति अपनी स्वीकृति/अस्वीकृति कैसे दर्शाता है?	प्रसन्नता से निर्णय स्वीकार करना निर्णय स्वीकार करना लेकिन अप्रसन्न रहना निर्णय स्वीकार करने से मना करना और अक्रामक व्यवहार दिखाना
झ)	क्या पालन–पोषण करने वाले माता–पिता बालक के सामाजिक नेटवर्क के बारे में जानते हैं?	हाँ नहीं
ञ)	पड़ोसियों, स्कूल के दोस्तों एवं शिक्षकों के साथ बालक के सामाजिक संबंध के बारे में विचार	अच्छी एवं नियमित बातचीत आवधिक बातचीत
ट)	बालक के लिए उनकी क्या योजना है? (लिखी जाए)	
ठ)	क्या पोषक बालक अपने मूल परिवार के साथ संपर्क रखता है? (टेलीफोन, पत्रों, भ्रमण के द्वारा)। उल्लेख करें।	हाँ नहीं कभी–कभी
ड)	पोषक बालक के बैंक खाते का अभिभावक के रूप में कौन देखभाल करता है?	

SCB)

6. पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के जैविक बच्चों के साथ बातचीत :

क)	ऐसे कार्य जो वे पोषक बालक के साथ करते हैं	भोजन करना, खेलना टीवी देखना स्कूल जाना गृह कार्य साथ करना
ख)	क्या वे आपस में और पोषक बालक के साथ झगड़ा करते हैं? यदि हां, कितनी बार, किन मुद्दों पर और वे इसे कैसे हल करते हैं। कृपया लिखें।	हाँ नहीं कभी–कभी
ग)	आप कैसा अनुभव करते हैं जब आपके माता–पिता पोषक बालक के प्रति प्यार, दुलार एवं अपनापन दिखाते हैं?	प्रसन्न अप्रसन्न गुस्सा ईर्ष्या

7. स्कूल के शिक्षकों के साथ बातचीत:

क)	स्कूल में बालक के शैक्षणिक निष्पादन के बारे में सूचना (यह देखने के लिए कि बालक ने कोई प्रगति की है प्रगति कार्ड के साथ सत्यापित करें)	अच्छा उचित संतोषजनक खराब
ख)	शिक्षक की टिप्पणी : यदि बालक ने उसके पालन–पोषण करने वाले माता–पिता के साथ समंजन कर लिया है	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित

ग)	क्या पालन–पोषण करने वाले माता–पिता अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेते हैं?	हाँ नहीं कभी–कभी
घ)	क्या वे बालक की पढ़ाई में रूचि रखते हैं? (*उसकी अकादमिक उपलब्धियाँ, शिक्षकों एवं सहपाठियों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछकर*)	हाँ नहीं उदासीन
ड़)	स्कूल में बालक के व्यवहार के बारे में टिप्पणी (शिक्षकों, सहपाठियों के साथ उसके संबंध)	प्रसन्न एवं सुसमंजित समंजन की प्रक्रिया में कुसमंजित
च)	स्कूल में बालक के कोई चिंता। यदि हाँ, तो ब्यौरा दें।	

8. जन्मदाता माता–पिता के साथ बातचीत :

क)	क्या जन्मदाता माता–पिता ने अपने बालक के साथ संपर्क बनाए रखा है (टेलीफोन पर बातचीत, पत्रों एवं दौरों के	हाँ नहीं कभी–कभी

	द्वारा)? कितने अंतराल पर?	
ख)	क्या बालक उनसे मिलकर प्रसन्न था?	हाँ नहीं उनसे मुलाकात के समय अशांत
ग)	क्या बालक ने उनके समक्ष पोषण उसके देखरेख कर्त्ताओं/अभिभावकों/परिवार के बारे में कोई मुद्दा उठाया था?	हाँ नहीं
घ)	क्या उनकी बालक के हितों के बारे में पालन–पोषण करने वाले परिवार के साथ कोई बातचीत हुई है?	हाँ नहीं कभी–कभी
ड़)	बालक को वापस प्राप्त करने के लिए परिवार की स्थिति	परिवार इच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में है। परिवार अनिच्छुक है और बालक को वापस प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। परिवार बालक को वापस प्राप्त करने का अनिच्छुक है।
च)	पालन–पोषण देखरेखकर्त्ताओं से बालक को वापस प्राप्त करने के लिए उन्हें सहायता देने में सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण से कोई सहायता प्राप्त हुई है (यदि हाँ, तो ब्यौरा दें)	हाँ नहीं

8 पड़ोसियों के साथ बातचीत :

क)	पड़ोसी द्वारा किसी बालक के पालन–पोषण करने के बारे में जानकारी	हाँ नहीं
ख)	पालन–पोषण करने वाले परिवार का बालक के प्रति मनोवृत्ति एवं व्यवहार के बारे में सूचना	सकारात्मक एवं प्रसन्न उदासीन मनोवृत्ति नकारात्मक मनोवृत्ति पोषक बालक के प्रति दुर्व्यवहार
ग)	परिवार के सदस्यों और पोषक बालक अथवा पड़ोस एवं पोषक बालक के बीच कोई झगड़ा अथवा मुद्दा देखा गया (यदि हाँ, तो ब्यौरा दें)	हाँ नहीं

प्ररूप 36

[नियम 24 (5)]

प्रायोजक के स्थापना का आदेश

श्री ..... तथा/अथवा श्रीमती ..... का/की पुत्र अथवा पुत्री ..... को शिक्षा/स्वास्थ्य/पोषण/अन्य विकासात्मक जरूरतों ..... (कृपया विनिर्दिष्ट करें) हेतु प्रायोजक सहायता की जरूरत वाले बालक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। जिला बालक संरक्षण इकाई को एतदद्वारा उक्त बालक को ..... (दिवसों/मास) की अवधि के लिए एक बार की प्रायोजक सहायता के रूप में ..... रुपये प्रति मास/..... रुपये निर्मुक्त करने और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए और उक्त प्रयोजन के लिए बालक के नाम ..... पर एक बैंक खाता खोलने जिसका संचालन ..... किया जाएगा, का निदेश दिया जाता है।

बाल न्यायालय/मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्ररूप 37

[नियम 25 (2)]

उत्तरवर्ती देखभाल के लिए सपुर्दगी आदेश

..... (बालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... दिनांक ..... को ..... वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। पुनर्वास और पुनर्समेकन तथा विशेष रूप से .... (उद्देश्य/प्रयोजन) हेतु उत्तरवर्ती देखभाल के लिए उसे ..... (संगठन का नाम) के सपुर्द किया जाता है। संगठन के प्रभारी को निदेश दिये जाते हैं कि यह बालक/बालिका की देख भाल करे तथा उसे उसके पुनर्वास व पुनर्समेकन के लिए गंभीरतापूर्वक सभी अवसर प्रदान करे। बालक/बालिका को ऐसे अवसर केवल 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या समाज में पुनः समेकन होने तक जो भी पहले हो, प्रदान किए जाएंगे। संगठन प्रभारी, बाल/किशोर/किशोरी की स्थिति की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को भेजेगा। राज्य/जिला बाल देखरेख इकाई को निदेश दिए जाते हैं कि उक्त व्यक्ति की, ... (दिन/माह) तक देख भाल के लिए तथा उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक अनुवर्ती कार्यों के लिए ..... उपर्युक्त व्यक्ति के नाम बैंक में खाता खोलेगा।

बाल न्यायालय/मुख्य मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/
अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति

प्रतिलिपि : राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाई या राज्य सरकार का संबंधित विभाग

प्ररूप 38

[नियम 27 (2)]

सामूहिक पालन–पोषण देखरेख सहित सही सुविधा हेतु आवेदन

1.	संस्था/अभिकरण/संगठन का ब्यौरा जो सही सुविधा के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है	
1. क	संस्था/अभिकरण/संगठन का नाम	
1. ख	प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत संस्था/संगठन की पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण के प्रासंगिक दस्तावेज, उपनियम, संघ का ज्ञापन संलग्न करें)	
1. ग	आवेदन/संस्था/संगठन का पूरा पता	
1. घ	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
1. ङ	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
1. च	ई–मेल का पता	
1. छ	क्या संगठन अखिल भारतीय स्तर का है, यदि हाँ तो अन्य राज्यों में अपनी शाखाओं के पते दें	
1. ज	क्या संगठन को पहले मान्यता देना अस्वीकृत कर दिया गया था? यदि हाँ I. आवेदन का संदर्भ नम्बर जिसके फलस्वरूप मान्यता अस्वीकृत कर दी गई थी II. अस्वीकरण की तारीख III. किसने मान्यता अस्वीकृत की थी IV. मान्यता अस्वीकृत करने का कारण	
2.	प्रस्तावित सही सुविधा का ब्यौरा :	
2. क	प्रस्तावित सही सुविधा का पूरा पता/स्थान	
2. ख	एसटीडी कोड/टेलीफोन नम्बर	
2. ग	एसटीडी कोड/फैक्स नम्बर	
2. घ	ई–मेल	
3.	संपर्क (नाम और प्रस्तावित सही सुविधा में दूरी) :	

5091

3. क	मुख्य सड़क	
3. ख	बस–स्टैण्ड	
3. ग	रेलवे स्टेशन	
3. घ	कोई अन्य निशान	
4.	अवसंरचना :	
4. क	कमरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4. ख	शौचालयों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4. ग	रसोई घरों की संख्या (माप के साथ उल्लेख करें)	
4. घ	रोगी कक्षों की संख्या	
4. ङ	भवन के ब्लू प्रिंट की प्रति संलग्न करें (भवन का प्रामाणित नक्शा)	
4. च	अप्रत्याशित आपदाओं से निपटने के लिए व्यवस्था, व्यवस्था के प्रकार का भी उल्लेख किया जाए : i. आग ii. भूकंप iii. कोई अन्य व्यवस्था	
4. छ	पेयजलय की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न करें	
4. ज	साफ–सफाई एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवस्था : i. कीट नियंत्रण ii. कचरा निस्तारण iii. भण्डारण क्षेत्र iv. कोई अन्य व्यवस्था	
4. झ	किराया/करारनामा/भवन अनुरक्षण (जो भी लागू हो) (किराया करारनामा की प्रति संलग्न करें)	
5.	सही सुविधा की क्षमता	
6.	उपलब्ध सुविधाएँ (उस प्रयोजन पर निर्भर करेगी जिसके लिए सही सुविधा के रूप में मान्यता दी जानी है)	
6. ग	कोई अन्य सुविधा जो बालक के समग्र विकास पर प्रभाव डालेगी	
7.	कर्मचारी	
7. क	कर्मचारियों की विस्तृत सूची	
7. ख	भागीदार संगठन का नाम	
8.	आवेदक की पृष्ठभूमि	
8. क	पिछले दो वर्षों के दौरान संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकलाप	
8. ख	संलग्न प्रारूप में प्रबंधन समिति/शासी निकाय के सदस्यों की अद्यतन सूची (वार्षिक बैठक का संकल्प संलग्न करें)	
8. ग	संगठन की परिसंपत्तियों/अवसंरचना की सूची :	
8. घ	यदि संगठन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8. ङ	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय का ब्यौरा (प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें)	
8. च	स्कीम/परियोजना का नाम, प्रयोजन, राशि आदि (अलग–अलग) के साथ निधियन कर रहे सहायतानुदान के अन्य स्त्रोतों की सूची (यदि कोई हो)	
8. छ	शाखा कोड, खाता संख्या दर्शाते हुए अभिकरण के मौजूदा बैंक खाते का ब्यौरा	
8. ज	क्या अभिकरण प्रस्तावित अनुदान के लिए अलग से बैंक खाता खोलने के लिए सहमत है	
8. झ	पिछले तीन वर्षों के लेखों की फोटोप्रति संलग्न करें : i. लेखा परीक्षारिपोर्ट	

	ii.	आय एवं व्यय खाता	
	iii.	प्राप्ति एवं भुगतान खाता	
	iv.	संगठन का तुलन पत्र	

मैंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं।

..... (संगठन/संस्था का नाम) में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अंतर्गत सही सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि संगठन से संबद्ध कोई भी व्यक्ति पहले दोषसिद्ध नहीं किया गया है अथवा बाल दुर्व्यवहार के किसी कार्य में अथवा बाल श्रमिकों के नियोजन में अथवा नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े किसी अपराध में संलिप्त रहा है और कि संगठन को किसी भी समय केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

मैं केंद्रीय/राज्य अधिनियम, नियम, दिशानिर्देशों और इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

मैं समय-समय पर किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर : .....

नाम :

पदनाम :

पता :

जिला :

तारीख :

कार्यालय मुहर :

हस्ताक्षर :

गवाह नं. 1 : .....

गवाह नं. 2 : .....

प्ररूप 39

[नियम 27 (4)]

सामूहिक पालन-पोषण देखरेख सहित उपयुक्त सुविधा की मान्यता का प्रमाण पत्र

दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद और ..... को संस्था के निरीक्षण के आधार पर ..... (संस्था का नाम) को ..... से ..... वर्ष के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त सुविधा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 और उपयुक्त सरकार द्वारा समय-समय पर निरुपित किए गए विनियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

उक्त सुविधा किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर पारित किए गए आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

तारीख .....

(हस्ताक्षर)

(मुहर)

तारीख .....

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति/प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

561)

प्ररूप 40

[नियम 61 (3)(xii)]

बोर्ड अथवा समिति को बाल देखरेख संस्था द्वारा साप्ताहिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने वाले बालकों की सूची

बाल देखरेख संस्था का ब्यौरा :

क्र.सं.	बालक का नाम	प्राथमिकी / डीडी / मामला संख्या	पुलिस थाना	अगली पेशगी की तारीख

सप्ताह के दौरान भर्ती किए गए बालकों की कुल संख्या .....

सप्ताह के दौरान छोड़े गए बालकों की कुल संख्या .....

..... को संस्था में बालकों की कुल संख्या

हस्ताक्षर

बाल देखरेख संस्था का प्रभारी व्यक्ति

तारीख

प्ररूप 41

[नियम 69(ग) (1)]

संरक्षण अभिरक्षा कार्ड

1. बालक का नाम :
2. बालक की आयु :
3. माता का नाम :
4. पिता का नाम :
5. माता–पिता / अभिभावक का पता
6. संगठन / संस्था द्वारा प्राप्ति की तारीख :
7. बालक को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम एवं संपर्क ब्यौरा :
8. जाँच की तारीख :

आपको प्राधिकृत किया और निदेश दिया जाता है कि अपनी बाल देखभाल संस्था में उक्त नाम के बालक को प्राप्त करें और जे.जे. अधिनियम, 2015 के तहत संरक्षण अभिरक्षा के लिए उसे अपनी निगरानी में रखें।

और बालक तारीख ..... को पेश करें।

सुनवाई की अगली तारीख .....

(हस्ताक्षर)

प्रधान न्यायाधीश / सदस्य,

किशोर न्याय बोर्ड

प्ररूप 42

[नियम 69(घ) (4)]

रातभर का संरक्षण प्रवास

..... (बालक का नाम) को ..... आज पकड़ा गया है। ..... (संस्था का नाम) में रातभर के संरक्षण प्रवास की जरूरत हेतु रखा जाता है।

उक्त बालक को ..... (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, ... पुलिस स्टेशन .....) के द्वारा पेश किया गया है। बालक को संरक्षण प्रवास में रखने के लिए अपेक्षित आवेदन बालक

की समान्य सेहत स्थिति, जिसे संस्था के प्रभारी व्यक्ति द्वारा विधिवत अनुशीलन किया गया है, वर्णित चिकित्सा रिपोर्ट के साथ लाया गया है।

उक्त बालक को ..... बजे संस्था में लाया गया है और संबंधित अधिकार क्षेत्र के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को अगले दिन ..... बजे (समय बताएँ) या उसरो पहले सुपुर्द कर दिया जाएगा।

बालक की व्यक्तिगत वस्तुओं की गहन छानबीन की गई है और निम्नलिखित वस्तुएँ ..... (यदि कोई हो) संबंधित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दी गई हैं।

अगर संबंधित बाल कल्याण अधिकारी नियत समय पर बालक को अभिरक्षा में लेने की रिपोर्ट करने में असफल होता है तो ऐसे बालक को बाल न्याय मण्डल/बाल कल्याण समिति के समक्ष संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीघ्र पेश किया जाएगा।

प्रतिलिपि :

1. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी
2. बोर्ड/समिति
3. संस्था का प्रभारी व्यक्ति

आज तारीख ..... का 20

(हस्ताक्षर)
संस्था का प्रभारी व्यक्ति

(हस्ताक्षर)
बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

प्ररूप 43

[नियम 69 (ज) (3)]

बालक का जीवनवृत

(बाल देखभाल संस्था के लिए)

यहा अद्यतन
फोटो चस्पा करें

केस/प्रोफाइल सं0.....

तारीख एवं समय.....

क. वैयक्तिक ब्यौरा

- नाम.....
- पुरूष/महिला (उपयुक्त श्रेणी पर चिन्ह अंकित करें).....
- भर्ती के समय आयु.....
- वर्तमान आयु.....
- श्रेणी (जो लागू हो उस पर चिन्ह अंकित करें):

I. परिवार से अलग हुआ

II. परित्यक्त/भगोड़ा

III. शोषण व हिंसा से पीड़ित (ब्यौरा दें)

IV. भाग जाना

V. अन्य कोई

- धर्म

I. हिन्दू (अन्य जाति / पि.जा. / अ.जा. / अ.ज.जा.)

II. मुस्लिम / इसाई / अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

- मूल जिला / राज्य
- निवास का विवरण

I. कंक्रीट भवन / कच्चा घर

II. तीन शयन कक्ष / दो शयन कक्ष / एक शयन कक्ष कोई अलग कमरा नहीं

III. स्वयं का / किराये पर

- किशोर को किसके द्वारा बाल कल्याण समिति / बाल न्याय बोर्ड के समक्ष लाया गया (जो लागू हो पर चिन्ह् लगाएं)

I. पुलिस–स्थानीय पुलिस / विशेष बाल अपराध पुलिस इकाई / नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी / रेलवे पुलिस / महिला पुलिस

II. परिवीक्षा अधिकारी

III. समाज कल्याण संगठन

IV. सामाजिक कार्यकर्त्ता

V. अभिभावक / संरक्षण (कृपया संबंध बताएँ)

VI. अन्य लोक सेवक

VII. अन्य कोई उत्साही नागरिक

VIII. स्वयं किशोर / किशोरी

- परिवार छोड़ने का कारण

I. माता–पिता / अभिभावक / सौतेल माता–पिता द्वारा दुर्व्यवहार

II. रोजगार की तलाश में

III. समान आयु के किशोरों से प्रभावित

IV. माता पिता की अक्षमता

V. माता–पिता का आपराधिक व्यवहार

VI. माता–पिता का अलग हो जाना

VII. माता–पिता की मृत्यु

VIII. गरीबी

IX. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

- बालक के साथ हुए अपशब्द का स्वरूप

I. मौखिक दुर्व्यवहार–माता–पिता / भाई–बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

II. शारीरिक प्रताड़न

III. यौन शोषण माता–पिता / भाई–बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

IV. अन्य माता–पिता / भाई–बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

- बालक के साथ हुए दुर्व्यवहार का स्वरूप

I. खाना न देना– माता–पिता / भाई–बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

II. क्रूरता पूर्वक मार–पीट– माता–पिता / भाई–बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

III. चोट ग्रस्त हो जाना– माता–पिता / भाई–बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

IV. बंदी बनाना– माता–पिता / भाई–बहन / नियोक्ता / अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

V. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

- बालक द्वारा सामना किया गया शोषण

I. बिना किसी भुगतान के अत्यधिक कार्य कराना

II. लंबे समय तक काम करने पर भी नाम–मात्र की मजदूरी

III. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

- भर्ती होने से पहले बालक की सेहत की स्थिति

i)	श्वसन विकार	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया

ii)	श्रवण विकार	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
iii	आँखो का रोग	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
iv)	दाँतो की बीमारी	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
v)	हृदय रोग	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
vi	त्वचा रोग	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
vii	यौन संक्रमण बीमारी	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
viii	तत्रिका विकृति	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
ix	मानसिक अपंगता	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
x	शारीरिक विकलांगता	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
xi	मूत्र संक्रमण	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया
xii	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	–पाया गया / ज्ञात नहीं / नहीं पाया गया

15. भर्ती से पहले बालक किसके साथ रह रहा:

I. माता–पिता–माता / पिता / दोनों

II. भाई–बहन / सगे–संबंधी के साथ

III. अभिभावक–सबंधी

IV. मित्र–मंडली

V. सड़क पर

VI. रैन बसेरा

VII. अनाथालय / हॉस्टल / आश्रम

VIII. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

16 बालक से मुलाकात करने हेतु माता–पिता के दौरे

संस्था में आगमन से पहले–निरंतन / कभी / कभार / एकाध बार / कभी नहीं

संस्था में भर्ती हो जाने के बाद–निरंतर / कभी कभार / एकाध बार / कभी नहीं

17. बालक का अपने माता–पिता के पास जाना।

संस्था में आगमन से पहले–निरंतर / कभी / कभार / एकाध बार / त्योहार के दिनों में / गर्मियों की छुट्टियों के दौराने / जब कभी बीमार होने पर / कभी नहीं

संस्था में भर्ती हो जाने के बाद– निरंतर / कभी / कभार / एकाध बार / त्योहार के दिनों में / गर्मियों की छुट्टियों के दौराने / जब कभी बीमार होने पर / कभी नहीं

18 माता–पिता के साथ पत्राचार

संस्था में आगमन से पहले–निरंतर/कभी/कभार/एकाध बार/त्योहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं

संस्था में भर्ती हो जाने के बाद– निरंतर/कभी/कभार/एकाध बार/त्योहार के दिनों में/गर्मियों की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार होने पर/कभी नहीं

19. विकलांगता का ब्यौरा

20. परिवार का स्वरूपः परिवार/संयुक्त परिवार/खंडित/परिवार/एकल माता–पिता

21 पारिवारिक सदस्यों के बीच संबंध

I. माता एवं पिता	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II पिता एवं बालक	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II माता एवं बालक	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II पिता एवं भाई बहन	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II माता एवं भाई बहन	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II बालक एवं भाई बहन	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं
II बालक एवं सगे संबंधियों	स्नेहपूर्ण/अस्नेहपूर्ण/मालूम नहीं

22. परिवार के सदस्यों द्वारा किए अपराध, यदि कोई हो, का ब्यौरा

क्र0स0	संबंध	अपराध का स्वरूप	मामले की विधिक स्थिति	गिरफ्तारी, यदि कोई हुई हो	गिरफ्तारी की अवधि	दिया गया दंड
1	पिता					
2	सौतेला पिता					
3	माता					
4	सौतेली माता					
6	भाई					
	(क)					
	(ख)					
	(ग)					
	(घ)					
6	बहन					

	(क)					
	(ख)					
	(ग)					
	(घ)					
7	बालक					
8	अन्य (चाचा / चाची / दादा–दादी					

23 परिवार की अपनी परिसम्पतियाँ:

I. भू–सम्पतियॉ (कृपया क्षेत्रफल बताएँ)

II. घरेलू सामान–गाय / भैंस / पशु।

III. वाहन–दुपहिया / तीन पहिया / चौपहिया / लॉरी, बस, कार, ट्रैक्टर, जीप)

IV. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

24. परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति:

i)	मता–पिता	परम्परागत / विशेष विवाह
ii)	भाई	परम्परागत / विशेष विवाह
iii	बहन	परम्परागत / विशेष विवाह

25 परिवार के सदस्यों के सामाजिक कार्य कलाप:

I. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेना

II. सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेना

III. सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में शामिल न होना

IV. मालूम नहीं

26. भर्ती के पहले किशोर के प्रति अभिभावकों द्वारा देखभाल:

I. अति सुरक्षा

II. स्नेहपूर्ण

III. शिष्ट

IV. गुस्सैल

V. अशिष्ट

VI. निराकृत

500

27. बालक का किस आयु में यौवनागम हुआ?

28. अपराधी प्रकृति का ब्यौरा, यदि काई हो

I. चोरी–चकारी

II. जेब काटना

III. ताड़ी शराबी बेचना

IV. नशा करना

V. गौण अपराध

VI. गंभीर अपराध

VII. जघन्य अपराध

VIII. उपरोक्त में कोई नहीं

IX. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

29. अपराधी प्रवृति के कारण

I. माता–पिता की अपेक्षा

II. माता–पिता की जरूरत से अधिक सुरक्षा

III. माता– पिता का अपराधिक व्यवहार

IV. माता–पिता का नकारात्मक प्रभाव

V. समान आयु वर्ग का प्रभाव – ड्रग / शराब खरीदना

VI. अन्य (कृप्या उल्लेख करें)

30. आदतें

-	क		ख
i)	धुम्रपान	i)	टीवी / फिल्म देखना
ii)	मदिरापन	ii)	आंतरिक / मैदानी खेल खेलना
iii)	ड्रग सेवन	iii)	पुस्तकें पढ़ना
iv)	जुआ खेलना	iv)	धार्मिक कार्य
v)	भीख मांगना	v)	ड्राइंग / पेंटिंग / गति–गायन

vi)	अन्य कोई	vi)	अन्य कोई

रोजगार ब्यौरा

31. बालक सुधार गृह में प्रवेश से पहले किशोर का रोजगार ब्यौरा

क्रमांक	रोजगार का ब्यौरा	समय और अवधि	प्राप्त मजदूरी
i)	कूली		
ii)	कूड़ा बीनना		
iii)	मेकैनिक		
iv)	होटल में कार्य		
v)	चाय की दूकान में कार्य		
vi)	जूतों की पॉलिश		
vii)	घरेलू कार्य		
viii)	अन्य (उल्लेख करें)		

आय के उपयोग का ब्यौरा

32. पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने हेतु भेजना

I. परिधान सामाग्री के लिए
II. जुआ खेलने के लिए
III. वैश्वयवृति के लिए
IV. शराब के लिए
V. ड्रग के लिए
VI. धुम्रपान के लिए
VII. बचत

33. बचत का ब्यौरा

I. नियोक्ता के पास
II. दोस्तों के पास
III. बैंक / डाकघर
IV. अन्य (उल्लेख करें)

34. काम–काज के समय की अवधि

I. छः घंटे से कम
II. छः घंटे से आठ घंटे के बीच
III. आठ घंटे से अधिक

शैक्षिक ब्यौरा

35. बाल गृह में प्रवेश से पूर्व बालक की शिक्षा का ब्यौरा

I. अनपढ़

II. पाँचवी कक्षा तक अध्ययन
III. पँचवीं से अधिक किंतु दसवीं से कम कक्षा तक अध्ययन
IV. आठवीं से अधिक किंतु दसवीं से कम कक्षा तक अध्ययन
V. दसवीं तक या इससे ऊपर

36. विद्यालय छोड़ने के कारण

I. आखिरी अध्ययन करने वाली कक्षा में अनुत्तीर्ण
II. विद्यालय के कार्य कलापों में रूचि की कमी
III. अध्यापकों का उदासीन व्यवहार
IV. समान आयु समूह के किशोर से प्रभावित
V. परिवार के लिए कमाना और सहयोग
VI. माता–पिता की अचानक मृत्यु
VII. विद्यालय का सख्त वातावरण
VIII. विद्यालय से भाग कर गैर हाजिर रहना
IX. आस पास समान आयु का उपयुक्त स्कूल न होना
X. अन्य (कृपया उल्लेख करें)
XI. 37. जिस विद्यालय में अंतिम बार अध्ययन किया की उस विद्यालय का ब्यौरा
I. नगरनिगम/नगरपालिका/पंचायत
II. सरकारी/अजा कल्याण विद्यालय/पिछड़ी जाति कल्याण
III. निजी प्रबंधन

38. शिक्षा का माध्यमः हिंदी/अंग्रजी/उर्दू/तमिल/मलयालम/कन्नड/तेलुगू/मराठी /गुजराती /बंगाली/अन्य भाषा (कृपया उल्लेख करें)

39. बाल गृह में भर्ती हो जाने बाद प्रवेश की तारीख से आज की तारीख तक प्राप्त शिक्षा

वर्षो की संख्या	पढाई की कक्षा	उतीर्ण/अनुतीर्ण

40. बाल गृह में भर्ती की तारीख से आज तक प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण

वर्षो की संख्या

व्यवसायिक पाठयक्रम का नाम

प्राप्त प्रवीणता

प्रमाणीकरण का ब्यौरा?

41. बाल–गृह में प्रवेश की तारीख से आज तक अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य कलाप

i) स्काउट

I. खेल कूद (कृपया उल्लेख करें)
II. एथलेटिक्स (कृपया उल्लेख करें)
III. ड्राईंग

IV. पेंटिंग

V. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

चिकित्सा पूर्ववृत

42. भर्ती के समय ऊँचाई और वजन :

43. शारीरिक स्थिति:

44. बालक का चिकित्सा पूर्ववृत:

45. माता–पिता / संरक्षण का चिकित्सा इतिहास :

46. बालक की सेहत की वर्तमान स्थिति:

क्र0 सं0	वार्षिक टिप्पणी	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
	पुनर्जांच की तारीख				
	ऊँचाई				
	वजन				
	प्रदत पोषक आहार				
	तनाव				
	दाँत				
	कान / नाम / गला				
	आंख				

47. ऊँचाई और वजन का चार्ट

तारीख, माह और वर्ष	ऊँचाई	स्वीकार्य वजन	वास्तिवक वजन

सामाजिक इतिहास

48. बाल गृह में भर्ती से पूर्व मित्र मण्डली का ब्यौरा :
   i. सहायोगी
   ii. स्कूल का मित्र
   iii. पड़ोसी
   iv. अन्य (कृपया विवरण दें)
49. बालक के अधिक्तर मित्र हैं
   i. शिक्षित
   ii. अशिक्षित
   iii. समान आयु समूह
   iv. अन्य आयु में
   v. आयु में बड़े
   vi. एक समान लिंग
   vii. विपरित लिंग
50. समूह की सदस्यता का (कृपया स्पष्ट विवरण)
   i. सिनेमा प्रेमी लोगों से जुड़ाव
   ii. धार्मिक समूह से सबंद्धता

iii. कला और खेल कूद से सबंद्धता
iv. गिरोह में सबंद्धता
v. स्वैच्छिक सामाजिक सेवा समूह से सबंद्धता
vi. अन्य (कृपया उल्लेख करें)

51. समूह/संघ में बालक की स्थिति
i. नेता
ii. द्वितीय स्तर का नेता
iii. मध्य स्तर का कार्यकर्त्ता
iv. सामान्य सदस्य

52. समूह की सदस्यता लेने का उद्देश्य :
i. सामाजिक कार्यकलाप के लिए
ii. विश्राम के लिए समय बिताना
iii. आनंद के लिए कार्यकलाप खोजना
iv. पथभ्रष्ट कार्यकलापों के लिए
v. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)

53. समूह/संघ का व्यवहार
i. सामाजिक मानदंडों का आदर और नियमों का पालन
ii. मानदंडों की अवहेलना में रूचि
iii. नियमों के उल्लंघन में रूचि

54. समूह के सदस्यों से मिलने का स्थान
i. आमतौर पर नियत स्थान पर
ii. स्थान निरन्तर बदलता रहता है
iii. कोई विशेष स्थान नहीं
iv. मिलने का स्थान सुविधा के अनुरूप तय किया जाता है

55. उस समय समाज कल प्रतिक्रिया जब पहली बार बालक परिवार से अलग रहा/हुआ
i. सहयोगात्मक
ii. नकारत्मक
iii. दुर्व्यवहार
iv. खराब बरताव
v. शोषण

56. बालक के प्रति प्रतिक्रिया
i. नम्र
ii. सख्त
iii. आक्रामक और दुर्भावनापूर्ण
iv. शोषण मुक्त
v. खराब वर्ताव

57. बालक के प्रति आम जनता का रूख .....

बालक का इतिहास

i. शिक्षा
ii. सेहत
iii. पेशेवर प्रशिक्षण
iv. विविध कार्यकलाप
v. अन्य

बालक अभिमुखीकरण के बाद बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी के सुझाव और अभिमुखीकरण के प्रति प्रतिक्रिया

बाल कल्याण अधिकारी/परिवाक्षा अधिकारी/मामला कार्यकर्त्ता/सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा अनुवर्तन

प्रबंधन समिति द्वारा केस इतिहास की तिमाही समीक्षा

प्रभारी/बाल कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी

प्ररूप 44

{नियम 82 (1)}

निर्मुक्त सह पुनःस्थापन आदेश

बालक/बालिका का नाम ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ..... प्रकरण सं./प्रोफाइल सं. ..... जिसे किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा के तहत बाल न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय/बाल कल्याण समिति ..... द्वारा दिनांक ..... को ..... की अवधि के लिए संप्रेषण गृह/सुरक्षित स्थल/विशेष गृह में रखे जाने के आदेश दिए थे और जो अब .... संस्था में ..... स्थान पर है, को निदेश दिए जाते हैं कि उसके प्रवास की शेष अवधि के दौरान ..... के कारण से उक्त ..... संस्था और पर्यवेक्षण तथा प्राधिकार से विमुक्त किया जाए.

यह आदेश यहाँ नीचे वर्णित शर्तों के अधीन दिया जाता है और जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा.

तारीख :

हस्ताक्षर

किशोर न्याय बोर्ड/बाल न्यायालय/बाल कल्याण समिति

स्थानः

शर्तें :

1. निर्मुक्त व्यक्ति ..... को प्रस्थान करेगा और बाल गृह अथवा उपयुक्त सुविधा संप्रेषण गृह में नजरबंदी/विशेष गृह/सुरक्षित स्थल में उसके प्रवास की अवधि की अवधि के समाप्त होने तक .... के पर्यवेक्षण और प्राधिकार में तब तक रहेगा जब तक माफी को शीघ्रता में से निरस्त नहीं कर दिया जाता है।
2. वह ..... की सहमति के बिना उस स्थान अन्य किसी स्थान, जो .... उक्त के द्वारा नामक हो सकता है, स्वयं को अलग नहीं करेगा।
3. वह समय पाबंदी और विद्यालय/किसी कार्य/व्यवसाय में नियमित उपस्थिति के बारे में या अन्य प्रकार के उक्त ..... से प्राप्त हुए ऐसे अनुदेश का पालन करेगा।
4. वह किसी अपराध में शामिल नहीं रहेगा और वह ..... की संतुष्टि के अनरूप संयमी और मेहनती जिंदगी बिताएगा।
5. उपरोक्त किसी शर्त के भंग हो जाने की स्थिति में इसके द्वारा प्रदान की गई संस्थान में प्रवास की अवधि की माफी की उक्त शर्त निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे निरस्त किए जाने से उस पर किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 97 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मैं इसके द्वारा अभिस्वीकृति देता हूँ कि मैं उपरोक्त शर्तों से अवगत हूँ और उन शर्तों को पढ़ा गया और मुझे स्पष्ट किया गया है तथा मैं उनको स्वीकार करता हूं.

निर्मुक्त बालक के हस्ताक्षर/चिन्ह

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें ..... (बालक का नाम) के सामने पढ़ी गई और स्पष्ट की गई और कि वह उन शर्तों को स्वीकार करता/करती है जिन पर उसका/उसकी निर्मुक्ति उन्मोचित हो सकती है.

तद्नुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बाल तारीख ..... को विनिर्मुक्त कर दिया गया है।

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात संस्था के प्रभारी व्यक्ति

के हस्ताक्षर और पदनाम

प्ररूप 45

{नियम 82 (4)}

मार्गरक्षा आदेश

प्रकरण संख्या

..... बाल/बालिका के मामले में

आयु लगभग ..... दर्ज की गई

बालक/बालिका के माता–पिता के ..... स्थान पर रहने की सूचना है.

इसलिए वह समुचित पुलिस/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन की देख–रेख में ..... की अभिरक्षा में भेजें.

उपरोक्त वर्णित पते अथवा इस अन्य स्थल जो बच्चे द्वारा दर्शाया जाए, पर उक्त बालक/बालिका के माता पिता अथवा नजदीकी सगे संबंधियों की तलाश करने और सौंपने, अगर उन माता पिता अथवा सगे संबंधी की तलाश नहीं हो पाती है या उनकी तलाश तो हो जाती है किंतु वे बालक बालिका को लेने के लिए इच्छुक नहीं हो तो बालक बालिका को उक्त जिले के बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह के प्रभारी .... की अभिरक्षा में रखा जाए और उपरोक्त बालक बालिका को अगले आदेश के लिए संबंधित बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए.

अनिर्णीत अभिरक्षण के समय उपरोक्त बालक/बालिका बाल गृह, सुरक्षा स्थल, संप्रेषण गृह, ... के वर्तमान निवास में रहेगा, राज्य/जिला बाल संरक्षा इकाई अथवा पुलिस विभाग अथवा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन/चाइल्डलाइन उनके द्वारा इस आदेश के मिलने की तारीख से कम से कम 15 दिन में शीघ्रता से अवश्य व्यवस्था करेगा और उपरोक्त बालक/बालिका को उसके पूर्वोक्त निवास स्थल पर भेजा जाएगा.

आज दिनांक–..... को 20

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति
किशोर न्याय बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी व्यक्ति, बाल देखभाल संस्था
2. जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा गैर सरकारी संगठन चाइल्डलाइन ..... को जन्मे ..... नाबालिग का आदेश प्रोफाइल सं.

प्ररूप 46

[नियम 41(3) और 41(9)]

निरीक्षण समिति का निरीक्षण

(जो लागू हो उसे भरें)

दौरे की तारीख ..... दौरे का समय .....

बालगृह का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के नाम :

1. .....
2. .....
3. .....

क. समान्य सूचना :

i. संगठन का नाम और पता :

.....

.....

ii. पंजीकरण सं0 (किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत) : .....

i. जारी करने की तारीख:

ii. समाप्ति की तारीख :

iii. सी.सी. आई का पूरा पता :

.....

.....

i. .....

iv. अधिकारी/प्रभारी व्यक्ति का नाम : .....

v. सम्पर्क सं0 ..... ई मेल .....

.....

vi. गृह का स्वरूप (कृपया चिन्ह अंकित करें):

संप्रेषण गृह/विशेष गृह/सुरक्षा स्थल/बाल गृह/मुक्त आश्रय गृह (कृपया स्पष्ट करें):

vii. यदि राज्य सरकार से सहायता प्राप्त/का सहयोग प्राप्त हो तो उस विभाग का नाम

vii. यदि सरकार द्वारा चलाया जाता है:

ख. बाल गृह की स्थिति

(i) गृह की स्वीकृत क्षमता .....

(ii) क्या 10 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं को एक ही गृह में रखा जाता है

हाँ नहीं

यदि हाँ तो आज की तारीख में ऐसे बच्चों की संख्या .....

(iii) क्या 05 से 10 वर्ष की आयु समूह के बालक/बालिकाओं को नहाने और सोने की अलग–अलग सुविधाएँ रखी जाती है

हाँ नहीं

(iv) क्या बच्चों को नीचे दिए गए समूह में अलग–अलग बनाए गए हैं?

i. 7–11 वर्ष:

ii. 12–18 वर्ष:

iii. क्या वहाँ 0–5 वर्ष की आयु समूह के बच्चे हैं? हाँ नहीं

यदि हो, संख्या सूचित करें:

iv. क्या वहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं?

हाँ नहीं

यदि हो, संख्या सूचित करें:

v. क्या वर्तमान मास में नए दाखिले हुए हैं .....

vi. उन बच्चों की संख्या जो वहाँ से चले/विमुक्त हुए .....

vii. मास के दौरान बा.न्या.बो./बा.क.स. द्वारा संदर्भित बच्चों की संख्या .....

viii. मास के दौरान बा.न्या.बो./बा.क.स. के समक्ष पेश किए बच्चों की संख्या .....

ix. पिछले मास के अंतिम दिन को बच्चों की संख्या .....

x. विशेष जरूरतों वाले बच्चों की संख्या, यदि कोई हो, ब्यौरा दें .....

xi. उनके पुनर्वास के लिए की गई व्यवस्था :.....

xii. क्या प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग योजना तैयार की जाती है?

हाँ नहीं

ग. आधारभूत जरूरतें :

- भवन :
- किराये पर ..... स्वयं का .....
- क्या प्रवेश द्वार पर सी सी टी वी संस्थापित है

हाँ नहीं

- सुरक्षा पर्याप्त अपर्याप्त
- बच्चों को रखने के लिए समुचित जगह :

हाँ नहीं

उपलब्ध जगह :

कमरों/डोरमेट्री की संख्या -	ब्यौरा
रूग्ण/चिकित्सा ईकाई की व्यवस्था	
परामर्श कक्ष -	
बच्चों के लिए मनोरंजन/कार्यकक्ष • क्या केबल नेटवर्क सहित टी वी सैट उपलब्ध है • क्या बच्चों को अक्सर टी वी देखने की अनुमति दी जाती है • क्या बच्चों को इंडोर गेम खेलते हैं	हाँ नहीं शाम के वक्त या कभी भी हाँ नहीं आयु वार उपयुक्त खेल उपलब्ध है या नहीं

4711

• उनके लिए कौन–कौन से खेल उपलब्ध है • क्या बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं • क्या उनको खेलने के लिए उपकरण/सहायक उपकरण उपलब्ध है • क्या वो पिकनिक/भ्रमण के लिए जाते हैं • क्या उनको प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत करते हैं • क्या बच्चों के लिए मनोरंजन कक्ष उपलब्ध है	हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं
रसोई/भोजन कक्ष • क्या भोजन बनाने की जगह और भोजन कक्ष अलग अलग है • क्या बच्चों को अलग–अलग थाली, मग और गिलास मिलता है • क्या खाना बनाने के बर्तन पर्याप्त और साफ सुथरे हैं • क्या बच्चों के लिए फ्रिज उपलब्ध है • क्या बच्चों के लिए ओवन उपलब्ध है • क्या रसोई गैस में गैस स्टोव उपलब्ध है • क्या चिमनी उपलब्ध है • गैस सिलेंडर को रखने की व्यवस्था है • धुलाई, खाना बनाने के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति • पीने के पानी की जल उपलब्धता (आर ओ) • क्या खाना मशीन या रसोईये द्वारा बनाया जाता है।	हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं
बच्चों के लिए शौचालय और स्नानघर की संख्या • फ्लैश चलता है • वाशवेसिन में नल काम करते हैं • क्या फर्श फिसलनभरा है • पानी निकासी साफ है • पानी निकासी बंद रहती है • कपड़े/तौलिये लटकाने के लिए जगह है • जाले (मकड़ी आदि के) हटाए जाते हैं • दरवाजे पर लैच है • दरवाजे में झांकने के लिए छेद है • बच्चों को बार–बार नहाने की अनुमति है • पर्याप्त जल उपलब्ध है • पर्याप्त संख्या में बाल्टी और मग	हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं दिन में एक बार या एक से अधिक हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं

• व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध है • क्या वाशिंग पाउडर और साबुन दिया जाता है • क्या बच्चे अपने कपड़े स्वयं धोते हैं • क्या धोबी उपलब्ध है • क्या वांशिग मशीन ठीक ठाक काम करती है	हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं
बाह्य गतिविधियों के लिए खुली जगह	
कक्षा	
व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए जगह	

परिसर

- क्या निवास में बाल सुलभ इन्डोर उपलब्ध है? हाँ नहीं
- झाड़ू /पोछन कार्य क्या अक्सर किया जाता है दिन में दो बार अथवा कई बार
- क्या कक्षा की पढ़ाई के दौरान सफाई कार्य में बच्चों को शामिल किया जाता है? हाँ नहीं
- क्या बच्चों के लिए कूलर/हीटर की सुविधा उपलबध है? हाँ नहीं
- क्या दरवाजे और खिड़कियाँ भली भांति ठीकठाक रखे जाते हैं? हाँ नहीं
- क्या कमरे/डोर्मेट्रीज अच्छे हवादार हैं? हाँ नहीं
- ज्ब बिजली न हो तो क्या बत्ती और पंखों की वैकल्पिक व्यवस्था है? हाँ नहीं
- क्या खुली जगह साफ-सुथरी, आकर्षक और बाल सुलभ सुविधायुक्त है? हाँ नहीं

बच्चों को प्रदान किए गए कपड़े/बिस्तर/लाकर्स/प्रसाधन :

- क्या साईज और मौसम के अनुसार कपड़े दिए जाते हैं ? हाँ नहीं
- अंतः वस्त्र बदलने की आवधिकता हाँ नहीं
- नए कपड़ों की सिलाई करवाई जाती है/सिले-सिलाए लाये जाते हैं ? सिले हुए/सिलवाये हुए
- क्या अलग अलग गद्दे दिए जाते हैं ? हाँ नहीं
- क्या अलग अलग तकिये दिये जाते हैं ? हाँ नहीं
- क्या गद्दे और तकिये साफ सुथरे हैं ? हाँ नहीं
- क्या बच्चों के पास अलग अलमारी है ? हाँ नहीं

- क्या चादर और खेस उपलब्ध है ? हाँ नहीं
- क्या सर्दियों में कंबल उपलब्ध है ? हाँ नहीं
- आगमन पर प्रदान किए सैट्स की संख्या एक/दो/तीन/चार
- नए कपड़े प्रदान करने की आवधिकता मासिक / तिमाही
- क्या ये सैट्स एक ही रंग या अलग अलग रंग के होत हैं ? एक/अलग अलग रंग
- क्या बच्चों को अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं रखने के लिए लॉकर्स प्रदान किए जाते हैं ? हाँ नहीं
- बच्चों को प्रदान की गई अन्य वस्तुएँ : .....
- .....
- .....

घ. बच्चों को प्रदान की गई सेवाएं :

- चिकित्सा सुविधाएं/स्वास्थ्य कार्ड रखना : .....
- पोषक आहार/विशेष भोजन : .....
- साफ पीने के पानी की व्यवस्था : .....
- बच्चों की दिनचर्या :

समय	कार्यकलाप/समय सारणी
सुबह	
दिन में	

दोपहर	
शाम	
देर शाम / रात	

- शिक्षा (औपचारिक शिक्षा / एन एफ ई / जीवन कौशल प्रशिक्षण

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- कम्यूटर / इंटरनेट / फोन
- क्या इंटरनेट के साथ कम्यूटर की सुविध उपलब्ध है ? हाँ नहीं
- क्या यह सुविधा क्रियाशील है ? हाँ नहीं
- क्या बच्चों को इस सुविधा का इस्तेमाल करने की सुविधा अनुमति है ? हाँ नहीं
- क्या टेलीफोन केवल कार्यालयीन उपयोग है ? हाँ नहीं
- क्या बच्चों को टेलीफोन का उपयोग करने की अनुमति है ? हाँ नहीं
- क्या फोन के नजदीक बाल टेलीफोन सं0 1098 प्रदर्शित है ? हाँ नहीं
- परामर्श / मार्गदर्शन सेवाएँ / विशेष शिक्षक / फिजियोथैरेपी आदि सेवाएं प्रदान की जाती है.

.....

.....

.....

.....

- व्यावसायिक प्रशिक्षण : .....

.....

.....

- मनोरंजन सुविधाएँ : .....

- अन्य अभिकरणों / विभागों से विकसित संबंध : .....

- गुमशुदा बाल ट्रैक कार्यक्रम का कार्यान्वयन : .....

- गुमशुदा बाल ट्रैक वेबसाइट में बच्चों की प्रविष्टियाँ : .....

- प्रदान किया गया उपयोगिता पासवर्ड : .....

- प्रारंभ किए अन्य कार्यक्रम और कार्यकलाप : .....

ङ. कर्मचारी ब्यौरा :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवारंभ की तारीख	दौरे के समय उपस्थिति	अभ्युक्ति

1486

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

.....

हाँ नहीं

- प्रबंधन समिति का गठन : हाँ या नहीं
- प्रबंधन समिति के गठन की तारीख और आयोजित बैठकों की आवधिकता .....

.....

.....

छ..... रिकॉर्ड अनुरक्षण :

कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर	
बाल उपस्थिति रजिस्टर	
केंद्रीय प्रवेश रजिस्टर	
व्यक्तिगत देखभाल योजना सहित व्यक्तिगत केस फाइल	
सी.डब्लू.सी. / जे.जे.बी के साथ पत्राचार	
बालक सुझाव बही बालक सुझाव पेटी	
चिकित्सा फाइल / चिकित्सा कार्ड	
व्यक्तिगत वस्तु रजिस्टर	
प्रबंधन समिति–कार्यवृत रजिस्टर	
बाल समिति–कार्यवृत रजिस्टर	
पोषक आहार / भोजन फाइल	

अन्य कोई रखा गया रिकार्ड	

टिप्पणी / अभ्युक्ति :

.....

.....

.....

.....

निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

निरीक्षक समिति के सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

.....

.....

(अतुल प्रसाद)
प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF BIHAR

NOTIFICATION

Patna, the ....., 2017

Notification No. .....—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 110 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER – I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Bihar Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these model rules, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016);
(ii) "Authority" means the Central Adoption Resource Authority constituted under section 68 of the Act.
(iii) "Case Worker" means a functionary of a child care institution designated as such or a representative from a registered voluntary or non-governmental organisation who shall accompany the child to the Board or the Committee and may perform such tasks as may be assigned to him by the Board or the Committee;
(iv) "Child Adoption Resource Information and Guidance System" means an online system for facilitating and monitoring the adoption programme;
(v) "Child Study Report" means the report which contains details about the child, such as his date of birth and social background;
(vi) "Community Service" means service rendered by children in conflict with law who are above the age of fourteen years and includes activities like maintaining a park, serving the elderly, helping at a local hospital or nursing home, serving disabled children, serving as traffic volunteers etc.
(vii) "Form" means the forms annexed to these rules.

(viii) "Home Study Report" means a report containing details of prospective adoptive parents or foster parents, and shall include social and economic status, family background, description of home and atmosphere, and health status.

(ix) "Individual Care Plan" is a comprehensive development plan for a child based on age and gender specific needs and case history of the child, prepared in consultation with the child, in order to restore the child's self-esteem, dignity and self-worth and nurture him into a responsible citizen and accordingly the plan shall address the following, including but not limited to, needs of a child, namely:-

(i) health and nutrition needs, including any special needs;
(ii) emotional and psychological needs;
(iii) educational and training needs;
(iv) leisure, creativity and play;
(v) protection from all kinds of abuse, neglect and maltreatment;
(vi) restoration and follow up;
(vii) social mainstreaming;
(viii) life skill training.

(x) "In- country adoption" means adoption of a child by a citizen of India residing in India;

(xi) "Medical Examination Report" means the report of a child given by a duly licensed physician.

(xii) "Person-in-charge" means a person appointed for the control and management of the Child Care Institution;

(xiii) "POCSO" means the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012);

(xiv) "Rehabilitation-cum-placement officer" means an officer designated in every Child Care Institution for the purpose of rehabilitation of children;

(xv) "Selection Committee" means a committee constituted by the State Government under **rule 87** of these rules;

(xvi) "Social background report" means the report of a child in conflict with law containing the background of the child prepared by the Child Welfare Police Officer;

(xvii) "Social investigation report" means the report of a child containing detailed information pertaining to the circumstances of the child, the situation of the child on economic, social, psycho-social and other relevant factors, and the recommendation thereon;

(xviii) "Social Worker" means a person with post graduate degree in Social Work or Sociology or Psychology or Child Development or a graduate in the aforementioned discipline with minimum two years of experience in child education and development or protection issues, who is engaged by a Child Care Institution or authorised by District Child Protection Unit or State Child Protection Society or State Adoption Resource Agency or Central Adoption Resource Authority for preparing social investigation report or individual care plan of the child, child study report, home study report of prospective adoptive parent or foster parents, rendering post-adoption services, and performing any other functions as assigned to such person under the Act or these rules;

Explanation: For the purposes of this definition, it is clarified that the qualifications of the social worker member of the Board shall be as under section 4 of the Act and sub-rule of rule 4 of these rules hereunder.

(xix) "Special Educator" shall have the same meaning as assigned to it in the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012;

(xx) "State Child Protection Society" means a society constituted under section 106 of the Act;

(2) All words and expressions defined in the Act and used, but not defined in these rules, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER- II

JUVENILE JUSTICE BOARD

3. Board.- There shall be one or more Boards in each district to be constituted by the State Government.

4. **Composition of the Board.**- (1) The Board shall consist of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of First Class having at least three years experience to be designated as the Principal Magistrate of the Board and two social worker members from the district concerned, of whom at least one shall be a woman, forming a Bench.

(2) The social worker members shall be appointed by the State Government on the recommendations of the Selection Committee under rule 87 of these rules.

(3) The social worker members shall not be less than thirty years and not more than sixty five years of age with following qualifications -

(i) post-graduate degree in any discipline and having at least seven years of experience of working with children in the field of education, health, welfare or protection activities; or a practicing professional with a post-graduate degree in psychology or psychiatry or sociology or in the field of law with at least 5 years of experience;

(ii) in the absence of candidates possessing eligibility criteria mentioned in clause (i) of the sub-rule (3) as aforementioned, the following may be considered-

(a) graduate in social work/ health/ education/psychology/ sociology/rural development/ women studies/ development studies/ /public administration and having at least five years of experience of working with children in the field of education, health, welfare or protection activities; or

(b) graduate in any discipline along with diploma or certificate in child protection/counseling/child development/ child rights/ human rights/women studies/ criminology/ anti human trafficking/health or public health/mental health and having at least five years of experience of working with children in the field of education, health, welfare or protection activities.

(4) The two social worker members so selected for a Board shall be from different fields of practice or profession or academic qualification.

(5) Under circumstances where two or more candidates are having similar educational qualification and experience, preference shall be given to members belonging to SC/ST community.

(6) All members of the Board including the Principal Magistrate, shall be given induction training and sensitisation within a period of sixty days from the date of appointment.

5. **Term of Members of the Board .-** (1) The term of the social worker member of the Board shall not be more than for a period of three years from the date of appointment.

(2) A social worker member of the Board shall be eligible for appointment of maximum of two terms, which shall not be continuous.

Explanation: For the purpose of counting number of terms, a person who, in the period preceding the date of these rules coming into force, has been notified as a Social Worker member or on the Board in any district, and has served as such for a period that sums up to more than a year would be deemed to have served one term.

(3) The members may resign at any time, by giving one month's notice in writing to the State Government.

(4) Any vacancy in the Board shall be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee.

(5) The quorum for the sittings of the Board shall be not less than two Members including the Principal Magistrate.

(6) Under the circumstances where the quorum is affected because of completion of the term of a social worker member or members, as the case may be, the term of such member or members, may be extended for further six months or till the selection of a new member, whichever is earlier.

480

6. **Sittings of the Board.-** (1) The Board shall hold its sittings in the premises of an observation home or in any child care institution meant for children in conflict with law established under the Act, and in the absence of such home or institution at a place in proximity to such home or institution, and in no circumstances shall the Board operate from within any court or jail premises.

(2) The Board shall ensure that no person(s) un-connected with the case remains present in the room when the case is in progress.

(3) The Board shall ensure that only those person(s), in the presence of whom the child feels comfortable, are allowed to remain present during the sitting.

(4) The Board shall hold its sittings in child-friendly premises which shall not look like a court room in any manner and the sitting arrangement should be such to enable the Board to interact with the child face to face.

(5) While communicating with the child, the Board shall use child friendly techniques through its conduct and shall adopt a child friendly attitude with regard to body language, facial expression, eye contact, intonation and volume of voice while addressing the child.

(6) The Board shall not sit on a raised platform and there shall be no barriers, such as witness boxes or bars between the Board and the child.

(7) The Board shall sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of a Magistrate Court, unless the case pendency is less in a particular district and the State Government issues an order in this regard, or the State Government may, by notification in the Official Gazette constitute more than one Board in a district after giving due consideration to the pendency of the cases, area or terrain of the district, population density or any other consideration.

(8) When the Board is not sitting, a child in conflict with law may be produced before an individual member of the Board. For the said purpose, one member of the Board shall always be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency and necessary directions required to deal with the emergency situation shall be given by such member to the Special Juvenile Police Unit or the local police of the district. The Principal Magistrate shall draw up a monthly duty roster of the members who shall be so available and accessible every day, including on Sundays and holidays. The roster shall be circulated in advance to all the police stations, the Chief Judicial Magistrate/ Chief Metropolitan Magistrate, the District Judge, the District Magistrate, the Committees, the District Child Protection Unit and the Special Juvenile Police Unit.

(9) The social worker members of the Board shall be paid not less than Rs. 1500/- per sitting which shall include sitting allowance, travel allowance and any other allowance, as the State Government may prescribe.

(10) The Board shall be provided infrastructure and staff by the State Government as may be prescribed under any scheme or programme of the Central or the State Government for this purpose.

7. **Functions of the Board.-** (1) The Board shall perform the following additional functions, namely:

(i) whenever necessary, the Board shall provide a translator or interpreter or special educator who shall be paid not less than Rs.1500 per day and in case of translator, not exceeding Rs.100 per page. For the said purpose, the District Child Protection Unit shall maintain a panel of translators, interpreters and special educators who shall forward the same to the Board, the qualifications of the translator, interpreter and special educator shall be as prescribed under the POCSO Act, 2012 and rules framed thereunder;

(ii) wherever required, issue rehabilitation card in **Form 14** to the child in conflict with law to monitor the progress made by the child;

(iii) wherever required, pass appropriate orders for re-admission or continuation of the child in school where the child has been disallowed from continuing his education in a school on account of the pendency of the inquiry or the child having stayed in a Child Care Institution for any length of time;

(iv) interact with Boards in other districts to facilitate speedy inquiry and disposal of cases through due process of law, including sending a child for the purpose of an inquiry or rehabilitation to a Board in another district or State;

(v) inspect Child Care Institutions for children in conflict with law, issue directions in cases of any noticeable lapses, suggest improvements, seek compliance and recommend suitable action, including against any employee found in dereliction of duty to the District Child Protection Unit;

(vi) maintain a suggestion box or grievance redressal box in the premises of the Board at a prominent place to encourage inputs from children and adults alike which shall be operated by the nominee of the Principal Magistrate;

(vii) ensure smooth functioning of Children's Committees in the Child Care Institutions for children in conflict with law, for realising children's participation in the affairs and management of such Child Care Institutions;

(viii) review the Children's suggestion book and grievances or suggestions received from children at least once in a month and recommend appropriate actions;

(ix) ensure that the Legal cum Probation Officer in the District Child Protection Unit and the State or District Legal Aid Services Authority extends free legal services to a child;

(x) provide, on demand, certified copies of documents related to the case and orders passed, to the child or his parent or guardian; and

(xi) deploy, if necessary, the services of student volunteers or non-governmental organisation volunteers for para-legal and other tasks such as contacting the parents of child in conflict with law and collecting relevant social and rehabilitative information about the child.

CHAPTER III

PROCEDURE IN RELATION TO CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW

8. **Pre-Production action of Police and other Agencies.**-(1) No First Information Report shall be registered except where a heinous offence is alleged to have been committed by the child, or when such offence is alleged to have been committed jointly with adults. In all other matters, the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer shall record the information regarding the offence alleged to have been committed by the child in the general daily diary followed by a social background report of the child in **Form 1** and circumstances under which the child was apprehended, wherever applicable, and forward it to the Board before the first hearing:

Provided that the power to apprehend shall only be exercised with regard to heinous offences, unless it is in the best interest of the child. For all other cases involving petty and serious offences and cases where apprehending the child is not necessary in the interest of the child, the police or Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer shall forward the information regarding the nature of offence alleged to have been committed by the child along with his social background report in **Form 1** to the Board and intimate the parents or guardian of the child as to when the child is to be produced for hearing before the Board.

(2) When a child alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, the police officer concerned shall place the child under the charge of the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer, who shall immediately inform:

(i) the parents or guardian of the child that the child has been apprehended along with the address of the Board where the child will be produced and the date and time when the parents or guardian need to be present before the Board;

(ii) the Probation Officer concerned, that the child has been apprehended so as to enable him to obtain information regarding social background of the child and other material circumstances likely to be of assistance to the Board for conducting the inquiry; and

(iii) a Child Welfare Officer or a Case Worker, to accompany the Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer while producing the child before the Board within twenty- four hours of his apprehension.

(3) The police officer apprehending a child alleged to be in conflict with law shall:

(i) not send the child to a police lock-up and not delay the child being transferred to the Child Welfare Police Officer from the nearest police station. The police officer may under sub-section (2) of section 12 of the Act send the person apprehended to an observation home only for such period

till he is produced before the Board i.e. within twenty-four hours of his being apprehended and appropriate orders are obtained as per **rule 9** of these rules;

(ii) not hand-cuff, chain or otherwise fetter a child and shall not use any coercion or force on the child;

(iii) inform the child promptly and directly of the charges levelled against him through his parent or guardian and if a First Information Report is registered, copy of the same shall be made available to the child or copy of the police report shall be given to the parent or guardian;

(iv) provide appropriate medical assistance, assistance of interpreter or a special educator, or any other assistance which the child may require, as the case may be;

(v) not compel the child to confess his guilt and he shall be interviewed only at the Special Juvenile Police Unit or at a child-friendly premises or at a child friendly corner in the police station, which does not give the feel of a police station or of being under custodial interrogation. The parent or guardian, and in their absence, Probation Officer or Social Worker or a lawyer provided by the District Legal Service Authority or any person nominated by the Board may be present during the interview of the child by the police;

(vi) not ask the child to sign any statement; and

(vii) inform the District Legal Services Authority for providing free legal aid to the child.

(4) The Child Welfare Police Officer shall be in plain clothes and not in uniform.

(5) The Child Welfare Police Officer shall record the social background of the child and circumstances of apprehending in every case of alleged involvement of the child in an offence in **Form 1** which shall be forwarded to the Board forthwith. For gathering the best available information, it shall be necessary upon the Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer to contact the parent or guardian of the child.

(6) A list of all designated Child Welfare Police Officers, Child Welfare Officers, Probation Officers, Para Legal Volunteers, District Legal Services Authorities and registered voluntary and non-governmental organisations in a district, Principal Magistrate and members of the Board, members of Special Juvenile Police Unit, Social Workers with District Child Protection Unit, and Childline Services with contact details shall be prominently displayed in every police station.

(7) When the child is released in a case where apprehending of the child is not warranted, the parents or guardians or a fit person in whose custody the child alleged to be in conflict with law is placed in the best interest of the child, shall furnish an undertaking on a non-judicial paper in **Form 2** to ensure their presence on the dates during inquiry or proceedings before the Board.

(8) The State Government shall maintain a panel of voluntary or non-governmental organisations or persons who are in a position to provide the services of probation, counselling, case work and also associate with the Police or Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer, and have the requisite expertise to assist in physical production of the child before the Board within twenty-four hours and during pendency of the proceedings and the panel of such voluntary or non-governmental organisations or persons shall be forwarded to the Board.

(9) The State Government shall provide facilities or reimburse the costs incurred by the police or Special Juvenile Police Unit or the Child Welfare Police Officer or Case Worker or person for the safety and protection of children and provision of food and basic amenities including travel cost and emergency medical care to the child apprehended or kept under their charge during the period such children are with them.

9. **Production of the child alleged to be in conflict with law before the Board.**-(1) When the child alleged to be in conflict with law is apprehended, he shall be produced before the Board within twenty-four hours of his being apprehended, along with a report explaining the reasons for the child being apprehended by the police.

(2) On production of the child before the Board, the Board may pass orders as deemed necessary, including sending the child to an observation home or a place of safety or a fit facility or a fit person.

(3) Where the child produced before the Board is covered under section 83 of the Act, including a child who has surrendered, the Board may, after due inquiry and being satisfied of the circumstances of the

child, transfer the child to the Committee as a child in need of care and protection for necessary action, and or pass appropriate directions for rehabilitation, including orders for safe custody and protection of the child and transfer to a fit facility recognised for the purpose which shall have the capacity to provide appropriate protection, and consider transferring the child out of the district or out of the State to another State for the protection and safety of the child.

(4) Where the child alleged to be in conflict with law has not been apprehended and the information in this regard is forwarded by the police or Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer to the Board, the Board shall require the child to appear before it at the earliest so that measures for rehabilitation, where necessary, can be initiated, though the final report may be filed subsequently.

(5) In case the Board is not sitting, the child alleged to be in conflict with law shall be produced before a single member of the Board under sub-section (2) of section 7 of the Act.

(6) In case the child alleged to be in conflict with law cannot be produced before the Board or even a single member of the Board due to child being apprehended during odd hours or distance, the child shall be kept by the Child Welfare Police Officer in the Observation Home in accordance with rule 69 D of these rules or in a fit facility and the child shall be produced before the Board thereafter, within twenty-four hours of apprehending the child.

(7) When a child is produced before an individual member of the Board, and an order is obtained, such order shall be ratified by the Board in its next meeting.

10. **Post-production processes by the Board.-** (1) On production of the child before the Board, the report containing the social background of the child, circumstances of apprehending the child and offence alleged to have been committed by the child as provided by the officers, individuals, agencies producing the child shall be reviewed by the Board and the Board may pass such orders in relation to the child as it deems fit, including orders under sections 17 and 18 of the Act, namely:

(i) disposing of the case, if on the consideration of the documents and record submitted at the time of his first appearance, his being in conflict with law appears to be unfounded or where the child is alleged to be involved in petty offences;

(ii) referring the child to the Committee where it appears to the Board that the child is in need of care and protection;

(iii) releasing the child in the supervision or custody of fit person or fit facility or Probation Officer as the case may be, through an order in **Form 3**, with a direction to appear or present the child for an inquiry on the next date; and

(iv) directing the child to be kept in the Child Care Institution, as appropriate, if necessary, pending inquiry as per order in **Form 4**.

(2) In all cases of release pending inquiry, the Board shall notify the next date of hearing, not later than fifteen days of the first summary inquiry and also seek social investigation report from the Probation Officer, or in case a Probation Officer is not available the Child Welfare Officer or Social Worker, and where a Child Welfare Officer or Social Worker is not available a recognized voluntary or non-governmental organisation through an order in **Form 5**.

(3) When the child alleged to be in conflict with law, after being admitted to bail, fails to appear before the Board, on the date fixed for hearing, and no application is moved for exemption on his behalf or there is not sufficient reason for granting him exemption, the Board shall, issue to the Child Welfare Police Officer and the Person-in-charge of the Police Station directions for the production of the child.

(4) If the Child Welfare Police Officer fails to produce the child before the Board even after the issuance of the directions for production of the child, the Board shall instead of issuing process under section 82 of the Code of Criminal Procedure, 1973 pass orders as appropriate under section 26 of the Act.

(5) In cases of heinous offences alleged to have been committed by a child, who has completed the age of sixteen years, the Child Welfare Police Officer shall produce the statement of witnesses recorded by him and other documents prepared during the course of investigation within a period of one month from the date of first production of the child before the Board, a copy of which shall also be given to the child or parent or guardian of the child.

(6) In cases of petty or serious offences, the final report shall be filed before the Board at the earliest and in any case not beyond the period of two months from the date of information to the police, except in those cases where it was not reasonably known that the person involved in the offence was a child, in which case extension of time may be granted by the Board for filing the final report.

(7) When witnesses are produced for examination in an inquiry relating to a child alleged to be in conflict with law, the Board shall ensure that the inquiry is not conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) so as to interrogate the child and proceed with the presumptions in favour of the child.

(8) While examining a child alleged to be in conflict with law and recording his statement during the inquiry under section 14 of the Act, the Board shall address the child in a child-friendly manner in order to put the child at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence which has been alleged against the child, but also in respect of the home and social surroundings, and the influence or the offences to which the child might have been subjected to.

(9) The Board shall take into account the report containing circumstances of apprehending the child and the offence alleged to have been committed by him and the social investigation report in Form 6 prepared by the Probation Officer or Child Welfare Officer or Social Worker or the voluntary or non-governmental organisation, along with the evidence produced by the parties for arriving at a conclusion.

(10) In cases where the child is alleged to have committed a heinous offence, the orders regarding determination of juvenility, bail and final disposition shall be passed by at least two members including the Principal Magistrate.

10 A. **Preliminary assessment into heinous offences by Board.-** (1) The Board shall in the first instance determine whether the child is of sixteen years of age or above; if not, it shall proceed as per provisions of section 14 of the Act.

(2) For the purpose of conducting a preliminary assessment in case of heinous offences, the Board may take the assistance of psychologists or psycho-social workers or other experts who have experience of working with children in difficult circumstances. A panel of such experts may be made available by the District Child Protection Unit, whose assistance can be taken by the Board or could be accessed independently.

(3) While making the preliminary assessment, the child shall be presumed to be innocent unless proved otherwise.

(4) Where the Board, after preliminary assessment under section 15 of the Act, passes an order that there is a need for trial of the said child as an adult, it shall assign reasons for the same and the copy of the order shall be provided to the child forthwith.

11. **Completion of inquiry.-** (1) Where after preliminary assessment under section 15 of the Act, in cases of heinous offences allegedly committed by a child, the Board decides to dispose of the matter, the Board may pass any of the dispositional orders as specified in section 18 of the Act.

(2) Before passing an order, the Board shall obtain a social investigation report in **Form 6** prepared by the Probation Officer or Child Welfare Officer or Social Worker as ordered, and take the findings of the report into account.

(3) All dispositional orders passed by the Board shall necessarily include an individual care plan in Form 7 for the child in conflict with law concerned, prepared by a Probation Officer or Child Welfare Officer or Social Worker or a recognised voluntary or non-governmental organisation on the basis of interaction with the child and his family, where possible.

(4) Where the Board is satisfied that it is neither in the interest of the child himself nor in the interest of other children to keep a child in the special home, the Board may order the child to be kept in a place of safety and in a manner considered appropriate by it.

(5) Where the Board decides to release the child after advice or admonition or after participation in individual or group counselling or orders him to perform community service, necessary direction may also be issued by the Board to the District Child Protection Unit for arranging such counselling and community service.

(6) Where the Board decides to release the child in conflict with law on probation and place him under the care of the parent or the guardian or fit person, the person in whose custody the child is released may be required to submit a written undertaking in **Form 8** for good behaviour and well-being of the child for a maximum period of three years.

(7) The Board may order the release of a child in conflict with law on execution of a personal bond without surety in **Form 9.**

(8) In the event of placement of the child in a fit facility or special home, the Board shall consider that the fit facility or special home is located nearest to the place of residence of the child's parent or guardian, except where it is not in the best interest of the child to do so.

(9) The Board, where it releases a child on probation and places him under the care of parent or guardian or fit person or where the child is released on probation and placed under the care of fit facility, it may also order that the child be placed under the supervision of a Probation Officer who shall submit periodic reports in **Form 10** and the period of such supervision shall be maximum of three years.

(10) Where it appears to the Board that the child has not complied with the probation conditions, it may order the child to be produced before it and may send the child to a special home or place of safety for the remaining period of supervision.

(11) In no case, the period of stay in the special home or the place of safety shall exceed the maximum period provided in clause (g) of sub-section (1) of section 18 of the Act.

12. **Pendency of Inquiry.-** (1) For the purpose of sub-section (3) of section 16 of the Act, the Board shall maintain a 'Case Monitoring Sheet' of every case and every child in **Form 11**. The said **Form** shall be kept at the top of each case file and shall be updated from time to time. The following points shall be considered so far as 'progress of inquiry' mentioned in **Form 11** is concerned:

(i) time schedule for disposal of the case shall be fixed on the first date of hearing;

(ii) scheduled date given in column No. (2) of 'progress of inquiry' shall be the outer limit within which the steps indicated in column (1) are to be completed.

(2) The Board shall submit a quarterly report in **Form 12** about the pendency of the cases, visits to Homes etc. to the following:

(i) Chief Judicial Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate;

(ii) District Magistrate;

and shall also submit online monthly reports in the formats as prescribed on the portal developed by the Central and State Government.

(3) The District Judge shall conduct an inspection of the Board once every quarter and appraise the performance of the members of the Board on the basis of their participation in the proceedings of the Board and submit a report to the Selection Committee constituted under rule 87 and to the High level Committee constituted under sub-rule (2) of rule 16 of these rules.

Explanation: - For appraising the performance of the members of the Board, the State government or State Legal Services Authority may develop a performance appraisal format.

13. **Procedure in relation to Children's Court and Monitoring Authorities.-**

(1) Upon receipt of preliminary assessment from the Board the Children's Court may decide whether there is need for trial of the child as an adult or as a child and pass appropriate orders.

(2) Where an appeal has been filed under sub-section (1) of section 101 of the Act against the order of the Board declaring the age of the child, the Children's Court shall first decide the said appeal.

(3) Where an appeal has been filed under sub-section (2) of section 101 of the Act against the finding of the preliminary assessment done by the Board, the Children's Court shall first decide the appeal.

(4) Where the appeal under sub-section (2) of section 101 of the Act is disposed of by the Children's Court on a finding that there is no need for trial of the child as an adult, it shall dispose of the same as per section 19 of the Act and these rules.

(5) Where the appeal under sub-section (2) of section 101 of the Act is disposed of by the Children's Court on a finding that the child should be tried as an adult, the Children's Court shall call for the file of the case from the Board and dispose of the matter as per the provisions of the Act and these rules.

(6) The Children's Court shall record its reasons while arriving at a conclusion whether the child is to be treated as an adult or as a child.

(7) Where the Children's Court decides that there is no need for trial of the child as an adult, and that it shall decide the matter itself:

(i) It may conduct the inquiry as if it were functioning as a Board and dispose of the matter in accordance with the provisions of the Act and these rules.

(ii) The Children's Court, while conducting the inquiry shall follow the procedure for trial in summons case under the Code of Criminal Procedure, 1973.

(iii) The proceedings shall be conducted in camera and in a child friendly atmosphere, and there shall be no joint trial of a child alleged to be in conflict with law, with a person who is not a child.

(iv) When witnesses are produced for examination, the Children's Court shall ensure that the inquiry is not conducted in the spirit of strict adversarial proceedings and it shall use the powers conferred by section 165 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).

(v) While examining a child in conflict with law and recording his statement, the Children's Court shall address the child in a child-friendly manner in order to put the child at ease and to encourage him to state the facts and circumstances without any fear, not only in respect of the offence which is alleged against the child, but also in respect of the home and social surroundings and the influence to which the child might have been subjected.

(vi) The dispositional order passed by the Children's Court shall necessarily include an individual care plan in **Form 7** for the child in conflict with law concerned, prepared by a Probation Officer or Child Welfare Officer or recognized voluntary organisation on the basis of interaction with the child and his family, where possible.

(vii) The Children's Court, in such cases, may pass any orders as provided in sub-sections (1) and (2) of section 18 of the Act.

(8) Where the Children's Court decides that there is a need for trial of the child as an adult:

(i) It shall follow the procedure prescribed by the Code of Criminal Procedure, 1973 of trial by sessions and maintaining a child friendly atmosphere.

(ii) The final order passed by the Children's Court shall necessarily include an individual care plan for the child as per **Form 7** prepared by a Probation Officer or Child Welfare Officer or recognized voluntary organisation on the basis of interaction with the child and his family, where possible.

(iii) Where the child has been found to be involved in the offence, the child may be sent to a place of safety till the age of twenty-one years.

(iv) While the child remains at the place of safety, there shall be yearly review by the Probation Officer or the Child Protection Officer of the District Child Protection Unit or a Social Worker in **Form 13** to evaluate the progress of the child and the reports shall be forwarded to the Children's Court.

(v) The Children's Court may also direct the child to be produced before it periodically and at least once every three months for the purpose of assessing the progress made by the child and the facilities provided by the institution for the implementation of the individual care plan.

(vi) When the child attains the age of twenty-one years and is yet to complete the term of stay, the Children's Court shall:

(a) interact with the child in order to evaluate whether the child has undergone reformative changes and if the child can be a contributing member of the society.

(b) take into account the periodic reports of the progress of the child, prepared by the Probation Officer or the Child Protection Officer of the District Child Protection Unit or a Social Worker, if needed and further direct that institutional mechanism if inadequate be strengthened.

(c) After making the evaluation, the Children's Court may decide to:
(ca) release the child forthwith;
(cb) release the child on execution of a personal bond with or without sureties for good behaviour;
(cc) release the child and issue directions regarding education, vocational training, apprenticeship, employment, counselling and other therapeutic interventions with a view to promoting adaptive and positive behaviour etc.;
(cd) release the child and appoint a monitoring authority for the remainder of the prescribed term of stay. The monitoring authority, where appointed shall maintain a Rehabilitation Card for the child in **Form 14.**

(vii) For the purpose of sub-rule (vi) (c) (cd) of this rule:

(i) A Probation Officer or Case Worker or Child Welfare Officer or a fit person may be appointed as a monitoring authority.

(ii) The District Child Protection Unit shall maintain a list of such persons who can be engaged as monitoring authorities which shall be sent to the Children's Court along with bi-annual updates.

(iii) The child shall for the first quarter after release, meet with the monitoring authority on a fortnightly basis or at such intervals as may be directed by the Children's Court. The monitoring authority shall fix a time and venue for such meetings in consultation with the child. The monitoring authority will forward its observations on the progress of the child on a monthly basis to the Children's Court.

(iv) At the end of the first quarter the monitoring authority shall make recommendations regarding the further follow up procedure required for the child.

(v) Where the child, after release is found to be indulging in criminal activities or associating with people with criminal antecedents, he shall be brought before the Children's Court for further orders.

(vi) If it is found that the child no longer requires to be monitored, the monitoring authority shall place the detailed report with recommendations before the Children's Court which shall issue further directions either terminating the monitoring or for its continuation.

(vii) After the first quarter, the child shall meet the monitoring authority at such intervals as may be directed by the Children's Court based on the recommendations made by the monitoring authority at the end of the first quarter and the monitoring authority shall forward its report to the Children's Court which shall review the same every quarter.

14. **Destruction of records.-** The records of conviction in respect of a child in conflict with law shall be kept in safe custody till the expiry of the period of appeal or for a period of seven years, and no longer, and thereafter be destroyed by the Person-in-charge or Special Juvenile Police Unit or Board or Children's Court, as the case may be:

Provided that in case of a heinous offence where the child is found to be in conflict with law under clause (i) of sub-section (1) of section 19 of the Act, the relevant records of conviction of such child shall be retained by the Children's Court.

CHAPTER IV

CHILD WELFARE COMMITTEE

15. **Composition and Qualifications of Members of the Committee.-** (1) There shall be one or more Committees in each district to be constituted by the State Government through a notification in the Official Gazette.

(2) The Committee shall consist of a Chairperson and four other members including at least two women from the district concerned for which the Committee has been constituted, and out of the five members including Chairperson, at least one member shall be from SC/ST and one from EBC/OBC communities.

(3) The Chairperson and members of the Committee shall be appointed by the State Government on the recommendation of the Selection Committee under **rule 87** of these rules.

(4) The Chairperson and the members shall be above the age of thirty years and not more than sixty five years and shall have following qualifications:-

(i) post-graduate degree in any discipline and having at least seven years of experience of working with children in the field of education, health, welfare or protection activities; or a practicing professional with a post-graduate degree in psychology or psychiatry or sociology or in the field of law with at least 5 years of experience or a retired judicial officer or a retired Gazetted officer from the Department of the State Government concerning children's development, health, protection and education.

(ii) in the absence of candidates possessing eligibility criteria mentioned in clause (i) of the sub-rule (4) as aforementioned, the following may be considered-

(a) graduate in social work/ health/ education/psychology/ sociology/rural development/ women studies/ development studies/ /public administration and having at least five years of experience of working with children in the field of education, health, welfare or protection activities; or

(b) graduate in any discipline along with diploma or certificate in child protection/counseling/child development/ child rights/ human rights/women studies/ criminology/ anti human trafficking/health or public health/mental health and having at least five years of experience of working with children in the field of education, health, welfare or protection activities;

(5) Not more than two members selected for a Committee shall be from same fields of practice or profession or academic qualification.

(6) A member of the Committee shall be eligible for appointment of maximum of two terms, which shall not be continuous.
Explanation: For the purpose of counting number of terms, a person who, in the period preceding the date of these rules coming into force, has been notified as a member or Chairperson on the Committee, and has served as such for a period that sums up to more than a year would be deemed to have served one term.

(7) All persons, on selection shall mandatorily be given training under **rule 89** within a period of sixty days from the date of appointment.

(8) The Chairperson and the members may resign at any time by giving one month's notice in writing to the State Government.

(9) Any vacancy in the Committee shall be filled by appointment of another person from the panel of names prepared by the Selection Committee.

16. **Rules and Procedures of Committee.-** (1) The Chairperson and members of the Committee shall be paid such sitting allowance, travel allowance and any other allowance, as the State Government may prescribe but not less than Rs.1500/- per sitting based on the number of sittings entered in the register maintained for recording attendance.

(2) A visit to an existing Child Care Institution by the Committee or participating in a training organised by or through the District Child Protection Unit or State Child Protection Society or Social Welfare Department of the State Government or Central Government shall be considered as a sitting of the Committee for the purpose of payment of honorarium after a report is duly submitted to the District Child Protection Unit by the member in this regard.

(3) The Committee shall hold its sittings in the premises of a children's home or, at a place in proximity to the children's home or, at a suitable premises in any institution run under the Act for children in need of care and protection.

(4) The Committee shall ensure that no person(s) un-connected with the case remains present in the room when the session is in progress.

(5) The Committee shall ensure that only those person(s), in the presence of whom the child feels comfortable, shall be allowed to remain present during the sitting.

(6) At least one member of the Committee shall always be available or accessible to take cognizance of any matter of emergency and issue necessary directions to the Special Juvenile Police Unit or local police of the district. For this purpose the Chairperson of the Committee shall draw up a monthly duty roster of the Committee members who shall be available and accessible every day, including on Sundays and holidays. The roster shall be circulated in advance to all the police stations, the Chief Judicial Magistrate/Chief Metropolitan Magistrate, the District Judge, the District Magistrate, the Board, the District Child Protection Unit and the Special Juvenile Police Unit.

(7) The Committee shall sit on all working days for a minimum of six hours commensurate with the working hours of a magistrate court, unless the case pendency is less in a particular district and the State Government concerned issues an order in this regard:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette constitute more than one Committee in a district after giving due consideration to the pendency of the cases, area or terrain of the district, population density or any other consideration.

(8) On receiving information about a child or children in need of care and protection, who cannot be produced before the Committee, the Committee shall reach out to the child or children and hold its sitting at a place that is convenient for such child or children or in the child care institution where the child has been kept.

(9) While communicating with the child, the Committee members shall use child friendly techniques through their conduct.

(10) The Committee shall hold its sittings in child-friendly premises which shall not look like a court room in any manner and the sitting arrangement should be such to enable the Committee to interact with the child face to face.

(11) The Committee shall not sit on a raised platform and there shall be no barriers, such as witness boxes or bars between the Committee and the children.

(12) The Committee shall be provided infrastructure and staff by the State Government, as may be prescribed under any scheme or programme of the Central or the State Government for this purpose.

(13) The quorum for Committee's sittings shall be not less than three members. Under the circumstances where the quorum is affected because of completion of the term of a social worker member or members, as the case may be, the term of such member or members, may be extended for further six months, whichever is earlier.

(14) The Chairperson or member of the Committee, who relinquishes his office on account of completion of the term or resignation or termination or for any other reason, shall handover all the reports, records, case files, registers, letters and all other documents related to children's cases maintained by the Committee in his possession to an officer nominated by the District Child Protection Unit. The Child Protection Officer or any other officer nominated by the District Child Protection Unit shall be the custodian of records, case files, registers, letters and all other documents related to children's cases maintained by the Committee.

Explanation- The custodian of the records implies keeping the records, case files, registers, letters and all other documents related to children's cases or Committee at a safe place in the premise of the designated CWC.

17. **Additional Functions and Responsibilities of the Committee.-** (1) In addition to the functions and responsibilities of the Committee under section 30 of the Act, the Committee shall perform the following functions to achieve the objectives of the Act, namely:

(i) document and maintain detailed case record along with a case summary of every case dealt by the Committee in **Form 15;**

(ii) maintain a suggestion box or grievance redressal box at a prominent place in the premises of the Committee to encourage inputs from children and adults alike which shall be operated by the District Magistrate or his nominee;

(iii) ensure smooth functioning of Children's Committees in the Child Care Institutions for children in need of care and protection within its jurisdiction, for realising children's participation in the affairs and management of the said Child Care Institutions;

(iv) review the Children's Suggestion Book at least once a month and recommend appropriate actions;

(v) send quarterly information in **Form 16** about children in need of care and protection received by it to the District Magistrate with all relevant details on nature of disposal of cases, pending cases and reasons for such pendency, and also periodically upload information on the portal developed by the State Government and/or central government for this purpose;

(vi) wherever required, issue rehabilitation card in **Form 14** to children in need of care and protection to monitor their progress;

(vii) inform the District Child Protection Unit by marking a copy of the final order to the District Child Protection Unit after a case is finally disposed of;

(viii) maintain the following records in a register:

(a) entries of the cases listed in a day and next date and the Committee shall prepare a daily cause list of the cases before it;

(b) entries and particulars of children brought before the Committee and details of the Child Care Institution where the children are placed or the address where the children are sent;

(c) execution of bonds;

(d) movement including visits to institutions;

(e) children declared legally free for adoption;

(f) children recommended for or placed in sponsorship;

(g) children placed in individual or group foster care;

(h) children transferred to or received from another Committee;

(i) children for whom follow up is to be done;

(j) children placed in after care;

(k) inspection record of the Committee;

(l) record of Minutes of the meetings of the Committee;

(m) correspondence received and sent;

(n) any other record or register which the Committee may require.

(ix) All information listed in clause (viii) of this rule may be digitised and a software may be developed by the State Government.

CHAPTER V

PROCEDURE IN RELATION TO CHILDREN IN NEED OF CARE AND PROTECTION

4638

18. Production before the Committee.- (1) Any child in need of care and protection shall be produced before the Committee during the working hours at its place of sitting and beyond working hours before the member as per the duty roster:

Provided that where the child cannot be produced before the Committee, the Committee shall reach out to the child where the child is located.

(2) When a child is produced before the Committee, a report in **Form 17** containing the particulars of the child as well as the circumstances in which the child was received or found, shall be prepared by the person producing the child, except when such child is produced by the member of a public, in which case, the details of such person shall be entered in **Form 17** by the Case Worker or Child Welfare Officer or Counsellor or a person nominated by the Committee, and in their absence by any member of the Committee.

(3) In case of a child, who is medically unfit and in such a condition that he cannot be moved, the person or the organisation who comes in contact with the child in need of care and protection shall send a written report along with the of the child to the Committee within twenty-four hours and produce the child before the Committee as soon as the child is medically fit along with a medical certificate to that effect, and in such case the Committee shall make an outreach to the child either itself or through the District Child Protection Unit.

(4) The Committee after interaction with the child may issue directions for placing the child with the parent or guardian or a child care institution being run for children in need of care and protection, where such institution is available within the district or in the neighbouring district, and in the absence of such institution , to direct the placing of the child in safe custody of a fit person or a fit facility for a maximum period of 24 hours, and direct the District Child Protection Unit to transfer the child to the nearest child care institution.

(5) The Committee or the member on duty shall issue the order for placing the child in Children's Home in **Form 18.**

(6) The Committee or the member on duty shall order immediate medical examination of the child produced before the Committee or the member on duty, through the child care institution or the District Child Protection Unit, if such examination is needed.

(7) In the case of abandoned or lost or orphaned child, the Committee, before passing an order granting interim custody of the child pending inquiry, shall see that, the information regarding such child is uploaded on a designated portal developed by the Central and/or State Government.

(8) The Committee may, while making an order in **Form 19** for placing a child under the care of a parent, guardian or fit person, pending inquiry or at the time of restoration, as the case may be, direct such parent, guardian or fit person to enter into an undertaking in **Form 20**.

(9) Whenever the Committee orders a child to be kept in an institution, it shall forward to the Person-in-charge of such institution, a copy of the order of short term placement pending inquiry in **Form 18** with particulars of the Child Care Institution and parents or guardian and previous record. A copy of such order shall also be forwarded to the District Child Protection Unit.

19. Procedure for inquiry.- (1) The Committee shall inquire into the circumstances under which the child is produced and accordingly declare such child to be a child in need of care and protection.

(2) The Committee shall, *prima facie* determine the age of the child in order to ascertain its jurisdiction, pending further inquiry as per section 94 of the Act, if need be.

(3) When a child is brought before the Committee, the Committee shall assign the case to a Case Worker or Child Welfare Officer of the child care institution or Social Worker of the District Child Protection Unit

or to any recognised non-governmental organisation for conducting the social investigation under sub-section (2) of section 36 of the Act through an order in Form 21.

(4) The Committee shall direct the Case Worker or Child Welfare Officer of the child care institution or Social Worker of the District Child Protection Unit or the organisation concerned to develop an individual care plan in **Form 7** including a suitable rehabilitation plan. The individual care plan prepared for every child in the institutional care shall be developed with the ultimate aim of the child being rehabilitated and re-integrated based on the case history, circumstances and individual needs of the child, and shall be uploaded on a designated portal developed by the Central and/or State Government.

(5) The inquiry shall satisfy the basic principles of natural justice and shall ensure the informed participation of the child and the parent or guardian. The child shall be given an opportunity to be heard and his opinion shall be taken into consideration with due regard to his age and level of maturity. The orders of the Committee shall be in writing and contain reasons.

(6) The Committee shall interview the child sensitively and in a child friendly manner and will not use adversarial or accusatory words or words that adversely impact the dignity or self-esteem of the child.

(7) The Committee shall satisfy itself through documents and verification reports, before releasing or restoring the child, as per **Form 19**, in the best interest of the child.

(8) The social investigation conducted by Case Worker or Child Welfare Officer of the child care institution or Social Worker of the District Child Protection Unit or the organisation concerned shall be as per **Form 22** and must provide an assessment of the family situation of the child in detail, and explain in writing whether it will be in the best interest of the child to restore him to his family.

(9) Before the Committee releases or restores the child, the child as well as the parents or guardians may be referred to the Counsellor.

(10) The Committee shall maintain proper records of the children produced before it including medical reports, social investigation report, any other report(s) and orders passed by the Committee in regard to the child.

(11) In all cases pending inquiry, the Committee shall notify the next date of appearance of the child not later than fifteen days of the previous date and also seek periodic status report from the social worker or Case Worker or Child Welfare Officer conducting investigation on each such date.

(12) In all cases pending inquiry, the Committee shall direct the person or institution with whom the child is placed to take steps for rehabilitation of the child including education, vocational training, etc., from the date of first production of the child itself.

(13) Any decision taken by an individual member, when the Committee is not sitting, shall be ratified by the Committee in its next sitting.

(14) At the time of final disposal of a case, there shall be at least three members present including the Chairperson, and in the absence of Chairperson, a member so nominated by the Chairperson to act as such.

(15) The Committee shall function cohesively as a single body and as such shall not form any subcommittees.

(16) Where a child has to be sent or repatriated to another district or state or country the Committee shall direct the District Child Protection Unit to take necessary permission as may be required, such as approaching the Foreigners Regional Registration Offices and Ministry of External Affairs for a no-objection certificate, contacting the counterpart Committee, or any other voluntary organisation in the other district or state or country where the child is to be sent.

(17) At the time of final disposal of the case, the Committee shall incorporate in the order of disposal, an individual care plan in **Form 7** of such child prepared by the Case Worker or Child Welfare Officer of the child care institution or Social Worker of the District Child Protection Unit or the organisation concerned, as the case may be.

(18) While finally disposing of the case, the Committee shall give a date for follow-up of the child not later than one month from the date of disposal of the case and thereafter once every month for the period of first six months and thereafter every three months for a minimum of one year or till such time as the Committee deems fit.

(19) Where the child belongs to a different district, the Committee shall forward the age declaration, case file and the individual care plan to the Committee of the district concerned which shall likewise follow up the individual care plan as if it had passed such disposal order.

(20) The individual care plan shall be monitored by means of a rehabilitation card in **Form 14** issued for the purpose by the Committee passing the disposal order and which shall form part of the record of the Committee which follow up the implementation of the individual care plan. Such rehabilitation card shall be maintained by the Rehabilitation- cum -Placement Officer.

(21) All orders passed by the Committee in respect of a child in need of care and protection shall also be uploaded on the designated portal with due regard to the confidentiality and privacy of the child.

(22) When a parent or guardian, wishes to surrender a child under sub-section (1) of section 35 of the Act, such parent or guardian shall make an application to the Committee in **Form 23.** Where such parent or guardian is unable to make an application due to illiteracy or any other reason, the Committee shall facilitate the same through the Legal Aid Counsel provided by the Legal Services Authority, the deed of surrender shall be executed as per **Form 24.**

(23) The inquiry under sub-section 3 of section 35 of the Act shall be concluded by the Committee expeditiously and the Committee shall declare the surrendered child as legally free for adoption after the expiry of sixty days from the date of surrender.

(24) In case of orphan or abandoned child, the Committee shall make all efforts for tracing the parents or guardians of the child and on completion of such inquiry, if it is established that the child is either an orphan having no one to take care, or abandoned, the Committee shall declare the child legally free for adoption.

(25) In case an abandoned or orphan child is received by a Child Care Institution including a Specialised Adoption Agency, such a child, subject to the provisions contained in sub-rule 3 of rule 18 of these rules, shall be produced before the Committee within twenty-four hours (excluding the time necessary for the journey) along with a report in **Form 17** containing the particulars and photograph of the child as well as the circumstances in which the child was received by it and a copy of such report shall also be submitted by the Child Care Institution or a Specialised Adoption Agency to the local police station within the same period.

(26) The Committee shall issue an order in **Form 18** for short term placement and interim care of the child, pending inquiry under section 36 of the Act.

(27) The Committee shall use the designated portal to ascertain whether the abandoned child or orphan child is a missing child while causing the details of the orphan or the abandoned child to be uploaded.

(28) The Committee, after taking into account the risk factors, and in the best interest of the child, may direct the concerned District Child Protection Unit for publication of the particulars and photograph of an orphan or abandoned child in state or national newspapers with wide circulation within five working days from the time of receiving the child for the purposes of tracing out the biological parents or the legal guardian(s). In case where the child is from other state, the publication shall be done in a newspaper with wide circulation in the known place of origin of the child.

(29) The Committee, after making inquiry as per the provisions of the Act, the rules hereunder and the procedures laid down in the Adoption Regulations in this regard, shall issue an order in **Form 25** declaring the abandoned or orphan child as legally free for adoption within a period of two months in case of a child below two years and within four months if the child is above two years of age, from the date of production of the child before the Committee, and send the same information to the District Child Protection Unit or the State Child Protection Society.

(30) Where the parents of the child are traced, the procedure for restoration of the child shall be as per **rule 82** of these rules.

20. **Pendency of cases.-** (1) The Committee shall maintain a 'Case Monitoring Sheet' of every case and in case there is more than one child in one case, a separate sheet shall be used for each child. The case monitoring sheet shall be in **Form 26**. The said Form shall be kept at the top of each case file and shall be updated from time to time. The following points shall be considered so far as 'progress of inquiry' mentioned in **Form 26** is concerned:

(i) time schedule for disposal of the case should be fixed on the first date of hearing;

(ii) scheduled date given in column (2) of 'progress of inquiry' shall be the outer limit within which the steps indicated in column (1) is to be completed.

(2) The Committee shall submit a quarterly report to the District Magistrate in **Form 16** for review of pendency of cases and shall also submit online monthly/quarterly reports in the prescribed formats on the portal developed by Central or State Government.

(3) The District Magistrate shall review the functioning of the Committee including by inspection once every quarter and also appraise the performance of the Chairperson and the members of the Committee on the basis of their participation in the proceedings of the Committee and submit a report to the Selection Committee constituted under **rule 87** of these rules.

CHAPTER VI

REHABILITATION AND SOCIAL RE-INTEGRATION

21. **Manner of Registration of Child Care Institutions.-** (1) All institutions running institutional care services for children in need of care and protection or children in conflict with law, whether run by the government or voluntary organisation, shall be registered under sub-section (1) of section 41 of the Act, irrespective of being registered or licensed under any other Act for the time being in force.

(2) All such institutions shall make an application in **Form 27** together with a copy each of rules, byelaws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, list of trustees, balance sheet of preceding three years, statement of past record of social or public service provided by the institution to the State Government and a declaration from the person or the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour or that it has not been black listed by the Central or State Government;

(3) The State Government shall, after verifying that provisions exist in the institution for the care and protection of children, health, education, boarding and lodging facilities, vocational facilities and rehabilitation as per the Act and the rules, issue a registration certification to such institution under subsection (1) of section 41 of the Act in **Form 28.**

(4) The State Government, may not grant provisional registration where adequate facilities do not exist in the institution applying for registration and the State Government shall issue an order before the expiry

of one month from the date of receipt of the application that the institution is not entitled for even provisional registration.

(5) The State Government, while taking a decision on the application for registration, may consider the following, in addition to any other criteria as it may prescribe:

(i) registration of the organisation under any law for the time being in force;
(ii) details of physical infrastructure, water and electricity facilities, sanitation and hygiene, recreation facilities;
(iii) financial position of the organization and maintenance of documents along with audited statement of accounts for the previous three years;
(iv) resolution of the Governing Body to run the institution or an open shelter;
(v) plan to provide services for children such as medical, vocational, educational, counselling, recreational and cultural activities etc., in case of new applicants and details of such services provided in case of existing institutions;
(vi) arrangements of safety, security and transportation;
(vii) details of other support services run by the organisation;
(viii) details of linkages and networking with other governmental, non-governmental, corporate and other community based agencies on providing need-based services to children;
(ix) details of existing staff with their qualification and experience;
(x) details of registration under Foreign Contribution Regulation Act and funds available, if any;
(xi) a declaration from the person or the organisation regarding any previous conviction record or involvement in any immoral act or in an act of child abuse or employment of child labour

(6) The State Government shall conduct a detailed inspection where provisional registration has been granted or review annually after registration under sub-section (1) of section 41 of the Act, of the facilities, staff, infrastructure and compliance with the standards of care, protection, rehabilitation and reintegration services and management of the institution or the organisation as laid down under the Act and the rules.

(7) If the inspection or the annual review reveals that there is unsatisfactory compliance with the standards of care, protection, rehabilitation and reintegration services and management of the institution as laid down under the Act and the rules or the facilities are inadequate, the State Government may, at any time, serve notice on the management of the institution and after giving an opportunity of being heard, declare within a period of sixty days from the date of the detailed inspection or annual review as the case may be, that the registration of the institution or organisation, shall stand withdrawn or cancelled from a date specified in the notice and from the said date, the institution shall cease to be an institution registered under sub-section (1) of section 41of the Act.

(8) When an institution ceases to be an institution registered under the Act or has failed to apply for registration within the time frame laid down in the said provision or has not been granted provisional registration, the said institution shall be managed by the State Government or the children placed therein shall be transferred by the order of the Board or the Committee, to some other institution, registered under sub-section (1) of section 41 of the Act.

(9) All institutions shall be bound to seek renewal of registration three months prior to the expiry of the period of registration and in case of their failure to seek renewal of registration before the expiry of the period of registration of the institution, the institution shall cease to be an institution registered under subsection (1) of section 41 of the Act and provisions of sub-rule (8) of this rule shall apply.

(10) An application for renewal of registration of an institution shall be disposed of within sixty days from the date of receipt of application.

(11) The decision on renewal of registration shall be based on the annual review done in the year in which the renewal is sought.

(12) The State Government may facilitate developing a model online system for receipt and processing of applications and grant or cancellation of registration and in the interim the systems existing in the State shall continue.

22. Open Shelter.- (1) The State Government may establish open shelters by itself or through voluntary or non-governmental organisations.

(2) All organisations who wish to establish open shelters or already running open shelters shall, make an application in **Form 27** to the State Government for registration.

(3) The applicants shall submit a report of the need for opening such open shelters along with a survey on the status of children indicating the number of children where the open shelter is proposed to be established. After proper verification and other inquiry as deemed necessary, the organisation or person may be selected for running the open shelter.

(4) The open shelters shall be registered as provided under sub-section (1) of section 41 of the Act in **Form 28**.

(5) The services provided in the open shelters may include day care and night residential facilities including food, washing facilities and toilets, and any other facility as the State Government may deem fit.

(6) The capacity of an open shelter should be such as to accommodate a minimum of twenty-five at one time and should include a kitchen, dining facilities, bathrooms and toilets, lockers, beds and recreational facilities.

(7) In cases where, the agency in charge of the Open Shelter finds that a child may require more than short term care and protection exceeding twenty- four hours, such child may be produced before the Committee for appropriate further steps.

(8) The open shelter shall not refuse admission to any child in need of care and protection at any time.

(9) Each open shelter shall send monthly information in **Form 29** to the District Child Protection Unit and the Committee regarding the children availing the services of the open shelter and shall also upload reports in the prescribed formats on the portal developed by the Central and State Government.

23. Foster Care.- (1) The State Government may place children in need of care and protection in foster care including group foster care through order of the Committee for a short or extended period of time.

(2) The District Child Protection Unit shall be the nodal authority for implementing the foster care programme in a district.

(3) All decisions related to placement of a child in foster care shall be taken by the Committee as per the provisions of the Act, the rules hereunder and the guideline issued in this regard by the Central or State Government. Children in the age group of six years and above may be considered for placement in foster care in the circumstances mentioned in clause (ii), (iii) and (iv) of sub-rule (1) of **rule 44** of these rules. Children below six years of age shall be, as far as possible placed in adoption.

(4) Children in need of care and protection who are living in community may also be considered for placement in foster care based on the child study report in **Form 31** prepared by the District Child Protection Unit.

(5) The Committee shall take into consideration the individual care plan and the opinion of the child before deciding the nature of foster care with due regard to his age and maturity. The child shall be informed and prepared throughout the process.

(6) Foster care may be for short term or long term depending upon the needs of the child. The duration of short term Foster care shall be for a period of not more than one year.

(7) Long term foster care, shall be for a period exceeding one year. This can be periodically extended by the Committee till the child attains eighteen years of age on the basis of assessment of the compatibility of the child with the foster care parents or in a group foster care setting.

(8) Recognising that every child has the right to grow in a family environment, every attempt shall be made to reunite the child with his biological family, if possible.

(9) The Committee before placing the child in foster care shall obtain a Home Study Report of the foster family through the District Child Protection Unit in **Form 30**.

(10) Children with special needs may be considered either for placement in foster family or group foster care, provided the Home Study Report of the foster family supports their fitness or group setting has facilities for care of such children.

(11) The number of children placed under group foster care shall not exceed eight children in one unit including biological children of the foster caregiver.

(12) The District Child Protection Unit, while selecting foster family shall consider the following, namely:
- (i) both the spouses must be Indian citizens;
- (ii) both the spouses must be willing to foster the same child;
- (iii) both the spouses must be above the age of thirty-five years and must be in good physical, emotional and mental health;
- (iv) ordinarily the foster family should have an income with which they are able to meet the needs of the child;
- (v) medical reports of all the members of the foster family residing in the premises should be obtained including reports for Human Immune Deficiency Virus (HIV), Tuberculosis (TB) and Hepatitis B etc. to determine that they are medically fit; and
- (vi) the foster family should have adequate space and basic facilities.

(13) The District Child Protection Unit, while selecting Group foster care setting shall consider the following illustrative criteria:
- (i) registration of the group setting under the Act;
- (ii) recognition as a fit facility by Committee;
- (iii) existence of child protection policy; and
- (iv) sufficient space and proper amenities for children.

(14) The process for selection of Foster family or Group foster setting shall be notified by the State Government.

(15) The Committee shall pass the final order in **Form 32** for placing the child in foster care, specifying the period for which the child is placed in foster care.

(16) The foster family or group foster care giver shall sign an undertaking for foster-care of the child in **Form 33.**

(17) The District Child Protection Unit shall maintain a record of each child in foster care in **Form 34.**

(18) The Committee shall conduct monthly inspection of the foster families or foster care givers in **Form 35** to check the well-being of the child.

(19) The foster family or group foster care giver shall:
- (i) provide adequate food, clothing and shelter and education;
- (ii) provide care, support and treatment for child's overall physical, emotional and mental health;
- (iii) ensure protection from exploitation, maltreatment, harm, neglect and abuse;
- (iv) provide age appropriate facilities for recreation, extra-curricular activities such as sports, music, dance, drama, art, etc.;

(v) provide vocational training according to the interests of the child;
(vi) respect the privacy of the child and his biological family or guardian, and acknowledge that any information provided about them is confidential and is not to be disclosed to another party without Government's prior consent;
(vii) provide treatment in emergent situations and inform the Committee and biological family about the same which may pass appropriate orders wherever necessary;
(viii) support contact between the child and his biological family in consultation with the Committee keeping in view the best interest of the child;
(ix) share and discuss the information pertaining to the progress of the child periodically with the Committee and biological family of the child and produce the child before the Committee as and when directed by the Committee; and
(x) ensure that the child's whereabouts are known at all times, including reporting any changes of address, holiday plans and any episodes of running away of the child to the Committee.

24. Sponsorship.- (1) The State Government shall prepare sponsorship programmes, which may include:
(i) individual to individual sponsorship;
(ii) group sponsorship;
(iii) community sponsorship;
(iv) support to families through sponsorship; and
(v) support to child care institutions

(2) Subject to the guidelines developed by the Central or State Government in this regard, the sponsorship programme shall be implemented by the District Child Protection Unit, which shall provide a panel of persons or families or organisations interested in sponsoring a child.

(3) The panel will list sponsors according to the area of interest such as education, medical support, nutrition, vocational training etc., and the nature of sponsorship.

(4) The District Child Protection Unit shall forward the panel to the Board or the Committee or the Children's Court.

(5) The Board or the Committee or the Children's Court may *suo moto*, or on an application received in that behalf, consider the placement of a child under sponsorship for which purpose it shall verify from the panel whether a sponsor is available to support such child and pass an order for placement of the child under sponsorship in **Form 36**.

(6) The District Child Protection Unit, in case of individual sponsorship, shall open an account in the name of the child to be operated preferably by the mother. The money shall be transferred directly from the bank account of the District Child Protection Unit to the bank account of the child.

(7) The duration of the sponsorship shall not ordinarily exceed three years which may be extended for two more years, for reasons to be recorded in writing.

25. After Care of Children Leaving Institutional Care.- (1) The State Government shall prepare a programme for children who have to leave Child Care Institutions on attaining eighteen years of age by providing for their education, giving them employable skills and placement as well as providing them places for stay to facilitate their re-integration into the mainstream of society.

(2) Any child who leaves a Child Care Institution may be provided after care till the age of twenty-one years on the order of the Committee or the Board or the Children's Court, as the case may be, as per **Form 37** and in exceptional circumstances, for two more years on completing twenty-one years of age.

(3) The District Child Protection Unit shall prepare and maintain a list of organisations, institutions and individuals interested in providing after care as per their area of interest such as education, medical support, nutrition, vocational training etc. and the same shall be forwarded to the Board or the Committee and all Child Care Institutions for their record.

(4) The Probation Officer or the Child Welfare Officer or Case Worker or Social Worker, shall prepare a post release plan in consultation with the child and submit the same to the Board or the Committee, three months before the child is due to leave the Child Care Institution, recommending after care for such child, as per the needs of the child.

(5) The Board or the Committee or the Children's Court, while monitoring the post release plan will also examine the effectiveness of the aftercare programme, particularly whether it is being utilized for the purpose for which it has been granted and the progress made by the child as a result of such after-care programme.

(6) Children who are placed in after care programme, shall be provided funds by the State Government for their essential expenses; such funds may be transferred directly to their bank accounts.

(7) The services provided under the after-care programme may include:
(i) community group housing on a temporary basis for groups of six to eight persons, or institutional model through recognised voluntary or non-governmental organisation;
(ii) provision of stipend during the course of vocational training or scholarships for higher education and support till the person gets employment;
(iii) arrangements for skill training and placement in commercial establishments through coordination with National Skill Development Programme, Indian Institute for Skill Training and other such Central or State Government programmes and corporates , etc.;
(iv) provision of a counsellor to stay in regular contact with such persons to discuss their rehabilitation plans ;
(v) provision of creative outlets for channelising their energy and to tide over the crisis periods in their lives;
(vi) arrangement of loans and subsidies for persons in after-care, aspiring to set up entrepreneurial activities; and
(vii) encouragement to sustain themselves without State or institutional support.

26. Management and Monitoring of Child Care Institutions.- (1) The personnel strength of a Child Care Institution shall be determined according to the duty, posts, hours of duty and category of children that the staff is meant to cater to.

(2) The staff of the Child Care Institution shall be subject to control and overall supervision of the Person-in-charge who by order, shall determine their specific duties and responsibilities in keeping with the statutory requirements of the Act and these rules.

(3) The number of posts in each category of staff shall be fixed on the basis of capacity of the institution and shall proportionately increase with the increase in the capacity of the institution.

(4) In case of Child Care Institutions housing girls, only female Person-in charge and staff shall be appointed.

(5) Any person associated with a Child Care Institution should not have been convicted of an offence or have been involved in any immoral act or in act of child abuse or employment of child labour or in an offence involving moral turpitude or hold any office in any political party during his tenure.

(6) No person shall be appointed to or work in a Child Care Institution without police verification.

(7) The suggested staffing pattern for an institution with a capacity of 50 children may be as below:

S. No.	Personnel/Staff	Number
1.	Person-in-Charge (Superintendent)	1
2.	Probation Officer/Child Welfare Officer/Case Worker *A Child Welfare Officer or a Case Worker may be designated as Rehabilitation-cum-Placement Officer	2

3.	Counsellor/Psychologist/Mental Health Expert	1
4.	House Mother/House Father	3
5.	Educator/Tutor	1 (Part time)
6.	Medical Officer (Physician)	1 (On call/On deputation)
7.	Para-medical staff/Staff Nurse	1
8.	Accountant-cum-Store Keeper-cum-data assistant	1
9.	Art & Craft-cum-Activity Teacher	1 (Part time)
10.	PT Instructor-cum-Yoga Trainer	1 (Part time)
11.	Cook	1
12.	Helper	1
13.	House keeping	1
14.	Security Guard	As per need
15.	Gardener	1 (Part time)

(8) In case of institutions housing infants, provision for ayahs and paramedical staff shall be made as per need.

(9) The security personnel shall be deployed as per nature and requirement of the Child Care Institution, taking into consideration strength of the children, age groups, physical and mental status, segregation facility based on the nature of offence and structure of the Institution.

(10) The security personnel to be engaged or appointed shall be adequately trained and oriented to deal with the children with sensitivity preferably ex-servicemen or retired para-military personnel or through Director General of Resettlement.

(11) The security personnel shall not be with arms or guns but have training and special skills to handle a crisis situation, control violence and escape of children from the institution, conduct search and frisking and security surveillance.

27. Fit Facility.- (1) The Board or the Committee shall on an application from any institution or organisation run by Government or non-governmental organisation, forwarded by the District Child Protection Unit within fifteen days of receiving the applications after proper verification and recommendations, recognise the facility as a fit facility provided the manager of that facility is willing temporarily to receive a child for a specific purpose or for group foster care.

(2) An application in **Form 38** for recognition shall be accompanied with a copy each of rules, bye-laws, memorandum of association, list of governing body, office bearers, list of trustees, balance sheet of the preceding three years, statement of past record of social or public service provided by the institution or organisation.

(3) Any facility for recognition as a fit facility shall:
(i) meet the basic standards of care and protection to the child;
(ii) provide basic services to any child placed with it;
(iii) prevent child placed with it to any form of cruelty or exploitation or neglect or abuse of any kind;
(iv) abide by the orders passed by the Board or the Committee; and
(v) comply with the recommendations of the District Child Protection Unit

(4) The Board or the Committee, after verification of the documents submitted by the Organisation or Institution and on the basis of the report submitted by the District Child Protection Unit and, if needed, after conducting inquiry by itself to ensure that provisions exist in the institution for the care and protection of children with reference to their health, education, boarding and lodging facilities, vocational facilities and rehabilitation as per the rules, and consideration of such other material as may be available, may grant recognition to such institution or organisation as a fit facility in **Form 39:**

Provided that any person associated with such institution or organisation should not have been convicted of an offence or have been involved in any immoral act or in act of child abuse or employment of child labour or in an offence involving moral turpitude.

(5) The District Child Protection Unit shall submit its report to the Board or Committee within 15 days from receiving the application in this regard and a decision for recognition of an institution or organisation shall be taken by the Board or the Committee within a period of fifteen days from the date of receipt of the report.

(6) The recognition to an institution or an organisation as a fit facility shall be initially for a period of three years which may be renewed for a further period of three years in accordance with sub-rule (4) of this rule.

(7) The Board or the Committee may, if dissatisfied with the standard of care and protection provided, or conditions prevailing in the facility, or the management of the institution or the organisation recognized under the Act or on an adverse report made by an inspection committee appointed under section 54 of the Act, or for any other reason, at any time, by a reasoned order, supplemented by the report from the District Child Protection Unit, in this regard, withdraw the recognition of the institution or the organisation as a fit facility and from the date specified in the order of the Board or the Committee, the institution or the organisation shall cease to be a fit facility recognized under the Act and the rules.

(8) Where the recognition of a fit facility is withdrawn by the Board or the Committee, intimation of the same shall be sent to the Children's Court, Special Juvenile Police Unit and District Child Protection Unit and the children placed with such an institution or organisation may be placed by the Board or the Committee or the Children's Court to another fit facility or any other Child Care Institution.

(9) A list of fit facilities approved by the Board or the Committee shall be kept in that office and be sent to the Children's Court, Special Juvenile Police Unit, the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society.

(10) An institution or organisation shall be recognised as a fit facility for purposes which may include:
- (i) short term care;
- (ii) medical care treatment and specialised treatment;
- (iii) psychiatric and mental health care;
- (iv) de-addiction and rehabilitation;
- (v) education;
- (vi) vocational training and skill development;
- (vii) witness protection; and
- (viii) group foster care.

(11) The services to be provided by the fit facility may include:
- (i) food, clothing, water, sanitation and hygiene;
- (ii) mental health interventions including counselling;
- (iii) medical facilities including first aid and to facilitate specialised treatment;
- (iv) formal age appropriate education including bridge education and continuing education and life skill education; and
- (v) recreation, sports, fine arts and group work activities.

(12) The placement of a child in a fit facility shall be for a period as deemed fit by the Board or the Committee or the Children's Court.

28. Fit Person.- (1) Any individual who is fit to temporarily receive a child for care, protection or treatment, for a period as may be necessary, may be recognised by the Board or the Committee as a fit person.

(2) The Board or the Committee may identify a panel of persons on the basis of their credentials, respectability, expertise, professional qualifications, experience of dealing with children and their willingness to receive the child and shall recognise them as fit persons for the purposes of the Act:

Provided that such a person should not have been accused of an offence under the Act or have been involved in any immoral act or in act of child abuse or employment of child labour or in an offence involving moral turpitude.

(3) The Board or the Committee may also appoint any person as a fit person on need basis for a child or children after verifying the credentials of such person, and wherever possible, after getting police verification done on such a person.

(4) The Board or the Committee may, if dissatisfied with the standard of care and protection provided or for any other reason, at any time, by a reasoned order withdraw the recognition of the person as a fit person from the date specified in the order of the Board or the Committee.

(5) Where the recognition of a fit person is withdrawn by the Board or the Committee, intimation of the same shall be sent to the Children's Court, Special Juvenile Police Unit and District Child Protection Unit and the child placed with such a fit person may be placed by the Board or the Committee or the Children's Court to another fit person or with a fit facility or any Child Care Institution.

(6) A list of fit persons recognised by the Board or the Committee shall be kept in the office of the Board and the Committee and the Children's Court and be sent to the Special Juvenile Police Unit, the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society.

(7) The Board or the Committee or the Children's Court may place the child with a fit person in cases wherever required, including where the child cannot be sent to a Child Care Institution due to distance and/ or odd time.

(8) The fit person shall:
(i) have the capacity and willingness to receive the child; and
(ii) provide basic services for care and protection of the child.

(9) The Board or the Committee or the Children's Court, depending on the need of the child and in consultation with the fit person shall determine the period for which a child shall remain with the fit person.

(10) The child shall not be placed with a fit person for a period exceeding forty-eight hours and in such cases where the child requires further care, the Committee may consider the placement of the child in foster care or may consider other rehabilitative alternatives for the child.

29. Physical infrastructure.- (1) The accommodation in each institution shall be as per the following criteria, namely:-

(i) Observation Home:
(a) separate observation homes for girls and boys;
(b) Classification and segregation of children according to their age group preferably 7-11 years, 12-15 years and 16-18 years, giving due consideration to physical and mental status and the nature of the offence committed.

(ii) Special Home:
(a) separate special homes for girls and boys ;
(b) classification and segregation of children on the basis of age and nature of offences and their mental and physical status.

(iii) Place of Safety:
(a) for children in the age group of 16 to18 years alleged to have committed heinous offence pending inquiry;

(b) for children in the age group of 16 to 18 years found to be involved in heinous offence upon completion of inquiry;
(c) for persons above 18 years alleged to have committed offence when they were below the age of 18 years pending inquiry;
(d) for persons above 18 years found to be involved in offence upon completion of inquiry;
(e) for children as per the orders of the Board under clause (g) of sub-section (1) of section 18 of the Act.

(iv) Children's Home:
(a) separate children's homes for girls and boys in the age group of 6 to 18 years;
(b) separate facilities for children in the age group of 7-11 years, 12-15 years and 16-18 years, giving due consideration to physical and mental status of the children.

(2) The Child Care Institutions shall be child-friendly and in no way shall they look like a jail or lock-up.

(3) Every Child Care Institution shall keep a copy of the Act and the rules framed by the State Government and also a copy of the Child Protection Policy developed by the State Child Protection Society, for use by both the staff and children residing therein.

(4) Each Child Care Institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every child in the home.

(5) The Child Care Institutions for children in conflict with law and children in need of care and protection shall function from separate premises as per the criteria elaborated.

(6) The suggested norms for building or accommodation in each institution with 50 children may be as under:

S. No.	Particulars	Specification of area
(i)	2 dormitories	Each 1000 Sq. ft. for 25 children i.e. 2000 Sq. ft.
(ii)	2 Class rooms	300 Sq. ft. for 25 children i.e. 600 Sq. ft.
(iii)	Sickroom/First aid room	75 Sq. ft. per children for 10, i.e. 750 Sq. ft.
(iv)	Kitchen	250 Sq. ft.
(v)	Dining hall	800 Sq. ft.
(vi)	Store	250 Sq. ft.
(vii)	Recreation room	300 Sq. ft.
(viii)	Library	500 Sq. ft.
(ix)	5 Bathrooms	25 Sq. ft. each i.e. 125 Sq. ft.
(x)	8 Toilets	25 Sq. ft. each i.e. 200 Sq. ft.
(xi)	Office rooms	(a) 300 Sq. ft. (b) Person-in-charge room 200 Sq. ft.
(xii)	Counselling and Guidance room	120 Sq. ft.
(xiii)	Workshop	1125 Sq. ft. for 15 children @ 75 Sq. ft. per trainee
(xiv)	Residence for Person-in-Charge	(a) 2 rooms for 250 Sq. ft. each (b) Kitchen 75 Sq. ft. (c) Bathroom-cum-toilet 50 Sq. ft.
(xv)	2 rooms for Juvenile Justice Board or Child Welfare Committee	300 Sq. ft. each i.e. 600 Sq. ft.
(xvi)	Playground	Sufficient area according to total number of children
	Total	**8495 Sq. ft.**

(7) The Person-in-charge shall stay within the institution and be provided with quarters and in case he is not able to stay in the Child Care Institution for valid reasons, and approval from the Assistant Director, Child Protection of the District Child Protection Unit, any other senior staff member of the institution shall stay in the institution and be in a position to supervise the overall care of the children and take decisions in the case of any crisis or emergency.

(8) There shall be proper and non-slippery flooring for preventing accidents.

(9) There shall be adequate lighting, heating and cooling arrangements, ventilation, safe drinking water, clean and accessible gender and age appropriate and disabled friendly toilets and high walls with barbed wire fencing.

(10) All institutions under the Act shall:
- (i) make provision of first-aid kit, fire extinguishers in kitchen, recreation room, vocational training room, dormitories, store rooms and counselling room;
- (ii) conduct periodic inspection of electrical installations;
- (iii) ensure proper storage and inspection of articles of food; and
- (iv) ensure stand-by arrangements for water storage and emergency lighting.

(11) Special infrastructural facilities and necessary equipment shall be provided to differently-abled children. Such facilities and equipment shall be designed under the guidance of specialists or experts.

(12) Other logistical and functional requirements which would be provided may include:
- (i) computer sets;
- (ii) photocopiers;
- (iii) printer, scanner cum fax;
- (iv) telephone with internet facility;
- (v) web cam;
- (vi) furniture for officials, record keeping cabinets, work stations, wheel chair and stretchers for medical room;
- (vii) chairs and tables for study and dining hall;
- (viii) projector; and
- (ix) CCTV cameras

30. **Clothing, Bedding, Toiletries and other Articles.-** (1) The clothing and bedding shall be as per the scale and climatic conditions. The requirements of each child and the minimum standards for clothing and bedding shall be as under:

A. BEDDING		
S. No.	Article	Quantity to be provided per child
1.	Mattress	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 1 year.
2.	Cotton Durry	2 at the time of admission and subsequently 2 after every 2 years.
3.	Cotton bed sheets	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months.
4.	Pillow (Cotton stuffed)	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 1 year
5.	Pillow covers	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 1 year
6.	Cotton blankets/Khes	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 2 years
7.	Cotton filled quilt	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 2 years
8.	Mosquito net	1 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months
9.	Cotton towels	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 3 months

B. Clothing for Girls		
S. No.	Article	Quantity to be provided per child

1.	Skirts and Blouse or Salwar Kameez or Half Sari with Blouse and Petticoat	5 sets per year for girls depending on age and regional preferences.
2.	Age appropriate undergarments	3 sets every quarter.
3.	Sanitary Towels	12 packs per year for older girls.
4.	Woollen Sweaters (full sleeves)	2 sweaters yearly.
5.	Woollen Sweaters (Half sleeves)	2 sweaters yearly.
6.	Woollen Shawls	1 per year.
7.	Nightwear	2 sets every 6 months.
	B. Clothing for Boys	
S. No.	Article	Quantity to be provided per child
1.	Shirts	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months.
2.	Shorts	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months for younger boys.
3.	Pants	2 at the time of admission and subsequently 1 after every 6 months for older boys.
4.	Age appropriate undergarments	3 sets every quarter.
5.	Woolen jerseys (full sleeves)	2 yearly.
6.	Woolen jerseys (half sleeves)	2 yearly.
7.	Woolen Caps	1 in 1 year.
8.	Kurta Pyjama for night wear	2 sets every 6 months.
	C. Miscellaneous Articles	
S. No.	Article	Quantity to be provided per child
1.	Slippers	1 pair at the time of admission and subsequently 1 pair after every 6 months.
2.	Sports shoes	1 pair at the time of admission and subsequently 1 pair after every 1 year.
3.	School uniform	2 sets every six months for children attending schools.
4.	School bag	1 every year for children attending schools.
5.	School shoes	1 pair at the time of admission in school and subsequently 1 pair after every 6 months.
6.	Handkerchiefs	2 at the time of admission and subsequently 2 after every 2 months.
7.	Socks	3 pairs every six months.
8.	Stationery	As per need.

(2) In addition to In addition to the clothing specified above, each child shall be provided, once in three years, with a suit consisting of one white shirt, one pair of shorts or pants, one pair of white canvas shoes and one blazer for use during ceremonial occasions. In the case of girls it shall be one white half sari or one salwar kameez or one white skirt and one white blouse, a pair of white canvas shoes and a blazer.

(3) In every hospital attached to the institution where there is provision for in-patient cots, the following scale has to be followed:

S. No.	Night clothing and bedding	Scale for supply
1.	Mattress	One per bed per 3 years.
2.	Cotton bed sheets	Four per bed per year.
3.	Pillows	One per bed per two year.
4.	Pillow covers	Four per bed per year.
5.	Woollen blankets	One per bed per 2 years.
6.	Pyjamas and loose shirts (hospital type for boys)	3 pairs per child per year.
7.	Skirts and blouses or salwar kameez for girls	3 pairs per child per year.
8.	Cotton durry	One per bed per three years.

(4) Toiletry: Every resident of the Child Care Institution shall be issued oil, soap and other material as per the following scale:

S. No.	Items	Quantity to be issued per child
1.	Hair Oil for grooming the hair	100 ml per month.
2.	Toilet soap/handwash	2 bars of 100gm per month.
3.	Tooth brush	1 in every 3 months.
4.	Toothpaste	100gm (a tube) per month.
5.	Comb	1 in every 3 month.
6.	Shampoo sachets	8 in a month (10ml/ per sachet).
7.	Bathing soap	2 bars of 125gm per month.
8.	Hair clip/ band	2 bands in 3 month.
9.	Moisturiser or cold cream (during winters)	250 ml in a month.

(5) For washing of clothes and towels, bed-sheet, etc., the following scale may be followed:

(i) washing soap: 3 soaps for one month (125 gms) or equivalent washing powder;
(ii) whitening or bleaching agent to the extent required only for white clothing.

The hospital clothing shall not be mixed with other clothing at the time of washing and if necessary, the Superintendent can issue the above items separately for washing of hospital clothing. The superintendent may get installed washing machines, as required.

(6) The following items shall be provided for maintaining the Child Care Institutions in a healthy and sanitary condition:

S. No.	Items	Quantity to be issued per child
1.	Broom stick	25 to 40 per month depending on the area of the institution.
2.	Pesticide spray	As per the institution doctor's advice.
3.	Effective bugs killing agent	As required.
4.	Phenyl and cleaning acid	Depending on the area of lavatories to be (daily) cleaned as per institution doctor's advice.
5.	Mosquito repellent machines	2 per room per month with adequate fillets.

31. **Sanitation and Hygiene.-** (1) Every Child Care Institution shall have the following facilities, namely:

(i) sufficient treated drinking water; water filters or RO shall be installed at multiple locations in the premises for easy access such as kitchen, dormitory, recreational rooms etc.;

(ii) sufficient water including hot water for bathing and washing clothes, maintenance and cleanliness of the premises;

(iii) proper drainage system with regular maintenance;

(iv) arrangements for disposal of garbage;

(v) protection from mosquitoes by providing mosquito nets or repellants;

(vi) annual pest control;

(vii) sufficient number of well-lit and airy toilets with proper fittings in the proportion of at least one toilet for seven children, including disabled-friendly toilets for children;

(viii) sufficient number of well-lit and airy bathrooms with proper fittings in the proportion of at least one bath room for ten children;

(ix) sufficient space for washing and drying of clothes;

(x) washing machine wherever possible;

(xi) clean and fly-proof kitchen and separate area for washing utensils;

(xii) sunning of bedding twice every month and clothing on regular basis;

(xiii) maintenance of cleanliness in the Medical Centre;

(xiv) daily sweeping and wiping of all floors in the home;

(xv) cleaning or washing of the toilets and bathrooms twice everyday;

(xvi) proper washing of vegetables and fruits and hygienic manner of preparing food;

(xvii) cleaning of the kitchen slabs, floor and gas after every meal;

(xviii) clean and pest proof store for maintaining food articles and other supplies;

(xix) disinfection of the beddings at least twice a year;

(xx) fumigation of a sick room or isolation room after every discharge in case of contagious or infectious disease; and

(xxi) cleanliness in medical centre.

32. **Daily Routine.-** (1) Every Child Care Institution shall have a daily routine for children developed in consultation with the Children's Committees, which shall be prominently displayed at various places within the Child Care Institution.

(2) The daily routine may provide, *inter alia*, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organised recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays and national holidays, festive days, birthdays.

33. **Nutrition and Diet Scale.- (1)** The following nutrition and diet scale shall be followed by the Child Care Institutions, namely:

(i) the children shall be provided four meals in a day including breakfast;

(ii) the menu shall be prepared with the help of a nutritional expert or doctor to ensure balanced diet and variety in taste as per the minimum nutritional standard and diet scale;

(iii) every Child Care Institution shall strictly adhere to the minimum nutritional standard and diet scale suggested as specified below:

S. No.	Name of the articles of diet	Scale per head per day
1.	Rice/Wheat/Ragi/Jowar	600 gms, (700 gms for16-18 yrs age) of which atleast 100 gms to be either Wheat or Ragi or Jowar or Rice.
2.	Dal/ Rajma/ Chana	120 gms.
3.	Edible Oil	25 gms.
4.	Onion	25 gms.
5.	Salt	25 gms.
6.	Turmeric	25 gms.
7.	Coriander Seed Powder	05 gms.
8.	Ginger	05 gms.
9.	Garlic	05 gms.
10.	Tamarind/ Mango powder	05 gms.
11.	Milk (at breakfast)	150 ml.
12.	Dry Chillies	05 gms.

13.	Vegetables Leafy Non – leafy	100 gms. 130gms.
14.	Curd or Butter Milk	100 gms/ml.
15.	Chicken/Mutton/Fish once a week or Eggs 4 days	115 gms.
16.	Jaggery& Ground Nut Seeds or Paneer (vegetarian only)	60 gms each (100 gms for paneer) once in a week.
17.	Sugar	40 gms.
18.	Tea/Coffee	05 gms.
19.	Sooji/Poha	150 gms.
20.	Ragi	150 gms.
	Following items for 50 Children per day	
21.	Pepper	25 gms.
22.	Jeera Seeds	25 gms.
23.	Black Gram dal	50 gms.
24.	Mustard Seeds	50 gms.
25.	Ajwain Seeds	50 gms.
	On Chicken Day for 10 Kg. of Chicken	
26.	Garam Masala	10 gms.
27.	Kopra	150 gms.
28.	KhasKhas	150 gms.
29.	Mustard Oil/Groundnut Oil/Refined Oil	500 gms.
	For Sick Children	
30.	Bread	500 gms.
31.	Milk	500 ml.
32.	Khichdi	300 gms.
	Other items	
33.	LP Gas for cooking only	

(2) Children may be provided special meals on holidays, festivals, sports and cultural day and celebration of national festival.

(3) Infants and sick children shall be provided special diet according to the advice of the doctor on their dietary requirement.

(4) The requirement of each child shall also be taken into account including need for iron and folic acid supplements.

(5) The menu for the day shall be prepared in consultation with the Children's Committee and shall be displayed in the dining hall.

(6) Variation in diet may be as per seasonal and regional variations, a suggested diet variation is given below:-

(i) varieties of dal e g., Toor (Arhar), Moong (Green Gram), Urad, Masoor and Chana (Bengal Gram) and mixed dal (arhar, moong, masoor, urad) may be given alternatively;

(ii) on non-vegetarian days, vegetarian children shall be issued with either 60 gms of jaggery and 60 gms of groundnut seeds per head in the shape of laddus or any other sweet dish or curry with 100 gms paneer;

(iii) leafy vegetables such as Fenugreek (Methi), Spinach (Palak), Sarson (Mustard leaves), Bathua, Laal saag, GonguraThotakura or any other saag etc., may also be issued once in a week. If a kitchen garden is attached to any institution, leafy vegetables, should be grown and issued and the Superintendent should try to issue variety of vegetables and see that the same vegetable is not repeated for at least a period of one week;

(iv) seasonal fruits shall be provided daily in a non-repetitive manner in sufficient quantities;

(v) the Person-in-charge may make temporary alterations in the scale of diet in individual cases when considered necessary by him, or on the advice of the doctor of the institution subject to the condition that the scale laid down is not exceeded.

(7) Meal Timing and Menu:

(i) Breakfast – 7.30 a.m. to 8.30 a.m.

(i) dahi-chura
(ii) vegetable curry/dal/sambar/chhola
(iii) stuffed parathas/poori-sabji
(iv) idli/wada with sambhar
(v) upma or chapattis made of wheat or ragi or any other dish;
(vi) chutneys from Gongura or fresh curry leave or fresh coriander or Coconut and Putnadal etc.,
(vii) milk;
(viii) any seasonal fruit in sufficient quantity.

(ii) Lunch at 12.30 to 1.30 P.M. and Dinner – 7.00 P.M. – 8.00 P.M

(a) rice or Chapattis or combination of both;
(b) vegetable curry;
(c) dal or sambar;
(d) butter milk or curd
(e) green salad.

(iii) Evening Snacks– 4.00 P.M. – 5.00 P.M

(a) poha;
(b) bread pakauda;
(c) black chana and chura/mudi;
(d) biscuits/cookies//cake

(8) Others;

(i) depending on the season, the Person-in-charge shall have the discretion to alter the time for distribution of food;

(ii) on the advice of the institution's doctor or at the discretion of the Person-in-charge, every sick child who is prevented from taking regular food, on account of his ill-health, may be issued with medical diet as per the scale for sick children;

(iii) extra diet for nourishment like milk, eggs, sugar and fruits shall be issued to the children on the advice of the institution doctor in addition to the regular diet, to gain weight or for other health reasons and for the purpose of calculation of the daily ration, the sick children shall be excluded from the day's strength;

(iv) special lunch or dinner may be provided to the children at the Child Care Institution at the rate fixed by the Person-in-charge of the Child Care Institution, from time to time on national festivals and festival occasions, including:

(i) Republic Day (26th January);
(ii) Independence Day (15th August);
(iii) Mahatma Gandhi's Birth day (2nd October);
(iv) Children's Day (14th November);
(v) National festivals;
(vi) Local festivals;
(vii) Annual Day of the Child Care Institution.

34. Medical Care.- (1) In all Child Care Institutions, a medical officer shall be made available on call whenever necessary for regular medical check up and treatment of children.

(2) A nurse or a para medic shall be available round the clock in all Child Care Institutions.

(3) Every Child Care Institution may:

(i) arrange for medical examination of each child admitted in an institution by the Medical Officer within twenty-four hours of admission and in special cases or medical emergencies immediately;

(ii) arrange for a medical examination of child by the Medical Officer at the time of transfer within twenty four hours before transfer;

(iii) maintain a medical record including health card of each child on the basis of monthly medical check-up and provide necessary medical facilities;

(iv) ensure that the medical record includes weight and height record, any sickness and treatment, and other physical or mental problems;

(v) have facilities for quarterly medical check-ups including dental check-up, eye testing and screening for skin problems and for treatment of children;

(vi) every institution to have first aid kit and all staff be trained in handling first aid;

(vii) make necessary arrangements for the immunization of children;

(viii) take preventive measures in the event of out-break of contagious or infectious diseases;

(ix) keep sick children under constant medical supervision;

(x) not carry out any surgical intervention in a hospital on any child without the previous consent of his parent or guardian, unless the parent or guardian cannot be contacted and the condition of the child is such that any delay would, in the opinion of the medical officer, involve unnecessary suffering or injury to the health of the child or danger to life, or without obtaining a written consent to this effect from the Person-in-charge of the institution;

(xi) provide or arrange for regular counselling of every child and ensure specific mental health interventions for those in need of such services, including separate rooms for counselling sessions within the premises of the institution and referral to specialised mental health centres, where necessary; and

(xii) refer such children who require specialised drug de-addiction and rehabilitation programme, to an appropriate centre administered by qualified persons where these programmes shall be adopted to the age, gender and other specifications of the child concerned.

(4) Baseline investigation of Complete Blood Count (CBC), Urine Routine, HIV, VDRL, Hepatitis B and Hepatitis C tests and allergy or addiction to drugs shall be conducted for all children at the time of entry into the institution as suggested by the doctor after examining the child.

(5) Test for pregnancy or diseases for victims of sexual offences shall be conducted, if required by the order of the Board or the Committee or the Children's Court. In such cases the District Child Protection Unit shall facilitate following of the procedures laid down in the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, if so needed.

(6) The State Government through the District Child Protection Unit shall make provisions for those children diagnosed with special problems such as hormonal problems, immuno-compromised diseases, physical and mental disabilities, on the recommendation of the medical officer. The children shall be kept in special units set up within the institution or special care homes or hospitals and avail necessary medical/ psychiatric and psychological support or treatment.

(7) All girls who have attained puberty shall undergo health assessment to detect iron deficiency. Necessary dietary plan and medicines shall be prescribed by the nutritionist and appointed doctor, if need be.

(8) A psycho- social profile of every child shall be maintained by the Child Care Institution and updated every month. Special observations may be recorded, when required. Person-in-charge of the institution shall ensure that any recommendations made shall be duly complied with.

35. Mental Health.- (1) The environment in an institution shall be free from abuse, allowing children to cope with their situation and regain confidence.

(2) All persons involved in taking care of the children in an institution shall participate in facilitating an enabling environment and work in collaboration with the therapists as needed.

(3) Milieu based interventions and individual therapy are must for every child and shall be provided in all institutions.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, "milieu based intervention" is a process of recovery, which starts through providing an enabling culture and environment in an institution so as to ensure that each child's abilities are discovered and they have choices and right to take decisions regarding their life and thus, develop and identify beyond their negative experiences, such intervention which has a critical emotional impact on the child.

(4) Individual therapy is a specialised process and each institution shall make provisions for it as a critical mental health intervention.

(5) Every institution shall have the services of trained counselors or collaboration with external agencies such as child guidance centres, psychology and psychiatric departments or similar Government and non-Governmental agencies, for mental health screening of children and specialised and regular individual therapy for the child,

(6) The recommendations of mental health experts shall be maintained in every case file, as required.

(7) No child shall be administered medication for mental health problems without a psychological evaluation and diagnosis by trained mental health professionals.

(8) Medicines should be administered to the children only by trained medical staff and not by any other staff of the Home.

36. Education.-(1) Every institution shall provide education to all children according to the age and ability, both inside the institution or outside, with appropriate security planning and services for children, as per requirement.

(2) There shall be a range of educational opportunities including, mainstream inclusive schools, bridge school, special learning centres, open schooling, non formal education and learning where needed.

(3) Wherever necessary, extra coaching shall be made available to school going children in the institutions by encouraging volunteer services or tying up with coaching centres or tutors.

(4) Specialised trainers and experts shall be appointed to cater to the educational needs of children with special needs either physical or mental. Learning disorders shall be identified, assessed and reported in the Individual Care Plan. Further assistance shall be given to the child by trained professionals.

(5) Regularity of the education programme and attendance of the children shall be ensured.

(6) Children should be able to avail scholarships, grants and schemes and sponsorships.

37. Vocational Training.- (1) Every Child Care Institution shall provide gainful vocational training to children according to their age, aptitude, interest and ability, both inside or outside the Child Care Institution.

(2) Vocational training shall include occupational therapy, skill and interest based training, aimed at suitable placement at the end of the course. The institute, preferably government recognised, providing vocational training shall give a certificate, on the completion of the course.

(3) Where vocational training is offered outside the premises of the Child Care Institution, children shall be escorted for such programmes with proper security planning and services, particularly for children who are at risk.

(4) A record shall be maintained for all children attending the programmes and the progress made by each child shall be reviewed. The report in that regard shall be submitted to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be, on a quarterly and monthly basis.

38. **Recreational Facilities.**- (1) Recreational facilities may include indoor and outdoor games, yoga and meditation, music, television, picnic and outings, cultural programmes, gardening and library, etc.

(2) Sufficient space shall be made available for outdoor sports and games.

(3) Picnic and outings may include education fair or science fair, museum, planetarium, botanical garden, zoological garden, etc.

(4) Cultural event or sports competition shall be held once in a quarter to showcase talent on festivals or on days of national festivals.

(5) Library shall have child friendly environment. There shall be books in regional language, newspapers, children's magazines, puzzle books, picture books, books in braille, audio and video devices, etc.

(6) Space in the home shall be made available for gardening with technical input being given by a gardener or any other staff to the children.

(7) Music, dance and art therapy may be included in the list of recreational activities to enhance the healing process of each child.

(8) Regularity of the activities shall be maintained with support of institutions and non-governmental organisation, if needed and a report shall be submitted on quarterly and/or monthly basis to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be.

39. **Management Committee.**- (1) Every Child Care Institution shall have a Management Committee for the management of the institution and monitoring the progress of every child.

(2) In order to ensure proper care and treatment as per the individual care plans, children shall be grouped on the basis of age, nature of offence or kind of care required, physical and mental health and length of stay.

(3) The Management Committee shall comprise of:

(i) Assistant Director, Child Protection Unit (District Child Protection Unit)- Chairperson;

(ii) Person-in-charge - Member-Secretary;

(iii) Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker – Member;

(iv) Medical Officer – Member;

(v) Psychologist or Counsellor – Member;

(vi) Workshop Supervisor or Vocational Instructor– Member;

(vii) Teacher – Member;

(viii) Social Worker Member of the Board or the Committee – Member;

(ix) Two child representatives from each of the Children's Committees – Members;

(x) any other special invitee with the consent of the Chairperson.

(4) The Management Committee shall meet at least once every month to consider and review:

(i) care in the institution, housing, area of activity and type of supervision or interventions required;

(ii) medical facilities and treatment;

(iii) food, water, sanitation and hygiene conditions;

(iv) mental health interventions;

(v) individual problems of children and institutional adjustment;

(vi) quarterly review of individual care plans;

(vii) provision of legal aid services;

(viii) vocational training and opportunities for employment;

(ix) education and life skills development programmes;

(x) social adjustment, recreation, group work activities, guidance and counselling;

(xi) progress, adjustment and modification of residential programmes to the needs of the children;

(xii) planning post-release or post-restoration rehabilitation programme and follow up for a period of two years in collaboration with after care services, as the case may be;

(xiii) pre-release or pre-restoration preparation;

(xiv) release or restoration;

(xv) post release or post-restoration follow-up;

(xvi) minimum standards of care, including infrastructure and services available;

(xvii) daily routine;

(xviii) community participation and voluntary participation in the residential life of children such as education, vocational activities, recreation and hobby;

(xix) all registers as required under the Act and the rules maintained by the institution, duly stamped and signed and to check and verify the registers in the monthly review meetings;

(xx) matters concerning Children's Committees; and

(xxi) any other matter which the Person-in-charge may like to bring up.

(5) The Management Committee shall set up a complaint and redressal mechanism in every institution and a Children's Suggestion Box shall be installed in every institution at a place easily accessible to children away from the office set up and closer to the residence or rooms or dormitories of the children.

(6) The key of the Children's Suggestion Box shall remain in the custody of the Chairperson of the Management Committee and shall be checked every week by the Chairperson of the Management Committee or his representative from District Child Protection Unit, in the presence of the members of the Children's Committees.

(7) If there is a problem or suggestion that requires immediate attention, the Chairperson of the Management Committee shall call for an emergency meeting of the Management Committee to discuss and take necessary action.

(8) The quorum for conducting emergency meetings shall be five members, including two members of Children's Committees, Chairperson of the Management Committee, Member of the Board or the Committee, as the case may be, and the Person-in-charge of the Child Care Institution.

(9) In the event of a serious allegation or complaint against the Person-in-charge of the institution, he shall not be part of the emergency meeting and another available member of the Management Committee shall be included in his place.

(10) All suggestions received through the suggestion box and action taken as a result of the decisions made in the emergency meeting or action required to be taken shall be placed for discussion and review in the monthly meeting of the Management Committee.

(11) A Children's Suggestion Book shall be maintained in every institution where the complaints and action taken by the Management Committee are duly recorded and such action and follow up shall be communicated to the Children's Committees after every monthly meeting of the Management Committee.

(12) The Board or Committee shall review the Children's Suggestion Book at least once a month.

(13) The complaint box shall be accessible by the Chairperson of the Committee or any other person authorised by him.

40. Children's Committees.- (1) Person-in-charge of every institution for children shall facilitate the setting up of children's committees for different age groups of children, that is in the age group of 7 to 11 years, 12 to 15 years and 16 to 18 years and these children's committees shall be constituted solely by children.

(2) Such children's committee shall be encouraged to participate in following activities:

(i) improvement of the condition of the institution;

(ii) reviewing the standards of care being followed;

(iii) preparing daily routine and diet scale;

(iv) developing educational, vocational and recreation plans;

(v) respecting each other and supporting each other in managing crisis;

(vi) reporting incidents of bullying by older children, abuse and exploitation by peers and caregivers;

(vii) creative expression of their views through wall papers or newsletters or paintings or music or theatre;

(viii) management of institution through the Management Committee.

(3) The Person-in-charge shall ensure that the children's committees meet every month and maintain a register for recording their activities and proceedings, and place it before the Management Committee in their monthly meetings.

(4) The Person-in-charge shall ensure that the children's committees are provided with essential support and materials including stationary, space and guidance for effective functioning.

(5) The Person-in-charge may, as far as feasible, seek assistance from local voluntary organisations or child participation experts for the setting up and functioning of the children's committees.

(6) The local voluntary organisation or child participation expert shall support the children's committees in the following:

(i) electing their leaders and in devising the procedure to be followed for conducting the elections;

(ii) conducting the elections and monthly meetings;

(iii) framing rules for the functioning of children's committees and following it;

(iv) maintaining records and Children's Suggestion Book and other relevant documents; and

(v) any other innovative activity.

(7) The Management Committee shall seek a report from the Person-in-charge on the setting up and functioning of the children's committees, review these reports in their monthly meetings and take necessary action or place the same before the Board or the Committee, wherever required.

41. Inspection.- (1) The State Government shall constitute State and district level inspection committees.

(2) The State Inspection Committee shall comprise of a maximum of seven members, of whom at least one shall be a woman, from among the State Government, namely the Board or Committee, the State Commission for the Protection of Child Rights, the State Human Rights Commission, State Adoption Resource Agency, medical and other experts, voluntary organisations and reputed social workers. The Member-Secretary, State Child Protection Society shall be the Chairperson of the State Inspection Committee.

(3) The State Inspection Committee shall carry out inspections of the Child Care Institutions as defined under sub-section (21) of section (2) of the Act housing children in the State in **Form 46**.

(4) The State Inspection Committee shall carry out random inspections of the institutions housing children to determine whether such institution is housing children in need of care and protection.

(5) The State Inspection Committee shall submit report to the Secretary of the Department implementing the Act.

(6) The State Inspection Committee shall make recommendations for improvement and development of the Institutions in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder and shall forward the same to the State Child Protection Society or the District Child Protection Unit for appropriate action.

(7) The State Inspection Committee shall interact with the children during visits to the institution to determine their well-being and to get their feedback.

(8) The District Inspection Committee shall comprise of the following eight members of whom at least one shall be a woman:-

(i) District Magistrate- Chairperson
(ii) Assistant Director, District Child Protection Unit - Member Secretary;
(iii) Member of the Board or the Committee- Member
(iv) Chief Medical Officer- Member
(v) District Programme Officer (Education)- Member
(vi) Representative of the Special Juvenile Police Unit in the district- Member
(vii) one member of the civil society working in the area of child rights, care, protection and welfare, nominated by Chairperson- Member
(viii) one mental health expert who has experience of working with children, nominated by Chairperson- Member

(9) The District Inspection Committee shall inspect all Child Care Institutions in the district in **Form 46**.

(10) The inspection of the facilities housing children in the district shall be carried out at least once every three months.

(11) The District Inspection Committee shall submit the report of the findings to the District Child Protection Unit and the State Government and shall also make suggestions for improvement and development of the Child Care Institutions in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under.

(12) The District Inspection Committee shall interact with the children during the visits to the institution to determine their well-being and to elicit their feedback.

(13) The District Child Protection Unit shall take necessary follow up action on the report of the District Inspection Committee and shall submit an action taken report to the District Magistrate and the State Government.

(14) The members of both the State and District level Inspection Committees shall strictly adhere to the Child Protection Policy developed by the State Child Protection Society for Child Care Institutions.

(15) The tenure of the representative from the civil society on these Committees shall be for a period of maximum three years.

42. Evaluation and Monitoring.- (1) The evaluation of functioning of the Board, Committee, special juvenile police units, registered institutions, or recognised fit facilities and persons under the Act may be done by the Central Government or the State Government once in three years through institutions and agencies such as reputed academic institutions, schools of social work of Universities, Management Institutions, multidisciplinary Committee especially constituted for the purpose etc.

(2) The State Government shall constitute a State level Monitoring Committee to monitor the progress and functioning of the institutions and the agencies under the Act/Rules. This Committee shall comprise the following members:-

(i) the Chief Secretary-Chairperson;

(ii) Principal Secretary/Secretary, Department of Social Welfare- Member Secretary

(iii) Chairperson of the Selection Committee

(iv) Principal Secretary/ Secretary from the departments of Home, Health, Education, Law, Labour, SC/ST Welfare, BCB & EBC Welfare, Minority Welfare, Panchayati Raj, Rural Development, Urban Development, Finance Department and Building Construction Department;

(v) Two members from the civil society working in the area of child rights, care, protection and welfare as nominated by the Member Secretary;

(vi) Representatives from State Legal Services Authority.

(3) The State level Monitoring Committee shall meet at least once a year and shall perform the following functions:-

(i) review the functions of service delivery mechanisms including preventive strategies and structures established under the Act and the rules hereunder;

(ii) strengthen inter-departmental and inter-district coordination; and

(iii) any other matter considered necessary for policy, planning and implementation of any scheme for the protection of the children.

(4) The findings of the evaluation as per sub-rule (1) above shall be shared between the Central and State Governments in order to strengthen and improve the functioning of different structures.

CHAPTER VII

ADOPTION

43. Adoption Related Reporting.- (1) The Child Welfare Committees shall, furnish the data relating to children declared legally free for adoption and cases pending for decision to the Authority online in the formats provided in the Adoption Regulations and also to the State Adoption Resource Agency, with the assistance of the District Child Protection Units.

44. Children who are not being adopted after being declared legally free for adoption may be eligible for Foster Care.- (1) The following categories of children may be considered for Foster Care in following circumstances:

(i) Children in the age group of 0 to 6 years who are being considered by the Committee as legally free for adoption and those who have been declared legally free for adoption shall not as far as possible be considered for placement in foster care. Such children shall be provided a permanent family through adoption as per Adoption Regulations.

(ii) If adoptable children between the age of 6 to 8 years do not get a family either in in-country adoption or in inter-country adoption within a period of two years after they are declared legally free for adoption by Child Welfare Committee, such children to be eligible to be placed in family foster care or group foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency.

(iii) Children in the age group of 8 to18 years, who are legally free for adoption but have not been selected by any Prospective Adoptive Parent (PAP) for one year to be eligible to be placed in family foster care or group foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency.

(iv) Children with special needs, irrespective of the age, who do not get a family either in in-country adoption or in inter-country adoption within a period of one year after they are declared legally free for adoption by Child Welfare Committee, such children to be eligible to be placed in family foster care or group foster care, as the case may be, by the Committee on the recommendation of District Child Protection Unit or Specialised Adoption Agency, provided the Home Study Report of the foster family supports their fitness and group setting has facilities for care of such children.

(v) Where the child has remained with a foster family by an order of the Committee, under the circumstances mentioned in the clause (ii), (iii) and (iv) of sub-rule (1) of rule 44 for a minimum of five years other than in preadoption foster care, the foster family may apply for adoption and shall be given preference to adopt the child after the child has been declared legally free for adoption and after registering in Child Adoption Resource Information and Guidance System and according to procedures laid down in Adoption Regulations.

(2) The State Government may develop a guideline either by itself or adopt a guideline issued by the Central Government, as the case may be, for implementing the programme of Foster Care of children in the State, as per the Act and the rules hereunder.

45. Procedure before the Court.- (1) The procedure for obtaining an Adoption Order from the court concerned would be as provided in Adoption Regulations.

(2) The Court, for the purpose of an application for adoption order, shall not be bound by the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and Evidence Act, 1872. The procedure, as laid down in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and Adoption Regulations shall be followed.

46. **Period for disposal of applications.-** (1) The Court shall dispose of an application for making an adoption order within a period of two months from the date of filing of the application, as provided under sub-section (2) of section 61 of the Act and where the judge of the court concerned ordinarily exercising jurisdiction in such matters is not available for a period of more than one month, the applications shall be disposed of within stipulated time by other senior most judge.

(2) No information or Court order regarding adoption disclosing the identity of the child shall be uploaded on any portal except as may be stipulated in Adoption Regulations.

47. **Special provision for protection of adopted children.**-Any case of offence committed against adopted child shall be dealt as per the law applicable to any other child.

48. **Linkage of Child Care Institutions to Specialised Adoption Agencies.**-Linkage of Child Care Institutions with Specialized Adoption Agencies for the purpose of adoption shall be governed by the provisions of section 66 of the Act and Adoption Regulations.

49. **Additional Functions of the Authority.** *As notified under Rule 49 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 and as per the Adoption Regulations notified by the Central Government from time to time.

50. **Terms and conditions of appointment of Members of the Steering Committee of the Authority.-** *As notified under Rule 50 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 and as per the Adoption Regulations notified by the Central Government from time to time.

51. **Transaction of business of the Steering Committee of the Authority.-** *As notified under Rule 51 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 and as per the Adoption Regulations notified by the Central Government from time to time.

52. **Annual Report of the Authority.-** *As notified under Rule 52 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 and as per the Adoption Regulations notified by the Central Government from time to time.

53. **Accounts and audit of the Authority.-** *As notified under Rule 53 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Rules, 2016 and as per the Adoption Regulations notified by the Central Government from time to time.

CHAPTER VIII

OFFENCES AGAINST CHILDREN

54. **Procedure in cases of offences against children.-** (1) A complaint of an offence against a child may be made by child, family, guardian, friend or teacher of the child, childline services or child welfare police officer or any police official or any other individual or institutions or organisation concerned.

(2) On receipt of information in respect of a cognizable offence against a child, the police shall register a First Information Report (FIR) forthwith.

(3) On receipt of information of a non- cognizable offence against a child, the police shall make an entry in the Daily Diary which shall be transmitted to the Magistrate concerned forthwith who shall direct appropriate action under sub-section (2) of section 155 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(4) In all cases of offences against children, the investigation shall be conducted by the Child Welfare Police Officer.

(5) Where any offence under the Act is committed by any person employed by or managing a Child Care Institution including a Specialised Adoption Agency, the Committee or the Board as the case may be, may pass appropriate orders for placing the children already placed with the Child Care Institution or the Specialised Adoption Agency in any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency and recommending the cancellation of the registration and withdrawal of recognition of such institution or agency, if the management of such Child Care Institution including a Specialised Adoption Agency does not cooperate with any inquiry or comply with the orders of the Committee or the Board or Court or State Government, as the case may be.

(6) Where an FIR is registered against a person working with a Child Care Institution including Specialised Adoption Agency for any offence under the Act and the rules, such a person shall be debarred from working directly with the children during the pendency of the criminal case, and if proven guilty shall be dismissed from the service.

(7) Where a person has been dismissed from service or is convicted of an offence under the Act and the rules, he shall stand disqualified from any further appointment.

(8) In no case a child shall be placed in a police lock-up or lodged in a jail.

(9) The child and his family shall be provided access to paralegal volunteers under the District Legal Service Authority.

(10) An immediate need assessment of the child will be conducted by the Probation Officer or the Child Welfare Officer or Case Worker or Social Worker in terms of the need for food, clothing, emergency medical care, counselling, psychological support and the same shall be immediately extended to the child.

(11) Where a child has been subjected to sexual abuse, the child may be referred to the nearest District Hospital or One-Stop Crisis Centre, as the case may be, if locally available, and shall be extended all kinds of support and assistance including psychological and legal assistance, as specified under the rules and guideline framed under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(12) Special children's rooms may be designated in every Court Complex with facility for separate space for children waiting and children who are giving their statement or interview; separate entrances, wherever feasible; video-conferencing facilities for interacting with children, wherever possible; provision for entertainment for children such as books, games, etc. Statements and interviews, other than during trial of children who are, victims, or witnesses, shall be recorded through child friendly procedure in a children's room.

(13) The statement or the interview of the victim/ witness child shall be conducted while ensuring the following conditions:

- (i) The Magistrate shall record the statement of the child under section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973 in the Children's room or, if possible in the child's place of residence including, home or institution where he or she is residing.
- (ii) The statement shall be recorded verbatim as spoken by the child.
- (iii) The statement may also be recorded by audio-visual means as per the provisions of sub-section (1) of section 164 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(iv) The child may be accompanied by parent or guardian or social worker or counsellor or any person who the child trusts.

(14) The Legal Services Authority may provide a support person or para legal volunteer for pre-trial counselling and to accompany the child for recording of the statement who shall also familiarize the child with the Court and Court environment in advance, and where the child is found to have been disturbed by the experience of coming to the Court, orders for video-conferencing may be passed by the Court, on an application moved by the support person or para-legal volunteer or by the Legal Services Authority, on behalf of the child.

(15) If the child victim or witness does not belong to the District or State or Country, the statement or interview or deposition of the child may also be recorded through video conferencing.

(16) Where video-conferencing is not possible, all necessary accommodation, travel expenses for the child and a guardian or the support person accompanying the child will be provided as per actuals by the State Government.

(17) Separate rooms for child witnesses may be designated in every Court Complex to record the evidence of child witnesses.

(18) During a trial involving children, as far as possible, the following norms may be followed to ensure a child-friendly atmosphere:

(i) Parents or guardian(s) shall accompany the child at all times (only if it is in the best interest of the child). If the said person has a conflict of interest, another person of the child's choice, or fit person, or representative of the fit institution identified, or psychologist appointed by the Committee or Court, shall accompany the child at all times, on approval of the Court.

(ii) Psychological counselling may also be provided to the child wherever necessary.

(iii) In a situation where parents or guardians may have been involved in the commission of the crime, or where the child is living in a place where the child is at risk of further trauma, and the same is brought to the notice of the Court, or the Court on its own motion shall direct the child to be taken out of the custody or care, or out of such situation and the child should be immediately produced before the Committee.

(iv) For the age determination of the victim, in relation to offences against children under the Act, the same procedures mandated for the Board and the Committee under section 94 of the Act to be followed.

(v) The language(s) used to be familiar to the child and if needed translators and special educators to be made available.

(vi) Before the statement of the child is recorded, the Court to ensure that the child is capable of making a voluntary statement.

(vii) No statement of the child to be disregarded as evidence in the trial solely on the basis of the age of the child.

(viii) Images or statements admissible in the interview of the child not to be detrimental to the mental or physical well- being of the child.

(ix) Length and questions admissible at the interview not to be taxing and to be suitable to the attention span of the child.

(x) In case of young children, or otherwise incapacitated child, alternative methods of interaction and evidence collection that is less intimidating to be adopted.

(xi) The Court to ensure that at no stage during trial, the child comes face to face with the accused.

(xii) Special permission from school and arrangement for remedial classes for days lost to be ensured by the school authorities.

(19) The child may be represented, as the case may be, by:

(i) a lawyer of his choice, or,

(ii) public prosecutor, or,

(iii) a lawyer designated or empanelled by the Legal Services Authority.

(20) All functionaries of the Court and others concerned may be sensitised on the special needs of children and child rights.

(21) After the process of trial:

(i) The child or guardian should be informed of the decision of the judicial proceeding and its implication.

(ii) The child or guardian should be made aware of his legal options.

(22) Notwithstanding anything mentioned in the rules hereunder related to the quantum of punishment for offences committed under the Act, such punishment which is greater in degree under any central or special or local law, as the case may be, shall prevail, as per Section 88 of the Act.

55. **Procedure in case of offence under section 75 of the Act.-** (1) For the purposes of section 75 of the Act and this rule, giving a child in marriage shall be considered as cruelty to the child. On receipt of information of risk of a child being given in marriage, the police or any officer authorised under the Act or under the Prohibition of Child Marriage Act,2006 (6 of 2007), shall produce the child before the Committee for appropriate directions and rehabilitative measures.

(2) Where an act of cruelty to a child takes place in a Child Care Institution, or a school, or in any other place of care and protection to the child, considering the best interest of the child, the Board or the Committee or the Children's Court after consultation with the child and or parents or guardians shall provide alternate arrangements or if required alternative appropriate rehabilitation for the child.

(3) A child covered under the Act requiring immediate medical attention shall be provided with required medical care and treatment by a hospital or clinic or facility upon a direction of the Board or the Committee made in this regard, free of cost. A failure to respond immediately resulting in serious injury, irreversible damage or threat to life or death shall be deemed to be wilful neglect of the child and shall tantamount to cruelty under section 75 of the Act on the direction of the Board or the Committee after a detailed inquiry.

56. **Procedure in case of offence under section 77 of the Act.**-(1) Whenever a child is found to be under the influence of, or in possession of intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products, including for the purpose of sale, the police shall enquire as to how the child came under the influence of, or possession of such intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products and shall register an FIR forthwith.

(2) The child who has been administered narcotic drugs or psychotropic substances or is found under the influence of the same may be produced either before the Board or the Committee as the case may be, and the Board or the Committee shall pass appropriate orders regarding de-addiction and rehabilitation of the child.

(3) In case of a child found to be addicted to intoxicating liquor or tobacco products, the child shall be produced before the Committee which shall pass directions for rehabilitation including de-addiction of the child and transfer the child to a fit facility identified for the purpose.

(4) In case any child is found to have been administered intoxicating liquor or narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products in a Child Care Institution, the child shall be produced immediately before the Board or the Committee, except in such cases where the child is not in a position to be produced before the Board or the Committee and requires immediate medical attention.

(5) The Board, shall on its own or on complaint received from the Committee, issue directions to the police to register an FIR immediately.

(6) The Board or the Committee shall also issue appropriate directions for inquiry as to the circumstances in which such product entered the Child Care Institution and reached the child and shall recommend appropriate action against the erring officials and the Child Care Institution. Such inquiry shall be completed within fifteen days of the direction being issued.

(7) The Board or the Committee may also issue directions for transfer of the child to another Child Care Institution as the case may be.

(8) Any shop selling intoxicating liquor, tobacco products, must display a message at a prominent place on their shop that giving or selling intoxicating liquor or tobacco products to a child is a punishable crime with upto seven years of rigorous imprisonment and a fine of upto one lakh rupees.

(9) All tobacco products and intoxicating liquor must display a message that giving or selling intoxicating liquor or tobacco products to a child is a punishable crime with upto seven years of rigorous imprisonment and a fine of upto one lakh rupees.

(10) Giving or selling of intoxicating liquor, narcotic drugs or psychotropic substances or tobacco products within 200 meters of a Child Care Institution or any other home registered or recognised under the Act, or the office of a Committee or a Board shall be deemed to be an offence under section 77 of the Act.

57. **Procedure in case of offence under section 78 of the Act.-** (1) Whenever a child is found to be vending, carrying, supplying or smuggling an intoxicating liquor, narcotic drug, or psychotropic substance, the police shall enquire how and from whom the child came into possession of the intoxicating liquor, narcotic drug, or psychotropic substance and shall register an FIR forthwith.

(2) A child who is alleged to have committed an offence under section 78 of the Act shall be produced before the Board, which may transfer the child to the Committee, if the child is also in need of care and protection.

58. **Procedure in case of offence under section 80 of the Act.-**(1) Where any orphan, abandoned or surrendered child, is offered or given or received for the purpose of adoption without following the procedures as provided in the Act and the rules, the police shall, suomotu, or on receipt of information in that regard register an FIR forthwith.

(2) A child who has been so offered, given or received for the purpose of adoption shall be produced before the Committee forthwith which shall pass appropriate directions for rehabilitation of the child, including placing such child in a Specialised Adoption Agency.

(3) Wherever any offence under section 80 of the Act is committed by a recognised Specialised Adoption Agency or by a person associated with such an agency, the Committee may also pass appropriate orders for placing the other children placed with the Specialised Adoption Agency in any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency.

59. **Procedure in case of offence under section 81 of the Act.-** (1) On receipt of information about the selling or buying of a child, the police shall register an FIR forthwith.

(2) Giving or agreeing to give, receiving or agreeing to receive any payment or reward in consideration of adoption, except as permitted under the adoption regulations framed by the Authority, towards the adoption fees or service charge or child care corpus by any prospective adoptive parent(s) or parent or guardian of the child or the Specialised Adoption Agency shall amount to an offence under section 81 of the Act and this rule.

(3) A child, who has been subjected to buying or selling, shall be produced before the Committee forthwith, which shall pass appropriate orders for the rehabilitation of the child.

(4) Where any offence under section 81 of the Act is committed by a parent or a guardian of the child or any other person having actual charge or custody of the child, the Committee shall pass appropriate orders for placing the child in a Child Care Institution or fit institution or with a fit person, as the case may be.

(5) Where any offence under section 81 of the Act is committed by a Child Care Institution including Specialised Adoption Agency or by a hospital or nursing home or maternity home, or a person associated with such an institution or agency, the Committee may also pass appropriate orders for placing the other children placed with such Child Care Institution or Specialised Adoption Agency or hospital or nursing home or maternity home in any other Child Care Institution or Specialised Adoption Agency or hospital or nursing home or maternity home, as the case may be.

(6) The Committee shall recommend to the State Government that the registration or recognition of such agency or institution or the registration or license of such a hospital or nursing home or maternity home or such associated person under any law for the time being in force shall also be withdrawn.

60. **Procedure in case of offence under section 82 of the Act.-** (1) A complaint of subjecting a child to corporal punishment under section 82 of the Act may be made by the child or any one on his behalf.

(2) Every Child Care Institution shall have a complaint box at a prominent place in the building to receive complaints of corporal punishment.

(3) The complaint box will be opened in the presence of a representative of the District Child Protection Unit once a month.

(4) All such complaints shall be forthwith presented before the Judicial Magistrate of First Class nearest to the Child Care Institution and copies thereof shall be forwarded to the Board or the Committee.

(5) The Judicial Magistrate shall get the case investigated by the Child Welfare Police Officer concerned and take appropriate measures on receipt of a complaint.

(6) The Board or the Committee may consider transferring the child to another Child Care Institution in the best interest of the child who has made the complaint or who has been subjected to corporal punishment.

(7) Where the Judicial Magistrate First Class finds that the management of the institution is not cooperating with the inquiry or complying with the orders of the court under sub-section (3) of section 82 of the Act, the Judicial Magistrate First Class will either take cognizance of the offence himself or direct the registration of FIR and proceed against the person in-charge of the management of the institution.

(8) Where the Board or the Committee or the State Government issues any directions to the management of the institution in respect of any incident of corporal punishment in the child care institution, the management shall comply with the same.

(9) In the event of non-compliance, the Board on its own or on the complaint of the Committee or the State Government shall direct the registration of an FIR under sub-section (3) of section 82 of the Act.

(10) Where a person has been dismissed from service or debarred from working directly with children or is convicted of an offence of subjecting a child to corporal punishment under sub-section (2) of section 82 of the Act, he shall stand disqualified from any further appointment under the Act and the rules.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

61. Duties of the Person-in-charge of a Child Care Institution.- (1) The primary responsibility of the Person-in-charge is of maintaining the Child Care Institution and of providing quality care and protection to the children.

(2) The Person-in-charge shall stay within the premises to be readily available as and when required by the children or the staff and in case where an accommodation is not available in the premises, he shall stay at a place in close proximity to the Child Care Institution till such time such accommodation is made available within the premises of the Child Care Institution.

(3) The general duties and functions of the Person-in-charge shall include, to:-

(i) ensure compliance with the provisions of the Act and the rules and orders made thereunder;

(ii) ensure compliance with the orders of the Board or the Committee or the Children's Court;

(iii) provide homely and enabling atmosphere of love, affection, care and concern for children;

(iv) strive for the development and welfare of the children;

(v) supervise and monitor discipline and well-being of the children and the staff;

(vi) plan, implement and coordinate all activities, programmes and operations, including training and treatment programmes or correctional activities as the case may be;

(vii) segregate a child suffering from contagious or infectious diseases on the advice of the medical officer of the institution or a doctor under whom the child's treatment is going on;

(viii) segregate a child wherever required;

(ix) ensure observance and follow-up of daily routine activities;

(x) organize local and national festivals in the home;

(xi) organize trips or excursions or picnics for children;

(xii) send a list of children in **Form 40** in the Child Care Institution to the Board or the Committee, as the case may be, every week and bring to the notice of the Board or the Committee, if no date is given for the production of any child before the Board or the Committee;

(xiii) allocate duties to personnel;

(xiv) maintain standards of care in the Child Care Institution;

(xv) ensure proper storage and inspection of food stuffs as well as food served;

(xvi) maintain the buildings and premises of the Child Care Institution;

(xvii) maintain proper hygiene in the home including cleanliness of water tanks and water storage facilities at regular intervals;

(xviii) provide accident and fire preventive measures, disaster management within the premises and also keep first aid kit and update it from time to time;

(xix) make stand-by arrangements for water storage, power back-up, inverters, generators;

(xx) ensure careful handling, upkeep and maintenance of equipments;

(xxi) employ appropriate security measures;

(xxii) conduct periodical inspections, including daily inspection and rounds of the Child Care Institution;

(xxiii) take prompt action to meet emergencies;

(xxiv) ensure prompt, firm and considerate handling of all disciplinary matters;

(xxv) ensure proper and timely maintenance of the case files;

(xxvi) maintain all records and registers required under the Act and these rules including those prescribed by State Government from time;

(xxvii) prepare the budget and maintain control over financial matters;

(xxviii) organise the meetings of the Management Committee set up under **rule 39** of these rules and provide necessary support;

(xxix) ensure monthly verification of all records and registers by the Management Committee set up under **rule 39** of the rules;

(xxx) mobilise resources for improvement of services within Child Care Institution by liasing and networking with local organisations and individuals;

(xxxi) liaise, co-ordinate and co-operate with the State Child Protection Society and the District Child Protection Unit as and when required;

(xxxii) co-ordinate with the Legal cum Probation Officer in the District Child Protection Unit or the District or State Legal Services Authority to ensure that every child is legally represented and provided free legal aid and other necessary support;

(xxxiii) ensure the production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court on the date of such production and to ensure that the dates for the said purpose are recorded;

(4) The Person-in-charge shall inspect the Child Care Institution including the unit for children with special needs as often as possible but not less than twice a day. He shall make a record of the timings of his inspection and also note his observations in a separate book maintained for the purpose, especially with regard to:

(i) maintenance of hygiene and sanitation including personal hygiene of children and hygienic maintenance of toilets,

(ii) maintenance of order,

(iii) quality and quantity of food,

(iv) hygienic maintenance of food articles and other supplies,

(v) hygiene in the medical centre and provisions for medical care,

(vi) behaviour of the children and staff,

(vii) security arrangements, and

(viii) maintenance of files, registers and books.

(ix) act as child's guardian in matters related to child's enrolment or admission in formal school or open school or any institute of vocational training, in cases where child's biological parents or legal guardian is not available.

(5) Anything irregular that comes to the notice of the Person-in-charge shall be enquired into and resolved and the date, time and nature of the action taken shall be noted in the book.

(6) Where a problem of urgent nature has not been resolved within two working days, the Board or the Committee or the District Child Protection Unit shall be informed.

(7) In case the Person-in-charge is on leave or otherwise not available, the duties of the Person-incharge shall be performed by the Child Welfare Officer as designated by the Person-in-charge.

62. Duties of the Child Welfare Officer or Case Worker.- (1) Every Child Welfare Officer or Case Worker in the Child Care Institution shall carry out all directions given by the Board or the Committee or the Children's Court.

(2) The Child Welfare Officer or Case Worker shall establish linkages with voluntary workers, organisations and Child Protection Committees constituted at local level by the order of the State Government to facilitate rehabilitation and social re-integration of the children and to ensure the necessary follow up.

(3) The Child Welfare Officer or Case Worker available in the Child Care Institution at the time of receiving a child shall interact with the child received with a view to put the child at ease and befriend him and shall supervise the process of receiving of the child.

(4) On receipt of information from the police or Child Welfare Police Officer or on arrival of a child in the Child Care Institution, the Child Welfare Officer or Case Worker shall forthwith conduct social investigation of the child through personal interviews with the child and his family members, social agencies and other sources, inquire into antecedents and family history of the child and collect such other material as may be relevant, and submit the Social Investigation Report to the Board **(Form No. 6)** or the Committee **(Form No. 22)** or the Children's Court **(Form No. 6)**, within fifteen days.

(5) All the children in the Child Care Institution shall be assigned to a Child Welfare Officer or Case Worker and such Child Welfare Officer or Case Worker shall be responsible for the child assigned to him in all respects viz. care and development of the child, reporting to the Board or the Committee or the Children's Court about the child or maintaining the child's record in the Child Care Institution.

(6) Upon assignment of the child to a Child Welfare Officer or Case Worker, the Child Welfare Officer or Case Worker shall:

(i) Prepare the case file of the child;

(ii) Prepare the case history of the child;

(iii) Maintain the Protective Custody Card;

(iv) Prepare and maintain the medical record of the child and ensure that the treatment of the child is not interrupted or neglected;

(v) Meet the child every day to ensure his safety, welfare and development; assist the child to adjust to the life in the Child Care Institution. A newly received child shall be met more often than once a day;

(vi) Gather information about the child within the initial five days to ascertain the child's education, vocational status and aptitude and emotional status;

(vii) Have the necessary medical or mental tests, assessments and examinations of the child conducted;

(viii) Study the reports and prepare in consultation with the child and his family members, an individual care plan for the child in **Form 7** for the period pending inquiry, to be placed in the case file of the child. The Child Welfare Officer or Case Worker may consult the counsellor, psychologist or doctor or such other person as he deems fit in this regard and shall update the case file accordingly;

(ix) In keeping with the individual care plan, a daily routine shall be developed for the child and explained to him;

(x) Ensure that the child adheres to the routine activities so developed and take timely reports from the House Father or House Mother, as the case may be, or any caregiver in this respect;

(xi) Review periodically the implementation and effectiveness of the individual care plan and if necessary, suitably modify the individual care plan in **Form 7** and/or the routine activities of the child with the approval of the Management Committee;

(xii) Resolve the problems of the child and deal compassionately with their difficulties in life in the Home;

(xiii) Participate in the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes in respect of the child and attend parent teacher meetings in schools in respect of children assigned to them;

(xiv) Attend proceedings of the Board or the Committee or the Children's Court and furnish all information and file all reports that may be called for;

(xv) On receiving the copy of the order of declaration of age, to make the necessary changes in the record as regards the age of the child if any change is required and to place the copy of the said order in the case file of the child;

(xvi) Participate in the pre-release programme and help the child to establish contact which can provide emotional and social support to the child after the release;

(xvii) Maintain contact with the children after their release through follow up at least once a month for the first six months post release, extend help and guidance to them and place the report of such follow-ups in the case file of the child;

(xviii) Visit regularly the residence of the child under their supervision and also places of employment or school attended by such child and submit fortnightly reports or as otherwise directed;

(xix) Accompany the child wherever possible from the Board or the Committee or the Children's Court to Child Care Institution as the case may be;

(xx) Maintain record of the next date of production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court or for medical treatment and ensure the production of the child before the Board or the Committee or the Children's Court or for medical treatment on the said date;

(xxi) Maintain the registers as may be specified from time to time;

(xxii) Any other duty assigned by the Person-in-charge of the Child Care Institution.

(7) The Child Welfare Officer or Case Worker who has been assigned the duty of verifying the daily cleaning in the premises of Child Care Institution shall do so twice a day, one after the morning cleaning and the other after the evening cleaning. The Child Welfare Officer or Case Worker shall make a note of the same in the House-keeping register.

(ii) The Child Welfare Officer or Case Worker who has been assigned the duty of verifying the daily cooking shall make a note of the same in the Meals Register, in respect of every meal.

63. Duties of the House Mother or House Father.- (1) Every house father or house mother shall abide by the directions of the Person-in-charge.

(2) The general duties, functions and responsibilities of a house father or house mother shall be as follows:

(i) handle every child in the Child Care Institution with love and affection;

(ii) take proper care of the child and ensure his welfare;

(iii) provide each child upon his reception with all necessary supplies like clothing, toiletries and such other items required for daily usage.;

(iv) replenish the provisions or supplies as per scale and need of the child;

(v) maintain discipline among the children;

(vi) prevent bullying and any kind of abuse on younger children by older children;

(vii) ensure that the children maintain personal cleanliness and hygiene;

(viii) look after maintenance, sanitation and maintain hygienic surroundings;

(ix) implement the daily routine of every child in an effective manner and ensure the participation of the children;

(x) ensure in cases of children who are undergoing treatment that they take medicines as prescribed by the medical officer or the doctor;

(xi) immediately report to the counsellor or doctor, as the case may be, of any noticeable change in child's behavioural pattern or symptoms indicative of any abuse or assault or disease found on child's body;

(xii) look after safety and security arrangements in the Child Care Institution;

(xiii) escort the children whenever they go out of the Child Care Institution for purposes other than production before the Board or the Committee or the Children's Court;

(xiv) report to the Person-in-charge and to the Child Welfare Officer about the child assigned to the Child Welfare Officer;

(xv) maintain the registers, relevant to their duties; and

(xvi) any other duty as may be assigned by the Person-in-charge of the Child Care Institution.

64. **Duties of a Probation Officer.**- (1) On receipt of information from the Police or Child Welfare Police Officer under clause (ii) of sub-section (1) of section 13 of the Act, without waiting for any formal order from the Board or the Children's Court, the Probation Officer shall inquire into the circumstances of the child as may have bearing on the inquiry by the Board or the Children's Court and submit a social investigation report in **Form 6** to the Board.

(2) The social investigation report should provide for risk assessment, including aggravating and mitigating factors highlighting the circumstances which induced vulnerability such as traffickers or abusers being in the neighbourhood, adult gangs, drug users, accessibility to weapons and drugs, exposure to age inappropriate behaviours, information and material.

(3) The Probation Officer shall carry out the directions given by the Board and shall have the following duties, functions and responsibilities:

(i) To conduct social investigation of the child in **Form 6**;

(ii) To attend the proceedings of the Board and the Children's Court and to submit reports as and when required;

(iii) To clarify the problems of the child and deal with their difficulties in institutional life;

(iv) To participate in the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes;

(v) To establish co-operation and understanding between the child and the Person- in-charge;

(vi) To assist the child to develop contacts with family and also provide assistance to family members;

(vii) To participate in the pre-release programme and help the child to establish contacts which could provide emotional and social support to the child after release;

(viii) To establish linkages with Probation Officers in other Districts and States for obtaining social investigation report, supervision and follow-up.

(ix) To establish linkages with voluntary workers and organisations to facilitate rehabilitation and social reintegration of children and to ensure the necessary follow-up;

(x) Regular post release follow-up of the child extending help and guidance, enabling and facilitating their return to social mainstreaming;

(xi) To prepare the individual care plan and post release plan for the child;

(xii) To supervise children placed on probation as per the individual care plan;

(xiii) To make regular visits to the residence of the child under his supervision and places of employment or school attended by such child and submit periodic reports as per **Form 10;**

(xiv) To accompany children where ever possible, from the office of the Board to the observation home, special home, place of safety or fit facility as the case may be;

(xv) To evaluate the progress of the children in place of safety periodically and prepare the report including psycho-social and forward the same to the Children's Court;

(xvi) To discharge the functions of a monitoring authority where so appointed by the Children's Court;

(xvii) To maintain a diary or register to record his day to day activities such as visits made by him, social investigation reports prepared by him, follow up done by him and supervision reports prepared by him;

(xviii) To identify alternatives of community services and to establish linkages with voluntary sector or Child Protection Committees constituted at local level by the order of the State Government for facilitating rehabilitation and social reintegration of children; and any other task as may be assigned.

(xix) Any other task as may be assigned.

65. Rehabilitation-cum-Placement Officer.- (1) A Rehabilitation-cum- Placement Officer shall be designated in all Child Care Institutions, including place of safety.

(2) The Rehabilitation-cum-Placement Officer may have a Masters Degree in Social Work or Human Resource Management and at least three years experience in the field of rehabilitation, employment creation and resource mobilisation.

(3) The Rehabilitation-cum- Placement Officer shall perform the following functions:

(i) Identify the skills and aptitude of the children placed in Child Care Institutions through appropriate mechanism and in consultation with the Child Welfare Officer, Case Worker, Counsellor and Vocational instructor;

(ii) Identify and develop linkages with all such agencies that offer vocational or skill development training services with job placement at the end of the course;

(iii) Network with persons, corporates, recognised non-governmental organisations and other funding agencies to mobilise resources for sponsoring training program and support for self-employment;

(iv) Facilitate and coordinate with agencies, individuals, corporates, recognised non-governmental organisations and other funding agencies to set up vocational training units or workshops in Child Care Institutions as per age, aptitude, interest and ability;

(v) Mobilise voluntary vocational instructors who render services to carry out the training sessions in the Child Care Institutions;

(vi) Inculcate entrepreneurial skills and facilitate financial and marketing support for self-employment;

(vii) Prepare rehabilitation plans keeping in mind the nature of the offence and the personality traits of the child;

(viii) Maintain the Rehabilitation Card in **Form 14** and monitor the progress made by the child on regular basis and submit such progress reports to the Management Committee;

(ix) Facilitate the child to get certificates on completion of the education or vocational training courses;

(x) Make efforts for ensuring effective placement of each eligible and trained child;

(xi) Organise workshops on Rehabilitation programmes and services available under Central and State Government Schemes, spread awareness and facilitate access to such schemes and services;

(xii) Organise workshops on personality development, life skill development, coping skills and stress management and other soft skills to encourage the child to become a productive and responsible citizen; and

(xiii) Conduct regular visits to the agencies where the children are placed to monitor their progress and provide any other assistance as may be required.

(xiv) Maintain and update records of children's progress regarding vocational training and placement.

66. **Staff Discipline.**- (1) Any dereliction of duty, violation of rules and orders shall be viewed seriously and strict disciplinary action shall be taken or recommended by the Person-in-charge against the erring officials.

(2) No staff of the Child Care Institution shall be present at an unauthorised location within the Child Care Institution.

(3) No staff of the Child Care Institution shall bring any prohibited article into the Institution.

(4) No staff of the Child Care Institution shall consume any addictive substances like liquor, bidi, cigarette, tobacco or any other psychotropic substance within the premises of the Child Care Institution, whether on duty at the relevant time or not or shall report for duty under the influence of any intoxicating substance.

(5) No staff of the Child Care Institution shall sell or let for gain any article to any child or have any business dealings with such child or his parent or guardian.

(6) No staff of the Child Care Institution shall use any abusive or vulgar language or discuss age inappropriate topics or watch pornographic material or read obscene literature in the premises of the Child Care Institution.

(7) Every staff shall abide by the Child Protection Policy for Child Care Institutions as prescribed by the State Government.

67. **Security measures.**- (1) Adequate number of security personnel shall be engaged in every Child Care Institution keeping in mind the category of children housed in the Child Care Institution, age group of children and the purpose of the Child Care Institution and the risk factor to and from the child.

(2) While engaging security personnel, preference shall be given to ex-servicemen recruited through the Directorate General of Resettlement or agencies recommended by them.

(3) In Child Care Institutions housing girls, female security guards would be provided for the security inside the Child Care Institution and male security guards may be engaged for the security of the Child Care Institution from outside.

(4) Security personnel should also be available in reserve for any emergency situation.

(5) The Person-in-charge shall ensure that appropriate security measures are employed at all times, including the following:

(i) There shall be sufficient number of guards at all times in different shifts to be posted at the points to be identified by the Person-in-charge in consultation with security in-charge and the Department responsible for deployment of guards.

(ii) Any child, who complains of a medical problem or any other problem at night, shall report to the caregiver concerned. The caregiver shall take such necessary steps as may be required and in case of emergency shall inform the medical officer concerned or the Person-in-charge as the need may be, who shall immediately take appropriate steps.

(iii) A duty roster shall be prepared and displayed at some prominent place in the premises of the Child Care Institution by the Person-in-charge.

(6) Every caregiver or other staff of the Home, if he comes to know of any incident or probability of unrest amongst the children, shall bring the same to the notice of the Person-in-charge without any loss of time, who shall take necessary steps as the situation demands and shall inform the Board or the Committee of such information or incident as well as the steps taken by him, in writing.

(7) The Person-in-charge shall make surprise visits to the Child Care Institution during the night as frequently as possible, but not less than once a week. He shall make a record of the timings of his visit and also note his observations in the register maintained by him in that regard.

(8) In a case of disturbance outside the Child Care Institution, the shift in-charge shall immediately inform the police station concerned.

(9) In a case of violence or disturbance inside the Child Care Institution, the shift in-charge shall take assistance of the police with the permission of the Person-in-charge. The shift in-charge shall first issue a warning to the children.

(10) In case of a natural disaster or fire or any such calamity, the shift in-charge shall take suitable steps for evacuation and safety of the children as per the Disaster Management Protocol as developed by the State Disaster Management Authority for Child Care Institutions.

(11) To prepare the officers, children and guards to follow the above steps, a practice drill shall be held once a month, without previous notice by the Person-in-charge.

(12) Closed Circuit Television cameras may be installed at all key points such as all entry and exit points to the Child Care Institution, reception, corridors, kitchen, pantry or store room, dormitories, entry and exit points of the washrooms with due regard to the privacy and dignity of the children.

(13) Adequate number of scanners and metal detectors may be provided in every Child Care Institution.

68. **Searches and Seizures.-** (1) The Person-in-charge or other authorised functionary of the Home may conduct searches if required, and seize prohibited articles, if found.

(2) The procedure in case of seizures shall be as under:

(i) any prohibited article, as mentioned in sub-rule (1) of rule 70, found during the search, shall be seized by the Person-in-charge and a list of such seizure prepared;

(ii) in case of arms, weapons, articles capable of being used as weapons or tools for criminal activities or addictive substances being found from a child or dormitory, the Person-in-charge shall conduct an inquiry to ascertain the presence of such articles and the persons responsible for such act;

(iii) the Person-in-charge shall furnish his report in this respect to the police and inform the Board or the Committee at the earliest;

(iv) the Board may initiate appropriate action upon such report or on the report forwarded by the Committee for disposal of the seized articles;

(v) the State Government shall take appropriate action against the person responsible, if such person is an officer of the Child Care Institution or against the agency through whom the said person has been engaged or the Child Care Institution;

(vi) the child responsible shall be dealt with in accordance with the Act and the rules made thereunder.

(3) All the articles seized shall be destroyed or disposed of having regard to the nature of the articles, on the orders of the competent court, after being satisfied that the seized articles are not required in any inquiry or departmental action against any officer or in any criminal investigation and proceedings.

69. Institutional Management of Children.-

A. (1) Every child shall be received by the Person-in-charge of the Child Care Institution or such other official duly authorised by the Person-in-charge to receive a child, referred to as the Receiving Officer.

(2) The Receiving Officer shall satisfy himself as regards the identity of the child and in case of any doubt, the Receiving Officer shall promptly inform the Person-in-charge who shall forthwith inform the Board or the Committee and produce the child before the Board or the Committee without any delay.

B. Types of Stay at the Child Care Institution.- (1) In case of children in conflict with law, there are three types of stay of children at the Child Care Institution:

(i) protective custody;

(ii) overnight protective stay;

(iii) rehabilitation stay.

(2) In case of children in need of care and protection, there are two types of stay of children at the Child Care Institution:

(i) overnight protective stay;

(ii) rehabilitation stay.

C. Protective Custody.- (1) A Protective Custody Card in **Form 41** duly signed by the Board or a custody warrant duly signed by the Children's Court is required for such stay.

(2) Duration of such stay shall be as directed by the Board or the Children's Court and as extended from time to time by them.

(3) Such a stay shall be during the pendency of the inquiry.

D. Overnight Protective Stay.- (1) The purpose of the stay is to provide shelter to the child and prevent his being kept overnight at the police station or at any other unsuitable place by providing an alternative.

(2) Such stay may be only after 18:00 hrs in the evening and till10:00 hrs on the following day.

(3) A child shall be permitted to stay at the Child Care Institution for one night on an application seeking overnight protective stay of the child moved by the Child Welfare Police Officer in writing to the Receiving Officer. The application shall be accompanied with a copy of the relevant documents showing the circumstances in which the child was apprehended or found and the medical condition of the child.

(4) Upon being satisfied about the identity of the child, the child may be received by the Receiving Officer and **Form 42** shall be filled in triplicate. One copy of the form shall be retained as record of the Child Care Institution, one copy shall be handed over to the Child Welfare Police Officer and the third copy shall be forwarded to the Board or the Committee concerned for their record.

(5) The child shall be handed over to the charge of the Child Welfare Police Officer the next day at the time stated in the form under receipt by the said Child Welfare Police Officer in the copy of the form.

(6) In case of the Child Welfare Police Officer not taking the charge of the child at the designated time, the child shall be produced before the Board concerned or the Committee by the Person-in-charge of the Child Care Institution with a report stating such fact.

(7) The particulars of the child shall be entered in the admission and discharge register, noting that the child has been received for overnight protective stay.

(8) The child shall be searched physically and all his personal belongings, if any that are found, shall be handed over to the Child Welfare Police Officer who has produced the child and who shall seize the articles and furnish a copy of such seizure to the Receiving Officer.

(9) The child shall be provided food to eat and drink, if the child is hungry, irrespective of the time of receiving such child.

(10) The child shall be placed for the night in the reception dormitory or the segregation unit as the case may be.

E. Rehabilitation Stay.- (1) A child may be sent to the Children's Home by the Committee for such a stay and to the special home or the place of safety by the Board or the Children's Court.

(2) The child shall be issued the Rehabilitation Card in **Form 14** which shall state the duration of stay of the child, unless the duration is shortened by a specific order in that respect by the Board or the Committee or the Children's Court.

F. Procedure to be adopted at the time of receiving the child.- (1) The Receiving Officer shall follow the following procedure at the time the child is received:

(i) a full personal description of the child shall be entered in the admission and discharge register. In case of rehabilitation stay, the date of release of the child shall also be noted;

(ii) the child shall be searched after explaining the requirements and the process, and with due regard to decency and dignity and all the personal belongings shall be dealt with as stated in **rule 72** of these rules. A girl child shall be searched only by a female member of the staff;

(iii) the child shall be provided food to eat and drink if the child is hungry, irrespective of the time of receiving such child;

(iv) the child shall be provided medical care in case of ill-health, injury, mental ailment, disease or addiction requiring immediate attention;

(v) the child shall be segregated in specially earmarked dormitory or ward or hospital in case he is suspected to be suffering from contagious or infectious disease requiring special care and caution;

(vi) the child shall be asked about any immediate and urgent needs like appearing in an examination or interview, contacting family members. A note of the same or of the fact that no such need is present shall be made by the Receiving Officer and put up before the Child Welfare Officer or Case Worker to whom the child is assigned. The said note shall be placed in the case file of the child.

(2) Every child received in the Child Care Institution shall be kept for the first fourteen days of his stay in the reception dormitory made specifically for the purpose or the segregation unit, so that the child adjust to the life in the Child Care Institution.

G. Procedure to be adopted after the child is received.- (1) The following procedure shall be adopted on the same day or the next day if the child is received in the night:

(i) photograph of the child shall be taken. One photograph shall be kept in the case file of the child and another shall be fixed on the index card with the particulars of the child. A copy shall be kept in an album serially numbered and a copy of the photograph shall be sent to the Board or the Committee as well as to the District Child Protection Unit and be uploaded on the designated portal set up for the purpose;

(ii) the child may have a bath and be provided fresh clothes. The caregiver shall issue the child toiletry items, new sets of clothes, bedding and other outfit and equipment as per **rule 30** of these rules, a list

of which shall be kept in his case file. The provisions will be replenished from time to time as per **rule 30** of these rules;

(iii) the Child Welfare Officer or Case Worker shall familiarise every newly admitted child with the Child Care Institution and its functioning, particularly in the following areas:-

(a) personal health, hygiene and sanitation;

(b) discipline of the Child Care Institution and code of behaviour;

(c) daily routine activities and peer interaction; and

(d) rights, responsibilities and obligations within the Child Care Institution.

(iv) the child shall be examined by the medical officer, who shall record the state of health of the child, and of any wound or mark on his person and any other observation which the medical officer thinks fit and a copy of which shall be placed in the medical record of the child;

(v) a Child Welfare Officer or Case Worker shall be assigned to the child by the Person-in-charge.

H. **Procedure to be adopted during the first fourteen days of receiving the child.**-(1) The assigned Child Welfare Officer or Case Worker shall interact with the child as often as possible.

(2) Within two days of the receipt of the child, if required, he may be examined by a panel of doctors to understand his physical, medical, psychological state and his state of addiction, if any, for assessment of his personality and requirements to assist in the rehabilitation plan to be prepared for him.

(3) The Child Welfare Officer or Case Worker assigned to the child shall also interact with the family members of the child, where available. A case history in **Form 43** shall be prepared and maintained in the case file of the child. Information for the same may be collected through all possible and available sources including the parents or guardians, home, school, friends, employer and community of the child.

(4) The Child Welfare Officer or Case Worker shall assess the educational level and vocational aptitude of the child on the basis of tests and interviews, conducted with the assistance of other technical staff. Necessary linkages, in this respect, shall be established with outside specialists and community based welfare agencies, psychologist, psychiatrist, child guidance clinic, hospital and other Government and nongovernmental organisations.

I. **Procedure to be adopted on the expiry of the first fourteen days.**- (1)The child shall be shifted to one of the regular dormitories and assigned a specific bed, cabinet and study table in that dormitory.

(2) Assignment of the dormitory shall be done on the basis of:

(i) age;

(ii) nature of offence committed by or against the child;

(iii) physical and mental status of the child;

(iv) children, requiring special care, shall be kept in a different dormitory.

(3) An individual care plan in **Form 7** of the child shall be prepared by the Child Welfare Officer or Case Worker on the basis of the child's case history, education and vocational aptitude. In case of rehabilitation stay, the care plan shall be formulated for the complete period of the stay and shall necessarily include any and all directions given by the Board or the Committee or the Children's Court towards the rehabilitation including bridge courses, formal, informal or continuing education.

(4) The Child Welfare Officer or Case Worker shall review the individual care plan and note his opinion in the rehabilitation card in **Form 14** on the basis of his own observations, interaction with the child and his teachers or instructors and the feedback received from the house father or house mother.

(5) The Child Welfare Officer or Case Worker shall also maintain a record of any difficulty faced by the child during his stay at the Child Care Institution with a note of the steps taken to resolve the difficulty.

(6) The Child Welfare Officer or Case Worker shall similarly keep a record of the complaints made by the child with regard to the facilities in the Child Care Institution with a note of the steps taken thereon.

(7) The individual care plan shall be reviewed every fortnight during the initial three months and thereafter, every month. A report of its effectiveness or inadequacy shall be prepared with reasons for such opinion.

J. Procedure to be adopted after three months.- (1) The progress of the child shall be examined, with specific reference to the aims and targets noted in the individual care plan for the child. The progress of the child shall be reviewed and noted in the rehabilitation card in **Form 14**.

(2) The quarterly progress report shall be placed before the Management Committee for perusal and consideration.

(3) After deliberation by the Management Committee, the individual care plan shall be appropriately modified. The routine of the child and the approach towards rehabilitation of the child shall also be suitably modified. Record of such modified care plan and daily routine shall be maintained in the case file of the child. The progress shall be reviewed and recorded in the rehabilitation card in **Form 14.**

K. Pre-release planning.- (1) A well-conceived programme of pre-release planning and follow up of cases discharged from Children's Homes, special homes and places of safety shall be organised in all institutions as per the directions of the Board or the Committee or the Children's Court.

(2) In the event of a child leaving the Child Care Institution without permission or committing an offence within the institution, the information shall be sent by the Person-in-charge to the police and the family, if known; and the detailed report of circumstances along with the efforts to trace the child if the child is missing, shall be sent to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be.

L. Daily Routine in the Child Care Institution.- (1) Every child shall obey the order of an officer of the Child Care Institution or house representative and shall remain under discipline.

(2) Every institution shall have a daily routine for the children in consultation with the Children's Committee, which shall be prominently displayed at various places within the institution.

(3) The daily routine shall include, inter alia, for a regulated and disciplined life, personal hygiene and cleanliness, physical exercise, yoga, educational classes, vocational training, organised recreation and games, moral education, group activities, prayer and community singing and special programmes for Sundays and holidays.

M. Behaviour of the Child.- (1) The children in the Child Care Institution will be oriented and trained to follow the rules and standards of good behaviour.

(2) Every unacceptable behaviour shall be taken note of by the Children's Committee and the child found in violation of rules may be made to give an explanation. The Children's Committee may recommend appropriate action to the Person-in-charge. A copy of the report containing the description of the incident and the action taken thereupon shall be submitted to the Board or the Committee or the Children's Court by the Person-in-charge within twenty-four hours. A copy of same shall also be placed before the Management Committee for planning a long term strategy for prevention of such incidents.

(3) A copy of the report shall be kept in the case file of the child concerned.

(4) The Person-in-charge may deal with the violation appropriately giving due consideration to the recommendation of the Children's Committee and the safety and dignity of the child.

(5) The Person-in-charge may seek the assistance of the counsellor or the Child Welfare Officer or Case Worker, any non-governmental organisation associated with the Child Care Institution in dealing with the situation.

(6) A child showing exceptionally good behaviour shall be considered for appropriate reward or benefits by the Person-in-charge and note of the same shall be placed in the case file of the child.

N. Manner of dealing with unacceptable behaviour.- (1) The action taken shall be commensurate with the nature and degree of violation and the age of the child and may be any of the following:

(i) formal warning;

(ii) assignment of house-keeping tasks;

(iii) imposition writing i.e. writing a number of times that he shall not repeat the behaviour; and

(iv) forfeiture of privileges viz. permission to watch television, permission to go for outdoor activity, sports and recreation and other preferred activity;

(2) No child shall be subject to corporal punishment or any mental harassment including humiliating behaviour affecting the dignity of the child.

O. Exceptional Good behaviour.- The following shall be considered good behaviour, namely:-

(i) following the rules of discipline and adhering to the routine, assessed over a period of a month;

(ii) preventing, any other child from indulging in any unacceptable behaviour or preventing violence;

(iii) preventing any mishap by raising an alarm, evacuating other children in case of disaster;

(iv) assisting any officer of the Child Care Institution in maintaining order. For the House representatives, in situations that may develop into an emergency, the behaviour before the sounding of the alarm would be considered;

(v) informing the Child Welfare Officer of any plan of creating unrest or of escape;

(vi) inform the Person-in-charge about any prohibited article or contraband;

(vii) helping another child to come out of his trauma;

(viii) performing exceptionally well in an examination in continuation of his studies, or vocational or rehabilitation courses;

(ix) positive and adaptive behaviour;

(x) any other good behaviour as found exceptional by the Person-in-charge.

P. Reward or Benefits for maintaining exceptional behaviour.- The rewards to a child, at such rates as may be fixed by the management of the institution from time to time, may be granted by the Person-in-charge as an encouragement for good work and good behaviour and at the time of release, the reward shall be handed over after obtaining a receipt from the parent or the guardian, who comes to take charge of the child or child himself.

70. Prohibited Articles.- (1) No person shall bring into the Child Care Institution the following prohibited articles, namely:-

(i) intoxicants of any description, psychotropic substances, liquor, ganja, bhang, opium, smack etc;

(ii) all explosives, poisonous substances, acid and chemicals, whether fluid or solid of whatever description;

(iii) all arms, ammunition and weapons, knives and cutting implements of every kind and articles which are capable of being used as a weapon of whatever description;

(iv) all obscene matter;

(v) string, rope, chains and all materials which are capable of being converted into string or rope or chains, of whatever description;

(vi) wood, bamboo, club, stick, ladder, bricks, stones and earth of every description;

(vii) playing cards or other implements for gambling;

(viii) tobacco items, pan masala or similar item;

(ix) medicine that has not been specifically prescribed;

(x) any other article specified in this behalf by the State Government by a general or special order.

(2) All bullion, metal, coin, jewellery, ornaments, currency notes, securities and articles of value of every description including electronic items such as mobile phone, digital camera, i-pad, etc,. shall be deposited in safe custody.

(3) The disposal of the prohibited articles shall be as per **rule 72** of these rules.

71. Articles found on search and inspection.- (1) The Person-in-charge shall ensure that every child received in the institution is searched, his personal belongings inspected and money or any valuables found with the child is kept in the safe custody of the Person-in-charge. In case of search of a female child, the search shall be carried out by female staff only. In every institution, a record of money, valuables and other articles found with a child shall be maintained in the "Personal Belongings Register" which shall contain a description of the articles.

(2) The entries made in the Personal Belongings Register, relating to each child, shall be read over to the child in the presence of a witness, whose signature shall be obtained in token of the correctness of such entries and it shall be countersigned by the Person-in-charge.

72. Disposal of articles.- (1) The money or valuables belonging to a child shall be disposed of in the following manner, namely:

(i) on receipt of a child in an institution, the Person-in-charge shall deposit the money belonging to the child in the bank account of the child;

(ii) the valuables, and other articles, if any, shall be kept in safe custody;

(iii) when such child is transferred from one institution to another, all his money, valuables and other articles, shall be transferred along with the child to the Person-in-charge of the institution to which he has been transferred together with a full and correct statement of the description thereof;

(iv) at the time of release of such child, all valuables and other articles kept in safe custody and the money deposited in the name of the child shall be handed over to the parent or guardian, as the case may be, with an entry made in this behalf in the register and signed by the parent or the guardian;

(v) when a child in an institution dies, the valuables and other articles left by the deceased and the money deposited in the name of the child shall be handed over by the Person-in-charge to the parent or guardian of the child;

(vi) a receipt shall be obtained from such person for having received such money, valuables and other articles; and

(vii) if no claimant appears within a period of six months from the date of death or escape of a child, the valuables and other articles and money deposited in the name of the child shall be disposed of as per the decision taken by Management Committee under **rule 39** of these rules.

73. Maintenance of case file.- (1) The case file of each child maintained in the Child Care Institution in safe custody shall be confidential.

(2) The case file shall be produced before the Board or the Committee or the Children's Court on every date of production of the child for perusal of the Board or the Committee or the Children's Court.

(3) The case file shall contain the following namely:

(i) report of the person or agency who produced the child before the Board or Committee including the report of the police;
(ii) copy of FIR or DD entry in case of offence committed by or against the child;
(iii) photo ID, including AADHAR Card/AADHAR Enrolment Number or Bank Account Number, if available;
(iv) order of assignment of the Case Worker or Child Welfare Officer;
(v) case history form;
(vi) report of any urgent need of the child;
(vii) reports of the Person-in-charge, Probation Officer or Child Welfare Officer, counsellor and caseworker;
(viii) the case file of the child maintained in any previous institution, if any;
(ix) report of the initial interaction with the child, information from family members, relatives, community, friends and miscellaneous information;
(x) source of further information about the child, his family etc.;
(xi) observation reports from staff members;
(xii) regular health status reports from Medical Officer, drug de-addiction progress reports, as the case may be;
(xiii) psycho-social profiling, regular counselling reports, any other mental health intervention report, wherever applicable;
(xiv) report of Intelligence Quotient (I.Q) testing, aptitude testing, cognitive assessment, educational or vocational tests, if conducted;
(xv) instructions regarding training and treatment programme and special precautions to be taken;
(xvi) copy of the personal belongings register;
(xvii) copy of order declaring the age of the child;
(xviii) leave and other privileges granted;
(xix) Rehabilitation Card;
(xx) quarterly progress report;
(xxi) individual care plan, including pre-release programme, post release plan and follow-up plan as prescribed and modifications therein;
(xxii) fortnightly and monthly report of the effectiveness of the care plan;
(xxiii) record of difficulties faced by the child and their resolution;
(xxiv) record of the complaints of the child and action taken on them;
(xxv) feedback given by the child;
(xxvi) leave of absence or release under supervision;
(xxvii) report about a visitor visiting the child being found to have objectionable or prohibited articles;
(xxviii) report of the child having such articles and action taken on the same;
(xxix) report of any unacceptable behaviour and outcome;
(xxx) report of any exceptional behaviour and outcome;
(xxxi) special achievements and violation of rules, if any;
(xxxii) note of the rewards or earnings of the child and receipt by the child or his parent or guardian;
(xxxiii) release or restoration order;
(xxxiv) Copy of ID proofs and other necessary documents brought by child's parent or guardian at the time of release;
(xxxv) escort order, if any;
(xxxvi) compliance report of release in case of children under rehabilitation intervention stay;
(xxxvii) report of the child not being released and compliance report of the directions issued on non-release of a child;
(xxxviii) follow-up reports;
(xxxix) annual photograph;
(xl) follow-up report of post release cases as per the direction of the Board or the Committee or the Children's Court;
(xli) copy of any other report called by the Board or the Committee or the Children's Court in respect of the child; and

(xlii) remarks, if any.

(2) The medical record of a child shall contain all reports and records of the child regarding the status of his physical and mental health, addiction status and treatment, etc.

(3) It shall be the responsibility of the Child Welfare Officer or Case Worker concerned to maintain the case file.

(4) All the case files maintained by the institutions may be computerised and the State Government may develop appropriate processes for the same.

74. Visits to and communication with children.- (1) Every child in the Child Care Institution may be permitted to have one meeting in a week with his relatives:

Provided that in special cases, where parents or guardians have travelled a long distance from another State or District, the Person-in-charge may allow the parents or guardians entry into the premises and a meeting with their children on other days on confirmation of their identity and they being reported not to have been involved in subjecting the child to abuse and exploitation.

(2) A newly received child shall be permitted to meet his parent or guardian or family member on their first visit on any day.

(3) No meeting shall be permitted with the parent or guardian or relatives where such visitors have been found to be involved in subjecting the child to violence, abuse and exploitation or carrying any prohibited articles, except with the express permission granted by the Board or the Committee or the Children's Court or when such meeting has been specifically directed by the counsellor of the child.

(4) Every child shall be allowed to write two letters in a week to his parent or guardian or to his relatives. Necessary stationary and postage for the letters shall be provided by the Person-in-charge.

(5) The Person-in-charge may peruse any letter written by or to the child and may for reasons to be noted in the case file of the child, refuse to deliver or issue the letter. A report of the same shall be prepared and placed before the Management Committee. A copy of the report shall be retained on the case file and another copy shall be sent to the Board or the Children's Court or the Committee.

(6) Every child shall be allowed to bring any written communication for the purpose of handing over to the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be, and be provided stationary, etc. for the same.

(7) The Person-in-charge may allow a child to speak with his parents or guardians on telephone once a week under supervision of the Child Welfare Officer or Case Worker or Probation Officer and record shall be duly maintained of such calls.

(8) Every person desiring to meet the child shall, before the meeting, disclose his name and address with proof, which shall be noted in the visitors register and signed by the visitor. Copy of the photo identity card containing the address and a photograph of the visitor to be taken before the meeting, shall be retained by the institution. If the visitor refuses to disclose his particulars, he shall be denied the meeting.

(9) The visitor shall, submit himself for a search at the main gate, female visitors shall be searched by female staff only.

(10) Every meeting shall take place in the presence of the Child Welfare Officer or Case Worker or Probation Officer of the Child Care Institution, who shall be responsible for any irregularity that occurs and who shall be so placed that he is able to see and to prevent any objectionable or prohibited article being passed between the parties.

(11) Every child shall be carefully searched before and after the meeting in the presence of visitor. The child should not be having anything with him before he goes for the meeting.

(12) If any objectionable or prohibited article is found in the search conducted before the meeting:

(i) the said article shall be seized;

(ii) the Person-in-charge shall conduct an inquiry to know the identity of the person(s) responsible for the article reaching the child;

(iii) if the person(s) responsible are from the staff of the Child Care Institution, appropriate action will be initiated against them; and

(iv) a detailed report of the inquiry and its result shall be forwarded to the Department and the Board or court of competent criminal jurisdiction.

(13) If any objectionable or prohibited article is found in the search conducted after the meeting:

(i) the article shall be seized;

(ii) in case of any illegal article being found warranting legal action, the article and the visitor shall be detained and the police informed. The visitor and such article shall be handed over to the police;

(iii) a report of such visitor shall be prepared and placed in the case file of the child;

(iv) a report of the incident shall be forwarded to the Board or court of competent criminal jurisdiction; and

(v) copy of the report shall be placed in the case file of the child.

(14) Any child who abuses the privilege of meeting shall be denied the same for such period as the Person-in-charge may direct. A report of the same shall be sent to the Board or the Committee or the Children's Court and a copy shall be retained in the case file of the child.

(15) Every child shall be entitled to communicate with his legal counsel provided that:

(i) the rules of search and seizure shall apply to all legal counsels also;

(ii) every such interview shall take place within the sight of a home official, though at a safe distance so as to be out of hearing;

(iii) the person wishing to have an interview with the child in the capacity of his advocate shall apply in writing, giving his name, address and enrolment number with a copy of a vakalatnama, duly attested by the Board or the Committee or the Children's Court;

(iv) any child who claims to have no counsel shall be permitted to meet the legal aid counsels who visit the Child Care Institution in the normal course.

75. Death of a Child.- (1) On the occurrence of any case of death or suicide of a child in a Child Care Institution, the procedure to be adopted shall be as under:

(i) The institution must ensure that an inquest and post-mortem examination is held at the earliest.

(ii) In case of natural death or death due to illness of a child, the Person-in-charge shall obtain a report of the Medical Officer stating the cause of death and a written intimation about the death shall be given immediately to the nearest Police Station, Board or Committee and the parents or guardians or relatives of the child.

(iii) Immediate information shall be given by the case-worker or Probation Officer or Child Welfare Officer to the Person-in-charge and the Medical Officer and the Person-in-charge shall immediately inform the nearest police station, Board or Committee and parents or guardians or relatives of the deceased child.

(iv) If a child dies within twenty-four hours of his admission to the Child Care Institution, the Person-in- charge of the Child Care Institution shall report the matter to the police and the District Medical Officer or the nearest Government hospital and the parents or guardians or relatives of such child without delay.

(v) The Person-in-charge and the Medical Officer of the Child Care Institution shall record the circumstances of the death of the child and send a report to the concerned Magistrate, the police, the Board or the Committee or the Children's Court and the District Medical Officer or the nearest Government hospital where the dead body of the child is sent for examination and determination of the cause of death and the person-in charge and the Medical Officer shall also record in writing their views on the cause of death, if any, and submit it to the concerned Magistrate and to the police.

(vi) The Person-in-charge and the Medical Officer at the Child Care Institution shall make themselves available for any inquiry initiated by the police or the Magistrate regarding the cause of death and other details regarding such child.

(vii) As soon as the inquest is over, the body of the child shall be handed over to the parent or guardian or relatives or, in the absence of any claimant, the last rites shall be performed under the supervision of the Person-in-charge of the Child Care Institution in accordance with the known religion of the child after retaining a photograph of the child for future reference.

76. Prevention of Abuse, Exploitation and Neglect of the Child.- (1) Every institution shall evolve a system of ensuring that there is no abuse, neglect and maltreatment and shall include the staff who is aware of what constitutes abuse, neglect and maltreatment, and their early indication and how to respond to these abuses.

(2) In the event of any physical, sexual or emotional abuse, including neglect of children in an institution by those responsible for care and protection, the following action shall be taken namely:

(i) the incidents of abuse and exploitation shall be reported by any staff member of the institution immediately to the Person-in-charge on receiving such information and if the Person-in-charge is alleged to have committed the abuse or exploitation, the incident shall be reported to the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society;

(ii) when an allegation of physical, sexual or emotional abuse comes to the knowledge of the Person-in-charge or the District Child Protection Unit or the State Child Protection Society, a report shall be placed before the Board or Committee, who in turn shall, order for special investigation;

(iii) the Board or Committee shall direct the local police station or Special Juvenile Police Unit to register a case, take due cognizance of such incidents and conduct necessary investigation;

(iv) the Board or Committee shall take necessary steps to ensure completion of inquiry and provide legal aid as well as counselling to the child victim;

(v) the Board or Committee shall transfer such a child to another institution or place of safety or fit person, as the case may be;

(vi) the Person-in-charge of the institution shall also inform the Chairperson of the Management Committee and place a copy of the report of the incident and subsequent action taken in its next meeting;

(vii) in the event of any other crime committed in respect of children in institutions, the Board or Committee shall take cognizance and arrange for necessary investigation to be carried out by the local police or Special Juvenile Police Unit;

(viii) the Board or Committee may consult Children's Committee setup in each institution to enquire into the fact of abuse and exploitation as well as seek assistance from voluntary organisations, child rights experts, mental health experts or crisis intervention centres in dealing with matters of abuse and exploitation of children in an institution.

77. Maintenance of Registers.- (1) The persons mentioned in column (3) shall maintain registers and forms under the Act and the rules made thereunder in column (2) whose custodian shall be the persons mentioned in column (4) thereof as under:

S. No. (1)	Register and forms (2)	To be maintained by (3)	Custodian (4)
1.	Admission and Discharge Register which will indicate change of nature of custody.	Child Welfare Officer/ Case Worker/Probation Officer /Receiving Officer	Person-in-charge
2.	Attendance Registers for staff and children.	Shift Incharge	Person-in-charge
3.	Budget Statement file.	Person-in-charge	Person-in-charge
4.	Case file of each child.	Child Welfare Officer/ Case Worker/Probation Officer	Person-in-charge
5.	Cash Book.	Accounts Officer/Cashier	Person-in-charge
6.	Children's Suggestion Book.	Children's Committee	Person-in-charge
7.	Counselling Register.	Counsellor	Person-in-charge
8.	Drug de-addiction programme enrolment and progress register.	Child Welfare Officer/ Case Worker/Probation Officer	Person-in-charge
9.	Handing over Charge Register.	Shift Incharge	Person-in-charge
10.	House-keeping and Sanitation Register.	House Father/House Mother	Person-in-charge
11.	Inspection Book.	Person-in-charge	Person-in-charge
12.	Legal Services Register.	Child Welfare Officer/ Case Worker/Probation Officer	Person-in-charge
13.	Library Register.	Teacher	Person-in-charge
14.	Log Book.	Driver	Person-in-charge
15.	Meals Register/Nutrition Diet File.	House Father/House Mother	Shift Incharge
16.	Medical File of each child.	Staff Nurse/Para-medical staff	Person-in-charge
17.	Meeting Book	Child Welfare Officer/ Case Worker/Probation Officer	Person-in-charge
18.	Minutes Register of Children's Committees.	Child Welfare Officer/Case Worker/ Probation Officer	Person-in-charge
19.	Minutes Register of Management Committee.	Person-in-charge	Person-in-charge
20.	Order Book.	Person-in-charge	Person-in-charge
21.	Personal Belongings Register.	Child Welfare Officer/ Case Worker/Probation Officer	Person-in-charge
22.	Production Register	Child Welfare Officer/ Case Worker/Probation Officer	Person-in-charge
23.	Staff Movement Register.	Incharge of Security	Person-in-charge
24.	Stock Register.	Accountant-cum-Store keeper	Person-in-charge
25.	Inward/Outward Register.	Accountant-cum-Store keeper	Person-in-charge
26.	Visitor's Book	Security guards	Main Gate's Keeper

27.	Any other register as prescribed or ordered by the State Government	As prescribed by the State Government	Person-in-charge

78. Openness and Transparency.- (1) All Child Care Institutions shall be open to visitors with the permission of the Board or the Committee or the Person-in-charge, who may allow voluntary organisations, social workers, researchers, doctors, academicians, and such other persons as the Management Committee may permit or consider appropriate keeping in view the security, welfare and the interest of the children.

(2) Where permission referred to in sub-rule(1) is given by the Person-in-charge, he shall make a monthly report of such permission including the orders received from the Board or the Committee to the District Child Protection Unit and the State Child Protection Society and also to the Board or the Committee, as the case may be.

(3) The Person-in-charge of the Child Care institution shall encourage active involvement of the local community and corporates in improving the condition in the institution or support the child.

(4) The Person-in-charge shall maintain a visitors' book to record the remarks of the visitors.

(5) The Person-in-charge shall take all steps to inform the visitors to maintain the dignity of children.

79. Release of a child from a Child Care Institution.- (1) The Person-in-charge of the Child Care Institution shall maintain a roster of the cases of children to be released on the expiry of the period of stay as ordered by the Board or the Committee or the Children's Court.

(2) The timely information of the release of a child and of the exact date of release shall be given to the parent or guardian and the parent or guardian shall be called along with necessary documents and identity proofs which proves his relation with the child to the Child Care Institution to take charge of the child on that date and if necessary, the actual expenses of the parent's or guardian's journey both ways and of the child's journey from the Child Care Institution shall be paid to the parent or guardian by the Person-in-charge at the time of the release of the child.

(3) If the parent or guardian, as the case may be, fails to come and take charge of the child on the appointed date, the child shall be taken by the escort of the Child Care Institution or Special Juvenile Police Unit or Childline or any other reccognised voluntary or non-governmental organisation; and in case of a girl, she shall be escorted by a female escort who shall hand over the custody to her parent/guardian.

(4) At the time of release or discharge, a child may be provided with a set of suitable clothing and essential toiletries.

(5) When the child attains the age of eighteen years, he may be placed, if eligible, in an aftercare programme, subject to the consent of the child and the approval of the Board or the Committee or the Children's Court.

(6) In case the date of release falls on a Sunday or a public holiday, the child may be discharged on the preceding day with an entry to that effect being made in the register of discharge.

(7) The Person-in-charge of the Child Care Institution may in appropriate cases, order the payment of subsistence money, at such rates as may be fixed from time to time, by the State Government, and the railway and/or road fares, as the case may be.

(8) Where a girl child has no place to go after release and requests for stay in the Child Care Institution after the period of stay is over, the Person-in-charge may, subject to the approval of the Board or the Committee or the Children's Court, allow her stay only for a limited period till the time, some other suitable arrangement is made by her.

80. Child suffering from disease requiring prolonged medical treatment in an approved place and transfer of a child who is mentally ill or addicted to alcohol or other drugs.- (1) The Board or the Committee or the Children's Court may send the child to a fit facility for such period as may be certified by a medical officer or mental health expert or on the recommendation of the Person-in-charge or Probation Officer or Child Welfare Officer or Case Worker, as necessary for proper treatment of the child who is mentally ill or addicted to alcohol or drugs or any other substance which lead to behavioural changes in a person for the remainder of the term for which he has to stay.

(2) When the child is cured of the disease or physical or mental health problems, the Board or the Committee or the Children's Court may, order the child to be placed back in the care from where the child was removed for treatment and if the child no longer requires to be kept under further care, the Board or the Committee or the Children's Court may order him to be discharged.

(3) The State Government may set up separate Integrated Rehabilitation Centres for child addicts on the basis of appropriate age groups.

81. Transfer of Child.- (1) During the inquiry, if it is found that the child hails from a place outside the jurisdiction of the Board or the Committee, the Board or the Committee shall order the transfer of the child and send a copy of the order stating the reasons for and circumstances of such transfer to the State Government and District Child Protection Unit.

(2) The District Child Protection Unit shall accordingly:

(i) send the information of transfer to the appropriate Board or the Committee having jurisdiction over the area where the child is ordered to be transferred by the Board or Committee; and

(ii) send a copy of the information to the Person-in-charge of the institution where the child is to be placed for care and protection at the time of the transfer order.

(3) The child shall be escorted at Government expenses to the place or person as specified in the order and a travelling allowance on a per day basis shall be paid as per the norms prescribed by the State government which has transferred the child. In case of intra-state transfer, the expenses incurred in transfer of the child shall be borne by the District Child Protection Unit of the district from where the child is being transferred.

(4) On such transfer, case file and records of the child including the details maintained on the designated portals developed by state and/or central government shall be sent along with the child.

(5) Where the child is a national of another country, except the country with which there is a special treaty on free movement of its citizens, e.g. Nepal, the Board or the Committee shall inform the State Government immediately on the production of the child before the Board or the Committee which may initiate the process for repatriation of the child immediately in consultation with Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs, as the case may be.

(6) During the period pending the 69rganization of the repatriation, the child shall be kept in a Child Care Institution.

(7) The expenses incurred on the child for repatriation of the child to another country shall be borne by the State Government concerned.

82. Restoration and Follow-up.- (1) The Board or the Committee or the Children's Court may make an order in **Form 44** for the release of the child placed in a Child Care Institution except child labour after hearing the child and his parents or guardian, and after satisfying itself as to the identity of the persons claiming to be the parents or the guardian.

(2) While passing an order for restoration of the child, the Board or the Committee or the Children's Court shall take into account the reports of the Probation Officer, social worker or Child Welfare Officer or Case Worker or non-governmental organisation, including report of a home study prepared on the direction of the Board or the Committee or the Children's Court in appropriate cases, and any other relevant document or report brought before the Board or the Committee or the Children's Court.

(3) The order of restoration shall include an individual care plan prepared by the Probation Officer or the social worker or the Child Welfare Officer or Case Worker or non-governmental organisation.

(4) The Board or the Committee or the Children's Court, while directing restoration of the child, may pass order for an escort in **Form 45,** where necessary.

(5) Besides police, the Board or the Committee may seek collaboration with non-governmental 70organizations to accompany the child back to the family for restoration.

(6) In case of girls, the child shall necessarily be accompanied by female escorts.

(7) The police personnel escorting the child shall not accompany the child in his or her uniform.

(8) The members of the escort party shall protect the dignity of the child by maintaining confidentiality of information about the child during transit or in the neighbourhood of the place where the child has been ordered to be restored.

(9) The copy of the restoration order along with a copy of the order for escort shall be forwarded by the Board or the Committee or the Children's Court to the District Child Protection Unit which shall provide funds for the restoration of the child, including travel and other incidental expenses.

(10) When a child expresses his unwillingness to be restored back to the family, the Board or the Committee or the Children's Court shall interact with the child to find out the reasons for the same and record the same and the child shall not be coerced or persuaded to go back to the family. The child may also not be restored back to the family where the social investigation report prepared by the Child Welfare Officer or the social worker or the Case Worker or the non-governmental organisation establishes that restoration to family may not be in the interest of the child. The child would also not be restored back to the family where the parents or guardians refuse to accept the child back. In all such cases, the Board or the Committee or the Children's Court may provide alternative means for rehabilitation.

(11) A follow-up plan shall be prepared as part of the individual care plan by the Probation Officer or the Child Welfare Officer or the Case Worker or the social worker or the non-governmental organisation.

(12) The follow-up report shall state the situation of the child post restoration and the measures necessary in order to reduce further vulnerability of the child.

83. Juvenile Justice Fund.- (1) The State Government shall create a fund called the Juvenile Justice Fund for the welfare and rehabilitation of the children dealt with under the Act and the rules.

(2) The State Government shall make adequate budgetary allocations towards the Juvenile Justice Fund.

(3) The Juvenile Justice Fund may receive donations, voluntary contributions, subscriptions or funds under Corporate Social Responsibility, whether or not for any specific purpose, and shall be directly credited to the Juvenile Justice Fund.

(4) The Juvenile Justice Fund may be utilised by the State Government for the following purposes, namely:-

(i) establishment and administration of Child Care Institutions;

(ii) supporting innovative programmes for the welfare of the children in the Child Care Institutions;

(iii) strengthening of legal assistance and support;

(iv) providing entrepreneurial support, skill development training or vocational training;

(v) providing lump-sum subsistence support to children leaving Child Care Institution on attaining the age of eighteen years;

(vi) providing after care facilities and entrepreneurship fund for providing capital and infrastructure to persons who have crossed the age of eighteen within institutionalized care, for starting up small businesses to support reintegration into mainstream life;

(vii) providing support for foster care, sponsorship and after care;

(viii) rehabilitation of children in special circumstances including children released from militant groups and adult groups;

(ix) meeting the expenses of travel for trial and restoration of children, including the expenses of the escorts including police;

(x) creating child friendly police stations, Boards, courts and Committees;

(xi) capacity building for parents and caregivers to understand needs of children;

(xii) awareness generation programmes on child rights and offences against children;

(xiii) creating community-based child protection programmes to identify and report offences against children;

(xiv) providing specialised professional services, counsellors, translators, interpreters, special educators, social workers, mental health workers, vocational trainers etc. for the children covered under the Act;

(xv) providing recreational facilities and extra-curricular activities for the children covered under the Act including those in Child Care Institutions;

(xvi) palliative care for cancer affected children and stay facilities for their parents;

(xvii) critical or life-saving medical treatment;

(xviii) any other programme or activity to support the holistic growth, development and well-being of a child covered under the Act and the rules or such programmes which are considered appropriate by the State Government to serve the best interests of children.

(5) The Juvenile Justice Fund shall be maintained and administered by Department of the State Government dealing with the implementation of this Act through the State Child Protection Society.

(6) The State Child Protection Society, with the approval of the State Government shall adopt financial rules to govern the utilisation of the Juvenile Justice Fund.

84. State Child Protection Society.- (1) The State Child Protection Society shall perform the following functions namely:

(i) overseeing the implementation of the Act and the rules framed thereunder in the State and supervision and monitoring of agencies and institutions under the Act;

(ii) addressing road-blocks, issues, complaints received regarding care and protection of children;

(iii) ensure that all institutions set up under the Act and the rules are in place and performing their assigned duties;

(iv) reviewing reports received from various District Child Protection Units on the functioning of institutions in various districts and take action to facilitate the protection of children wherever necessary and monitoring the functioning of the District Child Protection Units;

(v) develop programmes for foster care, sponsorship and after-care;

(vi) inquire into, seek reports and make recommendations in cases of death or suicide in Child Care Institutions and under other institutional care;

(vii) ensure inter-department coordination and liaising with the relevant departments of the State and Central Governments and State Child Protection Societies of other States or Union Territories;

(viii) networking and coordinating with civil society organisations working for the effective implementation of the Act and the rules;

(ix) maintaining a state level database of all children in institutional care and family based non-institutional care and updating it on a quarterly basis;

(x) maintaining a database of Child Care Institutions, Specialised Adoption Agencies, open shelters, fit persons and fit facilities, registered foster parents, sponsors, after care organisations and other institutions at the State level;

(xi) maintaining a database of medical and counselling centres, de-addiction centres, hospitals, open schools, education facilities, apprenticeship and vocational training programmes and centres, recreational facilities such as performing arts, fine arts and facilities for children with special needs and other such facilities at the State level;

(xii) monitoring and administering the Juvenile Justice Fund set up by the State Government including disbursal of funds to the District Child Protection Units, Special Juvenile Police Units and police stations, as the case may be;

(xiii) maintaining separate accounts for all funds received by the State Child Protection Society such as the Juvenile Justice Fund, funds under Schemes of Central and State Government and getting the same audited;

(xiv) generate awareness among public on various aspects of the Act and the rules made thereunder specifically the existing institutional framework, rehabilitation measures, penalties, procedures for better protection of children;

(xv) organise and conduct programmes for the implementation of the Act including training and capacity building of stakeholders;

(xvi) commission research programmes on child protection;

(xvii) co-ordinate with State Legal Services Authority and law schools; and

(xviii) any other function for the effective implementation of the Act and the rules made thereunder.

(2) The Member- Secretary of the State Child Protection Society shall be the Nodal Officer in the State for the implementation of the Act and the rules.

85. District Child Protection Unit.- (1) The District Child Protection Unit shall perform following functions, namely:

(i) maintain report of quarterly information sent by the Board about children in conflict with law produced before the Board and the quarterly report sent by the Committee;

(ii) arrange for individual or group counselling and community service for children;

(iii) conduct follow up of the individual care plan prepared on the direction of the Children's Court for children in the age group of sixteen to eighteen years found to be in conflict with law for committing heinous offence;

(iv) conduct review of the child placed in the place of safety every year and forward the report to the Children's Court;

(v) maintain a list of persons who can be engaged as monitoring authorities and send the list of such persons to the Children's Court along with bi-annual updates;

(vi) maintain record of run- away children from Child Care Institutions;

(vii) identify families at risk and children in need of care and protection;

(viii) assess the number of children in difficult circumstances and create district-specific databases to monitor trends and patterns of children in difficult circumstances;

(ix) periodic and regular mapping of all child related services at district for creating a resource directory and making the information available to the Committees and Boards from time to time;

(x) prepare a district child protection plan every year and submit it to the State Child Protection Society;

(xi) facilitate the implementation of non-institutional programmes including sponsorship, foster care and after care as per the orders of the Board or the Committee or the Children's Court;

(xii) facilitate transfer of children at all levels for their restoration to their families including providing necessary funds to the persons escorting the child for restoration as per the norms prescribed by the State Government;

(xiii) ensure inter-departmental coordination and liaise with the relevant departments of the State Government and State Child Protection Society of the State and other District Child Protection Units in the State;

(xiv) network and coordinate with civil society organisations working under the Act;

(xv) coordinate with childline service in the district;

(xvi) inquire into, seek reports and take action in cases of death or suicide in child care institutions and under other institutional care and submit the reports to the State Child Protection Society;

(xvii) look into the complaints and suggestions of the children as contained in the children's suggestion box and take appropriate action;

(xviii) be represented on the Management Committees within the Child Care Institutions;

(xix) strengthen the preventive mechanism for child protection by constituting the Child Protection Committees at Block, Gram Panchayat and Ward level within the district and supporting their functioning;

(xx) maintain a district level database of missing children in institutional care and uploading the same on designated portal and of children availing the facility of Open Shelter and of children placed in foster care;

(xxi) maintain a database of child care institutions, specialised adoption agencies, open shelter, fit persons and fit facilities, registered foster parents, after care organisations and institutions etc. at the district level and forward the same to the Boards, the Committees, the Children's Courts and the State Child Protection Society, as the case may be;

(xxii) maintain a database of medical and counselling centres, de-addiction centres, hospitals, open schools, education facilities, apprenticeship and vocational training programmes and centres, recreational facilities such as performing arts, fine arts and facilities for children with special needs and other such facilities at the district level and forward the same to the Boards, the Committees, the Children's Courts and the State Child Protection Society;

(xxiii) maintain a database of special educators, mental health experts, translators, interpreters, counsellors, psychologists or psycho-social workers or other experts who have experience of

working with children in difficult circumstances at the district level and forward the same to the Boards and the Committees and the Children's Court and the State Child Protection Society;

(xxiv) generate awareness and organise and conduct programmes for the implementation of the Act including training and capacity building of stakeholders under the Act;

(xxv) organise quarterly meeting with all stakeholders at district level to review the progress, issues of coordination, if any, and implementation of the Act and other legislations related to child protection;

(xxvi) submit monthly and/or quarterly reports to the State Child Protection Society;

(xxvii) inform the State Government about a vacancy in the Board or the Committee six months before such vacancy arises;

(xxviii) review reports submitted by Inspection Committees and resolve the issues raised through coordination among the stakeholders;

(xxix) provide secretarial staff to the Committees and the Boards;

(xxx) all other functions necessary for effective implementation of the Act including liaising with community and corporates for improving the functioning of Child Care Institutions.

(2) The Assistant Director of the District Child Protection Unit shall be the Nodal Officer in the district for the implementation of the Act and the rules.

86. Special Juvenile Police Unit.- (1) The State Government shall constitute a Special Juvenile Police Unit in each district and city to co-ordinate all functions of police related to children.

(2) The Central Government shall constitute a Special Juvenile Police Unit for the Railway Protection Force or Government Railway Police at every railway station as per requirement and where a Special Juvenile Police Unit cannot be set up, at least one Railway Protection Force or Government Railway Police Officer shall be designated as the Child Welfare Police Officer.

(3) The Child Welfare Police Officers and other police officers of the Special Juvenile Police Unit shall be given, appropriate training and orientation to deal with matters concerning children.

(4) The transfer and posting of the designated Child Welfare Police Officers may be within the Special Juvenile Police Units of other police stations or the district unit.

(5) The police officer interacting with children shall be as far as possible in plain clothes and not in uniform and for dealing with girl child, woman police personnel shall be engaged.

(6) The Child Welfare Police Officer or any other police officer shall speak in polite and soft manner and shall maintain dignity and self-esteem of the child.

(7) Where questions that may lead to discomfort of the child are to be asked, such questions shall be asked in tactful manner.

(8) When an FIR is registered for offence against a child, a copy of the FIR shall be handed over to the complainant or child victim and subsequent to the completion of investigation, copy of report of investigation and other relevant documents shall be handed over to the complainant or any person authorised to act on his behalf.

(9) No accused or suspected accused shall be brought in contact with the child and where the victim and the person in conflict with law are both children, they shall not be brought in contact with each other.

(10) The Special Juvenile Police Unit shall have a list of:

(i) the Board and Child Welfare Committee in its due jurisdiction, their place of sitting, hours of sitting, names and contact details of Principal Magistrate and members of the Board, names and contact details of Chairperson and members of the Committee and the procedures to be followed before the Board and the Committee; and

(ii) contact details of the Child Care Institutions and fit facilities in its due jurisdiction.

(11) The names and contact details of the Special Juvenile Police Unit or Child Welfare Police Officer shall be placed at a conspicuous part at the police stations, Child Care Institutions, Committees, Boards and the Children's Courts.

(12) The Special Juvenile Police Unit shall work in close co-ordination with the District Child Protection Unit, the Board and the Committee in the matters concerning the welfare of children within its jurisdiction.

(13) The Special Juvenile Police Unit may coordinate with the District Legal Services Authority to provide legal aid to children.

87. **Selection Committee and its composition.**- (1) The State Government shall constitute a Selection Committee for a period of three years by notification in the Official Gazette consisting of the following members, namely:

(i) a retired judge of High Court as the Chairperson to be appointed in consultation with the Chief Justice of the High Court concerned;

(ii) one representative from the Department implementing the Act not below the rank of Director as the *ex-officio* Member Secretary;

(iii) One representative from any reputed non-governmental organisation respectively working in the area of child development or child protection for a minimum period of seven years but not running or managing any children's institution;

(iv) two representatives from academic bodies or Universities preferably from the faculty of social work, psychology, sociology, child development, health, education, law, and with special knowledge or experience of working on children's issues for a minimum period of seven years; and

(v) a representative of the State Commission for Protection of Child Rights;

(vi) an official of the State Government belonging to SC/ST community not below the rank of Joint Secretary.

(2) The Selection Committee shall continue for a maximum period of six months after the completion of its tenure by which time new Selection Committee shall be constituted.

(3) If a vacancy arises in the Selection Committee, the Member Secretary shall intimate the Principal Secretary/Secretary of the Department implementing the Act who shall take steps to fill the vacancy for the remaining period at the earliest.

(4) In case of vacancy arising on the post of Chairperson, the State Government shall immediately inform the Chief Justice of the High Court and till appointment of new chairperson the Principal Secretary or the Secretary of the Department of Social Welfare shall chair the meetings of the Selection Committee, which shall in no case be more than six months since the vacancy taking place, for selection of the chairperson and members of the Committee or the Board.

(5) The quorum for the meeting of the Selection Committee shall be not less than four Members, including the Chairperson and the Member Secretary.

(6) The Member Secretary of the Selection Committee shall convene the meetings of the Selection Committee at such times as may be necessary for facilitating and carrying out the functions of the Selection Committee.

(7) The Member Secretary shall maintain the minutes of the selection process and all other meetings of the Selection Committee.

(8) The Chairperson and non-official members of the Selection Committee shall be paid such sitting fees and travel allowances as may be fixed by the State Government from time to time.

(9) All communications relating to the working and discharge of the functions of the Selection Committee shall be addressed to the Office of the Member Secretary, who shall place the same before the Selection Committee.

(10) All records relating to selection shall be placed on the website of the State Government Department concerned.

88. Selection of Chairperson and Members of the Committee or Board.- (1) The Member Secretary of the Selection Committee shall initiate the process of filling up a vacancy six months prior to the incumbent demitting office:

Provided that if a vacancy arises on account of resignation or death of the Chairperson of the Committee or a Member of the Board or Committee, the Member Secretary of the Selection Committee shall immediately initiate the process for filling up such vacancy.

(2) For selection of members of the Board or Chairperson and members of the Committee, the State Government through the Member Secretary of the Selection Committee shall call for applications through public advertisement in the local and national newspapers and official website of the Department implementing the Act.

(3) The Member Secretary shall screen all the applications received from districts and place the applications which fulfill the basic eligibility requirements before the Selection Committee.

(4) The Selection Committee shall evaluate the candidates on the basis of qualifications, experience of working with children and personal interaction with the candidate.

(5) A member selected by the Selection Committee should not:
- (i) be holding such full-time occupation that may not allow the person to give necessary time and attention to the work of the Board or the Committee as per the Act and rules;
- (ii) be associated with any Child Care Institution including specialised adoption agency, directly or indirectly, or Childline during his tenure as a member of the Board or Committee or have any other conflict of interest.
- (iii) hold any office in any political party or organization affiliated to any political party during his tenure, or
- (iv) be in a consanguineous or conjugal relationship with any other member on the Board or the Committee, as the case may be, or
- (v) be insolvent.

(6) Where the Selection Committee is required to consider an application for renewal for a second term after a gap of three years or extension of the tenure which in no case shall be for more than 6 months of Members of the Board or Committee as the case may be on account of non-selection of members within the given time but not exceeding , it shall evaluate the application on the basis of the following criteria, namely:

(i) regular performance appraisals of the Member carried out by the District Judge or District Magistrate quarterly as per a specified format, a copy of which shall be made available to the Chairperson and Members of the Selection Committee by the Member Secretary;

(ii) complaints if any, received and addressed by the Selection Committee against the person seeking an extension of tenure; and

(iii) assessment of the applicant's knowledge about the Act, the rules and other child protection legislations, sensitivity towards vulnerable children and writing and communication skills .

(7) The Selection Committee shall, on the basis of the evaluation procedure and criteria, select and recommend a panel of names in order of merit to the State Government for appointment as Members of the Board or Chairperson or Members of the Committee as the case may be.

(8) In recommending a panel of names, the Selection Committee shall prepare separate panels for the position of Chairperson of the Committee, Members of the Committee and Members of the Board respectively.

(9) The Selection Committee shall prepare a three member panel for each position, which shall be valid for a period of one year.

(10) The list of finalised names shall be duly signed by all members of the Selection Committee present at the time of selection and the Member Secretary of the Selection Committee shall forward the finalised list to the State Government for appointment. The State Government shall constitute one or more Boards or Committees, as the case may be, in each district through notification in Official Gazette within a period of two months of receipt of recommendations of Selection Committee.

(11) If it is brought to the knowledge of the Selection Committee that any member, of the Board or Committee, so appointed, has misrepresented his educational qualification and/or experience at the time of selection, the Government shall, after due enquiry conducted by the Selection Committee and on establishment of such fact, declare the appointment of such member null and void and will proceed to prosecute such member under appropriate law for misrepresentation and shall recover the honorarium paid, if any, from such member.

(12) Names on the panel shall be valid for consideration for a period of one year which may be extended by six months where a new panel has not yet been constituted, in order to fill in vacancies which may rise during such period either due to non-reporting of the selected persons within a stipulated time from the date of appointment, or otherwise during the tenure of the Board or Committee.

(13) If a vacancy in the Board or Committee arises, the District Child Protection Unit shall inform the State Government for filling up such vacancy.

(14) The State Government shall fill the vacancies on the basis of the panel of names recommended by the Selection Committee within a period of three months from receiving such information from the District Child Protection Unit.

(15) If any complaint is made against a member of the Board or Committee, the State Government shall hold necessary inquiry except in respect of judicial officers; complaints against judicial officers shall be forwarded to the Registrar of the High Court for action.

(16) The State Government shall complete the inquiry within a period of one month and take appropriate action within two months.

(17) If a criminal case is registered against the person concerned, Government may suspend the appointment for such term as appropriate after due inquiry.

89. Training of Personnel Dealing with Children.- (1) The State Government shall provide for training of personnel appointed under the Act and the rules and each category of staff, keeping in view with their statutory responsibilities and specific jobs requirements.

(2) The training programme shall include:

(i) introduction of the Act and the rules made thereunder;

(ii) orientation on child welfare, care, protection and child rights;

(iii) induction training of the newly recruited personnel;

(iv) refresher training courses and skill enhancement programmes, documentation and sharing of good practices; and

(v) conferences, seminars and workshops.

(3) The following categories of personnel shall have to undergo training for minimum period of seven days spread over their tenure, namely:-

S. No.	Personnel
1.	Staff of Children's Court and Principal Magistrates of Juvenile Justice Boards
2.	Members of Juvenile Justice Boards
3.	Chairpersons and Members of Child Welfare Committees
4.	Child Welfare Police Officers and other police officers of Special Juvenile Police Units
5.	Programme Managers and Programme Officers of State Child Protection Societies and State Adoption Resource Agency
6.	Staff of State Adoption Resource Agency
7.	Legal-cum-Probation Officers under District Child Protection Units and Probation Officers in Child Care Institutions
8.	Staff of District Child Protection Units and State Child Protection Society
9.	Persons-in-charge of Child Care Institutions (including Open Shelters)

(4) The State Government shall also provide training to other personnel such as social workers, Child Welfare Officers, Case Workers, rehabilitation cum placement Officers, care givers, house fathers and house mothers of Child Care Institutions, security personnel and other staff of Child Care Institutions, Frontline Workers, bridge course educators, outreach workers and community volunteers, Social Workers of Specialised Adoption Agencies, Directors or Incharge of Specialised Adoption Agencies, chief functionaries of organisations granted registration for running Child Care Institutions under the Act, mental health practitioners, psychologists, psychiatrists, psychiatric social workers, legal services lawyers, members of Committees or societies constituted under the Act and the rules thereunder.

(5) The State Governments, while organising training programmes for the stakeholders at State or District level, shall ensure that training modules and training manuals to be developed by State Child Protection Society are in consultation with National Institute of Public Cooperation and Child Development or Institutions having requisite expertise in order to maintain uniformity in the training process throughout the country.

(6) The Judicial Academy in States may develop training module and training manual for the training of Principal Magistrates including on child psychology, use of child friendly procedures and ensuring child friendly environment, care, protection and rehabilitation of children and organise such training programmes at the State level.

(7) The Police Academy in States may develop training module and training manual in consultation with National Police Academy for the training of police and Child Welfare Police Officers including on child psychology, use of child friendly procedures and ensuring child friendly environment, care, protection and rehabilitation of children and organise such training programmes at the State level.

(8) The State Legal Services Authority shall organise training programme for legal service lawyers and para legal volunteers.

(9) The State Child Protection Society in consultation with institutions with requisite expertise shall organise training programme for Person-in-charge, Child Welfare Officers, Case Workers, Probation Officers and functionaries of the District Child Protection Unit, Child Care Institutions and Special Juvenile Police Unit.

(10) The Central Adoption Resource Authority, may develop appropriate training modules and manuals for Specialised Adoption Agencies and staff of State Adoption Resource Agency and organise training programmes

90. Pending Cases.- (1) No child shall be denied the benefits of the Act and the rules made thereunder.

(2) The benefits referred to in sub-rule (1) shall be made available to all persons who were children at the time of the commission of the offence, even if they ceased to be children during the pendency of the inquiry or trial.

(3) While computing the period of detention or stay or sentence of a child in conflict with law, all such period which the child had already spent in custody, detention, stay or sentence of imprisonment shall be counted as a part of the period of stay or detention or sentence of imprisonment contained in the final order of the court or the Board.

91. Monitoring by National Commission for Protection of Child Rights and State Commissions for Protection of Child Rights.- (1) In addition to the functions specified under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the National Commission or the State Commissions may perform following functions in consultation with the Central and State Government, namely:

(i) review setting up of institutions created under the Act;

(ii) develop Information, Education and Communication (IEC) material on child rights and gender sensitivity;

(iii) develop protocols for reformation and rehabilitation of children;

(iv) create awareness about identification and reporting of crimes against children such as drug abuse, trafficking, child sexual abuse and exploitation including child marriage, and other aspects of violence against children;

(v) conduct sensitisation workshops for panchayati raj institutions and municipal corporations on crimes against children including identification and reporting of crimes for enhanced protection;

(vi) develop information material detailing the rights of the child victims or witnesses and their families, and containing useful information in local languages, which may be provided to the victim and her/his family;

(vii) develop training module for stake holders along with the State Child Protection Societies and National Institute of Public Cooperation and Child Development etc.

92. Inquiry in case of a Missing Child.- (1) A missing child is a child, whose whereabouts are not known to the parents, legal guardian or any other person or institution legally entrusted with the custody of the child, whatever may be the circumstances or causes of disappearance, and shall be considered missing and in need of care and protection until located or his safety and well-being established.

(2) When a complaint is received about a child who is missing, the police shall register a First Information Report forthwith.

(3) The police shall inform the Child Welfare Police Officer and forward the FIR to the Special Juvenile Police Unit for immediate action for tracing the child.

(4) The police shall:

(i) collect a recent photograph of the missing child and make copies for District Missing Persons Unit, Missing Persons Squad, National Crime Records Bureau/ Media etc.;

(ii) fill the form on the designated portal;

(iii) fill the specific designed 'Missing Persons Information Form' and immediately send to Missing Persons Squad, District Missing Persons Unit, National Crime Record Bureau, State Crime Records Bureau, Central Bureau of Investigation, and other related institutions;

(iv) send the copy of the First Information Report by post/email to the office of the nearest Legal Services Authority along with addresses and contact phone numbers of parents or guardian of the missing child or the Child Care Institution, after uploading the relevant information onto the designated portal;

(v) prepare sufficient number of Hue and Cry notices containing photograph and physical description of the missing child to be sent for publication;

(vi) give wide publicity by publishing or telecasting the photographs and the description of the missing child, as feasible in (a) leading newspapers (b) Television/electronic media (c) local cable television network and social media and thereafter submit for ratification by the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be.

(vii) give wide publicity in the surrounding area through the use of loud speakers and the distribution and affixture of Hue and Cry notice at prominent places. Social networking portals, Short Message Service alerts and slides in cinema halls can be used to reach out to the masses;

(viii) distribute Hue and Cry notice at all the outlets of the city or town, that is, railway stations, bus stands, airports, regional passport offices and other prominent places;

(ix) search areas and spots of interest such as movie theatres, shopping malls, parks, amusement parks, games parlours and areas where missing or run away children frequent should be identified and watched;

(x) scan the recordings of the Closed Circuit Television Cameras installed in the vicinity of the area from where the child was reported missing and on all possible routes and transit destination points like bus stands, railway stations, and other places;

(xi) inquire from under construction sites, unused buildings, hospitals, and clinics,childline services, and other local outreach workers, railway police, and other places;

(xii) details of missing children should be sent to the District Crime Record Bureaus of the neighbouring States and Station House Officers (SHOs) of the bordering police stations including in-charge of all police posts in their jurisdiction and shall conduct regular interaction with the concerned so that follow up action is ensured.

(5) Where a child cannot be traced within a period of four months, the investigation of the case shall be transferred to the Anti Human Trafficking Unit in the District which shall make reports every three months to the District Legal Services Authority regarding the progress made in the investigation.

(6) When a child is traced:

(i) he shall be produced before the Board or the Committee or the Children's Court, as the case may be, for appropriate directions;

(ii) the police shall send a report to the District Legal Services Authority which shall provide counseling and support services to the child and the family; and

(iii) the police shall conduct an inquiry whether the child has been subjected to any offence under the Act or any other law and if so, proceed accordingly.

(7) The Central Government or the State Government may develop appropriate Standard Operating Procedures for the manner of inquiry in cases of missing children to give effect to these rules.

... notified vide ..., is hereby repealed:

Provided that any action taken or order issued under the provisions of the Rules of 2015 prior to the notification of -2015 these rules shall, in so far it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been taken or issued under the provisions of these rules.

95. Power to Remove Difficulties.- In case there arises any difficulty in executing any of the provisions of these rules, the State Government may, by an order published in the official gazette, make such provision corresponding to these rules, which it may deem necessary and appropriate to remove such difficulties.

By order of the Governor of Bihar

(Atul Prasad)
Principal Secretary, Department of Social Welfare

Memo No.- 10/विविध–08/2016– 1191 Dated- 14.06.2017

Copy to- Principal Secretary/Secretary of all department/All Divisional Commissioner/ D.G.P Bihar/ Secretary, Bihar State Commission for the Protection of Child Rights, Patna/Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna/All District and Session Judges/All District Magistrate/All Superintendent of Police/All Principal Member-cum-Judicial Magistrate of JJBs/All Chairperson, Child Welfare Committee/All Assistant Director, District Child Protection Unit, Bihar for information and necessary action.

(Atul Prasad)
Principal Secretary, Department of Social Welfare

Memo No.- 10/विविध–08/2016– 1191 Dated- 14.06.2017

Copy to- Superintendent, Secretariat Printing, Bihar, Patna forwarding the copy to make available to the undersigned after publishing in Extraordinary edition of Gazette and printing its 2000 copies.

(Atul Prasad)
Principal Secretary, Department of Social Welfare